खण्ड-232, अंक-2
मंगलवार, 9 श्रावण, शक संवत् 1884
(31 जुलाई, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 232 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ३१ जुलाई, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य–३९५

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छैवरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायण प्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा श्री
अवधेशप्रताप, श्री राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनार्थीसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथबहादुर, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
किसुना, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद मैठाणी, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द्र, श्री

गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिनमिट राम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नौरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री

नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचम दास, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथशरनसिंह, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशाधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलवन्तसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्द्रभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बैजनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भाखरलाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूरसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्तानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल ,श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री

यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह कैथवार, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रविकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसुरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुक्मसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, श्री कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमव, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवचरण, श्री

शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, कुंवर
श्रीराम तिवारी, श्री
श्रीराम, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिगराम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम , डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द शर्मा, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हुतराम सिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह,
वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री,
सिंचाई उप-मंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय तथा
लघु उद्योग उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार ३१ जुलाई, १९६२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

ऋषिकेश–गंगोत्री मार्ग पर भयंकर मोटर दुर्घटना

*१––**श्री रामसुन्दर शास्त्री** (जिला गाजीपुर)––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ६ मई, १९६२ को ऋषि केश-गंगोत्री यात्रा मार्ग पर जो भयंकर मोटर दुर्घटना हुई उसमें अब तक कुल कितनी मौतें हुई हैं और उस मोटर दुर्घटना का कारण क्या था ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशी लाल)––६ मई, १९६२ को कोई दुर्घटना नहीं हुई। ५ मई, १९६२ को एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक यात्री की मृत्यु हुई। दुर्घटना-स्थल के समीप मवेशियों का एक झुंड खड़ा था। ऐसा मालूम पड़ता है कि मवेशियों को बचाने के लिये ड्राईवर ने कोशिश की परन्तु गाड़ी को सम्भाल न पाया और गाड़ी पुलिया की दीवार से टकरा कर खड्ड में गिर गयी।

श्री रामसुन्दर शास्त्री––क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मोटर दुर्घटना में कितने व्यक्ति घायल हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष––उन्होंने बताया तो कि एक आदमी।

श्री रामसुन्दर शास्त्री––मैंने पूछा है कि घायल कितने हुए हैं ?

श्री गनेशीलाल––लगभग १७ यात्री घायल हुए हैं।

श्री रामसुन्दर शास्त्री––३ दुर्घटनायें इससे पहले और भी इसी मार्ग पर हुई हैं, क्या इसकी सूचना मंत्री जी को है ?

श्री गनेशीलाल––इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)––क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो दुर्घटनाएं हुई हैं या जो और पहले हुई हैं, उनका मुख्य कारण यह है कि वहां अभी सड़कें निर्मित नहीं हुई हैं जिसके कारण बसें फिसल जाती हैं, खड्ड में गिर गई और दुर्घटना हो गयी ?

श्री गनेशीलाल––उत्तर में जैसा कि मैंने बताया इसका कारण तो यही था कि गायें बीच में आ गईं और ड्राइवर बस को न सम्हाल सका।

श्री रामायण (जिला देवरिया)––इस मार्ग पर दुर्घटनाएं होती हैं, इस संबंध में पहले भी एक कमेटी बनी थी जिसमें आप भी थे, अब फिर यह हुआ तो मैं जानना चाहता हूं कि अबतक इन दुर्घटनाओं को कम करने का सरकार ने क्या यत्न किया है ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)––इस संबंध में एक अलग सवाल था और न अभी उसकी तफसील आई है, उसका उत्तर भी दे दिया जायगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)––इन दुर्घटनाओं के बाद इन सड़कों को चौड़ा और प्रशस्त करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और क्या व्यवस्था की है ?

श्री अध्यक्ष––उन्होंने कहा कि इस संबंध में, आगे प्रश्न है, उत्तर दिया जायगा।

श्री रामायण––मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, प्रश्न अधिक हैं और सब सदन के सामने आज न आ सकेंगे, जैसे २२२ नम्बर पर मेरा ही प्रश्न है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह प्रश्न आज अवश्य आ सकेगा, पता नहीं आयेगा या नहीं और उसका जवाब मिल सकेगा या नहीं ? इसलिये मैं चाहता हूं कि वह अभी बता दें कि इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिये सरकार की तरफ से क्या यत्न किया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन---काफी तफसील की चीज है, इस वक्त सामने वह सवाल नहीं है जिसमें पूरी तफसील दी गई है, उसके उत्तर में पूरी तफसील से सब बातें दी गई हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार प्राइवेट बसों को समाप्त करके सरकारी बसें चलाने का प्रयत्न कर रही है ?

श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)---श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३३ के अन्तर्गत सदस्यों के विशेषाधिकारों का हरण हो रहा है जब कि प्रश्नों के उत्तर इस समय तक नहीं प्राप्त हुए।

श्री अध्यक्ष---बाद में उस प्रश्न को उठा लीजियेगा, अभी प्रश्न होने दीजिये।

विधायक निवासों के कमरों पर अनधिकृत कब्जा

*२---**श्री रक्षपालसिंह** (जिला फतेहपुर)---क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन से विधायक हैं जिन्होंने स्टेट आफिसर के एलाटमेंट आर्डर के खिलाफ विधायक निवासों के कमरों पर नाजायज कब्जा कर रखा है ? वे क्रमशः किस दल से संबंधित हैं ?

सिंचाई उप-मंत्री (डाक्टर रामनारायण पाण्डेय)---जिन माननीय सदस्यों ने स्टेट आफीसर के एलाटमेन्ट आर्डर के खिलाफ विधायक निवासों के कमरों पर नाजायज कब्जा कर रखा है, उनके नाम तथा पार्टी निम्नप्रकार हैं :

१---श्री बब्बन सिंह, एम० एल० ए०, गोंडा ..	..	कांग्रेस
२---श्री सरदार सिंह, एम० एल० ए०, सहारनपुर	..	निर्दलीय
३---श्री रघुवीर सहाय, एम० एल० ए०, फतेहपुर	..	निर्दलीय
४---श्री रफी खां, एम० एल० ए०, शाहजहांपुर ..	..	कांग्रेस
५---श्री सहदेव सिंह, एम० एल० ए०, इटावा ..	..	प्रसोपा
६---श्री मुमताज मुहम्मद खां, एम० एल० ए०, बुलन्दशहर	..	प्रसोपा
७---श्री नियामत उल्लाह अन्सारी, एम० एल० ए०, गोरखपुर	..	कांग्रेस
८---श्री केसरी प्रसाद, एम० एल० ए०, जौनपुर	..	प्रसोपा
९---श्री शिव चरन, एम० एल० ए०, आगरा	..	सोशलिस्ट
१०---श्री नियाज हसन खां, एम० एल० ए०, प्रतापगढ़	..	कांग्रेस
११---श्री नौनिहाल सिंह, एम० एल० ए०, इलाहाबाद	..	प्रसोपा
१२---श्री शशि भूषण सिंह, एम० एल० ए०, कानपुर	..	प्रसोपा
१३---श्री रियासत हुसैन, एम० एल० ए० , मुरादाबाद	..	प्रसोपा
१४---श्री दुर्योधन, एम० एल० ए०, गोरखपुर ..	..	सोशलिस्ट
१५---श्री नरसिंहनारायन, एम० एल० ए० , गोरखपुर	..	सोशलिस्ट
१६---श्री केशव राम, एम० एल० ए०, बदायूं ..	..	कांग्रेस

*३---**श्री रक्षपाल सिंह**---क्या सिंचाई मंत्री उक्त व्यक्तियों से कमरों के खाली करवाने तथा वास्तविक allottee को कमरे में कब्जा दिलवाने हेतु कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---इन माननीय सदस्यों से कमरे खाली करवा कर उन सदस्यों को जिनके नाम कमरे एलाट थे, दिलाना सम्भव नहीं है, क्योंकि वे कमरा खाली करने को राजी नहीं हैं और उनके विरुद्ध इस संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही अवांछनीय होगी।

*४---**श्री रक्षपालसिंह**---क्या सरकार उन सदस्यों की तनख्वाह से ४ रुपये प्रतिदिन काटेगी जिन्होंने एलाटमेंट आर्डर के खिलाफ अनधिकार कब्जा कर रखा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के निवास संबंधी नियम,१९५७ के नियम ५(३) के अन्तर्गत कमरों पर नाजायज कब्जा करने वाले माननीय सदस्यों से केवल २ रु० ५० न० पै० प्रतिदिन अर्थात् ७५ ० प्रति मास की दर से किराया लिया जा सकता है। ऐसे सदस्यों को ७५ मासिक का आवास का भत्ता नहीं दिया जा रहा है। यह धनराशि किराया की धनराशि के बराबर है ।

श्री रक्षपालसिंह---प्रश्न ३ के उत्तर में कहा गया है कि इन सदस्यों के विरुद्ध इस संबंध में कोई कार्यवाही अवांछनीय होगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी चाहते हैं कि सरकार के बनाये हुए नियमों का पालन जो जिम्मेदार लोग हैं उनके द्वारा न हो और स्टेट अफसर की आज्ञाओं का पालन न किया जाय ?

श्री अध्यक्ष---वह कहते हैं वांछनीय नहीं है। क्या आप समझते हैं उनको निकाल दिया जाय ।

श्री रक्षपालसिंह---जिन सदस्यों को एलाट किये गये हैं उनको भी तो आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष---जिनको कमरे नहीं मिले हैं उनके लिये क्या प्रबन्ध है ?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)---अध्यक्ष महोदय, करीब ३६० कमरे हमारे पास हैं जिनमें माननीय सदस्य रह रहे हैं और लगभग १०० कमरों की अभी और जरूरत है। अगर इतना न हो तो कम से कम ७०, ८० कमरे हों, क्योंकि अक्सर २,२ सदस्य एक कमरे में रह जाते हैं। इस समय जो योजना मकानों की चल रही है उसमें २७ कमरे बन रहे हैं और मैं इस कोशिश में हूं और हमें उम्मीद है कि एक जमीन 'ए' और 'बी' ब्लाक्स के पास में मिलने का इंतजाम हो गया है उसके मिलने के बाद ६० कमरे बन जायेंगे उसके बाद फिर शायद किसी सदस्य को कोई तकलीफ नहीं होगी ।

श्री रामायण---मान्यवर, जो उत्तर दिया गया है उससे ऐसा लगा कि इधर बैठने वाले लोगों ने कमरों पर अनधिकार कब्जा ज्यादा किया है, ऐसा इम्प्रेशन सदन पर पड़ा। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या यह सही है कि अभी तक इधर बैठने वाले कौन सदस्य ऐसे हैं जिनको कमरे नहीं मिले हैं और उन्होंने प्रारम्भ से ही मंत्री जी को आवेदन-पत्र दे रखा है ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह था कि कितने कमर रोक रखे हैं ।

श्री रामायण---क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि कौन से विधायक हैं जिन्होंने स्टेट अफसर के अलाटमेंट आर्डर के खिलाफ विधायक निवास के कमरों पर नाजायज कब्जा कर रखा है ?

(कोई जवाब नहीं दिया गया ।)

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---कमरों के अलाटमेंट में क्या यह नियम बरता गया है कि जिनको दरख्वास्तें पहले की हों उनको पीछे ढकेल दिया गया और उनको आज तक कमरा नहीं दिया गया और जो कोई धांधड़ कब्जा करता जाय और उनके आदेश की अवहेलना करता जाय वह कमरा पाता जाय ?

श्री राममूर्ति---मेरे दोस्त नाम पढ़ने से उत्तेजित हो गये। मैं उनसे विनयपूर्वक कहता हूं कि मेरा नाम पढ़ने का इरादा नहीं था। आपको याद होगा कि पिछले सत्र में जब यही सवाल पूछा गया था तो मैंने नाम बतलाने से इन्कार कर दिया था। लेकिन जब सवाल में लिखा हुआ है कि उनके नाम बतलायें जांय तो कोई चारा नहीं था। उनका नाम बतलाना पड़ा :

132623

मैंने बतलाया कि जहां तक तारीख का सवाल है कि किसने किस तारीख को दरख्वास्त दी कमरा लेने के संबंध में तो यह ऐसा मसला है कि तारीख के अतिरिक्त हम को यह भी देखना पड़ता है कि हर दल के साथ न्याय हो जाय । ऐसा न हो कि किसी दल के पास ज्यादा कमरे हो जांय और किसी को बिलकुल न मिलें । पिछले सत्र में मैंने इसका जवाब दिया था । आज भी मुझे तकलीफ है कि लोगों के लिये कमरों का इन्तजाम नहीं हो पा रहा है । कोशिश हम कर रहे हैं कि जगह मिल जाय । शहर में आप जानते हैं कि बातचीत के जरिये अगर हम जगह लेने की कोशिश करते हैं तो लोग दाम मांगते हैं और अगर रिक्वीजीशन करते हैं तो लोग रिट ले लिया करते हैं और हमारी गाड़ी इस तरह से आगे बढ़ती नहीं । हम इस बात की कोशिश में हैं और मैं इस बात का आश्वासन अपने मित्रों को देना चाहता हूं कि कोई इस तरह की बात नहीं है कि कांग्रेस के दल वालों को ज्यादा कमरे दें । विरोधी दल के भी मेरे लिये उतने ही मित्र और अजीज हैं जितने कि इधर के लोग हैं और हम इस बात की कोशिश में हैं कि कमरे मिल जांय और सबको एकमोडेट किया जाय और आगे भी विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी से जल्दी इस बात की कोशिश हो रही है कि काफी मात्रा में कमरे बना दिये जांय ताकि किसी को तकलीफ न हो ।

(कुल सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---जो आश्वासन माननीय मंत्री ने दिया है उसके बाद अब कोई प्रश्न नहीं उठता । आप सब मिल कर समझ लीजिये ।

श्री दीपनारायणसिंह---इसका उत्तर नहीं दिया गया कि जिन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया था उनको तो कमरे मिल गये और जिन्होंने कायदा कानून बनाये रखा उनको कमरे नहीं मिले ।

श्री अध्यक्ष---यह बात उन्होंने मान ली है कि उन्हें इस बात का दुःख है । फिर अब वह आश्वासन दे रहे हैं । आप बातचीत कर लीजिये । कोई और बात हो तो मुझसे कहें, मैं देख लूंगा ।

बाढ़ निरोधक योजनाओं पर व्यय

*५---**श्री कल्पनार्थसिंह** (जिला गोरखपुर)---क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाढ़ निरोधक योजनाओं को चालू करने के लिये केन्द्रीय सरकार से क्या-क्या बातें चल रही हैं ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---कोई बात नहीं चल रही है ।

*६---**श्री कल्पनार्थसिंह**---क्या सिंचाई मंत्री यह बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस प्रदेश को केन्द्रीय सरकार से कितना धन बाढ़ निरोधक योजनाओं तथा कटाव रोकने के लिये प्राप्त होने वाला है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---५७५.२०२ लाख रुपया ऋण के रूप में ।

*७---**श्री कल्पनार्थसिंह**---क्या सिंचाई मंत्री यह बतायेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजनाकाल में केन्द्रीय सरकार से कितना धन बाढ़ एवं कटाव निरोधक योजनाओं के लिये मिला था ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---८६०.०८० लाख रुपया ऋण के रूप में ।

श्री कल्पनार्थसिंह---क्या माननीय मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि जिस बातचीत के फलस्वरूप प्रश्न संख्या ६ और ७ में जो धनराशि केन्द्रीय सरकार से मिली है वह बातें मुख्यतया क्या क्या थीं और वह बातें क्यों बन्द कर दी गयीं ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---बन्द करने का प्रश्न नहीं है। यह धनराशि तो खर्च करने के लिये मिली है।

श्री अध्यक्ष---वे यह जानना चाहते हैं कि कौन-कौन सी चीजें थीं जिनके संबंध में यह धन मिला था और वह क्यों चालू नहीं है।

श्री राममूर्ति---इसका ऐसा कायदा है कि बाढ़ के संबंध में जो योजनायें बनती हैं वह हमारे यहां फ्लड कंट्रोल बोर्ड में एक टेक्निकल सब-कमेटी बनी हुई है उसमें उनकी जांच होती है और जांच होने के बाद फिर बोर्ड में आती हैं। अगर १ करोड़ रुपये से ऊपर की योजना है तो वह प्लानिंग कमीशन के पास भेजी जाती है और अगर एक करोड़ से कम की भी है, जैसे मार्जिनल बंध है, तो भी प्लानिंग कमीशन के पास भेजी जाती है जो देखता है कि उस बंध के बनने से किसी दूसरे प्रदेश में ऐसा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है जिससे नुकसान हो। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद हम उनको बनाते हैं। अक्सर ऐसा होता है क्योंकि बाढ़ का मसला ऐसा है जिसकी वजह से प्रति वर्ष काफी नुकसान होता है, उतना रुपया तो हमारे पास होता नहीं है कि सब का नुकसान पूरा कर दें लेकिन जहां तक सम्भव होता है उतना किया जाता है। किसी काम को रोकने का सवाल तब पैदा होता है जबकि प्लानिंग कमीशन या सेन्ट्रल वाटर एंड पावर कमीशन उसकी अनुमति नहीं देता।

श्री कल्पनार्थसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राप्ती नदी पर जो जलकुंडी योजना या दूसरी योजनायें भारत सरकार के पास भेजी गयी थीं वह किस दशा में हैं?

श्री राममूर्ति---जलकुंडी योजना के संबंध में शुरू-शुरू में नेपाल राज्य ने इस बात की आज्ञा दी थी कि उसकी छानबीन की जाय और सर्वे कराया जाय। इत्तफाक की बात ऐसी है कि जिस जगह पर यह जलाशय बनाया जा रहा है वह सब नेपाल की भूमि है और उसमें नेपाल के लगभग ८५ गांव डूब रहे हैं। तो नेपाल सरकार के सामने वहां के लोगों ने यह मांग की चूंकि उनका ही सारा इलाका डूब रहा है और उस योजना से लाभान्वित उत्तर प्रदेश के लोग होंगे इसलिये उसकी स्वीकृति न दी जाय। लिहाजा नेपाल राज्य ने हमें आज्ञा नहीं दी। हम उनसे कहते हैं कि तुम्हें बिजली वगैरह देंगे लेकिन इधर नेपाल राज्य हमारे काम में कुछ रुकावट पैदा कर रहा है इसलिये अभी वह योजना रुकी पड़ी है।

श्री रामायण---मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार की ओर से तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बाढ़ निरोधक कार्य के लिये कौन-कौन सी मुख्य योजनायें केन्द्रीय सरकार के सामने रखी गयीं थीं?

श्री अध्यक्ष---यह तो प्रश्नों के अन्दर आता नहीं है।

श्री रामायण---पहला प्रश्न देखिये और जो जवाब मंत्री जी ने दिया है उससे यह निकलता है फिर छठा और सातवां सवाल देखिये।

श्री राममूर्ति---वैसे तो एक बहुत बड़ी सूची इसके साथ लगा दी गयी है। अब मोटे तरीके से डिटेल्स बताना मुश्किल है। अगर हमारे मित्र रामायणजी की दिलचस्पी है या किसी और को हो तो मेरे पास आयें मैं कोशिश करूंगा कि उनको बतला दूं।

श्री कल्पनार्थसिंह---उन्होंने हमको भी नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष---वह कहते हैं कि हम दे देंगे।

श्री झारखंडेराय---इस बात को देखते हुये कि विशेषकर बड़ी नदियों के कटाव को रोकने के लिये बड़े बन की जरूरत है, सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में किन-किन नदियों के कटाव को रोकने की योजना बनायी है ?

श्री राममूर्ति---पूरे तरीके से किसी नदी को रोकने का कोई इन्तजाम नहीं किया गया है और उसकी वहज यह होती है कि जिस तरफ कटाव होता है अगर उस तरफ ठोकर बनायी जाती है तो स्वाभाविक नतीजा यह होता है कि बाढ़ का पानी दूसरी तरफ जाया करता है । तो अगर हम उसका काम ज्यादा शुरू कर दें तो नतीजा यह होगा कि रिवर कैनेलाइज हो जाती है । जब रिवर कैनाल की शक्ल ले लेगी तो नीचे के हिस्से में पानी का बहुत दबाव होगा और उससे भारी क्षति होगी । मिसाल के तौर पर सहारनपुर में जहां यमुना की शुरुआत है वहां पर करीब ४ लाख क्यूसेक्स पानी आता है और दिल्ली में २ लाख क्यूसेक्स रह जाता है, बीच में फैल जाता है तो उतना दबाव नहीं पड़ता है । अगर दरिया को बिलकुल कैनेलाइज कर दें तो नीचे के हिस्से में दबाव बढ़ जाता है । इसलिये ऐसा नहीं सोचा गया है कि किसी दरिया को पूरे तरीके से कैनालाइज किया जाय । जब किसी जगह पर ऐसी खतरनाक हालत पैदा हो जाती है तो उसको देखते हुये इन्तजाम किया जाता है ।

श्री काशीनाथबहादुर (जिला बस्ती)---अभी मंत्री जी ने कहा है कि कटाव के रोकने की योजना का सवाल पैदा नहीं होता है, लेकिन पिछले सत्र में माननीय मंत्री जी ने इसी सदन में उत्तर दिया था कि गायघाट पर गंगा का कटाव रोकने के लिये एक ठोकर बनाने की योजना है और उस पर तत्काल कार्य शुरू किया जायगा । लेकिन आज तक वह योजना शुरू नहीं हुई ।

श्री राममूर्ति---अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल समझा नहीं ।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने कहा है कि बलिया के पास आपने किसी ठोकर बनाने के लिये कहा था ।

श्री काशीनाथबहादुर---श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा था कि गायघाट के पास एक ठोकर बनाने के योजना है और उस पर तत्काल काम शुरू किया जायगा, लेकिन अभी तक वह शुरू नहीं की गई । कब तक वह योजना चालू की जायगी ?

श्री अध्यक्ष---आपका कहना यह है कि बलिया में गंगा के निरोध के लिये ठोकर बनी था नहीं बनी ? यदि नहीं बनी तो क्यों, नहीं बनी ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---बलिया में कई ठोकरें लगाई गईं, लेकिन अभी तक असर पूरा नहीं हुआ ?

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---तृतीय पंचवर्षीय योजना में, जहां तक हमारी याददाश्त काम कर रही है, वह यह है कि लगभग एक अरब रुपया बाढ़ नियंत्रण योजना पर भारतीय सरकार द्वारा खर्च होगा तो उत्तर प्रदेशीय सरकार ने केवल ५ करोड़ ७५ लाख रुपये की ही योजना क्यों भेजी जब कि भारत सरकार से कहा गया है कि उत्तर प्रदेशीय सरकार जितना धन चाहे उतना दिया जा सकता है ?

श्री राममूर्ति---उत्तर प्रदेशीय सरकार ने ५ करोड़ ७५ लाख रुपये की योजना नहीं भेजी थी थी । दस करोड़ के करीब भेजी थी, लेकिन सरकार द्वारा इतना रुपया स्वीकृत हुआ । होता यह है कि बाढ़ का ऐसा मसला है कि पहले से यह ऐनवीसेज नहीं किया जा सकता कि कितना रुपया खर्च होगा और चूंकि हर चीज पर सूद देना पड़ता है और उसमें इतना रिटर्न मिलता नहीं, इसलिये कोशिश की जाती है कि जितना रुपया मिल जाता है उतना खर्च कर लिया जाय । यह भी है कि भारत सरकार और पया देने से इन्कार नहीं करती है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि ५ करोड़ ७५ लाख रुपया मिला था, जब वह खर्च हो गया तो दो ढाई करोड़ रुपया और लिया है । इसलिये अगर और रुपये की जरूरत होगी तो ले सकते हैं ।

श्री गेंदासिंह---क्या वह यही है कि उत्तर प्रदेशीय सरकार ने मास्टर प्लान बनाया था, वह कितने का था और ढाई करोड़ रुपया एक काम पर खर्च किया गया है ?

श्री राममूर्ति---मास्टर प्लान की रूपरेखा बन गई है । लेकिन कायदा यह है कि सेन्ट्रल वाटर ऐण्ड पावर कमीशन के पास भेजा जाता है ताकि पास पड़ोस के प्रदेश पर उसका असर क्या पड़ता है इसको देखे और ब्योरे के साथ देखने के बाद उसकी शक्ल बनती है । उसकी एक रूपरेखा बनी थी जो वहां भेज दी गई है । उसकी जांच पड़ताल हो रही है । इसलिये इसके बारे में कोई खास बात कहने की हालत में मैं इस समय नहीं हूं ।

श्री नरसिंहनारायण---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो धन केन्द्रीय सरकार से प्रदेशीय सरकार को मिला है उसके देने के समय क्या प्रदेशीय सरकार ने ब्लू प्रिन्ट केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है कि इस तरह की योजनायें हमारे पास विचाराधीन हैं और कुछ काम करने हैं, इस तरह की योजनायें भेजी हैं ? यदि हां, तो वे कौन सी योजनायें हैं और कौन-कौन नदियां शामिल हैं ?

श्री राममूर्ति---अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी अर्ज किया था कि जो योजनायें एक करोड़ की होती हैं वे सेन्ट्रल वाटर ऐण्ड पावर कमीशन के पास भेजनी पड़ती हैं, लेकिन कम की भी भेजनी पड़ती हैं । वे देख लेते हैं कि उनका असर पड़ोस के प्रदेश पर क्या पड़ता है, और देखने के बाद वे स्वीकृत देते हैं और तब वे हमारे पास आती हैं और हम उन्हें कार्यान्वित करते हैं । मोटे तौर पर छोटी-छोटी योजनायें हमारी टेक्निकल सब कमेटी के सामने जाती हैं । वहां से जब मंजूर हो जाती हैं तो फ्लड बोर्ड के द्वारा पास होने के बाद कार्यान्वित की जाती हैं ।

श्री कल्पनार्थसिंह---इस प्रदेश में जो मास्टर प्लान बाढ़ निरोधक योजनाओं के लिये बनने वाला है और जो धनराशि माननीय मंत्री जी ने केन्द्रीय सरकार से मांगी है जिसके फलस्वरूप ५ करोड़ ७ लाख रुपया मिला, तो यह वार्ता केन्द्रीय सरकार से बन्द क्यों कर दी गयी, आगे क्यों नहीं चलायी जा रही है जिससे और धनराशि केन्द्रीय सरकार से मिल सके ?

श्री अध्यक्ष---इतनी बात तो उन्होंने बतायी कि केन्द्रीय सरकार की देख-रेख में बनती हैं, उनकी स्वीकृति के लिये भेजना पड़ता है । यह सब बातें तो बतला दीं ।

श्री कल्पनार्थसिंह---मेरा सवाल दूसरा था । मेरा सवाल प्रश्न नम्बर ५ से संबंधित था । उन्होंने कहा कि कोई वार्ता नहीं चल रही है । मेरा यह पूछना है कि जब आपने एक योजना केन्द्रीय सरकार के पास बना कर भेजी और उसमें कम ही रुपया मिला जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, तो जो योजनायें बाकी बची हुई हैं, उनके संबंध में वार्ता क्यों नहीं चलायी जा रही है ?

श्री राममूर्ति---अध्यक्ष महोदय, मैंने अर्ज किया कि कोई ऐसी योजना वृहत रूप से नहीं बनायी गयी है जिसमें हर दरिया को कैनालाइज कर दिया जाय । जब कहीं कोई आवश्यकता महसूस होती है तो उसका सर्वेक्षण होता है, प्राक्कलन बनता है, तब केन्द्रीय सरकार के पास भेजा जाता है । ऐसी चीज नहीं है कि शुरू से सारी चीजें भेज दी जांय । छोटी-छोटी स्कीमें टेक्निकल सब कमेटी से पास होने के बाद उनको भेज दिया जाता है । जब भारत सरकार से रुपये की जरूरत होती है तो उसमें देखा गया है कि वह साधारणतया स्वीकृति दे देते हैं । चूंकि इसमें टीग्रेटेड पिक्चर प्रदेश की है नहीं, जो भेज दी जाय, अगर योजना चलेगी तो भेज दी जायगी वहां पर ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---अभी मंत्री जी ने बतलाया कि बाढ़ रोकने के लिये बांधों की कोई आवश्यकता नहीं है इसको दृष्टि में रखते हुये जो दिल्ली और पंजाब की सरकारें यमुना पर बांध लगाती जा रही हैं उन्होंने कोई सुझाव बांध रोकने के लिये पंजाब और दिल्ली सरकारों को दिये हैं ?

श्री राममूर्ति---माननीय सदस्य ने सही फरमाया। सेन्ट्रल वाटर ऐंड पावर कमीशन में यमुना सब कमेटी नाम से एक इंस्टीटयूशन है, जिसका फंशन यह है कि यमुना नदी में जो बाढ़ आती है उसके रोकने के सिलसिले में जो काम किये जाते हैं पहले उस सब कमेटी के जरिये उसकी जांच हो जाय और अगर वह कमेटी यह समझती है कि किसी भी ठोकर के बनाने से किसी दूसरे हिस्से को नुकसान पहुंचेगा तो उसको रोक दिया जाय, या अगर वह उसको उचित समझती है तो उसको बना दिया जाय। यह सही बात है कि कुछ ऐसी योजनायें हैं जो पंजाब गवर्नमेंट के जरिये बन रही हैं। वह यमुना सब कमेटी की नोटिस में लायी गयी हैं। उसने आश्वासन दिया है कि या तो उन बांधों को रोक दिया जायगा और अगर नहीं रोका जायगा तो दूसरा रास्ता निकालेंगे। वहां पर भी बांध बनेंगे। पंजाब गवर्नमेंट का यह कहना है कि चूंकि पंचायतराज में हर पंचायत को यह अख्तियार दिया गया है कि वह अपनी सुरक्षा के लिये काम कर सकती है, इसलिये अगर वह अपने बचाव के लिये कोई काम करती है, तो उसको रोका नहीं जा सकता। अगर इस तरह की पोजीशन होती है तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के जरिये से कोशिश करेंगे कि ऐसे काम न किये जांय। अगर फिर भी करते हैं तो कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे कि फिर यू० पी० की तरफ से भी ऐसे स्तर बना दिये जांय जिससे नुकसान न पहुंचे।

*८---**श्री शराफतहुसैन रिजवी** (जिला मुरादाबाद)---[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

कानपुर बस स्टेशन पर बच्चे की मृत्यु

*९---**श्री कोतवालसिंह भदौरिया** (जिला फर्रुखाबाद)---क्या परिवहन मंत्री को इस बात की जानकारी है कि २३ मई को कानपुर बस स्टेशन (कलेक्टरगंज) पर रोडवेज बस द्वारा एक छोटे बच्चे की मत्यु हो गई जो स्कूल से अपने घर जा रहा था ?

श्री गनेशीलाल---जी हां।

*१०---**श्री कोतवालसिंह भदौरिया**---अगर हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री गनेशीलाल---नियमानुसार मजिस्टीरियल जांच के लिये जिलाधीश कानपुर को लिख दिया गया है।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक जिलाधीश ने कोई जांच की है ? अगर की है, तो उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में क्या लिखा है ?

श्री गनेशीलाल---जिलाधीश की जांच रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं हुई है।

श्री नरसिंहनारायण---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह बच्चा किस तारीख को मोटर से दबकर मरा और कब से जांच शुरू हुई ?

श्री गनेशीलाल---२३ मई, १९६२ के साढ़े नौ बजे जो ऐक्सीडेंट हुआ था उसी में बच्चा मर गया।

श्री नरसिंहनारायण---श्रीमन्, मैंने दूसरा प्रश्न भी किया था, उसका जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष---फिर पूछ लीजियेगा।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)---माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आये दिन कानपुर में जो दुर्घटनायें हो रही हैं क्या उसको देखते हुये कलक्टरगंज से इस बस स्टेशन को हटाकर किसी दूसरी जगह ले जाने का विचार है ?

श्री गनेशीलाल---अभी तक इस तरह का कोई सुझाव सरकार के पास नहीं है, बल्कि स्टेशन बनाने का विचार है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आजकल जैसा कि कानपुर में बड़े जोर का आन्दोलन चल रहा है कि शहर के अन्दर से और घनी बस्ती के अन्दर से रोडवेज की बसें और हैवी ट्रैफिक जो चलती हैं उसको हटा दिया जाय, इसके संबंध में उनको पत्र लिखा गया था और एक प्रतिनिधि मंडल भी उनके मिलना चाहता था उसके लिये उन्होंने कोई अपना समय और तिथि निर्धारित की है या उसके ऊपर विचार किया है या नहीं ?

श्री मुजफ्फरहसन---माननीय सदस्या का एक पत्र मिला था और उसका जवाब उनके पास गया होगा । उसका संबंध ज्यादातर रोडवेज डिपार्टमेंट से नहीं है बल्कि म्युनिसिपैलिटीज से है, यही उनको लिखा गया है ।

श्री रामचन्द्र विकल---एक वैधानिक प्रश्न है । माननीय मंत्री जी की सीट से सवाल नहीं होने चाहिये । माननीय सदस्या मंत्री जी की सीट से सवाल कर रही हैं जो मेरे खयाल से यहां के नियम और परम्परा के खिलाफ है ।

श्री अध्यक्ष---इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है । मंत्री की अनुपस्थिति में कोई भी सदस्य वहां बैठ सकता है ।

श्री रामायण---मान्यवर, आम तौर से ऐसी सूचनायें मिलती हैं कि स्कूल के छात्र इन बसों से कुचल जाया करते हैं । पिछले वर्ष इस सदन के एक माननीय सदस्य का बच्चा काल्विन कालेज के सामने कुचल गया । अभी दो दिन पहले लखनऊ में भी एक छात्रा कुचल गई । तो मैं माननीय गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके सामने कोई ऐसी योजना विचाराधीन है कि स्कूल की जब छुट्टी हो, या स्कूल जब प्रारम्भ हो उस समय जहां छात्रों की भीड़ अधिक होती हो वहां ट्रैफिक पुलिस की कोई व्यवस्था कर दी जाय ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अभी यह प्रश्न जिस रूप में रखा गया है उस रूप में सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं हुआ है और इसलिए इस पर कोई विचार-विनिमय अभी तक नहीं हुआ है ।

श्री नरसिंहनारायण---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि २३ मई को दुर्घटना हुई और अभी तक कलेक्टर ने अपनी जांच शुरू नहीं की, इस विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन---कलेक्टर के यहां से रिपोर्ट नहीं आयी । मैं तो इस वक्त इतना ही कह सकता हूं कि उनको लिखा जायगा कि उसकी जल्दी रिपोर्ट आनी चाहिए ।

श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)---माननीय मंत्री जी इस बात को सूचना मान कर कि कानपुर बस स्टेशन में जगह की कमी है उस कमी को दूर करने के लिए वहां पर लगी हुई जो नहर है जिसको पाटने की योजना सरकार के विचाराधीन थी, उसके बारे में बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह योजना अभी भी विचाराधीन है, अगर हां, तो कब तक वह कार्य-रूप में परिणत होगी ?

श्री मुजफ्फर हसन---जहां तक मुझे ख्याल पड़ता है यह तय हो गया है कि उसको पाट कर के वहां पर जगह बढ़ा दी जाय ।

अलीगढ़ जिले में करबन नदी की बाढ़ तथा खार्जा नालों से नुकसान

*११---**श्री चैतन्यराजसिंह** (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में करबन नदी के बाढ़ से जो नुकसान होता है, उस बाढ़ की रोकथाम के लिये सरकार ने क्या किया ?

श्री राममूर्ति—करबन नदी के बाढ़ की रोकथाम के लिए नदी को सीधा, चौड़ा तथा कहीं कहीं पर गहरा करने की योजना प्रस्तावित है ।

*१२—**श्री चैतन्यराजसिंह** (अनुपस्थित)—अलीगढ़ जिले में जितने खार्जा नाले हैं इनके द्वारा बाढ़ में किसानों का काफी नुकसान होता है ? इन नालों के पानी को निकालने के लिये सरकार ने क्या किया है ?

श्री राममूर्ति—इन नालों का अधिकतर पुनः निर्माण करा दिया गया है और प्रति वर्ष नालों की सफाई भी कराई जाती है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम २९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

नत्थूपुर नहर शाखा के ठेकेदारों का प्रार्थना-पत्र

*१—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय** (जिला आजमगढ़)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट नहर की शाखा नत्थूपुर पर पक्के काम करने वाले कुछ ठेकेदारों का सन् १९५७ का भुगतान अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी नहीं ।

*२—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ठेकेदारों ने अधिशासी एवं सहायक इंजीनियर के पास धनराशि के भुगतान के लिये २३ मार्च, १९५९ तथा १२ जनवरी, १९६२ को क्रमशः आवेदन-पत्र भेजा, जिस पर प्रार्थियों से पूछ-ताछ तक नहीं हुई है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—केवल एक प्रार्थना पत्र १२-१-६२ को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में प्राप्त हुआ था । प्रार्थना-पत्र पर जांच की गई और बकाया धनराशि का भुगतान सम्बन्धित ठेकेदार को कर दिया गया । इसलिए प्रार्थी से पूछ-ताछ करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सिंचाई मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रार्थना-पत्र में किस सन् के भुगतान की मांग की गई थी और यह रुपया कब दिया गया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—श्रीमन्, ठेकेदार द्वारा जनवरी सन् १९६२ में भुगतान करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया गया था ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—मैंने पूछा है कि किस सन् के भुगतान की मांग की गई थी और यह रुपया कब दिया गया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—यह सन् १९५७ के ठेके का मामला था और एक हजार रुपये का ठेका था ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—मैं यह जानना चाहता हूं कि यह रुपया कब दिया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जनवरी, ६२ में उसने अप्लाई किया था और उसके बाद छानबीन करके १६ जुलाई, १९६२ को भुगतान किया गया ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि सन् १९५७ का भुगतान जुलाई, १९६२ में किया गया ?

श्री अध्यक्ष—वह भुगतान हो चुका ? अब और क्या चाहते हैं ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—मैं कारण जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि इतनी देर से भुगतान किया गया ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, यह मिट्टी के मेजरमेंट से सम्बन्धित मामला है। यह बात जरूर है कि जिस समय यह मिट्टी डाली गई थी उसी वक्त यह काम पूरा हो जाना चाहिये था। होता यह है कि जब बारिश हो जाती है तो मेजरमेंट में उलझन पैदा हो जाती है। एक दो साल तक इसकी खतोकिताबत चलती रही। उसके बाद ओवरसियर और असिस्टेंट, इंजीनियर दोनों का तबादला हो गया। उसके बाद वह झगड़ा चलता रहा। बाद में रिमाइन्डर गया तो उसमें जल्दी की गई और प्रश्न करने से और जल्दी हो गई। वह काम पूरा हो गया तो अब शिकायत का मौका नहीं होना चाहिये।

शारदा नहर की हैदरगढ़ एवं जौनपुर ब्रांच पर पुल की मांग

*३—**श्री रामकिशोर** (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार नहर शारदा की हैदरगढ़ एवं जौनपुर ब्रांच के १८ मील ५ फर्लांग पर कोई पुल बनाने की व्यवस्था करने जा रही है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी नहीं।

श्री रामकिशोर—क्या सरकार के पास इस पुल को बनाने के लिये वहां के क्षेत्र के प्रतिनिधियों की ओर से लिखित मांग की गई है, यदि हां तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राममूर्ति—मांग तो की गई, लेकिन कायदा यह है कि एक मील के अन्दर हम दो पुल मामूली रजवाहे जो होते हैं उन पर नहीं बनाते हैं। १८ वें मील पर एक पुल है और १९ वें मील पर एक पुल है। तीसरा पुल बनाने में २४ हजार रुपया और खर्च हो, यह नियम के खिलाफ पाया गया। इसलिये उसका बनाना मुनासिब नहीं समझा गया।

श्री रामकिशोर—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस जगह पर बाबा हंसवापुर बहुत बड़ा मेला हर मंगलवार को लगता है और हजारों व्यक्तियों को वहां जाने के लिये करीब का एक डढ़ मील का चक्कर लगाना पड़ता है तो इस पर सरकार कोई विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर दे दिया गया कि उस तरह का कायदा है। वह नहीं बना सकते।

तहसील सिकन्दराबाद में मुआफ आबपाशी की वसूली

*४—**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि खरीफ सन् १९६१ में तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में किसानों की फसल नष्ट होने के कारण आबपाशी मुआफ करने के आदेश हुये थे ? यदि हां, तो अब किसानों से आबपाशी क्यों वसूल की जा रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी हां, मंजूर की गई छूट की आबपाशी किसानों से वसूल नहीं की जा रही है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय सिंचाई मंत्री बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि किसानों से आबपाशी वसूल की गयी ? यदि हां, तो वह कितनी है और किन किसानों से वसूल की गयी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—५५ रुपये ३६ नये पैसे बाकी रह गयी थी, बाकी छूट की अमलदरामद १९५९ फसली में कर दी गयी थी ।

श्री रामचन्द्र विकल—जो धनराशि वसूल की गयी है उसके बारे में भविष्य में क्या सोचा जा रहा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—वह तो एडजस्ट हो जायगी उनके एकाउन्ट में ।

बसैत नाला खोदने की प्रार्थना

*५—श्री गणेशचन्द (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में तहसील भोगांव में सरकार की तरफ से जो बसैत के तालाब के पानी निकालने के लिये नाला बनाया जा रहा था, वह अधूरा खोद कर बन्द कर दिया गया है और फरेंजी व देवीगंज के तालाबों का पानी नाला बना कर बसैत के तालाब में और डाल दिया गया है जिस कारण कई हजार बीघा धान की फसल पिछले कई सालों से डूब जाती है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—यह नाला अब पूरा खोदा जा चुका है। पहले नाला पूरा न खुदने के कारण और फरेंजी व देवीगंज तालाबों का पानी भी नाले द्वारा बसैत के तालाब में डाल दिये जाने के कारण किसी प्रकार की हानि नहीं होती थी।

*६—श्री गणेशचन्द—क्या पूरा नाला खुदवाने की दरख्वास्तें सिंचाई मंत्री जी को २१ अक्तूबर, १९६१ व २८ अगस्त, १९६१ व ३० अक्तूबर, १९६१ को दी गयी है और चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग लखनऊ को भी २८ अगस्त, १९६१ ई० को दी गयी और १९५९ व ६० और ६१ ई० में भी श्री जिलाधीश व सम्बन्धित हाकिम परगना व एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, सिंचाई विभाग, मैनपुरी को भी दी गयी है पर आज तक बसैत का नाला पुरा नहीं खुदा है ? इसके कौन कौन से कारण हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी हां। एक दरख्वास्त दिनांक २१-१०-६१ की प्राप्त हुई थी जिसे मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के पास भेज दिया गया था। इसके अलावा दो दरख्वास्तें दिनांक ११-९-६० और १६-९-६० एस० डी० ओ० भोगांव के कार्यालय में भी प्राप्त हुई थीं। नाला पूरा खोदा जा चुका है।

श्री गणेशचन्द—मैं उस जगह से एम० एल० ए० हूं और अभी वहीं से आया हूं। क्या सरकार मेरी सुचना को सही मानेगी कि वहां कोई नाला बन कर तैयार नहीं हुआ है और बारिश के दिन हैं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, भोगांव के लोगों की अजीब खसलत है। ६ मील दो फर्लांग का यह नाला है और ५ मील ७ फर्लांग खुद गया है। इसके बाद वहां के लोगों ने उसे रोक दिया और नहीं खुदने दिया और हर तरह की दिक्कत पैदा कर रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं ? हमने एस० डी० ओ० से कह रखा है कि उनके दिमागों को किसी तरह से ठीक करो ताकि अगला काम भी पुरा हो जाय ।

रुद्रपुर क्षेत्र में पानी रुक जाना

*७—श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के रूद्रपुर क्षेत्र में कुर्ना नाला का पानी रूद्रपुर-बरहज सड़क पर बने सरया के पास के पुल के कारण रूकने से १० हजार बीघा में बोरों धान की पैदावार नहीं हो पा रही है और उससे जनता का ६० लाख का भारी नुकसान है तथा १२० हजार के आस पास मालगुजारी दंड स्वरूप देनी पड़ रही है ? यदि हां, तो क्या उस पानी की निकासी के लिय कोई कदम उठाया गया है ? यदि हां, तो क्या और कब तक पानी की निकासी संभव है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी नही। स्थिति इस प्रकार है कि बरसात समाप्त होने के बाद लगभग ८५६ एकड़ भूमि में पानी भरा रहता है। इस पानी की निकासी के लिए एक cunette बनाना स्वीकृत हुआ है और आशा की जाती है कि इसके बनने के बाद समस्या हल हो जायगी।

*८—श्री चन्द्रबली—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरहज सड़क पर भमवली के पास पानी निकासी के लिये कुर्ना नाला पीड़ित समिति द्वारा प्रेषित कोई प्रस्ताव उन्हें मिला है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी हां, पानी की निकासी के लिये मुख्य अभियन्ता को एक cunette बनाने के आदेश दिये गये हैं।

श्री चन्द्रबली—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह पानी कितने दिनों से रुका हुआ है और क्यों?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, बरसात होने के बाद निचले एरिया में पानी रुक जाया करता है। उसको निकालने के लिये यह क्यूनेट बनाया जायगा। इसके आदेश दे दिये गये हैं। इसके तैयार हो जाने के बाद यह तकलीफ नहीं रहेगी।

श्री चन्द्रबली—इतने दिनों से वह क्यों नहीं बनाया गया?

श्री अध्यक्ष—यह तो बता दिया है।

श्री चन्द्रबली—मेरा प्रश्न है कि १० हजार बीघा में बोरों धान की पैदावार नहीं हो पा रही है और उससे जनता का ६० लाख का भारी नुकसान है तथा १२० हजार के आस पास मालगुजारी दंड स्वरूप देनी पड़ रही है, तो यह कहां तक सच है?

श्री राममूर्ति—इसके उत्तर में मैंने कहा है कि ८५६ एकड़ जमीन में पानी भर जाता है। यह भी बताया जा चुका है कि नाला बना हुआ है। हर बरसात में नाले भर जाया करते हैं और दूसरी बरसात में उनकी सफाई की जाती है, लेकिन जब यह देखा गया कि पानी उसमें से नहीं निकलता तो दूसरी स्कीम क्यूनेट बनाने की रखी गई है ताकि वहां पानी न जमा हो।

श्री रामायण—जिस भूमि मे पानी भरा रहता है उसका लगान वसूल करने का क्या कारण है?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में नहीं है कि वहां लगान वसूल किया जा रहा है या नहीं। इसके लिए नोटिस चाहिये।

श्री नरसिंहनारायण—क्या सिंचाई मंत्री यह बतलायेंगे कि अगर वसूली की गई है तो क्या वे मालगुजारी की वसूली रोकने की कृपा करेंगे? क्या वे आदेश देंगे कि आगे वसूली न की जाय?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा है कि उसकी जानकारी उन्हें नहीं है। आप प्रश्न कर सकते हैं, उसकी जांच हो जायगी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो योजना बनाई गई है, वह क्या है, कितना रुपया उस पर व्यय पड़ेगा और वह कबतक पूरी हो जायगी?

श्री राममूर्ति—मैंने कहा कि एक क्यूनेट बनाया जायगा। यह जो नाला है उसके बेड में एक छोटी नाली बना दी जाती है खोदकर, जिससे उसका बिस्तार बढ़ जाता है। उसमें करीब ५ हजार रुपया खर्च होगा।

श्री चन्द्रबली—जो नाली बनाई जा रही है ८५६ एकड़ में, पानी की निकासी के लिए तो उसमें कौन सी फसल होती है, जिसके बचाव के लिए वह नाली निकाली जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—फसल होती है इसके क्या मतलब ? सिंचाई मंत्री को क्या पता ?

फूलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी का मार्ग परिवर्तन तथा पुलिया का निर्माण

*९—**श्री दौलतलाल** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शारदा कैनाल की एक शाखा जो आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के सजेरपुर गांव के दक्षिण से होकर जाती है उसकी खुदाई के रुकने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—फूलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी का निर्माण अधिकांशतः हो चुका है। शेष भागों में भूमि अभी तक न मिलने के कारण कार्य रुका है।

*१०—**श्री दौलतलाल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फूलपुर से माहुल जाने वाली कच्ची सड़क पर पुलिया बनाने के लिये जो जमीन खोद कर रास्ता रखा गया है जिससे उस सड़क से इक्का और बैलगाड़ी जाना असंभव हो गया है उस पुल के बनने का कारण क्या है और कब तक वह पुल बन जायेगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—फूलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के मार्ग परिवर्तन के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। अतः पुलिया बनाने से पहले यह आवश्यक समझा गया कि प्रार्थना-पत्र पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया जाय। प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जा चुका है और पुलिया का निर्माण शीघ्र हो जायेगा।

बीज की खरीदारी

*११—**श्री भानुप्रतापसिंह** (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९५५-५६ से लेकर १९६१-६२ तक प्रतिवर्ष कितना उन्नतिशील धान और गेहूं की खरीदारी निजी और सरकारी कृषि फार्मों से सरकारी और सहकारी बीज गोदाम से बांटने के लिये की गई ? सन् १९६१-६२ में यदि खरीदारी कम हुई, तो इसका क्या कारण है ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी है। सन् १९६१-६२ में खरीदारी कम होने का कारण यह है कि तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि विभाग ने यह निश्चय किया है कि वह बीज की खरीदारी केवल राजकीय फार्म तथा रजिस्टर्ड फार्म (केवल उन खंडों में जहां राजकीय फार्म नहीं हैं) से करेगा, इसके अतिरिक्त सन् १९६१-६२ से कृषकों से सरकारी बीज गोदामों से सवाई पर बीज का बांटना बन्द कर दिया गया। अतः बीज की खरीदारी कम हुई।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४४ पर)

श्री भानुप्रतापसिंह—सरकारी बीज गोदामों से बीज का बांटना बंद कर दिया गया है, इस सुविधा के बंद हो जाने पर सरकार इस बात की क्या व्यवस्था कर रही है कि किसानों को शुद्ध बीज मिलता रहे ?

श्री चरणसिंह—स्कीम यह है कि विभिन्न जिलों में स्थित रिसर्च फार्म्स को शुद्ध किस्म का बीज भेजा जायगा। प्रदेश में ११ मेकेनाइज्ड स्टेट फार्म्स से जिनके पास हजारों एकड़ का रकबा है वहां जो बीज तैयार होगा वह गवर्नमेंट के फार्म्स को जो कि १२४ हैं, भेजा जायगा। वहां मल्टीप्लाई करने के पश्चात् वह बीज ब्लाक्स में भेजा जायगा। बीज सहायकों को भी जो हर गांव में मुकर्रर किये गये हैं दिया जायगा कि अपने गांव में डेवलप करके किसानों को तकसीम कर दें।

श्री भानुप्रतापसिंह---यह जो नई योजना है उसमें शायद यह भी है कि सहकारी बीज गोदामों का जितना स्टाक है उसका १/५ प्रतिवर्ष नये बीजों से बदला जायगा। क्या यह बात इस साल हो सकी है, या नहीं ?

श्री चरणसिंह---मैं यह ठीक नहीं कह सकता कि उस योजना में यह भी है या नहीं और अगर है तो हम उन सहकारी गोदामों को जिन्होंने उसको पूरा नहीं किया, उसके लिये मजबूर भी नहीं कर सकते।

श्री भानुप्रतापसिंह---श्रीमन्, जो योजना है उसको सरकारी बीज गोदामों ने पूरा नहीं किया और मंत्री जी कहते हैं कि हम उनको मजबूर भी नहीं कर सकते, तो किसानों को उन्नतिशील बीज मिलता रहे उसके लिये क्या व्यवस्था की है ? इस योजना से पता चलता है कि जितना बीज वितरण किया गया उसका १।६ भी इस साल नहीं खरीदा गया। तो इससे जो योजना को धक्का पहुंचेगा उसको पूरा करने के लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री चरणसिंह---जो अब तक योजना चल रही थी उससे गवर्नमेन्ट को भी संतोष नहीं है और उसमें बीज की शुद्धताई न हीं रखी गयी है। उसमें शुद्ध और अशुद्ध बीज का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिये यह नयी योजना चालू की गयी, लेकिन इसको पूरा करने में समय लगेगा। अब जो मौजूदा स्कीम चल रही है उसमें हमने ३५ हजार मन बीज खरीफ की फसल के लिये ब्लाक्स में भेज दिया है। अब यह जिम्मेदारी उन्हीं की है कि किसानों को उन्नतिशील बीज मिले। यह ठीक है कि हर एक को हम उतना बीज नहीं दे सकते जितना कि पहले देते थे, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। हम इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो बीज गांव में जाय वह शुद्ध हो।

श्री नरसिंहनारायण---अभी नयी योजना का जिक्र किया गया और शुद्ध बीज की बात कही गयी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि खरीफ के लिये जो बीज गोरखपुर जिले के महाराजगंज आदि तहसीलों को दिया गया वह जमा तक नहीं ? क्या इसकी जांच करायेंगे ? अगर वह नहीं जमा, तो ऐसा बीज बांटा क्यों गया ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं। यह तो मौजूदा फसल की बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं उसे मैं प्रश्न माने लेता हूं और उसकी जानकारी करा लूंगा।

छाता तहसील में नाले के लिये अधिकृत भूमि का मुआवजा

*१२---**श्री लखीसिंह** (जिला मथुरा)---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब का बरसाती पानी निकालने के लिये जो नाला बिगोर जिला गुड़गांव से होता हुआ उत्तर प्रदेश के जिले मथुरा, तहसील छाता से होकर जमुना में गिरता है उस नाले को १९६०-६१ में बनाने में जिन किसानों की भूमि उस समय ली गई है उसका अभी तक किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---नाले के निर्माण हेतु अधिकृत की गई भूमि का आवश्यक मुआवजा दिया जा चुका है।

श्री लखीसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कितना मुआवजा दिया जा चुका है और किस किस को ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---कुल रकम ३,६०० पये ८३ नये पैसे की बांटी गयी है। इसमें शाहपुर बांगर को १,९५५ पये ६० नये पैसे, शाहपुर खादर को १८ रुपये १० नये पैसे और ऐंच को १,६२७ पये १३ नये पैसे दिये गये।

श्री नरसिंहनारायण---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर इस बात की जांच करायेंगे कि पंजाब में किसानों को मुआवजा ज्यादा क्यों दिया गया और आपने कम क्यों दिया ?

श्री राममूर्ति---अध्यक्ष महोदय, मुआवजा देने के रेवेन्य डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ नियम बने हुये हैं उनके अनुसार मुआवजा दिया गया है। जाब के क्या नियम हैं उसकी मालूमात मुझे नहीं हैं ।

श्री राधेश्याम (जिला मथुरा)---क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो मुआवजा दिया गया है वह प्रति बीघा किस हिसाब से दिया गया है ?

श्री राममूर्ति---अभी बतलाया कि ४६ एकड़ जमीन के लिये ३६०० पया दिया गया, उसके हिसाब से लगा लीजिये, मालूम हो जायगा ।

श्री गेंदासिंह---क्या आप व्यवस्था करेंगे कि माननीय मंत्रीगण को कुछ अन्य प्रदेशों की भी जानकारी करायी जा सके, इस प्रकार की कोई शिक्षा हो सके इनकी ? मैं इसलिये कह रहा हूं कि एजोमेंटरी एक बात का भी ज्ञान नहीं कि जाब में कितना मुआवजा मिलता है, सोलिये एक एकड़ का मध्यप्रदेश में, बिहार में कितना मिलता है उसकी जानकारी के लिये अच्छा हो कि स्कूल खुलवा दिया जाय जहां जानकारी हो जाय।

श्री अध्यक्ष---माननीय गेंदा सिंह जी, यह हम लोगों की भी गलती है। अगर वहां ऐसे नियम हैं जिनके द्वारा अच्छी क्षतिपूर्ति मिलती है तो यहां भी करा दीजिये।

श्री गेंदासिंह---मैं पेश कर दूं, आप समझा ।

नहरी क्षेत्रों में पानी की निकासी

*१३---**श्री भगौतीदीन** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों का निर्माण हो चुका है वहां ऐसे जलाशयों के पानी के निकालने की, जिनकी बाढ़ से बहुधा फसल को बराबर क्षति पहुंचती रहती है कोई योजना सरकार द्वारा बनाई गई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---प्रदेश की जल-मग्न भूमि की रक्षार्थ तो बहुत सी जल निकासी योजनायें बनाई गई हैं परन्तु खासकर ऐसे क्षेत्रों के लिये ही जहां नहरों का निर्माण हो चुका है ऐसी कोई योजना विशेषकर नहीं बनाई गई है ।

बगरहा ताल से नाला निकालने की योजना

*१४---**श्री भगौतीदीन**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के मछलीशहर तहसील के ताल बगरहा (मड़वा) तथा सदर तहसील के अटरा ताल के फालतू पानी के निकालने की कोई योजना बनी है ? यदि हां, तो उसे कार्यान्वित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---जौनपुर जिले की मछली तहसील के ताल बगदहा (मड़वा) के पानी के निकास के लिये जो नाला प्रस्तावित है उसको सात गांवों से निकालने का प्रस्ताव है परन्तु इनमें से तीन गांवों के लोग इस नाले के बनाये जाने के विरुद्ध हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिये जिला नियोजन अधिकारी को लिखा गया है। ग्राम वासियों की सहमति मिलने पर नाले के निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

सदर तहसील के अटरा ताल के पानी के निकास के लिये अटरा ड्रेन नामक प्रस्तावित योजना का प्राक्कलन आदि बन गया है और इन ड्रेन के लिये भूमि acquire करने के लिये कागजात सम्बन्धित लैन्ड एक्वीजिशन आफिसर को भेजे जा चुके हैं।

श्री भगौतीदीन---तथा मंत्री जी जहां नहर बन चुकी है वहां जलाशयों का पानी निकालने का कोई शीघ्र कदम उठायेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---जहां पर भी पानी कता है वह नहर का ही क्षेत्र हो या न हो, दोनों के ही विषय में सरकार कार्य करती है। ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है कि जहां नहर निकलती हो वहां का ही किया गया हो ।

सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर जिलों के सहकारी नलकूप

*१५---**श्री अहमद बख्श** (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर जिले में अब तक सहकारी समिति के कितने ट्यूबवेल राज्य ने अपने अधिकार में ले लिया है और कितने अभी तक नहीं लिये हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---अभी तक १३ सहकारी नलकूप लिये जा चुके हैं। ३२ और सहकारी नलकूपों के लिये जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री अहमद बख्श---१३ नलकूपों में से कितने सहारनपुर के और कितने मुजफ्फरनगर के हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---८ सहारनपुर के और ५ मुजफ्फरनगर के हैं ।

श्री अहमद बख्श---कितने ट्यूबवेलों को लेने के लिये लोगों ने सरकार से प्रार्थना की थी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---इसमें तो ३२ और हैं यहां के ।

कुमारी श्रद्धादेवी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी ट्यूबवेलों के विषय में उनके विभागीय एक्सपर्ट्स की वक्तन-फवक्तन यह रिपोर्ट है कि वह ठीक काम नहीं कर रहे हैं इसलिये क्या सरकार सभी सहकारी ट्यूबवेलों को लेने पर विचार कर रही है या नहीं ?

श्री राममूर्ति---यह सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन जानकारी के लिये मैं बता देना चाहता हूं कि सहकारी नलकूपों का मसला कई सालों से सरकार के विचाराधीन है और छान-बीन के बाद इस नतीजे पर सरकार आयी है कि जो ट्यूबवेल इस काबिल हों कि जिन को अच्छी तरह से चलाया जा सके उनके डिस्चार्जेज के लिहाज से सरकार उनको ले ले । हमने सब ट्यूबवेलों की छान-बीन कराई है और उसके लिहाज से हर साल ट्यूबवेल लिये जाते हैं। करीब करीब ८५ ट्यूबवेल लिये जा चुके हैं और हर साल लेते जा रहे हैं ।

सहारनपुर---मुजफ्फरनगर बस सर्विस

*१६---**श्री जयगोपाल** (जिला सहारनपुर)---क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर मुजफ्फरनगर लइान पर कितनी बसें चल रही हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---३४ बसें चल रही हैं ।

*१७---**श्री जयगोपाल**---क्या सरकार यह आदेश देगी कि मुजफ्फरनगर-सहारनपुर लाइन पर और गाड़ी, मुसाफिरों का सर्वे किये बगैर इस लाइन पर न भेजें ?

श्री मुजफ्फर हसन---मार्गों पर बसों की संख्या तय करने की जिम्मेदारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आर०टी०ए) की है। सरकार इस मामले में किसी प्रकार के आदेश नहीं देती ।

नोटः--तारांकित प्रश्न १५ के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

कटरी क्षेत्र में गंगा का कटाव तथा हिगली झील से पानी निकास की प्रार्थना

*१८—**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार को इस बात का पता है कि गंगा में कानपुर के जाजमऊ के निकट ढोढ़ीघाट के सामने पांच–छः बीघे तक रेत का टीला बन जाने और नदी की मुख्य धारा के उन्नाव की ओर मुड़ जाने के कारण भगवन्तनगर निर्वाचन क्षेत्र (उन्नाव) के कटरी क्षेत्र निबई, टेढ़वा पूसूखेड़ा, बाला कटरी, सरइयां और मल्लाहन खेड़ा आदि कई दर्जन गांवों के बह जाने का खतरा पैदा हो गया है ?

श्री राममूर्ति—जी हां ।

*१९—**श्री देवदत्त मिश्र**–क्या सरकार को पता है कि गंगा की मुख्य धारा के हट जाने से उक्त अंचल के गांवों की खरीफ की फसल तो बरबाद हो ही गयी थी, रबी की फसल भी कगारों के गिरते रहने से नष्ट हो रही है तथा गांवों के किनारों के कटाव से भयभीत ग्रामवासी गांव छोड़ कर भाग रहे हैं ? इस खतरे से इस अंचल को बचाने के लिये सरकार क्या करने जा रही है?

श्री राममूर्ति—कगारों के गिरने से उक्त अंचल की जमीन को नुकसान पहुंच रहा है । इन गांवों को बचाने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

*२०—**श्री देवदत्त मिश्र**—क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि बीघापुर विकास खंड, जिला उन्नाव, तहसील पुरवा, परगना डौंडिया खेरा, के अन्तर्गत एक मील लम्बी हिलगी झील के करण पार्श्वस्थ गांव हिलगी, नवानी खेड़ा, वयगुलाल खेरा, रूपपुर और मझगवां गांव की पांच सौ एकड़ जरखेज जमीन जलमग्न बनी रहने के कारण प्रायः एक लाख रुपये का सालाना नुकसान पिछले दो वर्षों से हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस झील के बरसाती पानी के निकास की कोई समुचित व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार करेगी।

श्री राममूर्ति—पिछले दो साल हिलगी झील से पांच सौ एकड़ भूमि नहीं बल्कि लगभग १६५ एकड़ कृषि योग्य भूमि तथा ५२ एकड़ बंजर भूमि जलमग्न हुई, जिसके कारण फसल को अंदाजन १२ आना फी रुपया की क्षति हुई । इस क्षेत्र की रक्षा हेतु आवश्यक जांच पड़ताल करने के फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ कि संबंधित झील से पानी निकासी हेतु एक, २ मील लम्बी नाली, जिसकी अनुमानित लागत लगभग १०,००० रुपया होगी और जिससे करीब ३० एकड़ क्षेत्र को लाभ हो सकेगा, बन सकती है किन्तु नाली की लम्बाई ५ मील से कम है, सरकार के मौजूदा नियम के अनुसार उसकी खुदाई का काम संबंधित ग्राम सभा को श्रमदान द्वारा कराना चाहिये जिसके पश्चात् उस पर पक्का काम सरकार द्वारा किया जायगा इसलिये नाली की खुदाई का काम संबंधित ग्राम सभा की जिम्मेदारी है।

राज्य के कुछ बांधों पर बिहार सरकार की आपत्ति तथा केवटिया नाला जल निकास योजना की अस्वीकृति

*२१—**श्री मैनेजर** (जिला बलिया)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया-बैरिया बांध, बैरिया संसार टोला बांध और बकुल्हा संसार टोला बांध के संबंध में बिहार सरकार की आपत्ति है ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या हो रहा है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, बिहार सरकार का कहना है कि इन बांधों के बनने या उन को बढ़ाने से उन के क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस मामले की जांच भारत सरकार के इंजीनियरों द्वारा की गई और अब इस समय यह देखने के लिये पूना में model experiments हो रहे हैं कि क्या इन बांधों के बनने से बिहार के किसी क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ेगा या नहीं।

*२२—श्री मैनेजर—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले के मुरली छपरा ब्लाक के अन्तर्गत केवटियां नाला का पानी निकालने के लिये नाली निर्माण हेतु कोई योजना थी और धन स्वीकृत था? यदि हां, तो उसे कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया?

श्री राममूर्ति—जी हां, यह योजना राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गई थी परन्तु बाद में भारत सरकार द्वारा अस्वीकृत हो जाने के कारण इसको कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

*२३—श्री बसंतलाल (जिला जालौन)—[७ वें गुरुवार के लिये प्रश्न १८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

औधा क्षेत्र में पानी रुकना

*२४—श्री बसंतलाल—क्या सरकार को यह ज्ञात हुआ है कि जिला जालौन में परगना जालौन के माधोगढ़ ओधा क्षेत्र का बरसाती पानी के ठीक ढंग से न निकलने के कारण औधा क्षेत्र और भी अधिक बढ़ रहा है? अगर हां, तो इसकी रोक-थाम के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है?

श्री राममूर्ति—गत दो वर्षों से अधिक वर्षा के कारण औधा क्षेत्र प्रभावित हो गया था किन्तु नई ड्रेनों के बन जाने से तथा पुरानी ड्रेनों की क्षमता बढ़ा दिये जाने से यह क्षेत्र काफी लाभान्वित हुआ है।

फतेहपुर डिवीजन में बिना सर्विस रोड के रजबहे

*२५—श्री रामकिशोर (जिला फतेहपुर)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर डिवीजन के जिन रजवहों में सर्विस रोड नहीं है, उनमें क्या सर्विस रोड बनाने को कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह कौन से रजवहे हैं जिनमें सर्विस रोड का निर्माण होना है? चालू वित्तीय वर्ष में किन रजवहों में सर्विस रोड बनाने में प्राथमिकता दी जावेगी?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। अतः राजबहों में सर्विस रोड बनाने और प्राथमिकता देने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

अलीगंज तहसील में गंगा बाढ़ सुरक्षा कार्य

*२६—श्री राजेंद्रसिंह (जिला एटा)—क्या सरकार को पता है कि जिला एटा, तहसील अलीगंज, में गंगाजी के सैलाब द्वारा कितने ही वर्षों से खेतों की उपज बरबाद हो जाती है?

श्री राममूर्ति—जी हां।

*२७—श्री राजेंद्रसिंह—इस संबंध में क्या सरकार को जिले के प्रशासन तथा वहां की जनता की ओर से यहां पर सैलाब को रोकने के लिये बांध तथा पानी के बहाव को मोड़ देने के लिये, ठोकरों को बनाने के लिये सुझाव अथवा प्रार्थना-पत्र मिले हैं। यदि हां, तो किन-किन वर्षों में?

श्री राममूर्ति—जी हां, सन् १९४८, १९५२, १९५३, १९५४, १९५५ तथा १९६१ में।

*२८—**श्री राजेन्द्रसिंह**—इस संबंध में इतनी वर्षा से इस क्षेत्र की धन-जन की रक्षा हेतु क्या कदम उठाये गये? यदि नहीं, तो क्यो ? क्या सरकार अविलम्ब कार्यवाही करने की सोच रही है ?

श्री राममूर्ति—इस क्षेत्र को सैलाब से बचाने के लिये जिलाधीश एटा ने श्रमदान से ४०,००० रु० के मूल्य का कार्य कराया। उस के पश्चात् १९५६ में ग्राम शहबाजपुर स ग्राम नरदौली तक गंगा नदी के दाहिने किनारे पर एक तटवर्ती बांध की योजना ९ लाख रु० की अनुमानित लागत पर स्वीकृत हुई, परन्तु इसे धनाभाव के कारण कार्यान्वित नहीं किया जा सका। अब मौके पर अधिक परिवर्तन हो जाने के कारण पुनः सर्वेक्षण के आदेश दे दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम नरदौली से ग्राम देवकाली तक जो ४ मील लम्बा बांध तहस-नहस हालत में पड़ा है उसको भी ठीक करने के लिये सर्वेक्षण हो रहा है।

औरंगाबाद माइनर की टेल गूल में खराबी

*२९—**श्री हरीशकुमार गंगवार**—(जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिले में नवाबगंज नहरी क्षेत्र के अन्तर्गत औरंगाबाद माइनर का टेल-स्केप कितने वर्षों से ठीक नहीं बनाया गया ?

श्री राममूर्ति—नवाबगंज नहरी क्षेत्र के अन्तर्गत औरंगाबाद माइनर का कोई टेल स्केप नहीं है; इसके साइफन पर केवल एक मील लम्बी टेल गूल है जो कि लगभग ६–७ वर्षों से कृषकों द्वारा साफ नहीं की गई है।

*३०—**श्री हरीशकुमार गंगवार**—क्या यह सही है कि उपरोक्त टेल स्केप के ठीक न कराने से सरकार को लगभग ८ हजार रुपया वार्षिक की हानि हो रही है और किसानों की लगभग चालीस हजार रुपये प्रति वर्ष की हानि अनाज कम उत्पन्न होने के कारण हो रही है?

श्री राममूर्ति—यह सही है कि इस टेल गूल के साफ न किये जाने से सरकार तथा कृषकों दोनों को कुछ न कुछ हानि अवश्य होती है, लेकिन इतनी नहीं जितनी कि प्रश्न में कही गई है।

*३१—**श्री हरीशकुमार गंगवार**—क्या सरकार औरंगाबाद माइनर टेल स्केप को इस वर्ष तुरन्त ठीक बनाने के आवश्यक निर्देश दे रही है जिससे किसानों व सरकार का नुकसान न हो और अधिक अन्न उपजाओ योजना को भी बल मिले ?

श्री राममूर्ति—गूलों की खुदाई तथा सफाई का उत्तरदायित्व कृषकों पर ही है, उन्हे इस गूल को इसी वर्ष साफ करने के लिये विशेष प्रयत्न द्वारा प्रोत्साहित किया जायगा।

बलिया जिले की नलकूप योजना

*३२—**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिला के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लाक में अलग-अलग अब तक कुल कितने ट्यूबवेल लग चुके हैं ?

*३३—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में बलिया जिला के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लाक में अलग-अलग कितने ट्यूबवेल लगने वाले हैं ?

श्री राममूर्ति—वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १४५ पर)

*३४—**श्री जगन्नाथ**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिला के अन्तर्गत श्रीनगरतुर्तीपार बांध तथा घाघरा नदी के बीच बसे हुए सैकड़ों गांवों की सिंचाई के लिये नहर तथा ट्यूववेल की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन गांवों की सिंचाई के लिये कुछ व्यवस्था कर रही है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, तृतीय पंचवर्षीय योजना में इन गांवों की सिंचाई के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

एटा में सिडपुरा अलीगंज क्षेत्रों में नाला निकासी तथा नलकूप योजना

*३५—**श्री लोकपालसिंह** (जिला एटा)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अत्यवृष्टि के भीषण प्रकोप से बचने के लिये जिला एटा में सिड़पुरा अलीगंज क्षेत्रों के अन्तर्गत एक नाला निकालने की योजना बनाई गई थी, जिसका कि गत वर्ष "सर्वे" भी हो चुका है ? अब उस नाले को पूर्ण करने की सरकार की क्या योजना है ?

श्री राममूर्ति—जी हां। चार नालों का निर्माण प्रस्तावित है।

अभी उनके निर्माण की योजना विचाराधीन है। अतएव इनके पूर्ण होने के संबंध में इस समय निश्चयपूर्वक कुछ कहना संभव नहीं है।

*३६—**श्री लोकपालसिंह**—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा, तहसील अलीगंज, के अन्तर्गत अब वह कौन-कौन से स्थान हैं कि जहां पर नलकूप लगाये जाने की अब भी योजना है ?

श्री राममूर्ति—एटा जिले की अलीगंज तहसील में नलकूप बनाने हेतु अभी चार निम्नलिखित ग्राम अस्थाई रूप से (tentatively) चुने गये हैं—

१—अकबरपुर लालसाही।
२—खरसोगलिया।
३—तिमौरा।
४—कटिगरा।

पूर्वी यमुना नहर का जल बटवारा तथा नकुड़ तहसील में यमुना मार्ग परिवर्तन

*३७—**श्री यशपाल** (जिला सहारनपुर)—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वी यमुना नहर पर अपर और लोअर डिवीजन में पानी का बंटवारा किन-किन आधार पर और किस प्रकार है ?

श्री राममूर्ति—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १४६ पर)

*३८—**श्री यशपाल**—क्या सरकार को यह जानकारी है कि पिछली वर्षा में यमुना नदी के रास्ता बदल लेने के कारण ग्राम नाई मजरा, परगना गंगोह, तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर, बिलकुल उजड़ गया और ग्राम सहसपुरजट, परगना नकुड़, खतरे में है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है।

श्री राममूर्ति—जी हां, इस क्षेत्र को बचाने के लिए लखनौती बांध को ग्राम हलवाना से ग्राम सनौली तक बढ़ाने की एक योजना ३९ लाख रुपये की लागत पर सरकार ने मंजूर की है और उस पर काम हो रहा है । जहां तक इन दो ग्रामों का सम्बन्ध है, स्थिति इस प्रकार है कि ग्राम नाई मजरा को उसी के करीब कल्लडहेरी ग्राम की बंजर भूमि पर पुनः बसाया जा चुका है व ग्राम सहसपुर जाट को चाऊ सहसपुर ग्राम में बसाने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

गाजीपुर जिले में सिंचाई के साधनों की कमी

*३९—**श्री राजनाथ** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के शादियाबाद परगने में बेसों नदी के दक्खिनी भाग में जिस में बरहट कटघरा, कनेरी, हथियाराम, फोटना, पलिवार आदि ग्राम पड़ते हैं, जहां न नहर है और न ट्यूबवेल हैं, वहां सिंचाई की क्या व्यवस्था हो रही है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, ग्राम कनेरी के अलावा बाकी सब ग्रामों में सिंचाई के लिये न तो कोई योजना है और न किसी योजना के प्रारम्भ करने का अभी विचार है । ग्राम कनेरी जो परगना भारियावाद के अन्तर्गत आता है, लालगंज रजबहा के टेल कमाण्ड में सम्मिलित है ।

*४०—**श्री राजनाथ**—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले के पश्चिमी भाग में जो नहर निकाली गई है उसमें कब तक पानी आने की सम्भावना है ?

श्री राममूर्ति—गाजीपुर जिल के पश्चिमी भाग में ठेकमा डिस्ट्रीब्यूटरी पर निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और आशा है कि शीघ्र ही उसको चलाया जा सकेगा । लालगंज डिस्ट्रिब्यूटरी पर निर्माण कार्य १९६२-६३ में पूर्ण हो जायेगा और इसमें १३७१ फसली खरीफ से पानी चलने की आशा है ।

मियांगंज के तालाबों से पानी निकासी के लिए प्रार्थना

*४१—**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम मियांगंज, जिला उन्नाव, के निवासियों ने गांव के तालाबों के पानी के निकास के लिये ड्रेन खुदवाने के लिये कई प्रार्थना-पत्र १९६०, १९६१ व १९६२ में जिला अधिकारियों को दिये हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—मियांगंज के निवासियों ने १९५७ में विभाग को एक प्रार्थना पत्र दिया था । आवश्यक जांच और सर्वे से पता चला कि लाभ की अपेक्षा व्यय अत्यधिक होगा । इसलिये योजना स्वीकार नहीं की गई । सन् ६०, ६१ व ६२ में कोई भी प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

गाजियाबाद क्षेत्र के नलकूपों की पक्की नालियां

*४२—**श्री तेजसिंह** (जिला मेरठ)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद क्षेत्र में कितने ऐसे नलकूप हैं जिनकी अभी तक पक्की नालियां पूरी नहीं बनी हैं ? उनके बनने की कब तक आशा है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—गाजियाबाद क्षेत्र (group) में केवल दो नलकूप ऐसे हैं जिन पर पक्की नालियां पूरी नहीं बनी हैं । इनमें से एक नलकूप पर गूल का निर्माण प्रगति पर है और इसी वर्ष में पूर्ण हो जाने की आशा है । दूसरे नलकूप की नाली के लिये भूमि अधिकृत करने की कार्यवाही की जा रही है । भूमि प्राप्त होने के बाद ही निर्माण कार्य आरम्भ हो सकेगा ।

मांट तहसील से बरसाती पानी निकालने का कार्य

*४३—**श्री राधेश्याम**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला मथुरा, तहसील मांट, में नालों तथा नहरों पर पुल तथा पुलिया बनवाने की व्यवस्था उसने की है ? यदि हां, तो कहां पर ?

श्री राममूर्ति—तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला मथुरा, तहसील मांट, में केवल निम्नलिखित ३ नालों पर पुल बनाने की योजना है:

१—तुलागढ़ी ड्रेन	मील ०–२
२—शाल ड्रेन	मील २–२
३—पटवाया ड्रेन	मील ३–५

*४४—**श्री राधेश्याम**—सरकार ने तहसील मांट में प्रति वर्ष होने वाली गरकी की समस्या को हल करने के लिए क्या अब तक कोई ठोस योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री राममूर्ति—केवल मांट तहसील ही के लिए बरसाती पानी निकालने के लिए कोई विशेष योजना तो नहीं बनी परन्तु पश्चिमी जिलों की व्यवस्था सुधारने के लिए पिछले ६ वर्षों में कई योजनायें बनीं जिनके अन्तर्गत माट तहसील में २४ नाले खोदे गये हैं। इनसे काफी मात्रा में गरकी की समस्या हल हुई है। इनके अतिरिक्त ६ अन्य नालों पर काम अभी चालू है।

कानपुर क्षेत्र में बस सर्विस के अस्थायी परमिट तथा रीजनल ट्रान्स्पोर्ट कार्यालय के कर्मचारी

*४५—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)—क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर रीजन में ३१ मार्च, १९६२ तक किस-किस सड़क पर कितनी बसें किस-किस नाम से अस्थायी परमिटों पर कब से चल रही हैं और यह अस्थायी परमिट ट्रांसपोर्ट कमेटी की स्वीकृति से दिये गये या केवल ट्रांसपोर्ट अधिकारी की आज्ञा से ? क्या उक्त सड़कों पर अस्थायी परमिट देने के पहिले गजट में कोई सूचना भी दी गयी थी ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।† अस्थायी परमिट देने के लिये गजट में सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है।

*४६—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७ से १९६२ को ३१ मार्च तक कितनी बसों के परमिटों को उनके मौजूदा स्थान से आगे के लिये बढ़ाया गया है और किस-किस बस को पहिले कितनी मील का परमिट था और अब कितने-कितने मील और बढ़ा दिया गया है और किस स्थान तक ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह †सूचना सदन को मेज पर रख दी गई है।

*४७—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर रीजन के रीजनल ट्रान्सपोर्ट अधिकारी के कानपुर के कार्यालय में कितने कर्मचारी, क्लर्क, अधिकारी किस पद पर कितने दिनों से इसी कार्यालय में काम कर रहे हैं तथा उनमें से तीन वर्ष से काम करने वालों को अभी कब तक इसी कार्यालय में रक्खा जायेगा ?

---

†नत्थी छापी नहीं गई।

श्री मुजफ्फर हसन---इस कार्यालय में चार अधिकारी, दो निरीक्षक तथा विभिन्न प्रकार के ३३ अन्य कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जिनका विवरण परिशिष्ट (क) तथा (ख) में दिखाया गया है। तीन वर्ष से अधिक काम करने वाले, नान-गजेटेड अधिकारियों को उस समय तक वहां रक्खा जायेगा, जब तक जनहित में इसकी आवश्यकता होगी।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १४७-१४९ पर)

सिंचाई विभाग में इंजीनियरों तथा अन्य कर्मचारियों की ज्येष्ठता

*४८---श्री कल्पनार्थसिंह---क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में इन्जीनियरों की ज्येष्ठता १९४८ के बाद अब तक किस आधार पर तय की जा रही है ?

श्री राममूर्ति---सूचना एकत्र की जा रही है।

*४९---श्री कल्पनार्थसिंह---क्या यह सच है कि अभी भी मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता की स्थायी जगहें रिक्त हैं और बीसों साल पुराने काम करने वाले इन्जीनियरों से अभी तक अस्थायी रूप से काम लिया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति---सूचना एकत्र की जा रही है।

*५०---श्री कल्पनार्थसिंह---क्या इसी प्रकार अराजपत्रित कर्मचारियों के साथ भी नीति अपनाई जा रही है ? यदि हां, तो उनकी किस-किस श्रेणी की कितनी-कितनी स्थायी जगहें खाली हैं जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है और क्यों ?

श्री राममूर्ति---सूचना एकत्र की जा रही है।

अकोला के किसानों की अधिगृहीत भूमि

*५१---श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि करीब २ वर्ष पूर्व ग्राम अकोला, जिला आगरा में कुछ किसानों की जमीन एक आदर्श फार्म (सरकारी) बनाने के लिये ली गई थी ?

श्री चरणसिंह---८ एकड़ भूमि प्राप्त करने के लिये Land Acquisition कार्यवाही की गई थी, परन्तु कब्जा केवल ८ बिस्वा भूमि पर ही मिल सका।

*५२---श्री छत्रपति अम्बेश---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसमें ऐसे किसानों की जमीन भी ली गई थी जिनके पास केवल २ या ३ बीघा ही जमीन थी ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं।

*५३---श्री छत्रपति अम्बेश---यदि हां, तो उन लोगों की जीविका के लिये क्या साधन किया गया ?

श्री चरणसिंह---यह प्रश्न ही नहीं उठता।

तहसील जानसठ में पानी रुकने से क्षति

*५४--**श्री अहमद बख्श**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर, में ऐसे कितने ग्राम हैं जिनमें वाटर लॉगिंग (water logging) होता है और उसके कारण कितनी जमीन प्रति वर्ष फसल बोने से बाकी रह जाती है ?

श्री राममूर्ति--३७ ग्रामों में वाटर लागिंग होती है और ७२६ एकड़ जमीन प्रति वर्ष फसल बोने से बाकी रह जाती है।

लखनौती बांध विस्तार योजना

*५५--**श्री यशपाल**--क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनौती बांध के कारण जमुना नदी ने बांध की उत्तर दिशा में पूर्व की ओर कटाव डालना और रास्ता बदलना आरम्भ कर दिया है जिसके कारण ग्राम नाई मजरा तहस-नहस हो गया है और अगली वर्षा में यह खतरा पैदा हो गया है कि यमुना नदी अपना रुख बांध के उत्तर दिशा में पूर्व की ओर अख्त्यार कर लेगी और न मालूम कितने ग्राम तहस-नहस हो जावेंगे, कितना भू-भाग उत्तर प्रदेश का पंजाब में चला जायेगा ? यदि यह खतरा सही है तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

श्री राममूर्ति--यह कटाव लखनौती बांध के कारण नहीं बल्कि यमुना नदी के रास्ता बदलने के कारण हुआ जिससे ग्राम नाई मजरा उजड़ गया। इस वर्षा काल में यमुना नदी अपना रुख बांध की उत्तर दिशा में पूर्व की ओर न अख्त्यार करे, इसके लिये लखनौती बांध को ग्राम हलवाना से ग्राम सलौनी तक लगभग २ मील ५ फर्लांग की लम्बाई में बढ़ाने और दो Revetment बनाने के लिये ३९ लाख रुपये की एक योजना स्वीकृत हुई है और इस पर कार्य भी चालू हो गया है।

एतमादपुर तहसील में हरनाम नदी को गहरा करना

*५६--**श्री शिवचरण** (जिला आगरा)--क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आगरा की एतमादपुर तहसील की हरनाम नदी की गर्की से होने वाली अपार खती के क्षति निवारण हेतु कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री राममूर्ति--जी हां। हरनाम नदी को गहरा व चौड़ा कर के गर्की दूर करने की एक योजना का विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है।

बीज गोदाम बिल्हौर से वितरित तकावी की जांच

*५७--**श्री शिवनाथसिंह**--क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत बिल्हौर स्थित सरकारी बीज गोदाम में १ जनवरी, १९५४ से ३१ दिसम्बर, १९६० तक प्रति वर्ष कितने गांवों के कितने किसानों को, कितने धन की खाद, तकावी व ऋण के रूप में प्रति वर्ष दी गई ? उसमें कितना रुपया वसूल हुआ और कितना बाकी पड़ा है ?

*५८--क्या यह सही है कि कुछ फर्जी लोगों के नाम तकावी बांटी गई थी और इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें जिलाधीश कानपुर को दी गई थी, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह--चूंकि इस मामले की सी० आई० डी० द्वारा जांच हो रही है इसलिये इस सम्बन्ध में सूचना देना जन-हित में न होगा।

बिन्दकी तहसील में रावतपुर माइनर बढ़ाने की प्रार्थना

*५९—श्री रामकिशोर—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर डिवीजन में बिन्दकी तहसील के अन्तर्गत माइनर रावतपुर को ५ फर्लांग बढ़ाने और पानी की सुविधा प्रदान करने के निमित्त फरीदपुर ग्राम के श्री कालीचरण त्रिपाठी आदि ने एक प्रार्थना-पत्र मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग को दिनांक १२-५-५९ को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या इसी विषय पर विभागीय अधिकारियों की ओर भी प्रार्थना-पत्र कब-कब दिये गये ?

श्री राममूर्ति—मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के यहां श्री कालीचरन त्रिपाठी का प्रार्थना-पत्र दिनांक १२-५-५९ को नहीं आया। तीन प्रार्थना-पत्र मार्च, मई व जून, १९५९ में अधिशासी अभियन्ता, फतेहपुर डिवीजन, लोअर गंगा केनाल, कानपुर, के दफ्तर में प्राप्त हुए।

जांच द्वारा मालूम हुआ कि रावतपुर माइनर से उस क्षेत्र की सिंचाई करना सम्भव नहीं होगा क्योंकि उसके बीच में एक नाला पड़ता था और यह विचार किया गया कि शाहबाजपुर माइनर को बढ़ा कर क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है, किन्तु इस समय उसमें पानी की कमी होने के कारण उसको बढ़ाना व्यर्थ होगा।

*६०—श्री रामकिशोर—क्या सिंचाई मन्त्री रावतपुर माइनर को बढ़ाने की उपयोगिता को दृष्टि में रखते हुये यह आश्वासन प्रदान करने की कृपा करेंगे कि माइनर को अविलम्ब बढ़ाने की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी, जिससे फरीदपुर व अन्य पड़ोसी ग्रामों को लाभ हो सके और बतायेंगे कि यह माइनर कब तक बढ़ सकेगी ?

श्री राममूर्ति—जैसा कि उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में बताया जा चुका है, नाला बीच में पड़ने के कारण रावतपुर माइनर को बढ़ाना सम्भव नहीं है। फरीदपुर व अन्य ग्रामों की सिंचाई का प्रबन्ध रामगंगा प्रोजेक्ट बन जाने के उपरांत शाहबाजपुर माइनर को बढ़ा कर किया जा सकेगा।

जौहरपुर ग्राम का जमुना से कटाव

*६१—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—क्या सरकार को मालूम है कि बांदा जिले में जौहरपुर ग्राम की जमीन का जमुना नदी द्वारा जोरों से कटाव जारी है ? यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कर रही है ?

श्री राममूर्ति—जी हां। बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है और वहां वे अपने मकान बना रहे हैं।

*६२—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बांदा में जमुना नदी के कटाव से कुछ जमीन तथा गांव १९६१ में बह गये थे ? यदि हां, तो सरकार ने कोई योजना बनाई है जिससे भविष्य में इस स्थान पर कटाव न हो ?

श्री राममूर्ति—जी हां। कटाव को रोकने के लिए नदी की ट्रेनिंग करने की आवश्यकता होगी जिस पर लाभ की अपेक्षा व्यय अधिक होगा। प्रभावित ग्रामों को सुरक्षित क्षेत्र में हटाने का आदेश दे दिया गया है।

पूल्ड रासायनिक खाद का विक्रय

*६३—श्री राजा विक्रमशाह (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके पास कितने प्रकार की पूल्ड रासायनिक खाद १ अप्रैल, १९६२ को कितनी तौल स्टाक में मौजूद थी? वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में कितने प्रकार की और खादें कितनी मात्रा में मंगाई जायंगी?

श्री चरणसिंह—कुल ७ प्रकार की रासायनिक खाद १,३२,४४१.१ टन तौल में १ अप्रैल, १९६२ को स्टाक में मौजूद थी। वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के लिये कुल ४ प्रकार की रासायनिक खादें ३,६०,००० टन तौल में मंगाई जा रही हैं।

*६४—श्री राजा विक्रमशाह—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ में कितने प्रकार की कितनी तौल में पूल्ड रासायनिक खाद प्रान्त में सरकार ने बेची? इस बिक्री का कुल मूल्य क्या राज्य सरकार को प्राप्त हो गया? यदि हां, तो कितना वसूल हो गया तथा कितना अब भी बाकी है तथा उसके वसूल करने का सरकार ने क्या उपाय किया?

श्री चरण सिंह—१९६०-६१ तथा १९६१-६२ में कुल ७ प्रकार की रासायनिक खादें १,३४,२०८ तथा १,२०,९३६ टन क्रमशः बेची गई। इनका मूल्य क्रमशः ५,०५,६९,२८० तथा ५,४६,५३,०८३ रुपए था। १९६०-६१ की बिक्री के हिसाब में अब तक ४,९१,८४,३७१ रुपये सरकार को वसूल हो चुका है। शेष एजेन्टों से मय दण्ड स्वरूप ब्याज वसूल किया जा रहा है। १९६१-६२ का हिसाब अभी नहीं बना है, इसलिये इस वर्ष की बिक्री के हिसाब में कितनी रकम वसूल हुई है, यह आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

नौगढ़ बांध पर व्यय

*६५—कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी जनपद का नौगढ़ बांध बनाने पर सरकार का आद्योपान्त कुल कितना खर्च हुआ?

श्री राममूर्ति—नौगढ़ बांध बनाने पर कुल १,२२,६३,४३६ रु० मार्च, १९६२ तक खर्च हुआ है।

अलीगढ़ जिले में करबन नदी बाढ़ सुरक्षा योजना

*६६—श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया—क्या सरकार को मालूम है कि अलीगढ़ जिले में करबन नदी के कारण वर्षा ऋतु में अपार हानि होती है और नदी का फैलाव ३ मील में हो जाता है, सारी फसल नष्ट हो जाती है और कस्बा खैर जलमग्न हो जाता है? क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है जिससे इस जनकष्ट का निराकरण हो सके? यदि नहीं है, तो सरकार इस विषय को प्रमुखता देगी और यदि हां, तो कब तक?

श्री राममूर्ति—जी हां, नदी का फैलाव १ मील से २ मील तक का हो जाता है। अलीगढ़ जिले में कृषि को काफी नुकसान होता है और कस्बा खैर की लगभग आधी आबादी जलमग्न हो जाती है। इस समस्या के निवारण के लिए एक योजना प्रस्तावित है।

नहर दहरा-मांट ब्रांच के डिस्चार्ज को हटाने का सुझाव

*६७—श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया—क्या सरकार को मालूम है कि नहर देहरा-मांट ब्रांच के चौथे मील पर जो डिस्चार्ज बना हुआ है उसके कारण जल धरातल ऊंचा हो गया है क्योंकि मील १ से ४ तक नहर में सदैव ३ फीट पानी रहता है और प्यावली ताजपुर, रसूलपुर

डासना, पटाड़ी, सालारपुर, शीदीपुर, ततारपुर, चौना तथा ऊंचा ग्रंभीपुर ग्रामों की बहुत काफी भूमि रेतीली व ग्रनउपजाऊ हो गई है ? क्या सरकार निकट भविष्य में निम्नलिखित बातों में से कोई एक करने का इरादा रखती है---(१) इस डिस्चार्ज मीटर को हटाकर या तो उद्गम देहरापुल पर लगाये या कोट के पुल पर, (२) इस नहर के सहारे मील १ से मील ४ तक विद्युत् कूप बना कर जल नहर में डाल दे जिससे जल धरातल नीचा हो जाय, (३) कृषकों को डिस्चार्ज के कारण बिगड़ी भूमि का मुग्रावजा दें ?

श्री राममूर्ति—मांट ब्रांच के मील ४ पर सही डिस्चार्ज देने के लिये एक मीटर फ्लूम बनाया गया था जिसके कारण जल की सतह थोड़ी ऊंची हो गई है किन्तु उसके कारण बाहर की जमीन को कोई क्षति नहीं पहुंचती ग्रौर यह कहना ठीक नहीं है कि इस कारणवश बहुत से ग्रामों की भूमि रेतीली व ग्रनउपजाऊ हो गई है । ग्रतः कोई योजना इस मीटरफ्लूम को हेड के पास देहरा में तथा टेल के पास कोट में हटा कर ले जाने की नहीं है ग्रौर न १ मील से ४ मील तक ट्यूबवेल खोदकर पानी का तल नीचा करने की ही योजना है । कृषकों को मुग्रावजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

वाराणसी जिले में बांध सम्बन्धी कृषि भूमि

*६८—**श्री रामलखन** (जिला वाराणसी)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौका बांध, चन्द्र प्रभा बांध तथा नौगढ़ बांध, जिला वाराणसी, के ग्रन्दर कुल कितनी ऐसी खाली जमीन हैं जो बांधों के पानी कम होने पर खेती करने को दी जाती है ?

श्री राममूर्ति—मौंका बांध में ४ एकड़ तथा नौगढ़ बांध में २१६ एकड़ भूमि खेती करने के लिये पट्टे पर दी गई है । चन्द्रप्रभा बांध में कोई भूमि खेती के लिये पट्टे पर नहीं दी गई है ।

*६९—**श्री रामलखन**—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बांधों में (जलाशयों) में ग्रब तक कितनी एकड़ जमीन काश्त करने को पट्टे पर कितने लोगों में वितरण की गयी है, उसमें कितनी एकड़ जमीन कितने भूमिहीनों को दी गयी है ?

श्री राममूर्ति—मौका बांध की ४ एकड़ भूमि कुल ४ ग्रादमियों को तथा नौगढ़ बांध की २१६ एकड़ भूमि कुल ९३ ग्रादमियों को पट्टे पर दी गई । इस भूमि का उन्हीं लोगों को पट्टा किया गया जिनके ग्रधिकार में यह भूमि बांध बनने के पहले थी । चन्द्रप्रभा बांध की कोई भूमि पट्टे पर नहीं दी गई ।

*७०—**श्री रामलखन**—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जलाशयों की भूमि का वितरण किस ग्रधिकारी ने किया है तथा उसमें वितरण का क्या ग्राधार रखा गया है ?

श्री राममूर्ति—भूमि का वितरण ग्रधिशासी ग्रभियंता, चन्द्रप्रभा डिवीजन, वाराणसी, द्वारा किया गया । यह भूमि ग्रपर सर्किल रेट के दूने के हिसाब से उन्हीं व्यक्तियों को दी गई जिन की भूमि डूब में ग्राई थी ।

इलाहाबाद जिले में सिंचाई साधन

*७१—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में खेतों की सिंचाई हेतु १९५८ से १९६२ तक कौन-कौन से उपाय तथा साधन सरकार की ग्रोर से किये गये ग्रौर उसमें कितनी-कितनी जमीन किस-किस तहसील में सींची जायेगी ?

श्री राममूर्ति---वांछित सूचना संलग्न सूची में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १५० पर)

*७२---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद की मेजा तहसील में जो नहर निकलने जा रही है वहां के काश्तकारों ने नहर निकलने का विरोध सरकार से किया है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राममूर्ति---जी नहीं । कुछ कृषकों ने जुलाई, १९६१ में तथा २५ अगस्त, १९६१ को मौखिक रूप से नहर न निकाले जाने को कहा परन्तु उनको समझा दिया गया कि नहर का निकालना उनके ही हित में होगा ।

कानपुर जिले में नलकूप

*७३---**श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नलकूप बनाने की योजना थी तथा उनमें से कितने बन सके और कानपुर जिले में कितने नलकूप बनने का निश्चय हुआ था और कितने बन सके ?

श्री राममूर्ति---प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश में ३,१५२ राजकीय नलकूप तथा १९९ ब्लाक (block) नलकूपों का निर्माण निर्धारित था । वह सभी नलकूप निर्मित हो चुके हैं । द्वितीय योजना के अन्तर्गत १,५०० राजकीय नलकूप तथा २८५ ब्लाक नलकूप की योजना थी । परन्तु १,५०० राजकीय नलकूप योजना के अधीन द्वितीय योजना काल में केवल १,२२० नलकूप बनने की स्वीकृति दी गई । शेष २८० नलकूप तृतीय योजना में स्पिल (spill over) की शक्ल में पहुंचे । इस समय स्थिति यह है कि मार्च, १९६२ के अन्त तक (यानी तीसरी योजना का पहला साल शामिल करते हुये) १,२१६ राजकीय नलकूपों एवं २२५ ब्लाक नलकूपों की बोरिंग की जा चुकी है ।

कानपुर जिले में दोनों योजनाओं के अन्तर्गत कुल १० राजकीय नलकूपों का निर्माण प्रस्तावित था और उनमें से ८ बन गये हैं ।

*७४---**श्री मुरलीधर कुरील**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में तीसरी पंचर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल कितने नलकूप बनाये जावेंगे और उनमें से कानपुर जिले में कितने बनेंगे ?

श्री राममूर्ति---द्वितीय योजना की स्कीम के जिन नलकूपों पर उक्त योजना के अन्त तक कार्य आरम्भ नहीं हुआ था उनको मिला कर तृतीय योजना काल में करीब ९६२ राजकीय नलकूप तथा ६० ब्लाक नलकूप (जो द्वितीय योजना से स्पिल की शक्ल में आये हैं) बनने हैं । इसमें से १२ राजकीय नलकूप कानपुर जिले में निर्माण के लिये निर्धारित हैं ।

गिरगिटी बांध टूटने की जांच

*७५---**श्री सुखदेवप्रसाद** (जिला गोंडा) तथा **श्री बब्बनसिंह** (जिला गोंडा)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गिरगिटही बांध के बनने में कितना पैसा लगा है और कितने दिनों में तैयार हुआ है, साथ ही प्रति वर्ष टूटने पर कितना रुपया व्यय होता रहा है ? क्या सम्बन्धित कर्मचारियों को दंडित किया गया और उसे सुदृढ़ बनाने के लिये कोई ठोस कदम उठाया है ?

श्री राममूर्ति—गिरगिटी बांध के निर्माण में अब तक २८,२३,३६५ रुपया व्यय हुआ है। इसे पूर्ण रूप से बनाने में लगभग ५ वर्ष ३ माह लगे। सन् १९६० में टूटे हुये भाग को मरम्मत कराने में ३४,८६० रु० व्यय हुआ था। सन् १९६१ में टूटे हुये भाग की मरम्मत पर १.२० लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है। बांध के दो बार टूटने के लिये कोई कर्मचारी जिम्मेदार है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। बांध को सुदृढ़ बनाने के लिये नींव की विस्तृत छानबीन की जा रही है तथा उसे आजकल के बनाये जाने वाले बांधों के तरीकों पर मरम्मत किये जाने के लिये डिजाइन तैयार किये जा रहे हैं।

ग्राम चुनाव के सिलसिले में राजकीय कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

*७६—**श्री सोहनलाल धुसिया** (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ फरवरी सन् १९६२ से २८ फरवरी सन् १९६२ तक जनरल एलेक्शन में प्रांत भर में कितने आफिसर्स के खिलाफ (इलेक्शन में किसी पार्टी का काम करने के सिलसिले में) अर्जियां पड़ी हैं ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—१ फरवरी से २८ फरवरी, १९६२ तक की अवधि में कुछ शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें ३०–३५ राजकीय कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें की गई थीं।

*७७—**श्री सोहनलाल धुसिया**—उस सिलसिले में कितने मुकदमें दायर हुये हैं और कितनों पर (departmental action) लिया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—जांच करने पर अधिकतर शिकायतें निराधार पाई गईं। दो तीन शिकायतों पर अभी जांच चल रही है। इन परिस्थितियों में किसी भी राजकीय कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

परासी नाले पर वियर टूट जाना

*७८—**श्री भानुप्रतापसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती, तहसील डुमरियागंज, में परासी नाले पर जिगिना गांव के निकट रेगुलेटर किस उद्देश्य से और कब बनवाया गया था ? बनवाने में कितना व्यय हुआ था, कितने बार वह रेगुलेटर टूटा और कितनी बार उसकी मरम्मत हुई, अन्तिम बार वह कब टूटा और उसके बाद उसकी मरम्मत क्यों नहीं हुई, बार-बार टूटने का क्या कारण है तथा क्या पुनः उसकी मरम्मत करा कर ठीक कराने का सरकार का विचार है ?

श्री राममूर्ति—बांध के ऊपर के क्षेत्र को अधिक पानी से डूबने से बचाने तथा नीचे के क्षेत्र की सिंचाई के उद्देश्य से एक वियर (weir) सन् १९५१–५२ में बनाया गया था। उसके निर्माण पर उस वर्ष १५,७७१ रु० का व्यय हुआ। अधिक बाढ़ के कारण इस वियर (weir) के side का मिट्टी का बांध हर साल टूटता रहा तथा उसकी मरम्मत होती रही। अन्तिम बार वियर के साइड का कच्चा बांध सन् १९५८–५९ की बाढ़ में टूटा।

इस कार्य को प्रारम्भ में ड्रेनेज डिवीजन, लखनऊ, ने कराया और इस डिवीजन के टूटने पर इसका रखरखाव (maintenance) फ्लड डिवीजन बस्ती करता रहा। यह डिवीजन भी टूट गया और इसके सारे बाढ़ कार्य (flood works) नलकूप डिवीजन, बस्ती को हस्तान्तरित कर दिये गये किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि जो कार्य सूची नलकूप डिवीजन को दी गई उसमें इस वियर के काम का उल्लेख गलती से रह गया। इसी कारण इसकी मरम्मत १९५८–५९ के बाद नहीं हो पाई परन्तु अब इसकी मरम्मत हो चुकी है।

[३१ जुलाई, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

नलकूप डिवीजन गोरखपुर के कर्मचारी

*१—**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप डिवीजन, गोरखपुर के कितने कर्मचारियों के एरियर बिल गायब हैं? यदि हां, तो उनकी धनराशि क्या होगी ?

श्री राममूर्ति—नलकूप डिवीजन, गोरखपुर के किसी भी कर्मचारी का एरियर बिल गायब नहीं है ।

*२—**श्री उग्रसेन**—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप डिवीजन, गोरखपुर में कितने कर्मचारियों ने मार्च, १९६१ से मार्च, १९६२ के बीच अर्जित छुट्टी के लिये प्रार्थना-पत्र दिये और कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुये ?

श्री राममूर्ति—नलकूप डिवीजन, गोरखपुर में १६६ कर्मचारियों ने मार्च, ६१ से मार्च, ६२ के बीच अर्जित छुट्टी के लिये प्रार्थना-पत्र दिये और उनमें से १४८ की छुट्टी स्वीकृत की गयी ।

*३—**श्री उग्रसेन**—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप डिवीजन, गोरखपुर के प्रधान मुन्शी कितने साल से अपने पद पर गोरखपुर में काम कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—लगभग ६ १/२ साल से ।

कृषि यन्त्रीकृत फार्म

*४—**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने सरकारी कृषि यंत्रीकृत फार्म हैं? उनमें सन् १९५२ से लेकर अब तक क्या आमदनी हुई और क्या खर्चा हुआ है ?

श्री चरणसिंह—कुल ११ फार्म हैं। इन फार्मों के १९५२–५३ से लेकर १९६०–६१ तक के आय व्यय के आंकड़े संलग्न तालिका †में दिये हुये हैं ।

अलीगढ़ डेयरी फार्म का आय-व्यय

*५—**श्री ऊदल**—क्या सरकार बतायेगी कि अलीगढ़ डेयरी फार्म जब से स्थापित किया गया है तब से उसमें अब तक कितना व्यय तथा आय हुई ? क्या सरकार इस डेयरी फार्म को बंद करने पर विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह—१९४८–४९ से, जब अलीगढ़ डेयरी फार्म स्थापित किया गया है, १९६०–६१ तक के आय व्यय के आंकड़े संलग्न तालिका में दिये हुये हैं। ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १५१ पर)

*६–७—**श्री दौलतलाल**—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

सड़कों का राष्ट्रीयकरण

*८—**श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सड़क परिवहन का कितना राष्ट्रीयकरण अब तक किया गया है और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितना और करने का विचार है ?

---

†तालिका छापी नहीं गई ।

श्री मुजफ्फर हसन--दिनांक ३१ मार्च, १९६२ तक कुल ८,९२६, रोड मील का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में लगभग ३,५०० रोड मील का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है।

बलिया एवं आजमगढ़ जिलों में पानी निकासी की प्रार्थना

*९--**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा ३१ अक्तूबर, १९६१ को भेजा हुआ कोई पत्र उन्हें तथा अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, बलिया एवं नलकूप विभाग, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है, जिसमें विभिन्न स्थानों में पानी की निकासी की मांग की गई है? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन-सी कार्यवाही की गई है?

श्री राममूर्ति--जी हां, उक्त प्रार्थना-पत्र में दी गई मांगों की जांच कराई गई और उन पर उचित कार्यवाही की जा रही है।

*१०--**श्री गणेशचन्द**--[दूसरे शुक्रवार के लिये प्रश्न ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

नैपाल बांध

*११--**श्री नरसिंहनारायण**--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "नैपाल बांध" के सम्बन्ध में कोई बातचीत केन्द्रीय सरकार से हो रही है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या परिणाम हुआ?

श्री राममूर्ति--केन्द्रीय सरकार से इस बात की सिफारिश की गई है कि वे नैपाल सरकार से इस बांध की योजना को स्वीकार करने तथा उसके निर्माण के लिये आवश्यक भूमि शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करने के लिये अनुरोध करें।

नैपाल सरकार की इस सम्बन्ध में अभी स्वीकृति नहीं मिली है।

गोरखपुर जिले में कुछ बसों का बंद होना

*१२--**श्री नरसिंहनारायण**--क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में जो बस सर्विस ब्रजमनगंज-कोल्हुई, लेहड़ा-फरेंदा चलती थी वह अब क्यों बन्द कर दी गई है?

श्री मुजफ्फर हसन--सड़क खराब होने तथा लालपुर पुलिया के टूट जाने के कारण।

*१३--**श्री नरसिंहनारायण**--क्या परिवहन मंत्री आनन्दनगर से धानी होते हुये उस्काबाजार तक तथा धानी बाजार से बृजमनगंज बस सर्विस चालू करने पर विचार कर रहे हैं? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन--जी नहीं। क्योंकि सम्बन्धित सड़कें बसों के चलाने योग्य नहीं हैं।

आम चुनाव में परिवहन विभाग द्वारा दी गई गाड़ियों का किराया

*१४--**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**--क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत आम चुनाव के अवसर पर किन-किन राजनीतिक दलों के किन-किन उम्मेदवारों को परिवहन विभाग की गाड़ियां प्रदान कब-कब की गईं थीं?

श्री मुजफ्फर हसन---वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १५२ पर)

*१५---**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**---क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाड़ियों का किराया उम्मेदवारों या राजनीतिक दलों से प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो कितना-कितना ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां। केवल श्री अशोक मेहता और श्री महेश चन्द्र से जुज किराया बाकी है। वसूल हुए किराए का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १५३ पर)

इटावा जिले में सिंचाई के गलत इंदराज की जांच

*१६---**श्री सहदेवसिंह** (जिला इटावा)---क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ३० दिसम्बर, १९६१ व १ जनवरी, १९६२ को लगभग १२५ प्रार्थना-पत्र एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, शाखा इटावा को दिये गये कि धान के खेतों में पानी नहीं लगाया गया है फिर भी नहर विभाग के कर्मचारियों ने सिंचाई लिख दी है ?

श्री राममूर्ति---दिनांक १५ दिसम्बर, १९६१ व १५ जनवरी, १९६२ के बीच केवल ५२ प्रार्थना-पत्र धान की आबपाशी के सम्बध में इस क्षेत्र के किसानों द्वारा दिये गये।

*१७---**श्री सहदेवसिंह**---क्या इन प्रार्थना-पत्रों की जांच हुई ? यदि हां, तो किस तारीख को किस अधिकारी द्वारा तथा किन-किन किसानों के बयान इस सम्बन्ध में लिये गये ?

श्री राममूर्ति---जी हां, प्रार्थना-पत्रों की जांच क्षेत्र से सम्बन्धित जिलेदार द्वारा की गई। जांच में किसानों के बयान लिये गये। जांच की तारीखें तथा बयान देने वाले किसानों के नाम संलग्न सूची में दिये हुए हैं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १५४-१५५ पर।)

सिंचाई विभाग के विवादों के लिये न्यायाधिकारी नियुक्त करने का सुझाव

*१८---**श्री सहदेवसिंह**---क्या सिंचाई मन्त्री, सिंचाई विभाग तथा किसानों के विवादों का निपटारा करने के लिये कोई निष्पक्ष न्यायाधिकारी नियुक्त करेंगे ? यदि हां, तो उस सम्बंध में क्या योजना है ?

श्री राममूर्ति---जी नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है।

*१९-२१---**श्री कमलासिंह यादव** (जिला गाजीपुर)---[२१ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

श्रीनगर तुर्तीपार बांध का अनिर्मित टुकड़ा

*२२---**श्री जगन्नाथ चौधरी**---क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिला के अंतर्गत श्रीनगर-तुर्तीपार बांध का थोड़ा सा टुकड़ा ग्राम सिसोटार में अधूरा रह गया है जबकि पूर्ण बांध तैयार हो चुका है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री राममूर्ति---जी हां। इस बांध का एक ३ फर्लांग का टुकड़ा ग्राम सिसोटार में काश्तकारों के घोर विरोध के कारण नहीं बन सका।

लालगढ़ी माइनर के अनावश्यक पानी से क्षति

*२३—**श्री राजेन्द्रसिंह**—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नरोरा डिवीजन नहर से निकले हुये बम्बे के अनावश्यक पानी के द्वारा, ग्राम जिनौल, डा० नरथर, जिला एटा में हुई फसल की क्षति के सम्बन्ध में १९६१–६२ में वहां के किसानों द्वारा भेजा हुआ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब और क्यों ? और, इस प्रकार की भविष्य में होने वाली क्षति से उन्हें बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—जी हां, लालगढ़ी माइनर के अनावश्यक पानी के द्वारा क्षति के सम्बन्ध में जांच करने के लिये श्री देवी सिंह का प्रार्थना-पत्र २३–१२–१९६१ को प्राप्त हुआ था।

भविष्य में इस प्रकार की क्षति से बचाने के लिये इस माइनर पर टेलस्केप बनाने की योजना बनाई जा रही है।

देवरिया जिले में नलकूप

*२४—**श्री कैलाश** (जिला देवरिया)—क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना में किन-किन जगहों पर नलकूप लगाने की व्यवस्था है, इनमें से कितने लग चुके हैं और आगे किस वर्ष में कितने लगाये जायेंगे ?

श्री राममूर्ति—देवरिया जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिन जगहों पर नलकूप लगाए जायेंगे उनकी सूची संलग्न है। इन सभी नलकूपों पर निर्माण-कार्य आरंभ हो गया है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ १५६ पर)

*२५—**श्री कैलाश**—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि छोटी गंडक के उत्तर की भूमि की सिंचाई की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री राममूर्ति—छोटी गंडक नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है अतः उसके उत्तर में भूमि पड़ने और उसकी सिंचाई की व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता।

पशु सेवकों के वेतन-क्रम में अन्तर तथा बहराइच जिले में सांड़ों का आयात

*२६—**श्री मैनेजर**—क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन विभाग के पशु सेवक (स्टाकमैन) तथा कम्पाउन्डर के वेतन-क्रम में क्या अन्तर है और अन्तर का आधार क्या है ?

श्री चरणसिंह—पशुपालन विभाग के पशु सेवक (स्टाकमैन) का वेतन-क्रम ४५–२–६५ द० रो० ३–८० रु० तथा प्रशिक्षित कम्पोउन्डर का वेतन-क्रम ४५–२–६५ द० रो० ४–१०० रु० और अप्रशिक्षित कम्पाउन्डर का ४५–२–६५ रु० है। अन्तर का आधार उनकी शैक्षिक योग्यता तथा प्रशिक्षण काल की विभिन्नता है।

*२७—**श्री मैनेजर**—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले के पशुधन के विकास हेतु गंगातीरी नस्ल के सांड़ बलिया से बहराइच भेजने की योजना पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह---बहराइच जिले में पशुधन के विकास के लिये हरियाना नस्ल के सांड़ प्रजनन हेतु स्वीकृत हैं जो कि प्रजनन हेतु इस जिले में दिये जाते हैं। ऐसी स्थिति में वहां गंगातीरी जाति के सांड़ वितरित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*२८-२९---**श्री चन्द्रबली**---[हटा दिये गये।]

*३०-३२---**श्री चैतन्यराजसिंह** (जिला अलीगढ़) तथा **श्री भानुप्रतापसिंह**---[२१ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

जलकर क्षेत्र से जल-निकासी की प्रार्थना

*३३---**श्री कल्पनार्थसिंह**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम जलकर परगना चिल्लूपार, तहसील बांसगांव, गोरखपुर के किसानों की खेती की भूमि पर (वाटर-लागिंग) बरसाती पानी तथा बाढ़ के पानी रुकने के कारण खेती नहीं हो पाती है? यदि हां, तो उक्त भूमि से जल-निकासी की क्या व्यवस्था करने की बात सरकार सोच रही है और उसे कब तक पूरा करने का इरादा है?

श्री राममूर्ति---जी हां। इस क्षेत्र में जल निकासी के लिए सरकार के सामने अभी कोई योजना नहीं है और न कोई ऐसी योजना व्यवहार्य (fearible) ही है।

*३४-३५---**श्री भीखालाल**---[२१ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

*३६---**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)---[२१ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

गाजियाबाद में बस स्टैण्ड की भूमि तथा हापड़ रोड पर प्रस्तावित बस स्टैन्ड

*३७---**श्री तेजसिंह**---गाजियाबाद में रोडवेज स्टैंड के लिये ली गई भूमि के सम्बन्ध में २ मार्च, १९६२ के प्रश्न ५४ के क्रम में क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि म्युनिसिपल बोर्ड, गाजियाबाद ने रोडवेज को गाड़ियां खड़ी करने के लिए कितनी भूमि दे रखी है और कब से? इसके किराये के लिये क्या मतभेद है और वह कब तक तय होने की सम्भावना है? जब प्राइवेट बसों वाले बाईलाज के अनुसार किराया दे रहे हैं तो रोडवेज को उसमें क्या आपत्ति है?

श्री मुजफ्फर हसन---२५,००० वर्ग फुट जमीन रोडवेज के इस्तेमाल में १-१-१९४९ से है। म्युनिसिपल बोर्ड ४ रु० फी बस फी माह किराया तलब करती है। लेकिन रोडवेज की नजर में यह किराया ज्यादा है। दीवानी अदालत ने इस जमीन का १०० रु० माहवार किराया तय किया। इस फैसले के खिलाफ रोडवेज ने हाई कोर्ट में अपील दायर की है। यह नहीं कहा जा सकता कि अपील में फैसला कब होगा।

*३८---**श्री तेजसिंह**---क्या परिवहन मन्त्री को ज्ञात है कि गाजियाबाद मास्टर प्लान में सिहानी गेट के बाहर हापड़ रोड पर बसों तथा ट्रकों के ठहरने के लिये जगह निर्धारित कर दी गई है? वहीं पर रोडवेज को अपना स्टैंड बनाने में क्या आपत्ति है?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां। यह जमीन सड़क से १० या १२ फुट नीची है। बरसात में इसमें पानी भर जाता है जिसकी वजह से बसें वहां खड़ी नहीं की जा सकती हैं। इस जमीन पर स्टेशन की इमारत बनवाना इसी वजह से मुनासिब नहीं है। जमीन के बीच से गंदा नाला बहता है, जिसमें पानी जमा रहता है। यह जमीन रोडवेज की बसों के रास्ते से काफी हट कर है और शहर से दूरी की वजह से मुसाफिरों के लिये भी तकलीफदेह है।

जौनपुर के 'बड़ेला ताल' और गुजर ताल से जल-निकासी की प्रार्थना

*३९—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जौनपुर जिले के 'बड़ेला ताल' (सन्निकट मछली-शहर टाउन) और 'गुजरताल' (तहसील शाहगंज) से जल-निकासी की व्यवस्था न होने के कारण प्रतिवर्ष हजारों मन गल्ले का नुक्सान हो जाया करता है ?

*४०—क्या सिंचाई मन्त्री इन तालों से शीघ्र ही जल-निकासी की कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—जी हां।

सावन्सा कृषि फार्म की भूमि

*४१—कुंवर श्रीपाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जनपद की तहसील जौनपुर के थाना बक्सा के अन्तर्गत ग्राम सवन्सा में जो २५ एकड़ का सरकारी फार्म खोला गया है, उसमें कितने किसानों की भूमि ली गई है तथा उन किसानों में तीन एकड़ से कम भूमि वालों का प्रतिशत क्या है ?

श्री चरणसिंह—जिला जौनपुर की तहसील जौनपुर के थाना बक्सा के अन्तर्गत २५.५६ एकड़ का जो सरकारी फार्म खोला गया है, उसमें तीन ग्रामों की भूमि ली गयी है। इन ग्रामों का नाम क्रमशः ध्योराहा, सपन्डा तथा पूरेरामजी हैं। ग्राम सवन्सा में से कुल ७.८९ एकड़ भूमि ली गयी है और यह भूमि ९० किसानों की थी। उन किसानों में ७५ प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनकी भूमि ३ एकड़ से कम थी।

आजमगढ़ जिले में मत्स्य पालन कार्य

*४२—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अब तक आजमगढ़ जिले में किन-किन स्थानों पर मत्स्य पालन का काम हो रहा है और इस काम में कुल कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ?

श्री चरणसिंह—आजमगढ़ जिले में जिन स्थानों पर मत्स्य पालन कार्य हो रहा है उनका विवरण संलग्न तालिका "क" में दिया है। इस कार्य पर १९६१-६२ तक ३०,७५३·३२ नये पैसे की धनराशि व्यय हो चुकी है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ १५७ पर)

*४३—श्री मंगलदेव—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जिले में इस योजना से प्रतिवर्ष कितने मन मछलियों का उत्पादन हुआ है और कितने परिवार की जीविका इस काम से चल रही है ?

श्री चरणसिंह—मत्स्य उत्पादन का विवरण संलग्न तालिका "ख" में दिया है। उन परिवारों का, जिनकी जीविका इस काम से चल रही है, विवरण विभाग के पास नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ १५७ पर)

बलिया जिले में पुर रजबहा से पानी न मिलना

*४४—श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि बलिया जिला के अन्तर्गत पुर रजबहा (नहर) में सर्वत्र गूल न बनने के कारण किसानों को सिंचाई के लिये पानी नहीं मिल रहा है ?

श्री राममूर्ति—जी हां।

श्री जगन्नाथ चौधरी—यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति—काश्तकारों ने पुर रजबहा के कमांड में उचित मात्रा में गूलें नहीं बनाई हैं, जिसके कारण सब जगह पानी नहीं पहुंच पाता है इसके अलावा काश्तकारों के रुकावट डालने से ५ फर्लांग की लम्बाई में नहर नहीं बन पाई है, जिससे नहर के निचले भाग में पानी नहीं पहुंच पा रहा है।

खटाना माइनर तथा नाला कट प्यावली पर पुल निर्माण योजनाओं की जांच

*४६—श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नहर देहरामांट ब्रांच के मील ३ व फर्लांग २ पर जो नया पुल बना है उसके पूर्व में बहने वाली खटाना माइनर व पश्चिम में लगे हुए नाला कट-प्यावली पर पुल कब बनाये जा रहे हैं, जिससे कि देहरामांट ब्रांच पर बने उक्त पुल का उपयोग हो सके ?

श्री राममूर्ति—खटाना माइनर तथा नाला कट प्यावली पर पुल बनाने की योजनाओं पर जांच-पड़ताल की जा रही है। अतः इस समय यह बताना कठिन है कि पुल कब बनाये जाएंगे।

*४७—श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नाला अकराबाद एक्सटेंशन (ड्रेनेज डिवीजन, अलीगढ़) पर मील ८ के निकट पुल कब बनाया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति—ऐसे किसी पुल के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

बांसगांव तहसील में घाघरा व राप्ती से कटाव

*४८—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में कितने गांव घाघरा और राप्ती नदी से कट रहे हैं तथा उनको कटाव से बचाने के लिए कौन-कौन से उपाय तृतीय पंचवर्षीय योजना में हैं। यदि कोई ऐसी योजना विचाराधीन नहीं है, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—कुल ७८ गांव कट रहे हैं। तृतीय योजना में इनको कटाव से बचाने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की कटाव निरोधक योजनाओं पर लाभ की अपेक्षा कई गुना धन व्यय करना पड़ता है।

*४९—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन-जिन गांवों में कटाव हो रहा है उन गांवों से लकड़ी का स्पर (बंडाल) बना कर कटाव रोकने की मांग की गई थी और आज भी है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर अब तक कौन-सी कार्यवाही की है ?

श्री राममूर्ति---जी नहीं, इस प्रकार कोई लिखित मांग नहीं की गई । अतः इस पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*५०---**श्री राधेश्याम**---[हटा दिया गया ।]

आम चुनाव में ली गई गाड़ियों के किराये का भुगतान

*५१---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के आम चुनाव जो १९६२ में हुये थे, उसमें विभाग की ओर से जो गाड़ियां चुनाव में लगाई गई थीं उन गाड़ियों का किराया गाड़ी मालिकों को अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस जिले में और कितनी गाड़ियों का और न देने के क्या कारण हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---तृतीय सामान्य निर्वाचन के संबंध में बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियां किराये पर ली गई थीं । राज्य विधान मण्डल द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष का बजट पारित हो जाने के पश्चात् जून, १९६२ से इन गाड़ियों के किराये का भुगतान किया जा रहा है तथा यह आदेश दे दिये गये हैं कि यथा शीघ्र किराये के बिलों की जांच करके उनका भुगतान कर दिया जाये । चूंकि किये गये भुगतानों को राज्यों के समस्त जिलों से एकत्र करना पड़ता है इसलिये यह कहना कठिन है कि कुल कितना भुगतान अभी होना शेष है ।

हरिद्वार के गोसदन पर व्यय

*५२---**श्री रक्षपालसिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हरिद्वार नगरपालिका की सीमा में सरकार ने जो गोसदन चालू किया है वह किस तिथि को चालू हुआ है ?

श्री चरणसिंह---एक जिला गोसदन टिबरी हरिद्वार, जिला सहारनपुर में स्थापित किया गया है । यह गोसदन १५ मार्च, १९६० से चालू हुआ था ।

*५३---**श्री रक्षपालसिंह**---उसमें ३१ मार्च, १९६२ तक कितने गाय, बैल, बछड़ो-बछड़ों का प्रवेश किया गया ? इनमें कितने मर गये, कितने भाग गये, और अब कितने शेष हैं ?

श्री चरणसिंह---सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ १५८ पर)

*५४---**श्री रक्षपालसिंह**---इस गोसदन में रहने वाले पशुओं के चारे पर सरकार ने ३१ मार्च, १९६२ तक कितना व्यय किया है ?

श्री चरणसिंह---इस गोसदन के रखरखाव में सरकार द्वारा १९६०-६१ में तथा १९६१-६२ तक ६१५ रुपये व्यय किये गये ।

मझला तालाब की भूमि के लिए प्रार्थना-पत्र

*५५---**श्री होरीलाल यादव** (जिला इटावा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मझिला ड्रेन, जिला फर्रुखाबाद के बनने से मझिला तालाब से कितने एकड़ भूमि कृषि योग्य निकली है ? उसमें से कितनी भूमि ६०-६१ तथा ६१-६२ के मार्च तक पट्टों पर दी गई है ?

श्री राममूर्ति---मझला ड्रेन अभी तक अधूरी है अतः कृषि योग्य भूमि को पट्टे पर उठाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*५६--**श्री होरीलाल यादव**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त तालाब से निकलने वाली जमीन पर पट्टा पाने के लिये सन् ६०-६१ तथा ६१-६२ मार्च तक कितने प्रार्थना-पत्र आये ? उनमें कितने भूमिहीनों को पट्टा दिये गये ?

श्री राममूर्ति--सन् १९६०-६१ में १० प्रार्थना-पत्र और सन् १९६१-६२ में ९१ प्रार्थना-पत्र आये। भूमि के पट्टे पर उठाने का प्रश्न अभी नहीं उठता।

बकरी, सुअर तथा गदहों की नस्ल सुधारने की व्यवस्था

*५७--**श्री गेंदासिंह**--क्या कृषि मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश के किस जिले में बकरी, किस जिले में सुअर और किस जिले में गदहों की संख्या अधिक है ?

श्री चरणसिंह--उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में बकरी, इलाहाबाद जिले में सुअर तथा मेरठ जिले में गदहों की संख्या अधिक है।

*५८--**श्री गेंदासिंह**--उक्त नस्लों को सुधारने की कोई व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चरणसिंह--जी हां, उपरोक्त तीनों प्रकार के पशुओं के विकास के लिये की जाने वाली व्यवस्था तथा तत्सम्बन्धित योजनाओं का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ १५९-१६० पर)

राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन

*५९--**श्री कैलाश**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस राज्य में कितने राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन दी जाती है और प्रति वर्ष कितना रुपया इस पेंशन में व्यय होता है ?

श्री मुजफ्फर हसन--विभाग में प्राप्त सूचना के आधार पर सुल्तानपुर जिले को छोड़ कर इस राज्य में ५,६१० राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन दी जाती है। १९६१-६२ में पेंशन के मद में १५,५६,२०७ रु० के लगभग व्यय हुआ।

*६०--**श्री कैलाश**--क्या सरकार को मालूम है कि कितने राजनीतिक पीड़ित अभी बाकी हैं जिनको पेंशन नहीं दी जाती है ?

श्री मुजफ्फर हसन--राजनीतिक पीड़ितों की कोई सूची सरकार के पास नहीं है अतः यह बतलाना कि राज्य में कितने राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन देना बाकी है सम्भव नहीं है।

नाला कोसी कलां पर पुल निर्माण योजना

*६१--**श्री लखीसिंह**--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मथुरा के छाता क्षेत्र में नाला कोसी कलां पर नये पुल कितने बनाये जा रहे हैं और उनमें कितना व्यय होगा ?

श्री राममूर्ति--दो पुल बनाये जायेंगे जिसमें अनुमानतः १४,००० रुपया व्यय होगा।

*६२--श्री लखीसिंह---क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोसी से फालेन को जो कच्ची सड़क इस नाले को पास करती है, उस स्थान पर पुल बनाया जायेगा ? यदि हां, तो वह कब तक बन जायेगा जिससे कि बरसात में जनसाधारण को आने-जाने में कष्ट न हो ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं ।

*६३-६४--श्री गंगासिंह---[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

जिला बुलन्दशहर में आनरेरी कोर्ट स्टाफ के कर्मचारियों को इंक्रीमेंट

*६५--श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में आनरेरी कोर्ट स्टाफ के कर्मचारियों की मंजूर शुदा लिस्ट में कितने कर्मचारियों को जी०ओ० नं० एच/११० (३)/६, २१०८, ४९, तारीख ७ जून, १९५० के अधीन इन्क्रीमेंट नहीं दिये गये हैं ? इसका क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर--ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है ।

*६६--श्री हिम्मतसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में आनरेरी कोर्ट स्टाफ के कर्मचारियों ने जी०ओ० नं० एच ११०/३--६, २१०८, ४९, तारीख ७ जून, १९५० के अधीन अपनी पिछली तनख्वाह पाने के विषय में १७ फरवरी, १९६० को जो दरख्वास्त दी थी क्या जिलाधीश महोदय बुलन्दशहर ने उसको ए० जी० इलाहाबाद के आदेश के अनुसार मुतालिका कागजात सहित गवर्नमेंट को निर्णय के लिये भेजा है ? यदि नहीं, भेजा तो क्यों और अब उसमें क्या हो रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर--दो आनरेरी कोर्ट के कर्मचारियों ने कलेक्टर बुलन्दशहर को एक दरख्वास्त दी थी, जिसमें प्रार्थना की गई थी कि उन्हें दो इन्क्रीमेंट और दिये जायें ।

कलेक्टर ने यह दरख्वास्त अभी गवर्नमेंट को नहीं भेजी है, क्योंकि इस सिलसिले में कुछ कागजात ए० जी० के यहां से उसे नहीं प्राप्त हुये हैं । कलेक्टर ने ए० जी० को याद दिलाया है । वहां से कागजात आने पर आगे की कार्यवाही होगी ।

अप्सरा पुल की खराब दशा तथा नकटपुरा रजबहा

*६७--श्री अनीसुर्रहमान (जिला नैनीताल)---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पीलीभीत की तहसील सदर के अन्तर्गत पौटा डाम के नीचे लगभग तीन मील की दूरी पर जो अप्सरा का लोहे का पुल है, जो ग्राम भौनी के नाम से पुकारा जाता है, वह किस हालत में है ?

श्री राममूर्ति--यह पुल गाड़ियों के यातायात के लिये उपयुक्त नहीं है ।

*६८--श्री अनीसुर्रहमान---क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि उक्त पुल जन-साधारण के आवागमन के उपयोग में इस समय आता है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों और कब से ?

श्री राममूर्ति--गत २ या ३ वर्षों से यह पुल उपयोग के लिये ठीक नहीं है ।

*६९--श्री अनीसुर्रहमान---क्या सिंचाई मंत्री को पता है कि नकटपुरा-रजबहा से टेल के गांवों को सिंचाई नहीं प्राप्त हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--रजबहा नकटपुरा से उसके टेल के ग्रामों को सिंचाई प्राप्त हो रही है ।

कानपुर जिले में सिंचाई साधन बढ़ाना

*७०—**श्री नित्यानन्द पाण्डेय** (जिला कानपुर)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निकट भविष्य में कानपुर जिले में कितने बम्बे सरकार बनवाने जा रही है, तथा और कौन-कौन सी सिंचाई योजनायें उसके विचाराधीन हैं ?

श्री राममूर्ति—प्रथम भाग—चार बम्बे ।

द्वितीय भाग—फतेहपुर शाख का बढ़ाव, पश्चिमी इलाहाबाद शाख का निर्माण, पश्चिमी इलाहाबाद शाख से निकलने वाली दो सहायक रजबहा सूपा और छोईया का निर्माण, मुख्य पश्चिमी इलाहाबाद शाखा से निकलने वाली सहार रजबहा तथा सूपा, छोईया तथा सहार रजबहे से निकलने वाली कई अन्य माइनरें ।

रामपुर क्षेत्र से जल निकासी

*७१—**श्री विजयसिंह** (जिला जालौन)—क्या सरकार को पता है कि जालौन के रामपुरा क्षेत्र में पानी के अधिक जमाव से तथा उसकी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण प्रति वर्ष लाखों एकड़ भूमि जल मग्न हो जाती है, तथा किसानों की खड़ी फसलों को भारी क्षति पहुंचती है ? यदि हां, तो सरकार ने इस क्षेत्र को Water logging से बचाने की क्या व्यवस्था की ?

श्री राममूर्ति—लाखों एकड़ तो नहीं किन्तु लगभग ३०,००० एकड़ भूमि इस क्षेत्र में जलमग्न हो जाती है । इस समस्या के निवारण के लिये ३२ मील ३ फर्लांग लम्बे नये नालों का निर्माण किया गया और ३१ मील २ फर्लांग लम्बे पुराने नालों की क्षमता ५ क्यूसेक्स से बढ़ा कर १० क्यूसेक्स कर दी गई, इसके अतिरिक्त २३ मील ४ फर्लांग लम्बे नालों का सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

*७२—**श्री विजयसिंह**—क्या यह सही है कि मार्च तथा अप्रैल, सन् १९६२ से ५० व्यक्तियों ने सरकार के सम्मुख कोई मांग प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री राममूर्ति—जी हां, अप्रैल, १९६२ में कुछ व्यक्तियों ने तहसीलदार जालौन के समक्ष निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत कीं—

(१) गन्दा नाले के पानी के निकास के लिये ऊंचा माइनर के नीचे साइफन बना कर निकाल दिया जाय ।

(२) मालगुजारी व आबपाशी रबी १३६९ फसली की तथा खरीफ १३६८ फसली की माफ की जाय ।

(३) तकावी तथा बीज गोदाम के मुतालबे की वसूली अगले साल के लिये मुल्तवी की जाय ।

*७३—**श्री लखपतराम शर्मा** (जिला झांसी)—[९वें गुरुवार के लिये प्रश्न १०७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

केदारनाथ-बद्रीनाथ मार्ग पर मोटर दुर्घटनाओं से बचने के लिये सावधानी

*७४—**श्री गंगाधर** (जिला चमोली)—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष की मोटर दुर्घटनाओं को दृष्टि में रखते हुये केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि तीर्थों को

आने वाले यात्रियों के लिये यातायात की इस वर्ष कौन-कौन सी विशेष सुविधायें की गई हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---दी गई सुविधाओं का ब्योरा इस प्रकार है :---

(१) ७५ नयी गाड़ियां पुरानी गाड़ियों के बदले में चलायी गयीं ।

(२) यात्रियों को ऋषिकेश से जोशीमठ तथा रुद्रप्रयाग तक सीधे टिकट देने की व्यवस्था की गयी ।

(३) गाड़ियों की ठीक से जांच के लिये ४ अतिरिक्त टेक्निकल इंस्पेक्टरों को यात्रा मार्गों पर तैनात किया गया ।

(४) इस बात की खास हिदायत दी गयी कि ड्राइवर नशे की हालत में गाड़ी न चलाने पायें । यात्रा मार्गों पर चार शराब की दुकानें बन्द कर दी गयीं ।

(५) यात्रा के सीजन के लिये इन्फोर्समेंट ब्रांच कर्मचारियों की तादाद यात्रा रूट पर बढ़ा दी गयी और यात्रा के इंतजाम के देखभाल के लिये सहायक रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसरों की भी तैनाती की गयी ।

(६) ऋषिकेश श्रीनगर और जोशीमठ में ला और आर्डर (law and order) के देखभाल के लिये मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गयी ।

(७) ट्रैफिक गेट्स के इन्तजाम के लिये पुलिस तैनात कर दी गयी और गेट टाईमिंग्स (gate timings) भी इस प्रकार तय की गयीं कि गाड़ियां धीमी रफ्तार से चलायी जायं ।

*७५---**श्री रामसुन्दर पाण्डे**---[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७६-७७---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**---[२१ अगस्त, १९६२ के लिये] स्थगित किये गये ।]

परिवहन विभाग के आगरा रीजन में परिगणित जाति के कर्मचारी

*७८---**श्री बनवारीलाल विप्र** (जिला आगरा)---क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा रीजन के परिगणित जाति के कर्मचारियों को क्यों निकाला जा रहा है ?

श्री मुजफ्फर हसन---ऐसा नहीं किया जा रहा है ।

*७९---**श्री बनवारीलाल विप्र**---क्या उनकी संख्या १८ प्रतिशत है ?

श्री मुजफ्फर हसन---हर प्रकार के पदों में अभी ऐसा नहीं है ।

*८०---**श्री बनवारीलाल विप्र**---क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा रीजन में कितने लिपिक (क्लर्क) ऐसे हैं जो दर्जा ४ तक पढ़े हैं और कितने ऐसे हैं जो जूनियर हाई स्कूल व हाई स्कूल फेल हैं और वे कब से कार्य कर रहे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---इसकी सूचना इस प्रकार है :---

दर्जा ४ तक	..	कोई नहीं
जूनियर हाई स्कूल फेल	..	५८
हाई स्कूल फेल	..	१३८

ये लोग भिन्न-भिन्न तारीखों से काम कर रहे हैं और इसकी सूची बहुत लम्बी है । माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में देख सकते हैं ।

मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग के कार्यालय के नोटरों व ड्राफ्टरों की अपील

*८१—श्री हिम्मतसिंह तथा श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि १४ नवम्बर, १९६१ के प्रश्न संख्या २४ के उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति कर दी गई और मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग के कार्यालय के नोटरों व ड्राफ्टरों की अपील पर निर्णय दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग के कार्यालय के नोटरों व ड्राफ्टरों की अपीलों पर अभी निर्णय नहीं दिया जा सका है। इसका कारण यह है कि इन अपीलों के परीक्षणोपरांत यह आवश्यक समझा गया कि सचिवालय के कुछ विभागों से निर्णय लेने के पूर्व परामर्श कर लेना न्यायोचित होगा और इस में समय लग रहा है।

परगना सरेनी व खीरों में असिंचित भूमि

*८२—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत परगना सरेनी व खीरों में ऐसे स्थानों में जहां नहरी पानी नहीं जाता और भूमि असिंचित पड़ी रह जाती है नलकूपों का निर्माण करने पर वह विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

*८३—श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार ऐसी भूमि का रायबरेली में सर्वे कराने की कृपा करेगी कि जहां नलकूप तैयार हो सकते हैं या नहीं ?

श्री राममूर्ति—फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है।

शाहजहांपुर जिले में सरकारी फार्मों के कर्मचारी

*८४—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी फार्म, शाहजहांपुर के कितने कर्मचारी इस समय कार्य नहीं कर रहे हैं तथा उसके क्या कारण हैं ?

श्री चरणसिंह—शाहजहांपुर जिले के समस्त सरकारी फार्म के समस्त कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

विधायक निवास के प्रति पर सूट निर्माण व्यय

*८५—श्री अवधनारायणप्रतापसिंह (जिला गोंडा) तथा श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवास १ व २ में तमाम दिवालों व छतों में दरार पड़ गई हैं ?

श्री राममूर्ति—केवल कुछ छतें व दिवारों पर बारीक दरारें देखी गई हैं।

*८६—श्री अवधनारायणप्रतापसिंह तथा श्री रामचरण शाह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवास १ व २ के प्रति सूट के बनाने में कितना खर्चा आया है और उक्त भवनों के निर्माण की कुल लागत क्या है ?

श्री राममूर्ति—लागत प्रत्येक सूट रु० १७,३६९ कुल लागत रु० ४२,३६,१५९ रु०

उप मन्त्रियों के निवास स्थानों पर व्यय

*८७—श्री अबधनारायणप्रतापसिंह तथा श्री रामचरण शाह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उप-मंत्रियों के निवास जो बने हैं, उनकी अलग-अलग लागत क्या है ?

श्री राममूर्ति

नं०	रु०
१	३५,८६५
२	३६,६७३
३	५१,६२६
४	४०,०१६
५	६३,८६१
६	४१,६२४
७	४२,६६६
६ से १५	३६,०८५
६ए, १०ए, १६, १६	३८,६१६

जिला फर्रुखाबाद में जी० टी० रोड पर बस दुर्घटना तथा इटावा क्षेत्र में कण्डक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही

*८८—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद में जी० टी० रोड पर गुरसहायगंज और छिबरामऊ के बीच हाल में कोई रोडवज बस दुर्घटना हुई। यदि हां, तो कितनी सवारियों को चोट आई और कितनी क्षति हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां।

इस दुर्घटना में रोडवेज ड्राइवर तथा दो अन्य यात्रियों को चोटें आईं और रोडवेज बस को अनुमानित ५०० रुपये की क्षति हुई।

*८६—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय रोडवेज क्षेत्र इटावा में १ जनवरी सन् १६६१ से ३१ मार्च, १६६२ तक किन-किन तारीखों को किन-किन बस कंडक्टरों को अनियमित कार्य या अपने कर्त्तव्यों को पालन न करते हुये ट्रैफिक सुपरिंटेंडेंट, सहायक ट्रैफिक इंस्पेक्टरों तथा ट्रैफिक इंस्पेक्टरों द्वारा पकड़ा गया, उनके विरुद्ध उपरोक्त अधिकारियों द्वारा क्या रिपोर्ट की गई थी और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुजफ्फर हसन—इतने लम्बे अरसे के बारे में तीन-चार सौ कंडक्टरों से संबंधित कुल सूचना एकत्रित करने में काफी समय व धन व्यय होगा। यदि सदस्य महोदय किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सूचना चाहते हों तो वह मुझसे मिल कर प्राप्त कर सकते हैं।

गढ़वाल जिले में मुन्सफी के मुकदमे

*६०—श्री मुकंदीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गढ़वाल जिले में कब से मुंसिफ दिवानी मुकदमों के लिये नियत होने लगे हैं और तब से वहां अब तक कितने मुन्सिफ रह चुके हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—जुलाई, १९५३ से गढ़वाल में रेगुलर मुन्सिफ नियत होने लगे हैं।

वर्तमान मुन्सिफ को मिलाकर अब तक वहां छः मुन्सिफ रह चुके हैं।

*९१—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—इस समय कब से गढ़वाल में कोई मुन्सिफ नहीं है और कितने मुकदमें सारे गढ़वाल में इस कारण मुल्तवी या पेंडिंग हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—सिवाय २ फरवरी से १६ मई, १९६२ के जब कि कोई मुन्सिफ नहीं रहा, गढ़वाल में एक मुन्सिफ बराबर काम करते रहे हैं। यह कहना मुश्किल है कि सिर्फ इस वजह से कितने मुकदमें मुल्तवी या पेंडिंग हैं। गढ़वाल जिले में कुल मुकदमों की संख्या जो पहली मई, १९६२ को पेंडिंग थे, ३३६ थी।

कुडेला ताल ड्रेन तथा मनसैता नाला ड्रेन

*९२—श्री श्यामसुन्दर (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पट्टी तहसील, जिला प्रतापगढ़ की कुडेरा-बुडेरा नाम की बड़ी झील जो हर साल बरसात में अपने निकट वासी गांवों के किसानों को तबाह कर देती है उसके लिये जिला फ्लड बोर्ड के आग्रह पर ऐसी स्कीम बनी थी कि इन झीलों का फाजिल पानी ड्रेन द्वारा निकट के बसुही नदी में डाल दिया जाय ? निकट भविष्य में बरसात के आगमन को देखते हुये इस स्कीम के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ? अगर हुई है तो कितनी बाकी है और नहीं हुई तो क्यों नहीं ?

श्री राममूर्ति—कुडेला ताल का फाजिल पानी निकालने के लिये कुडेला ताल नामक ड्रेन खोदी जा चुकी है। बुडेला ताल के फाजिल पानी को निकालने के लिये बुडेला ताल ड्रेन का सर्वेक्षण किया जा चुका है परन्तु स्थानीय ग्रामवासियों के विरोध के कारण निर्माण न हो सका।

*९३—श्री श्यामसुन्दर—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मनसैता नाला ड्रेन तथा कमसिन तालाब मनसैता नाला ड्रेन पट्टी प्रतापगढ़ के पूर्ण होने की बरसात के पूर्व आशा है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री राममूर्ति—उमरन ताल मनसैता नाला ड्रेन पर कार्य प्रगति पर है और आशा है कि शीघ्र ही समाप्त हो जायगा। कमसिन ताल, ड्रेन के कुछ भाग में भूमि पर अधिकार न मिलने के कारण कार्य वर्षा के बाद ही समाप्त होने की आशा है।

जिला रायबरेली में गायों के लिए कथित अनुदान

*९४—श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६१ व १९६२ ई० में जिला रायबरेली में पशुपालन विभाग द्वारा अनुदान की सहायता से किस-किस ग्राम के किसानों को अच्छी नस्ल की गायें दी गईं तथा कुल कितना अनुदान मिला ?

श्री चरणसिंह—लखनऊ क्षेत्र रायबरेली जिला भी जिसके अन्तर्गत आता है में सन् १९६१ व १९६२ में किसानों को अनुदान की सहायता से कोई भी गाय नहीं दी गई।

हरदोई जिले में सई नदी को सीधा करने के लिये कथित सर्वे

*९५—श्री मोहनलाल (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में सई नदी को सीधा करने के लिये कोई Survey हुआ है ? यदि हां, तो कब और उसमें कितना धन खर्च हुआ है तथा कब तक उस कार्य को शुरू करने का विचार है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

हरदोई जिले में आम चुनाव में कार्य करने वाले कर्मचारियों को यात्रा भत्ता न मिलना

*९६—श्री पंचमदास (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९६२ के आम चुनाव में जिन अधिकारियों ने चुनाव में पोलिंग स्टेशन पर कार्य किया है हरदोई जिले में उनका भत्ता इत्यादि अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर—हरदोई जिले में कुल १५३६ कर्मचारियों को यात्रा भत्ता मिलना था। जिनमें से १५ जुलाई, १९६२ तक ९६६ कर्मचारियों को भत्ता दिया जा चुका है। शेष कर्मचारियों को भी उनके बिल आने पर भत्ता दे दिया जायगा।

सीतापुर जिले में आबपाशी को ज्यादा वसूल की गई रकम की वापसी

*९७—श्री रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले साल ताराचन्द माहेश्वरी, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा की कोशिश पर सरकार ने सीतापुर में आबपाशी की ज्यादा वसूल की हुई रकम वापस करने का जो वायदा किया था उसमें कितने काश्तकारों को कितनी रकम वापस की गई और कितनी रकम वापस करना बाकी है और अगर कोई रकम बाकी है तो उसकी वापसी के लिये सरकार ने क्या सहूलियतें दी हैं ?

श्री राममूर्ति—सीतापुर जिले में आबपाशी की अधिक वसूल की गई रकम में से १२,५७३ रुपया १५४९ काश्तकारों को वापस किया जा चुका है तथा २६,५७३ रुपया ४,२०४ काश्तकारों को वापस करना शेष है । इस शेष धनराशि को वापस करने के लिये कृषकों को सूचना दी गई थी किन्तु वे रकम वापस लेने नहीं आये। जो किसान अपनी रकम नकद नहीं लेना चाहते और चाहते हैं कि उनकी यह रकम अगली फसल की सिंचाई के कर में उन लोगों के खातों में मुजरा कर दी जाये, उनके संबंध में वैसा ही करने के लिये जिलाधीश सीतापुर ने आदेश दे दिया है।

*९८-९९—श्री छत्रपति अम्बेश—[३१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले में नलकूप योजना तथा धारिकपुर माइनर का निर्माण

*१००—श्री भगौतीदीन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में गोमती तथा सई नदी के किनारे के उन क्षेत्रों में जहां नहर नहीं है वहां सिंचाई के लिये क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री राममूर्ति--जौनपुर जिले में गोमती तथा सई नदी के किनारे जहां नहर नहीं है उन क्षेत्रों में ३० नलकूप पहले से लगे हुये हैं तथा जिनसे नदियों के किनारे का कटाव वाला क्षेत्र छोड़कर लगभग सभी क्षेत्र नलकूप के कमांड में आ जाते हैं। जो क्षेत्र नलकूप कमांड में नहीं आता उसमें ५ नलकूप प्रयोगात्मक रूप से प्रस्तावित हैं ।

*१०१--**श्री भगौतीदीन**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रिहन्द बांध से प्राप्त बिजली के उपयोग से जौनपुर में गोमती तथा सई नदी के किनारे उन क्षेत्रों में जहां नहर नहीं है, नलकूप नहीं लगे हैं वहां नलकूप लगाने की योजना वह बनाने जा रही है ?

राममूर्ति--उपरोक्त ५ प्रस्तावित नलकूप जिनकी स्वीकृति सर्वेक्षण करने के पश्चात् प्राप्त होगी सभी रिहन्द बांध से प्राप्त विद्युत् के उपयोग से चलाये जावेंगे। इनके अतिरिक्त इस क्षेत्र में नलकूपों की कोई योजना नहीं है ।

*१०२--**श्री भगौतीदीन**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मड़ियाहूं ब्रांच से निकलने वाली धारिकपुर माइनर के निर्माण की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है और उसका पूर्णतः निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री राममूर्ति--धारिकपुर माइनर का निर्माण-कार्य मार्च, १९६२ में प्रारम्भ किया गया था। ६.५३ लाख घनफुट मिट्टी में से १.४ लाख धनफुट मिट्टी का काय हेड से मील १-२ फर्लांग तक आंशिक भागों में हो गया है। पांच पक्के कामों में से एक वी०आर०बी० (पुल) मील ०-४ फर्लांग पर का निर्माण-पूर्ण हो चुका है। नहर का निर्माण मार्च, १९६३ ई० तक पूर्ण हो जाने की आशा है ।

*१०३-१०५--**श्री शराफत हुसैन रिजवी**--[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

गोंडा जिले के बांधों में अधिगृहीत भूमि का लगान

*१०६--**श्री सुखदेवप्रसाद**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के तराई क्षेत्र में गिगिटहा बांध, खेरवान बांध, बनघोघवा बांध तथा गनेशपुर बांध के बनाने से जमीन किसानों की जो निकल गई तो क्या उनका लगान खेत के साथ खारिज हुआ ? यदि नहीं, तो वह कब तक मुजरा किया जायगा ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं, अभी कुछ जमीन का लगान खारिज नहीं हो सका है आशा है कि १९६२-६३ के अन्त तक मुजरा हो जायगा ।

मरदह दुल्लाहपुर बस स्टेशनों पर पानी की व्यवस्था

*१०७--**श्री झिलमिट राम** (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बतायेगी कि गाजीपुर के मरदह दुल्लहपुर बस स्टेशनों पर पानी पिलाने की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी व्यवस्था करने पर विचार करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन--व्यवस्था दोनों जगहों पर है ।

रीजनल ट्रांस्पोर्ट आफिस, कानपुर में रसीद फार्मों की कमी

*१०८—**दीपनारायणसिंह** तथा **श्री रघुवीरसहाय** (जिला फतेहपुर)—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ६ अप्रैल, १९६२ ई० को रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिस, कानपुर में रसीद फार्मों की कमी के कारण लोगों को मोटरगाड़ी टैक्स की रकम को स्टेट बैंक में जमा कराने भेज कर उन्हें बड़ी परेशानी व दिक्कत में डाला गया और लोगों को अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटों को हस्ताक्षरित व विधिवत् (Validated) कराने में जो असफलता मिली उसके लिये जिम्मेदार कौन अधिकारी थे? क्या जनता को कोई सूचना उक्त फार्मों की कमी के बारे में उक्त ६ अप्रैल, १९६२ ई० के पहले दी गई थी। यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री मुजफ्फर हसन—रसीदी फार्म खजाने से न मिल सकने के कारण टैक्स स्टेट बैंक में जमा करवाना पड़ा। फार्मों के न होने के बारे में आवश्यक सूचना ७ अप्रैल, १९६२ को आर०टी०ओ० दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर चिपका दी गई थी।

*१०९—**श्री दीपनारायणसिंह** तथा **श्री रघुवीरसहाय**—क्या परिवहन मंत्री उक्त रसीद फार्मों की कमी का कोई कारण बताने की कृपा करेंगे?

श्री मुजफ्फर हसन—रसीदी फार्म काफी संख्या में खजाने में न मिल सके। गवर्नमेंट प्रेस से ही पर्याप्त संख्या में खजाने में फार्म नहीं प्राप्त हुये थे।

बस्ती जिले में ट्यूबवेलों का बन्द रहना

*११०—**श्री रणबहादुरसिंह** (जिला बस्ती)—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बस्ती में कुल कितने ट्यूबवेल आपरेटर हैं? क्या यह भी सच है कि सभी घर से ५० या ४० मील की दूरी पर हैं?

श्री राममूर्ति—जिला बस्ती में ट्यूबवेल आपरेटरों की कुल संख्या २७६ है। उनमें से केवल थोड़े ही ४० या ५० मील की दूरी पर हैं।

*१११—**श्री रणबहादुरसिंह**—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गूल खराब होने या मशीन खराब होने के कारण ट्यूबवेल नं० १०, २७, २८, ३३, और ३२ कई दिनों से जिला बस्ती में बन्द रहे हैं?

श्री राममूर्ति—मशीन की खराबी के कारण बस्ती जिले में ट्यूबवेल नं० १० (हरया ग्रुप) केवल ४८ घंटे तक १९-२० अप्रैल, १९६२ को बन्द रहा। शेष ट्यूबवेल मशीन अथवा गूल की खराबी या किसी भी अन्य कारण से नहीं बन्द रहे।

*११२—**श्री रणबहादुरसिंह**—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, १९६२ से १५ अप्रल तक बस्ती जिले में ट्यूबवेल आपरेटर कितने बदले गये और क्यों बदले गये?

श्री राममूर्ति—बस्ती जिले में जनवरी, १९६२ से १५ अप्रैल, १९६२ तक कुल ५५ आपरेटरों की बदली की गई। इनमें से ४७ आपरेटरों की बदली जनहित में व शेष ८ की बदली उनके प्रार्थना-पत्र देने पर की गई थी।

परगना गंगोह में प्रस्तावित नलकूप

*११३—**श्री यशपाल**—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि Third five-year plan के अन्तर्गत परगना गंगोह तथा नकुड़ में अलग-अलग कितने नलकूप कहां-कहां लगने हैं?

श्री राममूर्ति—तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत परगना गंगोह के निम्नलिखित ग्रामों में कुल ८ नलकूप बनाये जाने का प्रस्ताव है :—

१—बिलासपुर	१
२—जौनपुर	१
३—मोहद	१
४—दुधला	२
५—थारपुर	१
६—बूधपुर	१
७—गंगोह	१

इस योजना काल में परगना नकुड़ में कोई नलकूप बनाये जाने का प्रस्ताव नहीं है ।

*११४-११५—**श्री यशपाल**—[हटा दिये गये ।]

जिला गाजीपुर में रामगढ़ पम्प कैनाल में ली गई भूमि का मुआवजा तथा नलकूप योजना

*११६—**श्री रघुवीर** (जिला गाजीपुर)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर में थाना कासिमाबाद के अन्तर्गत ग्राम रामगढ़ में जो पम्प कैनाल है उस कैनाल में अब तक किसानों की कुल कितनी जमीन ली गई है और उस जमीन का मुआवजा किसानों को दिया गया या नहीं और ली गई जमीन की अब तक लगान माफ करवाई या नहीं ?

श्री राममूर्ति—रामगढ़ पम्प कैनाल और उसकी दूसरी शाखाओं के निर्माण के लिये अब तक कुल ८९.१०४ एकड़ भूमि ली गई है । इस पूरी जमीन का मुआवजा १२,३२४.४० रुपया घोषित किया जा चुका है इसमें से अभी तक ९,४७५.०६ रुपये संबंधित व्यक्तियों को दिया जा चुका है । शेष धनराशि अब तक संबंधित व्यक्तियों को इसलिये नहीं दिया जा सका कि उसे लेने के लिये अभी तक वे उपस्थित नहीं हुये हैं । नहर विभाग द्वारा ली गई सभी भूमि का लगान जिलाधीश द्वारा माफ कर दिया गया है ।

*११७—**श्री रघुवीर**—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितने नलकूपों की लगाने की योजना है और किन किन स्थानों पर ?

श्री राममूर्ति—२० नलकूप ।

(स्थानों की सूची संलग्न है ।)

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे १६१ पृष्ठ पर)

बहराइच बस स्टेशन

*११८—**श्री दलजीतसिंह** (जिला बहराइच)—क्या परिवहन मत्री बताने की कृपा करेंगे कि कि बहराइच बस स्टेशन से २४ घंटे में कुल कितनी बसें बाहर के लिये जाती हैं और कितनी बाहर से वहां आती हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—३४ बसें बाहर जाती हैं और ३४ ही दूसरे स्टेशनों से आती हैं ।

*११९—श्री दलजीतसिंह—क्या मंत्री कृपा कर यह भी बतायेंगे कि बस से यात्रा करने वाले यात्रियों की औसत संख्या प्रतिमास क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—७३,३७१ ।

*१२०—श्री दलजीतसिंह—क्या सरकार को यह विदित है कि उक्त बस स्टेशन पर यात्रियों के लिये पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है ?

श्री मुजफ्फर हसन—पीने के पानी का मुनासिब इन्तजाम है ।

रोडवेज विभाग में क्लर्कों की छुट्टियों में असमानता

*१२१—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज विभाग में हेड आफिस के क्लर्कों और अन्य क्लर्कों की छुट्टियों में कोई अन्तर है जब कि वेतन, योग्यता और कार्य एक हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—केवल रोडवेज के बस स्टेशनों और डिपो में काम करने वाले क्लर्कों और हेड आफिस के क्लर्कों क छुट्टी के नियमों में अन्तर है। दोनों के काम भिन्न कार के हैं।

*१२२—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार इस संबंध में विचार कर रही है कि छुट्टियां सभी क्लर्कों को बराबर दी जायें ?

श्री मुजफ्फर हसन—कारण यह है कि बस स्टेशनों और डिपो के क्लर्कों के ऊपर श्रम कानून लागू हैं जिनके अनुसार उनको छुट्टी दी जाती है परन्तु हेड आफिस के क्लर्कों को फाइनेन्शियल हैन्ड बुक के नियमों के अनुसार छुट्टी दी जाती है। ऐसी परिस्थिति में छुट्टियां बराबर करने का सवाल नहीं उठता ।

*१२३—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

उन्नतिशील बीज वाले कृषि फार्मों में लाभ और हानि

*१२४—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नतिशील बीजों के लिये नये बनाये गये कृषि फार्मों में उत्तर प्रदेश में कितने फार्म ऐसे हैं जनमें आय हुई है और कितने फार्म ऐसे हैं जिनमें घाटा हुआ है ?

श्री चरणसिंह—६१ लाभ पर चल रहे हैं और ७४ घाटे पर ।

*१२५-१२६—श्री इन्द्रासन (जिला आजमगढ़)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१२७-१२९—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—[९वें बुधवार के लिये प्रश्न १-३ के अन्तर्गत स्थानांतरित किये गये ।]

सैदपुर तहसील में नई नहरें

*१३०—श्री झिलमिट राम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले पांच वर्षों में जिला गाजीपुर की सैदपुर तहसील में कुछ नई नहरें निकाली गई हैं ? यदि हां, तो यह नहरें कौन-कौन सी हैं, किन स्थानों से निकाली गई हैं तथा किन-किन क्षेत्रों में इन नहरों से पानी मिलने की व्यवस्था की गई है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, सूचना संलग्न सूची में दी गई है ।

(देखिय नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ १६२-१६३ पर)

*१३१—श्री झिलमिट राम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त नहरों में पानी नहीं आ रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—जी हां। नहरों के ऊपरी भागों में, जो आजमगढ़ जिले में पड़ते हैं, निर्माण-कार्य पूर्ण होने पर पानी छोड़ा जा सकेगा।

मुजफ्फरनगर जिले में चित्तौरा राइट सीपेज ड्रेन बढ़ाने की योजना

*१३२—श्री अहमद बख्श—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर में गंगा नहर के दोनों तरफ चोया (woozing water) बढ़ता जा रहा है? यदि हां, तो इससे कितनी जमीन तथा कितने ग्राम प्रभावित हैं और इसके रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, मुजफ्फरनगर जिले में मेरठ डिवीजन के ४ गांवों की ६०५ एकड़ भूमि चोया से प्रभावित है।

इसे रोकने के लिये सरकार चित्तौरा राइट सीपेज ड्रेन (Chitaura Right Seepage Drain) को बढ़ाने की योजना बना रही है।

सैदपुर तहसील में खरारी सिंचाई योजना

*१३३—श्री राजनाथ—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुछ वर्ष पूर्व गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में खरारी योजना नाम की कोई सिंचाई योजना बनी थी ? यदि हां, तो उस योजना के विषय में क्या निर्णय लिया गया ?

श्री राममूर्ति—जी हां। एक योजना खरारी खुरहट लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत तैयार की गयी थी जिसका कार्य समाप्त हो चुका है।

*१३४—श्री राधेश्याम—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

उसहत के समीप सोत नदी बांध पर रेगुलेटर बनाने की योजना

*१३५—कुंवर रुकुमसिंह राठौर (जिला बदायूं)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बदायूं जिला में उसहत के समीप जो बांध सोत नदी पर बनाया जा रहा था उसका कार्य क्यों बन्द कर दिया गया ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न में उल्लिखित बांध पर एक रेगुलेटर बनाने का प्रस्ताव है। इस रेगुलेटर का जो डिजाइन पहले स्वीकृत किया गया था वह बाद के जांच-पड़ताल से अनुपयुक्त समझा गया। अतः रेगुलेटर की सरी डिजाइन तथा अन्य प्राविधिक मामले विचाराधीन हैं। इन सब मामलों के तय हो जाने पर ही इस योजना को कार्यान्वित करने के विषय में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

गाजीपुर जिले के लिए बाढ़ सुरक्षार्थ कार्यों की जानकारी

*१३६—श्री झिलमिट राम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में गंगा नदी, भगई नदी,वशों नदी, मैसेही नदी, टैम्सा नदी तथा तालाबों की बाढ़ से बचने के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई योजना बनी है ? यदि हां, तो उस योजना के संबंध में काम कब आरम्भ होने वाला है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है

*१३७—**श्री झिलमिट राम**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त नदियों को गहरा करने के लिये सरकार द्वारा सर्वे कराया गया था ? यदि हां, तो उसकी सर्वे की रिपोर्ट क्या है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, सरकार द्वारा ऐसा कोई सर्वे नहीं कराया गया है ।

*१३८—**श्री रमेशचन्द्र शर्मा**—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१३९-१४१—**श्री गेंदासिंह**—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

राज्य सम्पत्ति विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां

*१४२—**श्री भगवानदास यादवेंदु** (जिला आगरा) तथा **श्री रक्षपालसिंह**—क्या कुछ विधायकों ने राज्य सरकार के पास लिखकर इस बात की शिकायत की है कि राज्य सम्पत्ति विभाग के कुछ कर्मचारियों को अभी तक साप्ताहिक अवकाश की छुट्टियां, त्योहारों की छुट्टियां तथा राष्ट्रीय पर्वों की छुट्टियां नहीं दी जाती हैं ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री राममूर्ति—सरकार के पास विधायकों से इस विषय पर कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

*१४३—**श्री भगवानदास यादवेंदु** तथा **श्री रक्षपालसिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधायक निवास नं० १, २, ३ तथा ४ में बने सर्वेन्ट क्वार्टरों में कितने व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो कि राज्य कर्मचारी नहीं हैं ?

श्री राममूर्ति—विधायक निवास नं० १, २, ३ तथा ४ में बने सर्वेन्ट्स क्वार्टरों में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहता है जो राज्य कर्मचारी नहीं है ।

लखनऊ रीजन के बस कन्डक्टरों तथा ड्राइवरों का आठ घंटे से अधिक ड्यूटी करना

*१४४—**श्री सुखलाल** (जिला लखनऊ)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ रीजन के बस कन्डक्टर तथा ड्राइवरों को आठ घंटे से अधिक ड्यूटी करनी पड़ती है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—केवल ४१ ड्राइवरों और ४१ कन्डक्टरों से आठ घंटे से अधिक ड्यूटी ली जाती है और इसके लिये उन्हें ओवरटाइम दिया जाता है । अगर ऐसा न किया जाय तो केवल पांच मिनट से लेकर दो घंटे तक के लिये नये ड्राइवरों एवं कन्डक्टरों की नियुक्ति करनी पड़ेगी ।

*१४५—**श्री काशीप्रसाद द्विवेदी**—[८वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*१४६—**श्री गंगाप्रसादसिंह** (जिला बलिया)—[८वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*१४७—**श्री रामसिंह** (जिला मैनपुरी)—[१२ वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १६४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

सचिवालय-कर्मचारियों के लिये मकान

*१४८--**श्री दुर्योधन** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष वह सचिवालय के कर्मचारियों के लिये किस-किस प्रकार के तथा कितने मकान बनवाने जा रही है और यह मकान कहां बनेंगे ?

श्री राममूर्ति--सरकार इस वर्ष नीचे लिखे हुये मकानों के बनवाने का विचार कर रही है ।

१--मिनिस्टीरियल कर्मचारियों के लिये ९ मकान (६ अवर तथा ३ प्रवर वर्ग के लिये) ये मकान महानगर में बनेंगे ।

२---चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये ५० मकान, ये मकान ४० दारुलशफा के अहाते में तथा १० विक्रमादित्य मार्ग पर बनेंगे ।

*१४९-१५०---**श्री तेजनारायण त्रिवेदी** (जिला खीरी)--[८वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ४८ क अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

इसानगर ब्लाक में नलकूपों पर व्यय

*१५१--**श्री तेजनारायण त्रिवेदी**--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इसानगर ब्लाक जिला खीरी में कितने ट्यूबवेलों का निर्माण हुआ है, कितना धन व्यय हुआ है और कितने ट्यूबवेल काम करते हैं ?

श्री राममूर्ति--पांच नलकूपों का निर्माण हुआ है । इनके निर्माण पर रु० १,९८,८१०.३० नया पैसा व्यय हुआ है । पांचों नलकूप काम कर रहे हैं ।

*१५२-१५४---**श्री बांकेलाल** (जिला देवरिया)---[९वें गुरुवार के लिये प्रश्न २०३-२०५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१५५-१५६--**श्री कोतवालसिंह भदौरिया**---[२१ अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये ।]

*१५७-१५९---**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह**---[हटा दिये गये ।]

आजमगढ़ जिले के यातायात विभाग में हरिजन कर्मचारी

*१६०---**श्री सुरजन** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यातायात विभाग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रीजन के आजमगढ़ जिले में चौकीदार से लेकर ए० डी० एम० तक कुल कितने कर्मचारी हैं और उनमें हरिजनों, पिछड़ी जातियों की संख्यायें कितनी हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---कुल कर्मचारी ४८१, हरिजन कर्मचारी ५८ ।

पिछड़ी जाति के कर्मचारियों का अलग कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता ।

*१६१-१६२---**श्री सुखलाल**---[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

करवी तहसील में औहन बांध का अनुमानित व्यय

*१६३---**श्री मतोलासिंह** (जिला बांदा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील करवी मऊ के अन्तर्गत औहन बांध में लागत का क्या अनुमान है ?

श्री राममूर्ति---औहन बांध नाम की कोई योजना नहीं है। बांदा जिले की करवी तहसील में औहन बांध नामक एक योजना है जिसकी अनुमानित लागत ९४,०८,८७५ रु० है।

*१६४---**श्री मतोलासिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९६१-६२ में उससे कितनी आबपाशी हुई ?

श्री राममूर्ति---औहन बांध से १९६१-६२ में १,३२६ एकड़ की आबपाशी हुई।

*१६५---**श्री मतोलासिंह**---अगर आबपाशी नहीं हुई, तो उसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति---प्रश्न नहीं उठता।

*१६६-१६७---**श्री जगन्नाथ** (जिला जौनपुर)---[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१६८-१७०---**श्री सत्यनारायण पांडेय** (जिला इलाहाबाद)---[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१७१---**श्री होरीलाल यादव**---[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

कांस उत्पाटन योजना का कार्यान्वयन

*१७२---**श्री बसन्तलाल**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कृषि की उपज बढ़ाने के हेतु सरकारी ट्रैक्टरों द्वारा कांस उन्मूलन योजना सरकार ने बनाई थी ? अगर हां, तो बुन्देलखंड के प्रति जिले से कितनी-कितनी भूमि का कांस उखाड़ा गया और काश्तकारों से प्रति एकड़ कितना-कितना मुआवजा वसूल किया गया ?

श्री चरणसिंह---जी हां। जिला झांसी में कुल १,८८,००८ एकड़ भूमि का और जिला जालौन में २४,९९३ एकड़ भूमि का कांस उखाड़ा गया।

काश्तकारों द्वारा देय कांस उखड़वाई के रेट भिन्न-भिन्न सीजनों में भिन्न-भिन्न रहे हैं इस प्रकार यह रेट १२.५० रु० प्रति एकड़ से ५२ रु० प्रति एकड़ प्रति घंटा तक रहे हैं।

*१७३---**श्री बसन्तलाल**---क्या सरकार ने कांस उन्मूलन योजना को अब बन्द कर दिया है, अगर हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह---जी हां। कांस उन्मूलन योजना का कार्य सरकार ने १९५५-५६ के सीजन के बाद बन्द कर दिया क्योंकि ज्यादातर किसान निर्धारित रेट से कांस उखड़वाई देने में असमर्थ थे।

*१७४---**श्री बसन्तलाल**---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कांस उन्मूलन योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा खरीदे गये ट्रैक्टर काश्तकारों को सस्ते दामों पर देने का विचार था ? क्या वह ट्रैक्टर किसी व्यक्ति या कम्पनी को बेंच दिये गये हैं ?

श्री चरणसिंह---सरकार ने कांस उन्मूलन योजना के अन्तर्गत कोई ट्रैक्टर नहीं खरीदा था। उपर्युक्त योजना में काम केन्द्रीय ट्रैक्टर संघ दिल्ली के ट्रैक्टरों द्वारा कराया गया था। इस संघ ने कार्य समाप्त करके अपने ट्रैक्टर वापस मंगा लिये। इसलिये इन ट्रैक्टरों को किसी के हाथ बेचने का प्रश्न नहीं उठता।

*१७५---**श्री लखपतराम शर्मा**---[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

सीतापुर जिले की अदालतों में हरिजनों के लिये सुरक्षित स्थान न होना

*१७६--**श्री डल्लाराम** (जिला सीतापुर)--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले की विभिन्न अदलतों में कर्मचारीगणों की नियुक्ति के हेतु हरिजन व पिछले वर्ग के लिये कितने प्रतिशत स्थान निश्चित किये गये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--सीतापुर जिले की विभिन्न अदालतों में नियुक्ति के हेतु हरिजन व पिछड़े वर्गों के लिये कोई विशेष स्थान सुरक्षित नहीं है, जैसा प्रश्नकर्ता समझते हैं, किन्तु सरकार की साधारण नीति के अन्तर्गत यथासंभव राज्य भर में १८ प्रतिशत पदों की पूर्ति हरिजन अभ्यर्थियों से की जाती है ।

*१७७-१७८--**श्री रघुनाथसिंह** (जिला वाराणसी)--[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१७९--**श्री रतीपाल** (जिला रायबरेली)--[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

बस कन्डक्टरों द्वारा अंग्रेजी का प्रयोग

*१८०--**श्री नत्थाराम रावत**--क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज बस में टिकट की किताब हिन्दी में छपी होने पर भी कन्डक्टर अंग्रेजी में लिख कर यात्री को देते हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी हां। कभी-कभी कुछ कंडक्टर ऐसा करते हैं।

*१८१--**श्री नत्थाराम रावत**--क्या यह भी सही है कि कार्यालय से अब कन्डक्टर को चालान फार्म जो दिया जाता है वह अंग्रेजी में छपा भी होता है और अंग्रेजी ही में उस पर लिखा भी जाता है ?

श्री मुजफ्फर हसन--बहुत से रीजनों में यह फार्म अभी अंग्रेजी में छपे हुये हैं और उसी भाषा में भर भी दिये जाते हैं ।

*१८२-१८४--**श्री नौरंगसिंह** (जिला गोंडा)--[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

सिकन्दराराऊ में गोवध

*१८५--**श्री बिपिनबिहारी तिवारी** (जिला सीतापुर)--क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ में १२-१३ मार्च की रात्रि गोहत्यारों ने कितनी गायें मारी तथा उनमें कितनी गाभिन थीं ?

श्री चरणसिंह--सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ में मार्च १२-१३ की रात्रि को १८ गायें बध की गई उनमें से एक गाय गाभिन थी।

*१८६-१८७--**श्री जगदीश** (जिला बस्ती)--[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१८८-१८९--**श्री बनवारीलाल बिप्र**--[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१९०-१९१--**श्री देवदत्त मिश्र**--[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१९२-१९४--**श्री शारदाभक्तसिंह** (जिला हरदोई)--[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

फतेहगढ़–कम्पिल रोड तथा फतेहगढ़ एटा बस सर्विस

*१९५–श्री सियाराम (जिला फर्रुखाबाद)—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के अन्तर्गत फतेहगढ़ से कम्पिल रोड पर सरकारी बसें चलाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। यह नहीं कहा जा सकता कब मुमकिन होगा।

*१९६–श्री सियाराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतेहगढ़ से वाया कायमगंज, अलीगंज होती हुई एटा सरकारी बसें चलाने की उसकी कोई योजना है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां, लेकिन निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कब मुमकिन होगा।

*१९७–श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

जमेनी माइनर को बढ़ाने की प्रार्थना

*१९८–श्री रामकिशोर—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर डिवीजन के फतेहपुर जिले की सदर तहसील के अन्तर्गत जमेनी (हतौली) माइनर को २ मील लम्बाई बढ़ाने के सम्बन्ध में किसानों के आवेदन-पत्रों के आधार पर सर्वे हुआ था और ओवरसियर सिवांव ने उसका एस्टीमेट बनाकर सरकार को भेजा था ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया ?

श्री राममूर्ति—जिला फतेहपुर में ग्राम जमेनी और दतौली को पानी देने के लिये किसी भी माइनर के निर्माण के लिये सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इस विषय पर एक प्रार्थना-पत्र १९५४ में कृषकों द्वारा प्राप्त हुआ था। उस पर कुछ प्रारंभिक निरीक्षण किया गया था। परन्तु कोई एस्टीमेट बनाना आवश्यक नहीं समझा गया।

*१९९–श्री रामकिशोर—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उस क्षेत्र की मांग और उपयोगिता को देखते हुये उपरोक्त माइनर की २ मील लम्बाई बढ़ाने का निर्णय वह करेंगे ? यदि हां, तो कितनी अवधि में काम पूरा हो सकेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—कथित क्षेत्र पूर्णतया रबी का क्षेत्र है। पानी की कमी के कारण माइनर को बढ़ाने के सम्बन्ध में उस समय तक विचार नहीं किया जा सकता है जब तक कि अतिरिक्त जल नहीं प्राप्त हो जाता।

*२००–२०१—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

कृषि विभाग के मुख्य लेखाधिकारी का पद तथा लेखाकारों के स्थायी पद

*२०२–श्री राजा विक्रमशाह—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के मुख्य लेखाधिकारी का पद वित्त लेखा सेवा, उत्तर प्रदेश की श्रेणी में है या नहीं ? यदि हां, तो क्या उस पद पर वित्त लेखा सेवा, उत्तर प्रदेश का कोई योग्य अधिकारी काम कर रहा है ? यदि नहीं तो क्या Chartered Accountant की योग्यता प्राप्त किसी अनुभवी व्यक्ति को यह पद दिया गया है ?

श्री चरणसिंह---मुख्य लेखाधिकारी का पद वित्त लेखा सेवा उत्तर प्रदेश की श्रेणी में नहीं है। उक्त पद पर वित्त लेखा सेवा के अधिकारी के काम करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस पद पर लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकृत एक विभागीय अधिकारी कार्य कर रहा है जो आडिटर जनरल द्वारा संचालित S. A. S. में उत्तीर्ण हो चुका है।

*२०३---**श्री राजा विक्रमशाह**---कृषि विभाग में कितने लेखाकारों के स्थायी पद हैं और क्या इतने स्थायी पदों के लिये मुख्य लेखाधिकारी कृषि विभाग का पद स्थायी करना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह---मुख्य लेखाधिकारी के पद के अतिरिक्त कृषि विभाग में निम्नलिखित स्थायी लेखा अधिकारी तथा लेखपाल हैं :---

१---लेखा अधिकारी (Accounts officer) गजटेड (राजपत्रित)	२
(२) लेखा अधिकारी (Accounts officer) नान-गजटेड (अराजपत्रित)	३
(३) लेखा पाल (Accountants)	१७
४---सहायक लेखापाल (Assistant Accountants)	२४
योग ..	४६

इस पद को स्थायित्व प्रदान करने के निम्नलिखित कारण हैं :---

१---उपरोक्त स्थायी लेखा स्टाफ के अतिरिक्त २२२ अस्थायी पद लेखा अधिकारियों तथा लेखापालों के हैं। इस प्रकार इतने बड़े एकाउन्ट्स आर्गेनाइजेशन को सुचारुरूप से कंट्रोल करने के लिये एक स्थायी मुख्य लेखा अधिकारी की नितान्त आवश्यकता है।

२---विभाग का इस वर्ष का बजट १५ करोड़ से ऊपर का है और आने वाले वर्षों में उत्तरोत्तर बढ़ने की संभावना है, जिसके ठीक Audit तथा Inspection के लिये स्थायी मुख्य लेखा अधिकारी की जरूरत है।

*२०४-२०५---**श्री लोकपालसिंह**---[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*२०६---**श्री गिरवरप्रसाद** (जिला एटा)---[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*२०७---**श्री परमाई** (जिला हरदोई)---[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*२०८---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

जानवरों की नस्ल सुधारने के लिये विदेशों से पशुओं का आयात

*२०९---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में जानवरों (गाय, बैल, भैंस, घोड़े) की नस्ल अच्छी करने हेतु विदेशों से जानवर १९५९-६० तथा ६०-६१ और ६१-६२ में मंगाये गये ? यदि हां, तो कितने और किन-किन देशों से ?

श्री चरणसिंह---इस विभाग द्वारा कोई भी गाय, बैल, भैंस तथा घोड़ा विदेश से सन् १९५९-६०, १९६०-६१ एवम् १९६१-६२ में नहीं मंगाया गया।

*२१०---**श्री शारदानन्द** (जिला सीतापुर)---[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में रिट पिटीशन

*२११—श्री मोहनलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि Hon'ble High Court Allahabad, लखनऊ बेंच में कितनी Writ Applications तीन वर्ष से विचाराधीन है ?

श्री सैयद अली जहीर—हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में तीन वर्ष से विचाराधीन रिट पिटीशनों की संख्या २८ है ।

पीलीभीत जिले के भूमिहीनों के लिये उपनिवेशन योजना

*२१२—श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पीलीभीत के भूमिहीनों को भूमि देने की कोई योजना चल रही है ? यदि हां, तो भूमि देने का क्या आधार है ?

श्री चरण सिंह—१२—पीलीभीत जिले में भूमिहीन मजदूरों को बसाने के लिये एक उपनिवेशन योजना सरकार चला रही है, परन्तु उसमें भूमि प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र न केवल पीलीभीत जिले का बल्कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले का निवासी दे सकता है ।

ऐसे प्रार्थियों में से जो अपना आवेदन-पत्र निर्धारित फार्म पर नियमानुसार भरकर भेजते हैं व जिनके नाम एक एकड़ से अधिक भूमि नहीं होती, तथा जिनकी मासिक आय ३० रु० अथवा इससे अधिक नहीं होती, उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव इस योजना की प्रवरण समिति करती है, और इन्हीं चुने हुये व्यक्तियों को भूमि दी जाती है ।

*२१३—श्री रामअधार कनौजिया—क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कितने परिवारों को भूमि दी गई और उनमें हरिजन परिवारों की संख्या क्या है ?

श्री चरणसिंह—इस पीलीभीत उपनिवेशन योजना में अब तक ३३४ परिवारों को भूमि दी जा चुकी है और उनमें से ६८ परिवार हरिजनों के हैं ।

*२१४–२१६—श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

अलीगढ़ सेन्ट्रल डेयरी फार्म

*२१७—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अलीगढ़ सेन्ट्रल डेयरी फार्म में कितने सुअर हैं और उनमें सरकार को सन् ६० और ६१ में कितना लाभ हुआ ?

श्री चरणसिंह—अलीगढ़ सेन्ट्रल डेयरी फार्म पर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सुअरों की कुल संख्या ७०५ है । सरकार को सन् १९६० और ६१ में कोई लाभ नहीं हुआ ।

*२१८—श्री रामप्रसाद देशमुख—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस फार्म में कितने लोग काम करते हैं और उनमें कितने ऐसे हैं जिनको gratuity नहीं मिलती है ?

श्री चरणसिंह—इस फार्म पर २०० व्यक्ति बराबर काम करते हैं । आवश्यकतानुसार दैनिक मजदूरी पर भी व्यक्ति रख लिये जाते हैं, जिनकी संख्या इस समय १३८ है, ग्रेच्युटी किसी व्यक्ति को नहीं मिलती ।

*२१९–२२१ श्री कैलाश—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*२२२–श्री राजेंद्रसिंह (जिला एटा)––[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२२३–२२५–श्री महावीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)––[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२२६–श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)––[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

कानपुर कलेक्टरगंज बस स्टेशन पर स्थानाभाव

*२२७––श्री डूंगरसिंह––क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में कलेक्टरगंज बस स्टेशन पर जगह की कमी को दूर करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित की जायेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन––जी हां । यह निश्चितरूप से नहीं कहा जा सकता है ।

*२२८––श्री डूंगरसिंह––[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२२९––श्री झारखंडेराय––[९ वें मंगलवार, के लिये प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

ग्राम खरिया का नलकूप

*२३०––श्री विष्णुप्रताप सिंह (जिला गोंडा)––क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप नं० २४ जो ग्राम खरिया, तहसील तरबगंज, जिला गोंडा, में लगा है कब से खराब है और उसके चलवाने का कोई प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया ?

श्री राममूर्ति––यह नलकूप १६ अप्रैल, १९६२ से ट्रांसफार्मर (transformer) जल जाने के कारण बन्द हो गया था। अब यह नलकूप १६ मई, १९६२ से पुनः चालू हो गया है ।

*२३१––श्री विष्णुप्रताप सिंह––क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त नलकूप के न चलने से किसानों को सिंचाई म कितनी क्षति उठानी पड़ी है ?

श्री राममूर्ति––इस नलकूप के न चलने से कोई विशेष हानि नहीं हुई क्योंकि जिस समय यह नलकूप बन्द था उस समय पानी की अधिक मांग नहीं थी ।

*२३२––श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)––[७ वें शुक्रवार, के लिये प्रश्न संख्या १७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२३३––श्री रियासत हुसैन––[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२३४––२३५–श्री बेदराम (जिला एटा)––[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

गोरखपुर–देवरिया राजमार्ग पर बस दुर्घटना

*२३६––श्री रामायण, श्री शारदानन्द, श्री उग्रसेन तथा श्री नरसिंह–नारायण––क्या यह सही है कि गोरखपुर–देवरिया राजमार्ग पर अभी हाल में हुई बस दुर्घटना का मुख्य कारण यह था कि बस चालक जो १९ घन्टे ड्यूटी दे चुका था और जो ऐसे बसों के चलाने की परीक्षा में असफल हुआ था उसे ड्यूटी पर पुनः भेजा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन––जी नहीं, शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*२३७-२३८--श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)--[हटा दिये गये ।]

जौनपुर संगीत सम्मेलन

*२३९--श्री यादवेंद्रदत्त (जिला जौनपुर)--क्या सरकार को पता है कि जौनपुर नगर में एक आनरेरी मैजिस्ट्रेट तथा राधबरेली के हरिजन कल्याण अधिकारी जो कि आजकल अवकाश पर हैं और जौनपुर में ही निवास कर रहे हैं एक संगीत सम्मेलन का आयोजन करके, उसके टिकट भिन्न-भिन्न राजकीय इजलासों के द्वारा तथा कर्मचारियों के द्वारा बेच कर पैसा वसूल कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार की मैजिस्ट्रेट तथा इजलासों के द्वारा टिकट की नाजायज बिक्री को रोकेगी ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं ।

इस जिले के किसी न्यायालय के द्वारा कथित संगीत सम्मेलन के टिकट नहीं बेचे गये थे । अतः मैजिस्ट्रेट तथा इजलासों द्वारा इस प्रकार के टिकटों की बिक्री को रोकने का प्रश्न नहीं उठता ।

*२४०--श्री खुशीराम (जिला पिठौरागढ़)--[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२४१-२४२--श्री मन्नालाल (जिला खीरी)--[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२४३-२४५--श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद) तथा श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़)--[८ वें बुधवार, के लिये प्रश्न ८१-८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

पिपराघाट पर फेरी टैक्स

*२४६--श्री मान्धातासिंह (जिला बलिया)--क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज बस टिकट के साथ-साथ फेरी टैक्स पिपराघाट (बलिया) पर २५ नये से प्रति यात्री वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी हां । यह वसूली पिपराघाट पर बसों पर लगने वाले फेरी टैक्स के संबंध में की जाती है ।

*२४७--श्री गिरवरप्रसाद--[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की सेवा नियमावलियां

*२४८--श्री रामसुन्दर शास्त्री--क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की सेवा नियमावली पब्लिक सर्विस कमीशन के पास से अप्रूव हो कर आई है ? यदि हां, तो सरकार ने उसे कब से लागू किया है ? यदि नहीं, तो इसमें बिलम्ब का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी नहीं ।

सेवा नियमावलियां अभी बनाई जा रही हैं ।

पड़रौना रोडवेज बस स्टेशन निर्माण में विलम्ब

*२४९—**श्री राजदेव** (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिला के अन्तर्गत पडरौना रोडवेज स्टेशन के भवन निर्माण हेतु जमीन कई माह पहले प्राप्त कर ली गई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां ।

*२५०—**श्री राजदेव**—यदि हां, तो वहां बस स्टेशन की इमारत अब तक क्यों नहीं बनी ?

श्री मुजफ्फर हसन—बजट में धन की कमी के कारण ।

*२५१-२५२—**श्री नरेंद्रबहादुरसिंह** (जिला रायबरेली)—[२१ अगस्त, १९६२ लिये स्थगित किये गये ।]

*२५३—**श्री राजेंद्रसिंह**—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२५४—**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद**—[९ वें गुरुवार के लिये प्रश्न २०६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

रायबरेली बस स्टेशन पर सरक्षा तथा बस स्टाफ के रहने का प्रबन्ध

*२५५—**श्री रतीपाल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी रोडवेज बसों पर चलने वाले ड्राइवरों व कन्डक्टरों के लिये रहने की जगह की कोई व्यवस्था की गई है ? जो कन्डेक्टर व ड्राइवर लखनऊ से आखिरी ट्रिप ले कर रायबरेली जाते हैं वे रात को कहां रहते हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—अनेक स्थानों पर ठहरने का इन्तजाम है। रायबरेली आखिरी ट्रिप के ड्राइवर व कन्डक्टर रनिंग रूम में ठहरते हैं ।

*२५६—**श्री रतीपाल**—रायबरेली रोडवेज स्टेशन पर कितने पुलिस वालों की ड्यूटी रहती है ? क्या सरकार को यह सूचना है कि रायबरेली रोडवेज स्टेशन पर कई मुसाफिरों का सामान उठ गया ? इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—रायबरेली बस स्टेशन पर पुलिस की ड्यूटी का प्रबन्ध नहीं है । ऐसी कोई सूचना नहीं है अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*२५७-२५९—**श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल** (जिला इटावा)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२६०-२६२—**श्री रामप्यारे** (जिला मिर्जापुर)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२६३-२६४—**श्री नाथूराम शिक्षक**—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

हमीरपुर जिले में रोडवेज ड्राइवरों के साथ झगड़ा

*२६५—**श्री मुरलीधर कुरील**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला हमीरपुर के जिन सड़क मार्गों पर रोडवेज की सरकारी बसें चलती हैं, उन बसों के कन्डक्टर व ड्राइवरों से वहां के कुछ झगड़ालू लोग झगड़ा व मारपीट करते हैं और बसों को आसानी से नहीं चलने दे रहे हैं ? यदि हां, तो जब से बसें वहां चलाई गई तब से कहां-कहां पर झगड़े व मारपीट की घटनायें हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां। झगड़े व मारपीट की घटनायें करवई, सूपा, मौदहा और कुन्हैटा में हुई।

*२६६---**श्री मुरलीधर कुरील**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन झगड़ों को रोकने तथा कंडक्टर व ड्राइवरों की सुरक्षा के लिये क्या व्यवस्था की गई ?

श्री मुजफ्फर हसन---झगड़े और मार-पीट की घटनाओं की रिपोर्ट पुलिस में कर दी गई है और पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर को भी लिखा है कि इसमें कार्यवाही की जाय ताकि आगे से ऐसी घटनायें न हों।

गुरसहायगंज के आस-पास रेह मिट्टी का प्रभाव

*२६७---**श्री बिपिनबिहारी तिवारी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि छिबरामऊ तथा सदर तहसीलों, जिला फर्रुखाबाद, में बहने वाली काली नदी के आस-पास विशेषकर गुरसहाय गंज के निकट उपजाऊ भूमि में रेह मिट्टी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है ? यदि हां, तो उसकी रोकथाम के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री चरणसिंह---विभाग में ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं जिनके आधार पर यह बताया जा सके कि इस क्षेत्र में रेह मिट्टी का प्रभाव बढ़ रहा है। ऊसर की रोकथाम के लिये सरकार की कोई योजना उस क्षेत्र में नहीं है।

नैनीताल में सरकारी भवनों को लोगों को किराये पर उठाने का सुझाव

*२६८---**श्री देवेंद्रसिंह** (जिला नैनीताल)---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल में सरकारी सेक्रेटेरियेट की जो बिल्डिंग है उसका सरकार किस प्रकार उपयोग करने जा रही है ?

श्री राममूर्ति---सरकार ने अभी इस प्रश्न पर कुछ निश्चय नहीं किया है।

*२६९---**श्री देवेंद्रसिंह**---इस बात को ध्यान में रखते हुये कि नैनीताल शहर में मकानों का अभाव बढ़ता जा रहा है क्या राज्य सरकार नैनीताल में स्थित सरकारी मकानों को वहां पर रहने वालों को किराये पर स्थाई तौर पर उठाने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति---अभी सरकार का ऐसा विचार नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

*१-४---**श्री मैनेजर**---[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*५---**श्री दुर्योधन**---[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

बलौनी में नलकूप लगाने का आयोजन

६---**श्री मूलचन्द शास्त्री** (जिला मेरठ)---क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बलौनी तथा हरिया खेड़ा, तहसील बागपत, की सीमा पर एक ट्यूबवेल लगाने का फैसला सिंचाई विभाग ने किया था ? यदि हां, तो यह ट्यूबवेल कब तक लग जायेगा ?

श्री राममूर्ति---जी हां। इस नलकूप के जल्दी ही बन जाने की आशा है।

प्रश्नों के उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)---व्यवस्था का प्रश्न है। आज केवल २५ सवालों के उत्तर मिले हैं और बहुत से माननीय सदस्यों के पास उत्तर तक भी नहीं पहुंचे हैं। तो मैं इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इस तरह से हमारे अधिकारों का कब तक हनन होता रहेगा।

श्री अध्यक्ष---इस सम्बन्ध में आप हमसे बात-चीत कर लें। फिर जो आप चाहेंगे उस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्व पूर्ण सवाल है। माननीय मंत्री जी जिनका आज दिन था, उन्होंने बहुत से ऐसे सवाल थे जिनके उत्तर नहीं दिये। मैं विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली बड़े गौर से पढ़ रहा था....

श्री अध्यक्ष---माननीय कल्पनार्थसिंह जी, मैं आपको बता दूं कि यह प्रश्न आज मैंने स्वयं उठाया था और मैं इस पर स्वयं कोई व्यवस्था दूंगा इस वास्ते कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर आने चाहिये थे, मैं स्वयं उस पर विचार कर रहा हूं। आप भी आ जाइये तो हम बात-चीत कर लेंगे ताकि कोई व्यवस्था हो जाय।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड नियमावली, १९६२*

लघु उद्योग मंत्री के सभा-सचिव (श्री वीरसेन)---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उद्योग विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४४२ (१)/१८-ए---२९१-६०, दिनांक, ३ मार्च, १९६२ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड नियमावली, १९६२ को उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, १९६० की धारा ३६ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रश्नों के उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में आपत्ति---(क्रमागत)

श्री नौरंगसिंह (जिला गोंडा)---अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मई में हमने एक प्रश्न किया था कि पिछली बरसात में बलरामपुर और गोंडा में कितने गांव और जमीन बरबाद हुई। गोंडा का वह इलाका इस बरसात में खतरे में है और आज हमको सूचना मिली है कि बाढ़ आयेगी तो वहां ठहरने की कोई जगह नहीं है लेकिन आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। १८२ नम्बर पर मेरा वह प्रश्न है लेकिन आज भी कह दिया गया कि २१ अगस्त को जवाब मिलेगा। ऐसी हालत में....

श्री अध्यक्ष---अभी मैंने निवेदन किया कि यह सवाल आज मेरे सामने आ गया है, मैंने स्वंय उसको देखा है। मैं इस सम्बन्ध में विचार कर रहा हूं, आप भी आ जाइये, मैं इस पर कोई व्यवस्था करूंगा। एक मास से अधिक का समय होते हुये भी यह उत्तर आना कि २१ तारीख को उत्तर दिया जायगा, इसको मैं गलत समझता हूं। मैं स्वयं इस पर विचार कर रहा हूं, यह मैंने अभी बतलाया था।

---

*छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, १९५९ के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ३५७ की उपधारा (१) के खंड (ग) में उल्लिखित लेख्यों की प्रतिलिपियों के लिये देय शुल्क विहित करने के नियमों में नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या २८६–म–नि/१७–संशो–१/११ (ग) ८४–कार्प–५९, दिनांक, २ मई, १९६२ ई० के अधीन प्रख्यापित संशोधन को उक्त अधिनियम की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

माल मंत्री के सभा-सचिव (श्री बृजबिहारी)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० के अध्याय ५ के अधीन निर्मित नियमों में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या १५८३/१ (क)—६२६–६०, दिनांक २५ मई, १९६२ ई० के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को तथा उक्त अधिनियम के अध्याय ३ और ४ के अन्तर्गत बनाये गये एवम् विज्ञप्ति संख्या १५८३–(ए)/१(क)—६२६–६०,दिनांक २५ मई, १९६२ के अधीन प्रख्यापित प्रतिकर का अवधारण और भुगतान एवं अतिरिक्त भूमि का निस्तारण और बन्दोबस्त से सम्बन्धित नियमों को उक्त अधिनियम की धारा ४४ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० में खाद्य तथा रसद विभाग की विज्ञप्ति संख्या डब्लू०-एम–आर-ए–एम– (२) १७९९ (घ) ५४२–६०, दिनांक ६ जुलाई, १९६१, तथा विज्ञप्ति संख्या डब्लू० एम–आर–ए–एम– (४) १९७५/२९ (घ)—५४२—६०, दिनांक १९ जुलाई, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ की धारा ४३ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

पंचायतराज रूल्स के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

श्रम मंत्री के सभा-सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत राज रूल्स में पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या २३५७—(प)/३३—२८ (४)—६१, दिनांक २ मई, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सदस्यता से सम्बद्ध विवादों के निपटारे की) नियमावली, १९६२†

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या १५३५–ए/३३—२८ (आर)–६१, दिनांक १० मई, १९६२ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सदस्यता से सम्बद्ध विवादों के निपटारे की)

---

*छापे नहीं गये ।
†छापी नहीं गई ।

[श्री बंशीधर पांडेय]

नियमावली, १९६२, को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उपप्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की) नियमावली, १९६२*

श्रम मंत्री के सभा-सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या २१७०-ए/३३---१९ (आर)-६१, दिनांक १३ जून, १९६२ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उपप्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की) नियमावली, १९६२ को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अधीन प्रख्यापित संशोधन†

माल मंत्री के सभा-सचिव (श्री बृजबिहारी)---अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश नगर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अध्याय ९ के अन्तर्गत बने नियमों में, राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या यू० ओ० ---५९५/(१)(क) ३७५-डी-६१, दिनांक १९ मई, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को तथा उक्त अधिनियम के अध्याय ५ के अन्तर्गत बने एवं राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या यू० ओ०-५९५/ (ए)-१(क)-३७५ (डी)-६१, दिनांक १९ मई, १९६२, के अधीन प्रख्यापित "प्रतिकर का भुगतान" से सम्बन्धित नियमों को उक्त अधिनियम की धारा ८६ की उपधारा (६) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---श्रीमन्, ये नियमावलियां अधिकतर प्रमुखों के चुनाव के सम्बन्ध में हैं और प्रमुखों के चुनाव हो चुके हैं। ये चुनाव से पहले सदन में आतीं तो हम उन पर कुछ कह भी सकते थे। इनका इतने विलम्ब से सदन में रखा जाना कहां तक उचित है और आगे क्या कार्यवाही होनी चाहिये, इस पर आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---ये नियमावलियां हमारे गजट में प्रकाशित होती हैं और वह माननीय सदस्यों के पास जाती ही हैं। फिर, गजट में प्रकाशित होते ही ये लागू हो जाती हैं। इसमें कोई क़ानूनी आपत्ति नहीं है। आपत्ति केवल यह हो सकती है कि इतने विलम्ब से आई हैं, यह ठीक है।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---मेरा वैधानिक प्रश्न यह है कि मेज पर सूचनार्थ रखी जाती हैं और सूचना तो हमको गजट से ही हो गई। परन्तु हमारी प्रक्रिया नियमावली में संशोधन की बात दी हुई है। उसके लिये क्या उपाय है ?

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं इस ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि डेलीगेटेड लैजिस्लेशन एक ऐसे महत्व का काम है कि सरकार को जो अधिकार सदन से मिले हुये हैं उनका वह जान बूझकर उल्लंघन न करें। पंचायत राज ऐक्ट या जिला परिषद् ऐक्ट, १ वर्ष या कुछ अधिक हुआ, पास हुये थे। ये नियम उस समय बनाये गये थे कि उसके

---

*छापे नहीं गये।

†छापी नहीं गयी।

१ महीना या १५ दिन बाद चुनाव करा दिये गये। अगर ये ३, ४ महीने पहले बना दिये गये होते तो हमें इतना अवसर होता कि पिछली बार हम इन पर बात करके संशोधन दे दिये होते और उनके अनुसार कार्य होता। सब से बड़ा सवाल इसलिये यह है कि किस समय हम या सरकार नियम बनावे। ऐक्ट बनाते समय तो सरकार बहुत जल्दी करती है और कहती है कि वह उसे जल्दी लागू करेगी। लेकिन नियम बनाने में इतना विलम्ब करती है और जब कि उनके अनुसार कार्यवाही करने में १० दिन या २ या ४ हफ्ते रह जाते हैं तब उन्हें प्रकाशित कर देती है। माननीय सदस्यों को अधिकार है कि वे इन नियमों पर अपने विचार व्यक्त करें; और उनमें कोई परिवर्तन हो सके, इसका कोई अवसर अब नहीं रह जाता।

श्रीमन्, आप खुद डैलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। कुछ नियम ऐसे सरकार ने बनाये जिन्हें आपने आउटराइट कह दिया कि ये गलत हैं। सम्भव है कि उन नियमों में भी कुछ खामियां हों। उन्हें दूर कराने का हमें अब अवसर नहीं रह जाता है। यह हमारी असमर्थता है और इसका नाजायज फ़ायदा शासक दल को नहीं उठाना चाहिये। मैं समझता हूं इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार होकर कुछ फ़ैसला होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--क्या माननीय मुख्य मंत्री कुछ प्रकाश डालेंगे कि इसमें क्या कठिनाई है? या सम्बन्धित मंत्री बता दें।

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--देरी के लिये मुझे खेद है। मगर ये ३ रूल्स हैं। एक में सामान्य शब्द का संशोधन है। दूसरे में पेटीशन फ़ाइल करने का समय बढ़ाया है। इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिये। तीसरा १३ जून को गजट हुआ और उस समय हाउस नहीं बैठी हुई थी। हम जरूर चाहते हैं कि १५ दिन में हो जाय। जो बातें अभी कही गईं वे सही हैं; हाउस को पूरा मौका होना चाहिये डिस्कशन का। आयन्दा हमारी यही कोशिश होगी कि १५ दिन के अन्दर ही नियम आप लोगों के सामने रखें। पिछली दफ़ा एलेक्शन के बाद हम लोग बैठे थे लेकिन डिपार्टमेन्ट वाले समय पर उस काम को नहीं कर सके। लेकिन आयन्दा हमारी कोशिश रहेगी कि समय के माफिक आपके सामने नियम आवें ताकि आप लोग उस पर अच्छी तरह से विचार कर सकें।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)--जो चुनाव हो गये हैं तो माननीय श्रम मंत्राणी को रद्द करा देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--चुनाव जो हो चुका है उसके सम्बन्ध में नियम आप के सामने रख दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में कुछ अवश्य जानकारी प्राप्त करूंगा कि कितना समय प्रेस में लग जाता है। हमारी रिपोर्ट्स भी हमें समय से नहीं मिल पाती है। तो माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं बातचीत करूंगा कि प्रेस में जो विलम्ब होता है वह न होने पावे और जैसा कि श्रम मंत्राणी जी ने कहा--प्रयत्न यही रहेगा कि १५ दिन के अन्दर आपके सामने आपकी मेज पर वे नियम रख दिये जावें। मैं आशा करता हूं कि मंत्रिमंडल के जो विभिन्न मंत्रिगण हैं वे भी इस बात के लिये प्रयत्नशील रहेंगे।

श्री काशीनाथ--यह तो इस समस्या का व्यावहारिक पहलू हुआ। लेकिन जो गलती हो गयी उसका क्या निदान है?

श्री अध्यक्ष--वह गलती नहीं है। मैंने अभी आपको पढ़ कर सुनाया, इस वक्त जो कानून है अगर उसमें कोई गलती है तो उसे आप बदल दें।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६१, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ १६४–१६५ पर)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६२ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ४ जून, १९६२ की बैठक में पारित किया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के ५ जून, १९६२ को वापिस प्राप्त हो गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २१ जून, १९६२ को प्राप्त हो गयी है, और वह १९६२ का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

एपीडेमिक डिजीजेज उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि एपीडेमिक डिजीजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ४ अप्रैल, १९६२ की बैठक में पारित किया था और जो विधान परिषद् से ११ अप्रैल, १९६२ को वापस प्राप्त हो गया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २१ जून, १९६२ को प्राप्त हो गयी है, और वह १९६२ का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ३ अप्रैल, १९६२ की बैठक में पारित किया था, और जो विधान परिषद् से १० अप्रैल, १९६२ को वापस प्राप्त हो गया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २१ जून, १९६२ को प्राप्त हो गयी है, और वह १९६२ का उत्तर प्रदेश का छठां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रयकर) (संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ३ अप्रैल, १९६२ की बैठक में पारित किया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के १० अप्रैल, १९६२ को वापस प्राप्त हो गया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति १२ जुलाई, १९६२ को प्राप्त हो गयी है और वह १९६२ का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

कतिपय कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—मेरे पास कार्य स्थगन की कई सूचनाएं आयी हैं जिनमें अधिकतर बाढ़ सम्बन्धी हैं। एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव अभी जो प्रमुखों व उपप्रमुखों के चुनाव हुए हैं उनके नियमों के सम्बन्ध में है। जो प्रश्न माननीय राघवेन्द्रप्रताप जी ने उठाया था वह है।

जहां तक बाढ़, सूखा या अतिवर्षण के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव हैं वह मैंने इस कारण से अस्वीकृत किया है कि अतिवर्षण, सूखा या बाढ़ आदि का नियंत्रण तो मानवीय प्रयासों के बाहर की बात है, जब तक बाढ़ की या और सम्बन्धित योजनायें हमारी पूरी न हो जायं। इसके अतिरिक्त जहां-जहां इस प्रकार का सूखा या अतिवर्षण आदि होता है तो उसके लिये सरकार के नियम हैं और उसके अनुसार क्षति का मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाता है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि किसी विशेष स्थान जिसके विषय में वह प्रश्न पूछना चाह तो वह उनके बारे में पूछ लें और मैं उसमें अतिशय सुविधा दूंगा ताकि उनको सूचना मिल सके और सरकार का ध्यान भी उस ओर आकृष्ट हो सके और माननीय सदस्यों की ओर से कोई सुझाव हों तो वह भी सरकार के सामने आ सके। तो मैंने इनको कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में अस्वीकार किया है लेकिन अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में यह आयेंगे तो काम पूरा हो जायगा।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक आवर्षण और बाढ़ की बात है, इस सम्बन्ध में जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं उनको आप देखें कि पूरे प्रदेश भर में यह स्थिति है कि पहले तो वर्षा का अभाव रहा और सूखे की स्थिति रही और बाद में अधिक वर्षा से बाढ़ की स्थिति आ गई। अगर अल्पसूचित तारांकित प्रश्न आयेंगे तो बहुत से प्रश्न होंगे और सदन का बहुत सा समय लगेगा। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे दें पूरे प्रदेश के बारे में कि किस-किस जगह क्या-क्या स्थिति है .....

श्री अध्यक्ष—ठीक है कार्य-स्थगन प्रस्ताव तो मैं स्वीकार नहीं करता, स्टेटमेन्ट के लिये मैं राजस्व मंत्री से कहूंगा कि वह इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य दे सकेंगे? और वह कब दे सकेंगे और क्या वास्तविक स्थिति है?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अध्यक्ष महोदय, हालात तो वक्तन-फवक्तन बदलते रहते हैं, इधर के हालात तो मालूम नहीं हैं, वह सब अस्सरेनो जिलों से मंगाना पड़ेंगे और इसके लिए एक हफ्ता चाहिए।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, एक सप्ताह के बाद वक्तव्य हो जायगा।

किसानों के गन्ने का मूल्य चीनी मिल मालिकों से सरकार द्वारा न दिलाये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—अब नियम ५२ में मैंने श्री गेंदासिंह की एक सूचना को स्वीकार किया है और वह इस प्रकार से है:

"चीनी मिलमालिकों ने १० करोड़ से अधिक गन्ने का मूल्य किसानों का अपने यहां बाकी रखा है। किसानों को इस मूल्य को दिलाने की सोलहों आना जिम्मेदारी सरकार की है। इस जिम्मेदारी को निभाने में सरकार असमर्थ रही है। परिणाम-स्वरूप किसानों को अपनी पुंजियां कम दाम पर बंधक रखनी पड़ रही हैं। खरीफ उत्पादन में इन रुपयों के अभाव में भारी क्षति हो रही है। सरकारी देयों के १ रुपया और २ रुपए के लिये उन्हें बराबर अपमानित होना पड़ रहा है, जब कि उनके पास हजारों रुपए की पुंजियां मौजूद हैं। अतः विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम ५२ के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकृष्ट करन हेतु मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा चाहता हूं।"

सम्बन्धित मंत्री महोदय बता दें कि वह कब वक्तव्य इस सम्बन्ध में दे सकेंगे।

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—अध्यक्ष महोदय, मैं शुक्रवार को इस सम्बन्ध में सूचना दे सकूंगा।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, तो मंत्री जी शुक्रवार को वक्तव्य दे दें।

निम्नतम श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन-क्रम निश्चित करने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री अध्यक्ष—अब श्री केशवगुप्त अपना संकल्प रखेंगे।

*श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमन्, मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं:

"उत्तर प्रदेश की यह विधान सभा सरकार से यह सिफारिश करती है कि वह अपने निम्नतम श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं को आधार मान कर निश्चित कर और उससे ऊपर का वेतन-क्रम योग्यता के अनुपात पर आधारित किया जाय।"

श्री अध्यक्ष—आपके प्रस्ताव में कुछ संशोधन भी आये हैं; उनमें से किसी को आप स्वीकार करते हों तो उसी को मूव कर दें।

श्री केशव गुप्त—मैंने दोनों संशोधनों को देखा है, और मैं उनको स्वीकार नहीं करता।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश में राज्य सरकार ही एक ऐसी इकाई है जो मासिक वेतन पर या ठेके पर या दैनिक वेतन पर सब से अधिक संख्या में कर्मचारियों को रखती है और इसमें कोई संदेह नहीं कि शासन के चलाने और उसकी नीति तथा योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करने के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता है और रहेगी। परन्तु कर्मचारी वर्ग उसी समय शासन को चलाने में सहायक हो सकता है या हमारी नीतियों तथा योजनाओं को सुचारु रूप से परिणत कर सकता है जब कि उसके जीवन में निश्चितता हो और जीवन की सामग्री से उसको बेफ़िक्री हो। यदि ऐसा नहीं होता और उनके जीवन की सामग्री ठीक तौर से नहीं मिल पाती तो न शासन ठीक चलता है और न हमारी नीति और योजनाओं की पूर्ति होती है और उसका परिणाम यह होता है कि हमारा शासन ढीला होता है, हमारी नीति और योजनायें छनते-छनते एक ऐसा रूप धारण कर लेती हैं कि जिस जनता से रुपया ले कर हम शासन को चलाते हैं, उसके प्रति जनता को असंतोष पैदा होने लगता है तथा सरकार को धक्का लगता है और कर्मचारियों के अन्दर असंतोष बराबर बना रहता है। वह आये दिन वेतन वृद्धि की मांग करते रहते हैं और उनकी मांग कभी-कभी भयंकर आन्दोलन का रूप धारण कर लेती है जिसका परिणाम यह होता है कि उससे प्रदेश, शासन तथा कर्मचारियों को बहुत हानि उठानी पड़ती है। शासन भी उन भयंकर परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए कोई सामयिक व्यवस्था करता है जब कि मौलिक प्रश्न वैसे का वैसा ही बना रहता है। कहा जाता है यदि वेतन क्रम ऐसा नहीं कि जो जीवन में निश्चितता ला सके या जीवन की सामग्री उपलब्ध हो सके तो फिर क्यों लोग सरकार की सेवायें स्वीकार करते हैं। इसमें दो रायें नहीं कि प्रदेश में बेरोजगारी बहुत है और उसको दूर करने की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की जिससे प्रत्येक को रोजी मिल सके। इसलिये जब ऐसी दशा है तो शासन भी सप्लाई और डिमान्ड का लाभ उठाने का प्रयत्न करता है और जो भी वेतन शासन निर्धारित करता है बेकारों की संख्या उतने पर ही आने की कोशिश करती है। नतीजा यह होता है कि बजाय इसके कि वह सरकार का कार्य करें सब से पहले किसी न किसी प्रकार अपने जीवन की सामग्री को उपलब्ध करने की चेष्टा करते हैं और उसमें काट तराश हो जाती है और हमारी योजनायें तथा अन्य बातें कुरूप हो जाती हैं।

मेरे सामने एक रोज़ की दुर्घटना है। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, एक सरकारी अधिकारी जिसका ब्लाक से सम्बन्ध था वह मेरे पास आया। मैं नीबू ले रहा था। उसने कहा, अगर आप मुझसे कहते तो दो बोतल नीबू के शर्बत की आपको ला देता। मैंने पूछा कि तुम्हारे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पास कहां से आई ? उसने कहा कि ब्लाक के अन्दर फल संरक्षण योजना के लिये ५०० रुपये मिलते हैं ग्रामवासियों को यह सिखाने के लिये कि किस तरह से फलों का संरक्षण होता है। बजाय इसके कि हम शिक्षा दें हम उन फलों का सीरप बना लेते हैं और उसको फिर ऊपर से नीचे तक सब अधिकारियों को बांट दिया जाता है और इस तरह से कुछ मेरे हिस्से में भी आ जाता है। इसी तरह से लेडी ए० डी० ओज० होती हैं। कन्याओं को कढ़ाई और बुनाई सिखाने के लिये उनको १०० पौंड ऊन मिलता है। इस सम्बन्ध में भी बजाय इसके कि कढ़ाई बुनाई की शिक्षा कन्याओं को दी जाय वह ऊपर से नीचे तक के अधिकारियों में बंट जाता है। यहां तो यह आश्वासन हो गया कि हमने इतना रुपया ग्रामवासियों को और उनकी कन्याओं को फलों का संरक्षण तथा कढ़ाई एवं बुनाई की शिक्षा के लिये दिया और हमने यह समझ लिया कि उन्होंने यह शिक्षा पा ली होगी लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है। यह योजना रूपवान बनने के बजाय कुरूपवान बन गयी। इस तरह की बातें शासन को देखनी पड़ेंगी कि किस तरह से कर्मचारी वर्ग हमारी नीतियों में काटछांट करते रहते हैं। यह स्वाभाविक भी है। जब कर्मचारी वर्ग सेवा में आ जाता है तो उसका सबसे पहला यह काम होता है कि अपने जीवन की सामग्री अपने लिये उपलब्ध करे। वह तल्लीन इसमें रहता है; सरकार की सेवा करने में तल्लीन नहीं रहता। जब वह अनाचार करता है तो हम उसको भ्रष्टाचार की संज्ञा देते हैं लेकिन हम उस भ्रष्टाचार को रोकने में समर्थ नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा खुद हृदय डिमोरेलाइज्ड रहता है। हम खुद महसूस करते हैं कि हमने अपने कर्मचारियों को उतना वेतन नहीं दिया है जिससे वह अपनी सामग्री उपलब्ध कर सकें। हमारे सामने आये दिन ऐसी कठिनाइयां आया करती हैं।

एक उदाहरण मैं अपने जीवन का देता हूं। हमारे यहां का एक नागरिक मेरे पास यह शिकायत करने के लिये आया कि उसके दस्तावेज रजिस्टर नहीं होते। उससे तीन रोज से ५० रुपये मांगे जा रहे हैं लेकिन वह ५० रुपये देने में असमर्थ है। लिहाजा उसके दस्तावेज की रजिस्ट्री करा दी जाय। मैंने कहा कि मैं ट्रेप लगा सकता हूं। मैंने कहा कि छोटे कर्मचारी को यह रुपया मत देना, रजिस्ट्रार को देना क्योंकि रजिस्ट्रार इस हालत में है कि वह अपने जीवन की सामग्री को मुहइया कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती से हुआ यह कि वह रुपया छोटे कर्मचारी के हाथ में गया। वह गिरफ्तार हुआ और जमानत पर रिहा हुआ। पहले ही रोज वह तीन बच्चों, अपनी स्त्री और अपनी मां को ले कर मेरे घर पर आ गया। उसने कहा कि उनके जीवन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है क्योंकि मैंने ही उसे इस दुख में डाला है। मैंने कहा कि मैं इसका कारण नहीं हूं, मैंने तो सतर्क किया था कि ऐसा न हो लेकिन ऐसा हो गया। मैंने पूछा कि ५० रुपये में से तुमको कितने मिलने को थे। उसने कहा कि उसके हिस्से में ५ रुपये आते। मैंने पूछा कि तुम्हारी और जीवन की आवश्यकतायें जो हैं वे कितनी हैं। सब हिसाब लगा कर मालूम हुआ कि वह १३५ रुपये के करीब बैठती थी। मैंने पूछा कि तुम्हें वेतन क्या मिलता है। उसने कहा कि मुझे ५५ रुपये मिलते हैं। जब मुझे यह मालूम हुआ कि इस गरीब को ५५ रुपये मिलते हैं और इसकी मौलिक आवश्यकताएं १३५ पये की हैं तो उसको किसी न किसी तरीके से अपना जीवन निर्वाह करना था। मेरे सामने फौरन जो एक साहित्यकार का उपन्यास मैंने कभी पढ़ा था उसका चित्र आ गया और मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि तुम इससे मुक्त हो जाओ और मुझे खुशी है कि वह उससे मुक्त हो गया। ऐसी घटनायें सभी के जीवन में और जो हमारे शासक हैं उनके जीवन में भी आती होंगी।

एक रोज की बात है कि मैं ऐंटी-करप्शन कमेटी में बैठा हुआ था। एक छोटे कर्मचारी के अनाचार के विषय में प्रश्न पेश हुआ। मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से साफ तौर से कह दिया कि आप इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। इसलिये नहीं कि आप में शक्ति नहीं है बल्कि आपका दिल नहीं चाहता कि आप कुछ करें। आप जानते हैं कि आपके अर्दली को

[श्री केशव गुप्त]

४० रुपये मिलते हैं। दो मील रोज आपकी कोठी पर आता है और १०–१२ घंटे आपके यहां रहता है, सिगरेट, बीड़ी भी पीता है और आप यह भी चाहते हैं कि वह साफ सुथरी पोशाक में रहे; तो आखिर ४० रुपये में वह कैसे यह सब कर सकता है और अपने बाल-बच्चों को कैसे पाल सकता है ? इसलिये जब आपके पास रहने वाले ऐसा कार्य करते हैं और आप में हिम्मत नहीं कि आप उसके खिलाफ कार्यवाही करें तो आप छोटे कर्मचारियों के खिलाफ कैसे कार्यवाही करेंगे ? जब तक मौलिक आवश्यकताओं के आधार पर हम वेतन नहीं देंगे तो कैसे हमारा शासन ठीक चलेगा और कैसे हमारी नीति और हमारी योजनायें ठीक प्रकार से चल सकेंगी ? चाहे एस्टीमेट्स कमेटी हो, चाहे पी० ए० सी० हो, रोजमर्रा हमारी शिकायत है कि एस्टीमेट्स कुछ बनते हैं और खर्च कुछ होता है। हम देखते हैं कि कहीं ४० परसेंट का वेस्टेज हुआ, कहीं कितना वेस्टेज हुआ। वह वेस्टेज कहां गया ? वह गया उन कर्मचारियों के पेट में क्योंकि उन्हें भी तो अपना जीवन निर्वाह करना था और किसी न किसी तरीके से उस घाटे को जो समाज ने उसके ऊपर लादा था उसे पूरा करना था। हम समझते हैं कि थोड़ी तनख्वाह दे कर हमने काम करा लिया और वे समझते हैं कि हमने थोड़ा वेतन लेकर और सरकार में घुस कर अपने जीवन-यापन के दूसरे तरीके अख्तियार कर लिये। तो यह दूषित वातावरण हमारे प्रदेश में बना हुआ है और इसका कारण यही ह कि वेतन नियत करते समय हमने कोई मौलिक आधार नहीं बनाया। मेरा प्रस्ताव एक मौलिक आधार को मानने के सम्बन्ध में है और जो डिटेल्स की बातें हैं वह तो जो कमेटी वगैरह बैठेगी वह निर्णय लेगी। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि एक व्यक्ति का ४ या ५ मेम्बर्स का कुटुम्ब मान कर उनके लिये मोटे-झोटे अनाज के लिये, शाक सब्जी के लिये, उनके सिर छिपाने के लिये मकान, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा, उनकी बीमारी की चिकित्सा और ओल्ड एज का प्रबन्ध, इन सब बातों को सामने रख कर न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाय और उसको आधार मान कर उपरोक्त योग्यता के आधार पर किया जाय।

मेरे कुछ भाइयों ने मेरे प्रस्ताव में कुछ संशोधन पेश किये हैं। एक संशोधन में यह कहा गया है कि १०० रुपये कम से कम वेतन हो। मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं क्योंकि इससे कर्मचारी वर्ग को हानि पहुंच सकती है क्योंकि जब हम जीवन की आवश्यकताओं को मौलिक आधार मान कर न्यूनतम वेतन निर्धारित करेंगे तो सभंव हो सकता है कि वह उससे कुछ अधिक हो। और मैं अधिक से अधिक भी मानने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि जिन देशों ने साइन्टिफिक आधार पर मिनिमम वेजेज फिक्स किये हैं उन्होंने भी ऊपर की लिमिट निर्धारित नहीं की है। वह योग्यता के ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिये मेरा जो प्रस्ताव है यह सीधा और सच्चा है। अगर इस प्रस्ताव को यह सदन स्वीकार करता है और आशा है कि हमारे सभी भाई इसके पक्ष में हैं, कोई भी इसके विरुद्ध नहीं होगा, यह सिद्धान्त का प्रश्न हमारे सामने है और मैं आज तक इसको समझने में कासिर हूं कि ४०, ५० या ५०० पये वेतन क्यों हो। जब तक हम सैद्धान्तिक आधार नहीं मानेंगे तब तक हमारे कर्मचारियों में जो असन्तोष है वह दूर नहीं होगा। आज तो हमारे कर्मचारी लोग यह कहते हैं कि हम मनखा नहीं तनखा हैं। हमें अपने जीवन को बिताने के लिये तनख्वाह मिलती है। इसलिये हम मनखा कैसे हो सकते हैं और मनखा तभी हो सकते हैं जब कि आप हमको हमारी आवश्यकताओं से निश्चिन्त बना दें, हमारी सिक्यूरिटी आफ लाइफ बना दें, तभी आप हम से आशा कर सकते हैं कि हम मन से काम करें। हमारी आवश्यकतायें पूरी होंगी तो हम दृढ़ता के साथ काम करेंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक यह नहीं हो सकता है यानी हम मनखा नहीं हो सकते हैं।

मैंने आप से कहा कि हमारे हाथ कमजोर हैं, हमारा मन कमजोर है और हमारी बुद्धि कमजोर है क्योंकि हम सोचते हैं कि वेतन का जो आधार है वह ऐसा है जो उनके जीवन को सुचारु रूप में चलाने में सफल नहीं हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि यह लोग क्यों अनाचार करते हैं, क्यों भ्रष्टाचार करते हैं। मैं कहता हूं कि ये परिस्थिति के दास हैं, परिस्थितियां उनको

मजबूर करती हैं । हम सब जानते हैं कि सच बोलना चाहिये, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिये, छोटे से छोटा बच्चा भी कहता है कि चोरी नहीं करनी चाहिये, लेकिन ऐसा करने के लिये परिस्थितियां उनको बाध्य करती हैं । वह मजबूर होकर ऐसा करते हैं । जो लोग परिस्थितियों पर काबू पा लेते हैं वे बिरले होते हैं, वे महात्मा कहलाते हैं, अवतार के नाम से पुकारे जाते हैं । ऐसे आदमी संसार में बिरले ही होते हैं । सामान्य आदमी परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, परिस्थितियां अपना प्रभाव डालती हैं और उनके साथ चलती हैं, उनके साथ रहती हैं, ऐसा सारे संसार में हो रहा है । इसलिये यहां भी ऐसा हो रहा है ।

इसलिये मुझे इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना है कि इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक सोचें । यह हो सकता है कि शासक लोग यह कह सकते हैं कि इससे खर्च बढ़ जायगा । हो सकता है, बढ़े लेकिन उसके रोकने के लिये साधन हैं । हम बहुत से बड़े-बड़े अफसरों को, आई०सी०एस० अफसरों को स्पेशल पे देते हैं । अगर वे कहीं से लखनऊ में आकर काम करते हैं तो किसी को २५० रुपये किसी को १५० रुपये अलाउन्स देते हैं । लेकिन यदि छोटा कर्मचारी कहीं से तब्दीली होकर आये तो उसके लिये कोई स्पेशल अलाउन्स नहीं है । बड़े बड़े अधिकारियों के लिये जिनको काफी तनख्वाह मिलती है जो जीवन यापन से भी अधिक होती है, सारी सुविधायें देते हैं और उन्हीं के लिये मकान तक बनाते हैं । एक रोज मैं उनकी कोलोनी में चला गया । मैंने देखा कि एक आफिस बन रहा है । शायद उसको डायरेक्टोरेट कहा गया। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि इसमें ८०० छोटे मुलाजिम होंगे और १०-१५ इजीनियर होंगे । उनके लिये कोठियां बना रहे हैं और छोटे मुलाजिमों के लिये कुछ नहीं है । वे खुद अपने लिये मकान ढूंढ़ लेंगे । मैंने देखा है कि उनमें से कोई किसी एम० एल० ए० के कमरे में पड़ा हुआ है और कोई कहीं पड़ा हुआ है उनके बच्चे कहीं और हैं, यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अपनी जिन्दगी से बेजार हैं । उनको सांत्वना नहीं है, वे शांतचित्त नहीं हैं तो कैसे दत्तचित होकर सरकारी काम कर सकते हैं, कैसे पवित्र मन से काम कर सकते हैं, मेरी समझ से यह बाहर है ।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम समाज में अच्छी व्यवस्था लाना चाहते हैं, समाज को दृढ़ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे देश से अनाचार और भ्रष्टाचार दूर हो, हमारे देश के लोग सत्य बोलें तो हमारे लिये आवश्यक हो जाता है कि देश से बेकारी दूर करें और जिम्मेदारी लें कि हर शख्स को इतनी नौकरी देंगे जिससे वह जीवन यापन ठीक तरह से कर सके और उनको जीवन सामग्री मुहैया कराने में मदद देंगे । यह परम कर्त्तव्य हमारे समाज का है । रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो रूस यात्रा की थी उसको मुझे पढ़ने का मौका मिला और डीन आफ कन्टरबरी की भी पुस्तक को मुझे पढ़ने का मौका मिला है । दुनिया के मुल्कों ने अपने यहां वेतन का आधार मौलिक सिद्धान्तों को मानकर कायम किया है । टैगोर जी को, चाहे वे इसके पोलिटिकल सेट अप से सहमत न हों, लेकिन इतना मानने को तैयार होना पड़ा कि उन्होंने वह तरीका अख्तियार किया और वे मौलिक सिद्धान्त बनाये जिससे मानवता को जाग्रत किया । और मुझे आज सोवियट रूस में आकर मालूम हुआ कि मानवता क्या होती है । उन्होंने अपने समाज को रैशनल सिद्धान्तों के ऊपर निर्मित किया, हम उनके इकोनामिक सिद्धान्तों को मानने के लिये तैयार हैं, भले ही हम उनके पालिटिकल सिद्धान्तों के विरोधी रहें । वहां का एक जागरूक उदाहरण है कि कैसे मौलिकता के ऊपर जीवन को निर्धारित करके, सब के आराम की जिम्मेदारी लेकर, किस तरह से २५–३० वर्ष के अन्दर मावनता को जाग्रत किया और वह मानव पैदा किये जिन का उल्लेख रवीन्द्रनाथ टैगोर और डीन आफ कैन्टरबरी ने किया । इसलिये मेरा माननीय मंत्री महोदय से और माननीय मुख्य मंत्री से यही निवेदन है कि आप इस प्रश्न को रेशनल बेसिस पर सोचें और जो पुरानी लकीर हैं, जो पुराने वेतन क्रम हैं, अगर वह सोचें कि वही वेतन-क्रम चलाये जायं, तो वह आगे चलने वाले नहीं हैं । अगर ऐसा करेंगे तो आप समाज का उत्थान नहीं कर सकते । यह भ्रष्टाचार का विशस सर्किल कायम रहेगा । कोई भी समाज इस भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकता । जब तक इन मौलिक सिद्धान्तों को हम नहीं पकड़ेंगे तब तक यह आशा करना कि हमारे देश में सच्चाई हो, धर्म का प्रचार हो, नहीं हो सकता ।

[श्री केशव गुप्त]

धर्म की मोटी मोटी बातें सब जानते हैं। सभी जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, अनाचार करना पाप है। लेकिन कितने आदमी हैं जो कि यह जानते हुये भी कि सच बोलना ठीक है, सच बोलते हैं? हम परिस्थितियों का शिकार बन कर झूठ बोल देते हैं। कम से कम मैं तो दावा नहीं करता कि मैंने अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला। हम सब एक सामान्य व्यक्ति हैं और हम लोग परिस्थितियों के दास हो जाते हैं। वह महात्मा गांधी या रवीन्द्र बाबू जैसे महापुरुष ही कह सकते थे कि वह परिस्थितियों पर काबू पा लेते थे, जिन्होंने संसार को एक दूसरा रूप दिया है। यह वही लोग कर सकते थे। इसलिये मुझे यह कहना है कि मेरे इस मौलिक प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय। इसको कार्यान्वित करने के लिये हमारी सरकार एक एक्सपर्ट कमेटी बनाये जो उसके डिटेल्स को रा करे। जब यह हो जायगा तो हमारे कर्मचारियों को एक संतोष हो जायगा, हमारे कर्मचारी आये दिन वेतन की मांग नहीं करेंगे और हमारे समाज का उत्थान होगा, यह हमारा सदाचार की ओर एक कदम होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)——अध्यक्ष महोदय, जरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो गैरसरकारी प्रस्ताव आज उपस्थित किये जा रहें हैं, मेरा खयाल है कि इन प्रस्तावों के लिये इसके पहले समय निर्धारित हो चुका था पिछली बैठकों के लिए और उन दिनों में यह प्रस्ताव नहीं आये किन्हीं कारणों से तो उन प्रस्तावों को उन दिनों में न लेने के बाद क्या आज यह प्रस्ताव इस सदन मे विचारार्थ उपस्थित किये जा सकते हैं? अब सवाल यह है कि आज जो यह संकल्प उपस्थित किये गये हैं, इस सदन में उन पर विचार हो आज का कार्य-क्रम है, लेकिन भविष्य के लिए मैं इस बात पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि जिस दिन के लिये जो संकल्प शलाका द्वारा निर्धारित कर दिया गया हो उस दिन वह संकल्प अगर नहीं लिया गया, तो क्या दूसरे दिन वह संकल्प लिया जा सकता है?

श्री अध्यक्ष——एक सत्र में तो एक ही मर्त्तबा शलाका ली जायगी और निश्चित कर दिया जायगा कि किस क्रम से लिया जायगा। एक सत्र में अगर उस दिन न आये तो दूसरी शलाका हो, यह मतलब है आपका?

श्री कल्पनार्थसिंह——जी हां।

श्री अध्यक्ष——अच्छा, मैं इसको देखूंगा।

श्री संतसिंह युसुफ (जिला कानपुर)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव में निम्नलिखित तरमीम करना चाहता हूं ——

"तृतीय पंक्ति में शब्द 'मानकर' और 'निश्चित' के बीच में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय——

(१) "जैसा कि सोलहवीं लेबर कान्फ्रेंस ने निर्धारित किया है"

(२) संकल्प के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय——"जो एक हजार रुपये से अधिक न हो।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन का मतलब यह है कि मैं उसको, एक ऐक्सेप्टेड प्रिंसिपुल, जो मानी हुई बात है, उसके ऊपर रखना चाहता हूं। पन्द्रहवीं लेबर कान्फ्रेंस के अन्दर जिसमें सरकारी नुमाइन्दे, मजदूरों के नुमाइन्दे, मालिकान के नुमाइन्दे, सब मौजूद थे उसमें एक मत से युनानिमसली यह प्रस्ताव तय हुआ था जिसका कि साइंटिफिक बेसिस भी है। उस साइंटिफिक बेसिस मे, उसके कैलकुलेशन में इन तमाम चीजों को आधार मानकर उसे तय किया गया——

"In calculating the minimum wage the standard working class family should be taken to comprise three consumption units for one earner, the earning of women, children and adolescents being disregarded.

यानी तीन आदमी--एक आदमी, बीबी और बच्चा यह उसकी एक यूनिट मानी गई है।

"Minimum food requirements should be calculated on the basis of a net intake of calories as recommended by Dr. Aykroyd for an average Indian adult of moderate activity.

डाक्टर अक्रायड का एक फारमूला फूड के बारे में है कि इतनी एक आदमी की जरूरत है। उनके उस फारमूले को उसका बेसिस बनाया गया है।

"Clothing requirements should be estimated on the basis of a per capita consumption of 18 yards per annum, which would give for the average worker's family of four a total of 72 yards.

In respect of housing, the rent corresponding to the minimum area provided for under Government's Industrial Housing Scheme should be taken into consideration in fixing the minimum wages.

Fuel, lighting and other miscellaneous items of expenditure should constitute 20 per cent of the total minimum wage.

Wherever the minimum wage fixed was below the norms recommended above, it would be incumbent on the authorities concerned to justify the circumstances which prevented them from adherence to the aforesaid norms".

इसमें एक साइंटिफिक बेसिस रखी गयी है कि एक आदमी को इतना खाने के लिए चाहिये, इतना पहनने के लिये चाहिये और इतना उसकी दूसरी जरूरियात के लिए चाहिए जैसे मकान है या और दूसरे उसके एक्सपेंसेज हैं। इस फारमूले की बुनियाद पर १५ वीं लेबर कांन्फ्रेस ने एक राय से यह तय किया है और यह भी तय किया है कि यह प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनो पर लागू होगा।

मुझको अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रस्ताव के लाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि यह तो मानी जानी बात है। लेकिन मुझे दुख: से कहना पड़ता है कि एक राय से माने हुए प्रस्ताव पर भी सरकार अमल करने के लिए तैयार नहीं है। आज की हालत देखिये गैर सरकारी प्रस्ताव है, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कोई कंसर्न्ड मिनिस्टर यहां मौजूद नहीं है। गैरसरकारी प्रस्ताव को कितना कन्टेसचुअसली लिया जाता है, यह उसका एक नमूना है। न लेबर मिनिस्टर है और न कोई और दूसरे मिनिस्टर ही हैं।

ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेंस में यूनानिमसली यह डेसीजन लिया गया था और मैं समझता हूं कि आज की हालत में अगर हमको फाइव ईयर प्लान को कामयाब बनाना है तो उसके लिए यह जरूरी है कि यह जो डैसीशंन हैं इनके ऊपर हम चलें। यह मैं क्यों कहता हूं? आज की हालत आप देखिये क्या है। आज हालत यह है कि जो सरकारी कर्मचारियों के आर्गनाइजेशन हैं, जितनी उनकी संस्थायें हैं उन तमाम संस्थाओं की तरफ से गवर्नमेंट के पास इस तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं कि एक वेज बोर्ड मुकर्रर होना चाहिये। आज इसकी मांग चारों तरफ से उठ रही है, यह मांग उठेगी। इस मांग को इस तरीके से हल नहीं किया जा सकता। मैंने कल एक रिपोर्ट में देखा कि तकरीबन ६,१० आदमियों को, जो सरकारी डिपार्टमेंन्ट में काम करते थे, उनको निकाल दिया गया है। वे शायद लेबर, इंडस्ट्रीज तथा दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे उनको निकाल दिया गया है। वह तनख्वाह मांगते हैं अपना पेट भरने के लिये खाना मांगते हैं। लेकिन सरकार उनके लिये रोटी देने को तैयार नहीं है। आज महंगाई की हालत यह हो गई है कि मंहगाई ५०५ प्वाइन्ट हो गई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह एक रुपये की कीमत ४ आना हो गई है। जब एक आदमी २५ रुपये में अपनी गुजर करता था, आज उसको अपनी गुजर करने के लिये कम से कम १०० रुपये उसी हालत में रहने-सहने के लिये चाहिये लेकिन उसमें उतनी तरक्की नहीं की गई है जब कि चार गुना चीजों के दाम बढ़ गये हैं। सरकार की हालत यह है कि अगर कोई २५, ३० रुपये तनख्वाह पाता है तो उसको ५

[श्री संतसिंह यूसुफ]

पये वह तरक्की दे देती है । इतनी तरक्की देकर सरकार यह समझती है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया । इस पर भी किसी डिपार्टमेन्ट को दी और किसी को नहीं दी । ३, ४ दिन पहले के अखबार का जिक्र है कि रोडवेज के कर्मचारियों ने चिल्लाना शुरू किया कि हमको वह तरक्की नहीं मिली है । बहुत से दूसरे डिपार्टमेन्ट ने भी इस तरह की आवाज बुलन्द की है । इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक बुनियादी तरीके से इसको निर्धारित नहीं किया जायेगा, साइन्टीफिक तरीके से इसको निर्धारित नहीं किया जायगा तब तक यह मामला इसी तरीके से चलेगा क्योंकि आज जिस तरह से तमाम डिपार्टमेन्ट की तरफ से, तमाम जगहों की तरफ से इस तरह की मांग उठ रही है कि उनके लिये वेज बोर्ड मुकर्रर होना चाहिये ।

यह जो पिछली कमेटी बैठी थी उसने भी यह तय किया था कि वेजेज मुकर्रर करने के लिये एक बुनियाद होनी चाहिये । आपको याद होगा कि इस सवाल के ऊपर सरकारी कर्मचारियों की तरफ से एक बार झगड़ा उठ चुका है । उस झगड़े की बुनियाद यही थी कि चूंकि मंहगाई बढ़ रही है तो उस मंहगाई के मुताबिक उनको कम्पेन्सेशन नहीं मिलता है । उनकी तनख्वाहें मंहगाई के मुताबिक नहीं मिलती है । सरकारी कर्मचारियों की यह मांग थी कि जिस तरीके से स्लाइडिंग स्केल के मुताबिक महंगाई बढ़े तो उसी स्केल के अनुसार उनको तनख्वाह भी मिलनी चाहिये । एक बार यह हो चुका है और इस पर काफी झगड़ा चला । इसलिये मेरी प्रार्थना यह है कि यह प्रस्ताव बिलकुल सही है । रहने सहने के लिये एक बुनियाद मुकर्रर होनी चाहिये, एक सैद्धांतिक बुनियाद मुकर्रर होनी चाहिये, जिससे एक आदमी अपनी जरूरियात को पूरा कर सके । एक आदमी, जो ८ घंटे काम करता है और उस ८ घंटे में जो उसकी इनरजी खर्च होती है उस इनरजी को पूरा करने के लिये जितनी इनर्जी की जरूरत दूसरे दिन के लिये हो ताकि वह अगले दिन जाकर काम कर सके उतना वेज उसको मिलना चाहिये । यह एक फारमूला तय हुआ था और इसको ही १५ वीं लेबर कमेटी ने यूनानिमसली तय किया था कि इसको ही बुनियाद माना जाय । पहले दिन जो एक आदमी की इनरजी खर्च हुई उस इनर्जी को पूरा करके वह अगले दिन काम कर सके और अगले दिन के लिये उसमें उतनी इनर्जी आ जाय तो उसको पूरा करने के लिये उसको वेज मिलना चाहिये । इतनी मजदूरी एक इंसान के लिये जरूरी है । इसलिये मैंने अपने दोस्त के इस प्रस्ताव को सपोर्ट किया है और उसमें अपना एक संशोधन रखा है । यह मानी हुई बात है और जितनी यहां पर संस्थायें हैं गवर्नमेंट, लेबर और इम्पलायर उन सब की तरफ से यह तय हो चुका है लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि जहां इन मामलों में सरकार को पहल कदमी करनी चाहिये, उसे खुद रास्ता दिखाना चाहिये, वहां बात उसकी उल्टी हो रही है ।

आज हालत यह है कि पी०डब्ल्यू० डी० में सरकारी कर्मचारियों को ४०,३० और २५ रुपये तक तनख्वाह मिलती है । इसी तरह से और विभाग भी हैं जहां ३०, ४० और ५० रुपया तनख्वाह मिलती है और आज जिन्दा रहने के लिये उस प्रस्ताव के अनुसार कम से कम १२५ रुपया मासिक कैल्कुलेट किया गया है । सरकार को चाहिये कि वह खुद शुरुआत करके एक आदर्श पेश करे प्राइवेट इम्प्लायर के सामने, लेकिन वह नहीं हो रहा है । बम्बई में ११२ रुपये देता है प्राइवेट इम्प्लायर, ८० रुपया महंगाई और ३० रुपया मिनिमम वेज लेकिन सरकार ३०,२५ रुपया मंहगाई और ४०, ५० रुपया तनख्वाह देती है और इससे नीचे के इम्प्लायर परेशान हैं । मुझे वह शब्द तो याद नहीं हैं जो चीफ मिनिस्टर साहब ने इस्तेमाल किये थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि वे उनकी मांगों को मंजूर नहीं करेंगे । ट्रेड यूनियन बनाने का हमारा अधिकार है कांस्टीट्यूशन के हिसाब से, लेकिन उसकी बात वह सुनते नहीं । दिल्ली की सरकार तो उन ट्रेड यूनियन्स को रिकगनाइज करती है, लेकिन हमारे प्रांत में यह कुछ नहीं होता । हमारे प्रांत में उनको दबाया जाता है, कुचला जाता है, और जैसा

मैंने कहा, ९ कार्यकर्त्ता इसलिये निकाल दिये गये कि वह तनख्वाहों के लिये आवाज उठाते थे। तो इसलिये आपके जरिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इन सवालात पर गौर करे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी योजनायें सफलता से चलें तो सरकार के लिये जरूरी है कि सरकार के चौथे ग्रेड के कर्मचारी संतुष्ट हों और वे विलिंगली कोआपरेशन दें।

दूसरा सजेशन मेरा यह है कि तनख्वाहों की सीलिंग ज्यादा से ज्यादा १,००० की मुकर्रर कर दी जाय। कम से कम तनख्वाह १२५ रुपये हो और ज्यादा से ज्यादा १,०००। जब हम एक समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं तो हमारी यह जिम्मेदारी होनी चाहिये कि हम नीचे वालों को ऊपर उठायें और ऊपर वालों को नीचे लायें ताकि यह बीच का गैप कम हो जो आज २० रुपये और १०,००० का है। चूंकि हमें समाजवाद की तरफ जाना है इसलिये जरूरी है कि हम सीलिंग १,००० की कर दें।

गांधी जी ने ५ सौ के लिये कहा था कि स्वराज्य में ५ सौ के ऊपर किसी की तनख्वाह नहीं होनी चाहिये। मैं कहता हूं कि अब महंगाई के हिसाब से १ हजार ले लो। यदि १ हजार आप लेते हैं तो उन गरीब फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की भी दुगनी तनख्वाह कर दीजिये लेकिन ५–४ वाला मामला उनके लिये होता है। इसलिये मैं आपका ज्यादा समय न लेकर इतना ही सरकार से कहूंगा कि अगर सरकार को यह ५ साला योजना कामयाबी से चलानी है तो सरकार को चाहिये कि वह अपने कर्मचारियों को संतुष्ट रखे। वह तो रेत के टीले पर खड़ी है। आज होता यह है कि सरकारी विभाग से फलानी फाइल आउट हो गई, फलानी फाइल चली गई, फलाना सीक्रेट आउट हो गया है। तो यही कारण है। इन घटनाओं के होने का कारण यही है कि सरकारी कर्मचारी असंतुष्ट हैं और उनकी तनख्वाहें कम हैं।

मेरा एक प्रोपोजल है कि सरकार को एक कमेटी या एक कमीशन बनाना चाहिये। यह ३ महीने के अन्दर अन्दर फोर्थ ग्रेड इम्प्लाइज की कंडीशन्स की जांच करे और अपने दिमाग में १५वीं लेबर कांफ्रेंस के फैसले को रखे। उसी को निगाह में रखते हुये उसको सुधार करने की कोशिश करनी चाहिये। इतनी बात मैं कह कर के आपकी इजाजत से बात खत्म करता हूं।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)––अध्यक्ष महोदय, माननीय केशव गुप्त जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है मैं उसमें अपना संशोधन निम्न प्रकार से रखता हूं।

तृतीय पंक्ति में "आधार मान कर" और "निश्चित करें" शब्दों के बीच "कम से कम १०० रुपया" जोड़ दिया जाय और इस पंक्ति में "वेतनक्रम" के बाद "योग्यता के अनुपात पर आधारित किया जाय" के स्थान पर "अधिक से अधिक १,००० रुपया मासिक निश्चित किया जाय" रखा जाय।

श्री अध्यक्ष––आपका और माननीय यूसुफ जी का उत्तरार्द्ध तो एक ही है ?

श्री कमलासिंह यादव––जी नहीं, सौ रुपया इसमें है। उसके स्थान पर.....

श्री अध्यक्ष––लेकिन यूसुफ जी ने भी १ हजार की लिमिट रखी है और आपने भी।

श्री कमलासिंह यादव––इस संशोधन के बाद यह प्रस्ताव निम्न प्रकार से होगा––

"उत्तर प्रदेश की यह विधान सभा सरकार से यह सिफारिश करती है कि वह अपने निम्नतम श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं को आधार मान कर कम से कम १०० रुपया निश्चित करे और उससे ऊपर का वेतन-क्रम अधिक से अधिक १,००० मासिक निश्चित किया जाय।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—क्या माननीय संत सिंह यूसुफ, जो कमलासिंह जी संशोधन रख रहे हैं, उसको स्वीकार करेंगे ? यह तो एक ही संशोधन है, उनका कहना है कि कम से कम १०० और अधिक से अधिक १,०००।

श्री संतसिंह यूसुफ—वह एक राय से यूनानीमस फैसला है। उसके हिसाब से १२५ रुपये पड़ता है।

श्री कमलासिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, जो एमेंडमेंट मैंने इस सदन के सामने रखा है १०० रुपये और १,००० रुपये का उससे मेरा मतलब यह होगा कि बेसिक पे कम से कम १०० रुपये हर मुलाजिम की होनी चाहिये और अधिक से अधिक १ हजार होनी चाहिये। क्योंकि यह बराबर देखा जाता है कि बोनस वगैरह या डीयरनेस एलाउन्स बराबर घटते-बढ़ते रहते हैं। ये तभी तक हैं जब तक मंहगाई है, यदि मंहगाई समाप्त हो गई तो यह भी समाप्त हो जायेंगी, उसी के साथ। हमेशा सरकमस्टांसेज के साथ-साथ और जैसी समस्यायें जब देश के सामने आती हैं तब तब वैसी-वैसी चीजें होती हैं।

(इस समय १ बज कर ११ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये।)

श्री कमलासिंह यादव—जब हम अपने प्रदेश के कर्मचारियों की हालत देखते हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि सरकार ने किस तरह का वेतन-क्रम निर्धारित किया है। सरकार ने जितनी भी कमेटियां वेतन आदि निर्धारित करने के लिये बनायीं उनके सामने यही सर्कम्सटांसेज थे और उन्हीं के आधार पर उन्होंने अपनी सिफारिशें की हैं। आज हमारे प्रदेश के अन्दर यह देखा जाता है कि एक तरफ तो छोटे कर्मचारियों को २० रुपये, २५ रुपये, ३० रुपये और ४० रुपये मिलते हैं, उसके पास रहने के लिये मकान नहीं है, गंदी बस्तियों में वह रह रहा है, दिन भर अधिकारियों के बंगले में रहता है, रात को जब जाता है तो रोटी मिल गयी तो ठीक है, वरना वह कुछ सूखे चने आदि खा कर ही रह जाता है। उनके लिये मकानों की ही समस्या नहीं, बल्कि उनके बच्चों के लिये शिक्षा का भी प्रबन्ध नहीं है, जो रुपया वे पाते हैं उसमें वे उनकी शिक्षा, दवादारू, तथा कपड़े आदि का भी इंतजाम नहीं कर पाते। एक बात यह भी देखने की है कि निम्नवर्ग के कर्मचारी के लिये खाने के लिये तीन पाव अन्न चाहिये। इस तरह से अगर हिसाब लगायें तो कम से कम ३० पये महीना तो उसका भोजन पर ही खर्च पड़ता है। अब किस तरह से वह अपनी अन्य जरूरतों को पूरा करे ? जितने भी लोअर ग्रेड के कर्मचारी हैं उनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, उनके सामने दवादारू का भी सवाल है, शिक्षा का भी सवाल है।

लेकिन दूसरी ओर अगर आप उच्च कर्मचारियों की ओर निगाह डालें तो आपको मालूम होगा कि उनके पास ऊंची ऊंची अटटालिकायें हैं। ऐशोआराम की भी सभी चीजें उनके घरों में मौजूद हैं। आज ऊंचे कर्मचारियों के सामने जब कि यह सवाल रहता है कि किस तरह से वे ज्यादा ऐशोआराम से रहें, दूसरी ओर आप देखें कि एक आदमी वह है जिसके लिये खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, दवा आदि के लिये नहीं है, बच्चों की शिक्षा के लिये नहीं है। तो आज एक बहुत बड़ी खाई हमारे यहां पायी जाती है जिसको पाटने के लिये कोई न कोई रास्ता हमें निकालना चाहिये। हमें इस तरह की आर्थिक विषमता को दूर करने के लिये कोई न कोई उपाय निकालना चाहिये।

जब हम अपने प्रदेश के नौजवानों को देखते हैं तो यह देख कर भी हमें बड़ा अफसोस होता है कि उनके सामने कोई काम नहीं है, उनके लिये कोई रोजगार नहीं है। जिनकी पहुंच है वे तो बेचारे मिनिस्टरों के यहां पहुंच जाते हैं और उनको कुछ काम मिल जाता है, मगर जिनकी कहीं कोई पहुंच नहीं होती है, उनको कोई काम नहीं मिल पाता। उनकी रोटी रोजी का सवाल हल नहीं हो पाता। तो देखना यह है कि बेरोजगारी के सवाल

को कैसे हल किया जाय। जिस वक्त हमारी निगाह और देशों की तरफ जाती है तो हम देखते हैं कि हमें अपने विद्यार्थियों को बाहर पढ़ने के लिये भेजने पर उनके किराये आदि पर तो खर्च करना पड़ता है लेकिन जब वे वहां पहुंच जाते हैं तो वहां पहुंच कर कुछ काम भी करने लगते हैं जिससे कि वहां का सारा खर्चा वे निकाल लेते हैं। किन्तु हम जब अपने यहां देखते हैं तो हमें उनके लिये कोई काम नजर नहीं आता है। उनके पास हर तरह की योग्यता है, मगर कोई काम नहीं है। जब इस तरह की चीजें सामने हैं तो सवाल उठता है कि हमें क्या करना चाहिये। किस तरह से इस विषम परिस्थिति का सामना करना चाहिये। माननीय केशव गुप्त जी ने यह प्रस्ताव रखा है कि हम उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं को आधार मानकर उसका वेतन निश्चित करें। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिये कि आखिर जीवन यापन के लिये जरूरी क्या है। जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में बतलाया कि १३५ रुपया कम से कम चाहिये तो मैं समझता हूं कि छोटे से छोटे कर्मचारी की बेसिक तनख्वाह १०० रुपया रख दें, उसमें अलाउन्स भी मिल जाता है तो उससे गुजर हो सकती है। जो उच्च अधिकारी है उसके लिये १००० रुपये ऐसी रकम है जिससे उसकी गुजर हो सकती है। जो बचत इससे होगी उसमें हम बहुत से नौजवानों को एम्प्लायमेंट दे सकते हैं और बहुत सी फैक्टरी वगैरह खोल सकते हैं।

आज भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ा हुआ है। कचहरियों में और सरकारी दफ्तरों में हर कोई जानता है कि घूस लेना और देना दोनों पाप हैं और कानून में दोनों को सजायें भी मिलती हैं, तो जब आदमी यह जानता है तो यह सोचने की बात है कि वह ऐसा करता क्यों है, आज कचहरियों में पेशकार घूस लेता है और मैजिस्ट्रेट बगल में चुप-चाप बैठा रहता है। इस समस्या का हल भी हमें ढूंढना है। आज ऊंचे या नीचे कर्मचारी के सामने रोटी-कपड़े का, बच्चों की शिक्षा का, दवा-दारू का सवाल है। वह चाहता है कि उसकी लाइफ अच्छी तरह से व्यतीत हो। हमें देखना पड़ेगा कि क्या वजह है कि वह घूस की तरफ जा रहा है। हिन्दुस्तान में एक आदमी कमाता है और ४ आदमी उसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। कल कोई बीमार पड़ जाय या मर जाय तो उसके बाद कैसे उसके बच्चे की परवरिश होगी, उनकी शिक्षा की, दवा-दारू की क्या व्यवस्था होगी, यह बड़ा अहम सवाल है। सरकार जब तक घोषणा न करे कि किसी के न रहने पर उसके बच्चों की परवरिश का, शिक्षा का इन्तजाम रहेगा, जब तक यह एश्योरेंस न मिल जाय तो कोई निश्चित नहीं कर सकता कि क्या भविष्य होगा और तब तक घूसखोरी बन्द नहीं हो सकती।

जहां तक मोरेल का सवाल है, वह भी नीचे गिरा है। एक किस्सा है कि फ्रांस देश ने ब्रिटेन पर चढ़ाई की तो फ्रांस के एक सोल्जर ने एक बक्स जेवरात का फ्रांस में अपनी मां के पास भेजा। मां ने सोचा कि वह इतना कम पाता है, जरूर उसने घूस ली होगी, तो उसने उस बक्से को सरकार के पास भेज दिया और कहा कि यह सिपाही होने लायक नहीं है, इसको बरखास्त कर दिया जाय। यह विदेशों का मोरेल है जिसको मानकर मां ने अपने बेटे को बरखास्त करा दिया। लेकिन यहां अगर लड़का लाखों रुपया घर भेजे तो हम खुश होते हैं, विवाह-शादी इसी पर निर्भर करता है। इसलिए सरकार को अवश्य घोषणा करनी चाहिए। उनकी शिक्षा-दीक्षा का क्या इन्तजाम होगा, इस तरह की चीजें अगर निश्चित नहीं हुई तो भ्रष्टाचार को बन्द नहीं किया जा सकता।

माननीय गुप्त जी ने यह रखा है कि योग्यतानुसार कर्मचारियों का वेतन निश्चित किया जाय। मैं नहीं समझता कि यह योग्यता क्या होगी या उसका क्या आधार होगा जिस पर वेतन निश्चित किया जायगा। जहां तक एक्सपीरिएन्स का सवाल है, बहुत से अफसरान ऐसे हैं जो पुराने तजुरबेकार हैं और नये अफसरों से अच्छे होते हैं। साथ ही बाहर से जो डिग्रियां लेकर आते हैं वह भी कोई कोई बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर योग्यता को ही आधार माना जाय तो वह भी ठीक नहीं रहेगा। मैं समझता हूं कि चाहे नीचा या ऊंचा कर्मचारी हो उसके स्टैंडर्ड आफ लिविंग के लिये देखा जाय कि कितने रुपयों की जरूरत है

[श्री कमलासिंह यादव]

और उसी के आधार पर उसका वेतन निश्चित किया जाय तो बहुत ही सुन्दर होगा। इससे गवर्नमेंट की सेविंग भी ज्यादा हो सकेगी और बहुत लोगों को आप काम भी दिला सकेंगे।

पी० डब्ल्यू० डी० में जो लेबर काम करता है पूर्वी और पश्चिमी जिलों में, मैं देखता हूं कि सड़कों पर पश्चिमी जिलों के लेबर को ४५–५० रुपया दिया जाता है जबकि पूरब के लेबर को २५–३० रुपये ही दिये जाते हैं। मैं नहीं समझता कि उनके स्टैंडर्ड आफ लिविंग में क्या फर्क है। मैं सरकार से कहूंगा कि पूरब और पश्चिम के लेबर में जो यह फर्क रखा गया है उस पर सरकार विचार करे और यदि वह प्रदेश में आर्थिक विषमता को मिटाना चाहती है तो एक ही रेट रखे। यह ३०–३५ या ४५ रुपये जो रखे गये हैं यह एक आदमी के खाने के लिये हैं और यदि एक लेबर शहर के करीब या बाजार में रह गया तो इतने रुपयों में भी उसकी गुजर नहीं हो सकेगी। मैं समझता हूं कि कम से कम १०० रुपया रखा जाय तो बहुत ही सुन्दर होगा।

रिजवी साहब ने यह संशोधन रखा है "जैसा कि १६ वीं लेबर कांफ्रेंस ने निर्धारित किया है।" मेरी अर्ज यह है कि तीन साल हुये जब लेबर कांफ्रेंस हुई थी, आज देखा जाय तो समस्यायें बदल चुकी हैं। बारबार बाढ़ और सूखे के कारण महंगाई बढ़ती जा रही है। यदि आज हम पिछले तीन साल के हालात की बिना पर सोचें तो वह अनुचित होगा। मैं समझता हूं कि मैंने संशोधन के रूप में जो प्रस्ताव रखा है उसको यदि सदन स्वीकार कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे सरकार की सेविंग भी होगी, ज्यादा लोगों को इम्पलायमेंट दिया जा सकेगा और भ्रष्टाचार के जो कारण हैं उनको मिटाया जा सकेगा और प्रदेश का भी लाभ होगा।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)––आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपकी आज्ञा से . . . .

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)––श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। अभी तक यह परम्परा रही है कि जो माननीय सदस्य सदन के समक्ष संशोधन प्रस्तुत करें उन्हें ही बोलने की इजाजत दिया करते थे। अभी सभी माननीय सदस्य बोलने के लिये बाकी हैं और उनके बोलने के पहले ही आपने संशोधनकर्त्ता को बुला लिया, तो इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष––दो संशोधन हैं और दोनों प्रस्तुत हो चुके; दोनों मूवर बोल चुके हैं। अब बहस जारी है। बहस में चूंकि इस तरफ के ज्यादा लोग बोल चुके हैं इसलिये मैंने उनको बुला लिया।

श्री उग्रसेन––जो संशोधन थे उनके समर्थन करने वालों को आपने नहीं बुलाया।

श्री उपाध्यक्ष––उनको मौका मिलेगा, लेकिन इस वक्त के लिये तो कोई कायदा है नहीं।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल––श्रीमन्, सबसे पहले मैं आपकी आज्ञा से माननीय केशव गुप्त जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने सदन का ध्यान एक ऐसे विषय की ओर आकृष्ट किया है जो एक तरह से हमारे जीवन के बुनियादी मसलों से संबंध रखता है। मान्यवर, शुरू में ही मैं यह कह देना चाहता हूं कि मैं माननीय केशव गुप्त के रेजोल्यूशन को पूर्णतया सपोर्ट करने में समर्थ नहीं हूं क्योंकि कहीं तो वह अपूर्ण सा है और कई जगह उसकी भाषा पर भी मुझे आपत्ति है, साथ ही साथ कुछ उसके दायरे पर भी आपत्ति है। अगर मैं समय रहते अपना संशोधन रख सकता तो मैं दायरे को भी बढ़ाना चाहता और कदाचित भाषा में भी कुछ अन्तर करता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहली बात तो यह है कि सदन किसी संकल्प के जरिये सरकार से सिफारिश करे, यह मेरे कानों को बहुत अच्छा नहीं लगा। सदन तो सर्वोपरि है और सदन निश्चय ही कर सकता है जो सरकार को मान्य होता है। यह तो रही भाषा की बात।

जहां तक प्रश्नों का सम्बन्ध है जिसकी ओर माननीय केशव गुप्त जी ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, वह वास्तव में बहुत ही महत्व का है। जो इधर के बैठने वाले हैं और उधर के बैठने वाले हैं, उनमें बहुत से समाजवाद की दुहाई देते हैं। हमारे इस सदन में भी समाजवाद के बड़े बड़े पंडित हैं जिनके द्वारा समय समय पर समाजवाद की व्याख्या होती है। न मैं समाजवाद का पंडित हूं और न इस बात का दावा ही करता हूं कि उसका अ, ब, स, भी जानता हूं लेकिन यह बात मैं जरूर समझता हूं कि कोई व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था नहीं कहलायी जा सकती है जिसमें जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति सरकारी कर्मचारियों की क्या किसी भी वर्ग की होने से बाकी रह जाय। हमारे देश व प्रदेश की कोई भी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था तभी कहलायी जा सकती है जब कम से कम हम अपने देश के हर वर्ग की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर ही सकें।

आज हम तीसरी पंचवर्षीय योजना से गुजर रहें हैं लेकिन मेरा ऐसा मत है कि कोई भी पंचवर्षीय योजना जो भी हमारे इस लक्ष्य की पूर्ति करने में न समर्थ हो, वह बेकार सी है क्योंकि वह जनता में जोश व उत्साह नहीं पैदा कर सकती और कदाचित् मैं तो ऐसा समझता हूं कि हमारे पिछले दोनों प्लानों के प्रति उतना उत्साह नहीं पैदा हुआ जितना कि होना चाहिये था तो उसका कारण यही है कि हम दो पंचवर्षीय योजनाओं को पूर्ण करने पर भी अपने देश के हर वर्ग के प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहें और आज इस सदन में ऐसा प्रस्ताव ले आने की आवश्यकता प्रतीत हुई जिसमें हम समाज के केवल एक अंग यानी सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन के निर्धारण के लिये विचार-विनिमय करें जिससे उनकी प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो सके। जैसा कि मैंने निवेदन किया--हमारा लक्ष्य यह होना चाहिये और हम तभी सफल माने जा सकते हैं जब सरकारी कर्मचारियों की ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग की प्राथमिक आवश्कताओं की पूर्ति करने में हम सफल हो सकें।

मान्यवर, मैं माननीय केशव गुप्त जी की इस बात से सहमत हूं कि ऐसा समय आ चुका जब हमें इस दिशा में कदम उठाना चाहिये और अगर समय रहते हुए हमने कदम नहीं उठाया तो हमारे देश में अवश्य ऐसी परिस्थिति आ सकती है जिसमें शान्ति और सुख की स्थापना जो हम चाहते हैं उसमें विघ्न पड़े और ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाय कि हम बाध्य हो जायं उस मार्ग पर चलने के लिये। आखिर कब तक इन विभिन्न वर्गों को, चाहें वे सरकारी छोटे कर्मचारी हों या उन के ऊपर के लोग हों उन को कब तक प्राथमिक आवश्यकताओं से वंचित रखा जा सकता है? मैं समझता हूं कि जो मांग इस प्रस्ताव के पहले भाग में है वह तो सब से न्यूनतम मांग है, इससे कम और हो ही क्या सकती है? जो समाज अपने कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहे वह समाज यह नहीं कह सकता कि हम समाजवादी व्यवस्था चला रहे हैं और न वह व्यवस्था ही समाजवादी व्यवस्था हो सकती है। इस प्रस्ताव में एक प्रत्यक्ष दोष यह है कि कहीं इस में इस बात की तरफ संकेत नहीं है कि हमारा सब से ज्यादा वेतन क्या हो। इस तरफ कोई प्रकाश इसमें नहीं डाला गया है और न इस की ओर ही कोई संकेत है कि हमारा अधिक से अधिक वेतन क्या हो। मैं समझता हूं कि जब तक हम अपने वेतनों की सीलिंग मुकर्रर नहीं करते तब तक हम अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकते।

आज इस सदन में मुझे भी ७-८ साल हो गये, हर साल हमारे कितने ही माननीय सदस्य प्रार्थनायें करते रहे, अपीलें करते रहे कि हमारे उच्चतम कर्मचारी कुछ वालंटरी कट करायें लेकिन वह सारी प्रार्थनायें और अपीलें एक डेफ ईयर पर ही जैसे पड़ी हैं और कोई रेस्पांस उन का नहीं हुआ है। यह स्वाभाविक भी है, स्वेच्छा से कोई भी मनुष्य उन उपभोगों को त्यागना नहीं चाहता जिनका वह आदी हो जाता है या जो उसे उपलब्ध होती हैं। आज यदि कोई समुचित

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

व्यवस्था इस सम्बन्ध में करना है तो न्यूनतम मापदंड के साथ ही हमें अधिकतम सीमा भी निर्धारित करनी होगी, चाहे उस में कितनी ही कानूनी कठिनाई क्यों न हो। इस तरफ में हमें कदम आगे बढ़ाना होगा, अगर ऐसा न करेंगे तो हम किस तरह से छोटे दर्जे के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, ऊंचे कंगूरे गिराये जायं तभी नीचे के गड्ढे पाटे जा सकते हैं। आज दोनों ओर की ऊपर की और नीचे की सीमा निर्धारित करने का समय आ गया है। मैं तो यह कहूंगा, जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा कि सारी दिशाओं में किया गया हमारा कार्यकलाप और जो दिन रात हम उसका गायन किया करते हैं वह सब निरर्थक हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता यदि हम इस दिशा में अपने प्रदेश में आगे न बढ़ सके। आज समय आ गया है कि अपने यहां कोई ऐसा कमीशन मुकर्रर हो, रोज-रोज नई कमेटियां और कमीशन बनते हैं, लेकिन आज का सब से आवश्यक कार्य यह भी है कि हम इस बात की जांच करायें कि हमारे देश के रहने वालों की कम से कम प्राथमिक आवश्यकतायें क्या हैं। मैं तो इस प्रस्ताव का दायरा इतना और बढ़ाना चाहूंगा कि केवल हमारे सरकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि हमारे समाज के दूसरे वर्गों के विषय में भी वह कमेटी जांच करे कि हम आज उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कहां तक सफल हैं।

सरकारी कर्मचारियों का जहां तक सम्बन्ध है, उन के सम्बन्ध में तो आसानी से जांच हो सकती है, हमें जानना होगा कि उन का कम से कम कितना निम्नतम वेतन होना चाहिये और उनकी आवश्यकतायें क्या हैं, उनके बार में यह तो हम जानते ही हैं कि वह क्या पा रहे हैं। हमें कोशिश करना चाहिये कि उन को जो आवश्यकता है और जो उन्हें आज मिल रहा है, उसके अन्तर को, उस खाई को हम कम करें और पाट सकें। यह ठीक है कि यह बड़ा काम है, इस में कठिनाई है लेकिन बड़े काम भी किन्हीं लोगों को करने होते हैं। जब तक कठिनाइयों का मुकाबिला कर के जनता का विश्वास प्राप्त न करें और उस की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सकें तब तक हम इतिहास के निर्माता नहीं कहला सकते। हवा के साथ एक बहते हुये दरिया के साथ बहते रहना कोई बड़ी वीरता नहीं है बल्कि बड़े से बड़े वेग का सामना करके उस पर विजय प्राप्त कर सकें तभी हम इतिहास में कोई स्थान पा सकेंगे। इसलिये मैं समझता हूं हमारे प्रदेश से दूसरे प्रदेशों ने इस दिशा में जितनी भी प्रगति की हो, लेकिन हमारा प्रदेश जो स्वतंत्रता-संग्राम में सबसे आगे रहा है वह यदि इस प्रकार की व्यवस्था अपने यहां कर सके कि हमारे कर्मचारी यह सोचें, उनमें यह संतोष हो जाय कि उन्हें इतनी तनख्वाह अवश्य मिल रही है जितनी उनकी आवश्यकता है तो बहुत बड़ा कार्य हम कर सकेंगे।

कई सदस्यों ने संकेत में भ्रष्टाचार के बारे में कहा तथा अन्य दूसरी बुराइयों के बारे में कहा। ठीक है, भूखा आदमी सारे पाप कर सकता है। आदमी पेट के खातिर बड़ी से बड़ी बेईमानी करता है, विवशता आदमी को पाप करने के लिये विवश कर देती है। कोई आदमी इच्छा से बुरा काम नहीं करना चाहता लेकिन उसकी मजबूरी, आवश्यकतायें उसको बुरा से बुरा काम करने के लिये विवश करती हैं। चोरी भी आदमी करता है उसके हृदय में कभी-कभी यह ख्याल आता है कि वह बुरा काम कर रहा है लेकिन ऐसी परिस्थितियां उसके सामने आती हैं वह बुरे काम को करता है। समाज भी कुछ हद तक जिम्मेदार है इस बढ़ती हुई चोरियां और डकैतियों का। तो अगर हम समाज में ऐसी व्यवस्था न पैदा कर सकें जिससे इन प्रवृत्तियों का उन्मूलन हो सके तो फिर हम कैसे अपनी जिम्मेदारी से उऋण हो सकेंगे? मेरा ऐसा विचार विभिन्न विभागों में कम से कम निम्न स्तर पर जो भ्रष्टाचार आज आकर रुक गया है और इस भयंकर रूप में रुक गया है कि छोटे से ले कर बड़ा पदाधिकारी मान लेता है कि भ्रष्टाचार को हम दूर कर ही नहीं सकते उसका कारण यह है कि आज जो अधिकारी वर्ग है कर्मचारीगण हैं उनको पेट भर रोटी खाने का साधन उपलब्ध नहीं कर सके। एक आदमी मिनिस्टर हो, डिप्टी मिनिस्टर हो और एक चपरासी हो, सब के पेट है, सब के बच्चे हैं और उनके बच्चों को कम से कम भूख मिटाने का अधिकार तो सब को ही है। यह हो सकता है कि एक मिनिस्टर के लड़के को पढ़ाई

के लिये ज्यादा सुविधा मिले. हो सकता है वह ऊंचे पद के लिये जाय, लेकिन एक चपरासी के लड़के का पेट तो भरना ही चाहिये। आज हम यह संकल्प कर सकते हैं कि हम अविलम्ब एसा कमीशन बठायें जो इस समस्या पर पूरी तरह विचार करे और ऐसे निष्कर्ष पर आवें जिससे अपने प्रदेश में कह सकें कि हमने हर वर्ग के लिय, कम से कम निम्नतम वर्ग के लिये उनकी कम से कम आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रबंध कर दिया। इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव माननीय केशव गुप्त जी ने रखा है उसके सिद्धांत का समर्थन करता हूं।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय केशव गुप्त जी ने रखा है वह वास्तव में एक मौलिक प्रश्न को लेकर खड़ा हुआ है। मैं उस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं, परन्तु जो दो संशोधन रखे गये हैं, मेरा सुझाव है कि वह संशोधन उसमें मान लिये जायं। १०० और १२५ रु० का प्रश्न है। एक लेबर कांफ्रेंस पर आधारित है और दूसरा सुझाव के रूप में है। उसमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। परन्तु १२५ रु० वाली बात जनसंघ द्वारा भी मानी गई है कि सरकारी कर्मचारियों के निम्नतम वर्ग को १२५ रु० प्रति मास वेतन मिलना चाहिये। इसलिये माननीय संत सिंह यूसुफ जी का जो प्रस्ताव है १२५ रु० का उस संशोधन के साथ यह मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—१२५ का कोई संशोधन नहीं है। १०० रुपये का ही है।

श्री संतसिंह यूसुफ—यह जो इंडियन लेबर कांफ्रेंस हुई थी उसमें कुछ आइटम्स दिये गये थे कि इतना कपड़ा, इतना गल्ला, इतने का मकान, उसके हिसाब से १२५ रुपये पड़ते हैं, यह मैंने कहा था अपनी तकरीर में।

श्री रक्षपालसिंह—यह वास्तव में अपने प्रदेश में एक बड़ा मूल प्रश्न है। आज के कर्मचारी चाहे सरकारी हों या बाहर के हों उनके बारे में विचार करने पर पता चलता है और यह बात बिलकुल सत्य है कि उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं। कई स्थानों पर २०,४० अथवा ६० व ६५ रुपये हैं और एक परिवार में अगर एक औरत, एक मर्द और दो अथवा तीन बच्चे रख लिये जायं तो ४व५ के परिवार में उसकी निम्नतम ऋण आवश्यकताओं पर विचार करने से पता चलेगा कि ४०,५० अथवा ६० रुपये में किसी तरह से किसी परिवार का भरण-पोषण नहीं हो सकता। यह जो छोटे कर्मचारी हैं उनको छोटी तनख्वाहें दे कर उनके जीवन को एक्सप्लायट करने का प्रयत्न किया जाता है। इसीलिये देखने में आता है कि कचेहरी वगैरह में जो चपरासी व क्लर्क होते हैं उनमें इस तरह का भ्रष्टाचार देखा जाता है। उनकी नौकरी अस्थायी रखी जाती है और जो कुछ मिलता है उसमें हिस्सा बांट होता रहता है। तो इस प्रकार देखने में यह आता है और आज समय की भी यही मांग है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में रहता हो वह ४०–५० अथवा ६० रुपये में किसी प्रकार अपना जीवन-निर्वाह नहीं कर सकता।

हमारे संविधान के अन्दर समान जीवन बिताने की व्यवस्था दी गयी है। प्रत्येक कर्मचारी चाहे वह छोटा हो अथवा बड़ा, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेगा, योग्य बनाना चाहेगा और यह चाहेगा कि उसके घर के लोगों का विकास हो सके। लेकिन कम पैसे के कारण किसी प्रकार भी उसके घर का प्रबंध होना संभव नहीं है। तो जो प्रस्ताव रखा गया है कि उनकी आवश्यकताओं को देखते हुये आय का निर्धारण किया जाय यह विचार वास्तव में ऐसा है जिसके लिये सरकार को कमेटी बिठाना पड़े या समिति नियुक्त करना पड़े, चाहे कोई भी व्यवस्था करना पड़े, वह सब प्रकार से उचित है।

हमारे यहां के जो कर्मचारी हैं उनकी जो बेसिक पे है उसी पर उनको आधारित रहना पड़ता है, अन्य प्रकार की जरूरतें हैं वे भी उनको उपलब्ध नहीं हैं कहीं किराये के मकान में चार एक ही साथ रहते हैं, कहीं किसी को सड़क अथवा पटरी पर रहना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में मैं एक ही बात कहता हूं कि आज जो सिद्धांत के रूप में यह बात कही गयी है उसे हमको मान लेना चाहिये और निम्न कर्मचारियों का जो वेतन है उसको कम से कम १२५ रुपये निर्धारित करना चाहिये। सरकार को यह सब मानने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिये क्योंकि यह बहुत ही उचित और आवश्यक मांग है।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सदन के समक्ष जो गैर सरकारी प्रस्ताव उपस्थित है वह दरअसल बहुत आकर्षक है। उसमें करीब-करीब कुछ मांगें ऐसी हैं जो आवश्यक हैं और मनुष्य के लिये उनका उपलब्ध होना जरूरी है। एक स्वतंत्र देश में जिनके पास आवश्यकता भर सामग्री नहीं पहुंचती उनको रोजाना की जरूरियात का मिलना आवश्यक है। लेकिन एक यही प्रश्न उठता है कि इस वक्त हम जिस स्थिति में चल रहे हैं, जो हमारा बजट है और जिनके वेतन को बढ़ाने के सम्बन्ध में हम विचार कर रहे हैं उनकी क्या संख्या है और थोड़ी वेतन-वृद्धि हम करते हैं तो हमारे बजट पर उसका क्या असर पड़ता है। इसमें दो रायें नहीं हैं कि तनख्वाहें हमारी कम हैं लेकिन उसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि अभी तो हमारे देश और प्रदेश के रहने वालों की आवश्यकतायें पूरी नहीं हुई हैं और शायद कुछ दिनों तक हम तकलीफ से गुजरेंगे। नियोजन के जरिये से हम अपने प्रदेश को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, इसकी माली हालत को ऊंचा उठाना चाहते हैं। क्या यह बात ऐसे वक्त ठीक लगती है कि हम एक आन्दोलन खड़ा करें वेतन बढ़ाने का और उन कर्मचारियों के दिमाग में एक ऐसी बात पैदा करें असामयिक कि उनका वेतन बढ़ना बड़ा आवश्यक है, परन्तु कुछ लोग चाहते हैं और कुछ लोग नहीं चाहते हैं? मेरा अपना खयाल है कि यह प्रस्ताव जो गैर-सरकारी प्रस्ताव है यह बिल्कुल असामयिक है।

अभी आपके सामने एक महवपूर्ण प्रश्न है कि जो १३ करोड़ ३५ लाख रुपये आपके बजट में कम हैं उसकी पूर्ति के लिये आप न जाने क्या-क्या बातें सोच रहे हैं। कुछ बातें हम ऐसी भी सोच रहे हैं जिनको हम नहीं चाहते हैं, जिनकी तरफ हम सोचते हैं तो हमको दुःख होता है, लेकिन उस बड़ी परेशानी को दूर करने के लिये छोटी-छोटी परेशानियों को नजरअन्दाज करते हैं और हम सोच रहे हैं कि अपने प्रदेश के रहने वालों से भीख मांग कर, उनका सहयोग प्राप्त कर के, उनसे यह कह कर कि थोड़ा सा त्याग कर के नियोजन के काम में अपना योगदान करें। ऐसी स्थिति में यह बात असामयिक मालूम होती है कि हम एक ऐसा वातावरण पैदा करें कि उनके वेतन में वृद्धि की जाय जिनके वेतन कम हैं। अगर हम सिर्फ इतना देखें कि उन कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होनी चाहिये जिनके वेतन आवश्यकता से कम हैं तो क्या हमारे लाखों खेतिहर मजदूरों की दशा शोचनीय नहीं है? क्या हम और आप नहीं देखते कि वे सुबह से शाम तक खेतों में काम करते हैं और जो मजदूरी उनको मिलती है वह अकेले उन्हीं के खाने के लिये काफी नहीं है फिर वे अपने परिवार वालों की गुजर कैसे करते होंगे? इसलिये अगर इस वक्त हम इस चीज को छेड़ते हैं तो हमारी समझ में यह असामयिक है।

हमारा ध्यान इस वक्त त्याग की तरफ होना चाहिये। प्रश्न यह उठता है कि त्याग सिखाने वाले भी कुछ त्याग करते हैं या नहीं? आप सरकार की तरफ अंगुश्तनुमाई कर सकते हैं, मंत्रियों की तरफ कर सकते हैं और सरकारी कर्मचारी जो ज्यादा वेतन पाते हैं उनकी तरफ उंगली उठा सकते हैं कि उनको भी त्याग करना चाहिये। मेरा सुझाव यह है कि इस योजना-काल में सरकार के बड़े कर्मचारियों से सरकार को चाहिये कि वह ज्यादा से ज्यादा उनसे हिस्सा लें और उसको बजट की पूर्ति में शामिल कर दिया जाय। इस समय वेतन वृद्धि की बात करना असंगत और असामयिक होगा। हमारे कर्मचारियों की तादाद इतनी बड़ी है कि यदि हम थोड़ा सा भी पैसा बढ़ा देते हैं तो आपका बजट अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है, स्थिति खराब हो जायेगी और आप आर्थिक संकट में पड़ जायेंगे। इसलिये मेरा इस प्रस्ताव से विरोध है। जिन भाइयों ने इसका समर्थन किया है वे दरअसल में भावुकता में बह गये कि निम्न कर्मचारियों का वेतन बढ़ना चाहिये लेकिन उन्होंने अपनी आय नहीं देखी और अपनी माली हालत पर गौर नहीं किया। इस प्रस्ताव पर बहस नहीं होनी चाहिये, क्योंकि जितनी ज्यादा देर इस पर बहस होगी उतना ही ज्यादा अखबारों में प्रचार होगा और उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और वे देखेंगे कि कौन साहब इसके पक्ष में हैं और कौन विपक्ष में हैं। आप वास्तविकता नहीं देखते और आपको तो प्रचार की सामग्री चाहिये वह मिल सकती है। लेकिन समय के देखने की बात है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरी समझ में यह असंगत और असामयिक है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और प्रस्तावक महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इसको वापस ले लें।

श्री कल्पनाथसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस सवाल पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। मैं कमलासिंह जी के संशोधन पर अपने विचार प्रगट करना चाहता हूं। श्रीमन्, इस सदन में चाहे इधर का सदस्य हो या उधर का सदस्य हो, हर एक इस बात को कबूल करता है, जैसा कि प्रस्ताव है और उधर के लोग समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं और इधर के लोग भी, मैं नहीं समझता कि स्वतंत्र पार्टी का क्या मत है, लेकिन प्रजा सोशलिस्ट, सोशलिस्ट और कम्यूनिस्ट, जो समाजवाद में विश्वास रखने वाले हैं वे नियोजित अर्थ-व्यवस्था में विश्वास करते हैं, समाजवादी ढांचे में विश्वास करते हैं और ऐसे तरीके में विश्वास करते हैं जिससे आर्थिक शोषण से समाज मुक्त हो। कमला सिंह जी के संशोधन में आर्थिक विषमता को कम करने की बात है। आर्थिक विषमता इस प्रकार है, जिनके सम्बध में यह मूल प्रस्ताव है, अगर देखा जाय तो गांव का चौकीदार जो पांच रुपये तनख्वाह पाता है और आई० जी० की तनख्वाह देखें तो पता चलेगा कि आज उस चौकीदार की क्या हालत है। अगर यह कहा जाय कि चौकीदार की तनख्वाह १०० रुपये महीना हो और बड़ी से बड़ी तनख्वाह पाने वाले की तनख्वाह १ हजार रुपया महीना हो तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह आज समय की पुकार है कि विषमताओं को काटिये। इस लिये माननीय मंत्री जी इस बात पर गौर करें कि अगर इस समाज को नये सिरे से बनाना है, अगर पंचवर्षीय योजनाओं को चलाना है, तो भूखे-नंगों की तरफ निगाह जानी चाहिये। मंत्री जी की फाइल ढोने वाले चपरासी, माननीय सदस्यों के यहां जो व्यक्ति झाड़ू लगा दिया करता है, इन लोगों की तरफ क्यों नहीं निगाह जाती है? मेरे पूर्व वक्ता माननीय सदस्य ने कहा कि इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये उनके पेट को काटिये। हो सकता है कि उनका यह विचार हो, लेकिन कोई भी आदमी उनकी बातों का समर्थन नहीं कर सकता है क्योंकि आज लक्ष्य इस बात का बनेगा, अगर सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों में समता लाने की बात करेंगे तो लोगों के मन में समाजवादी समाज के प्रति आस्था बैठेगी अन्यथा होगा क्या? यह होगा कि समाज में एक अजीब भ्रांति फैलेगी। समूचे देश में लोगों के मन में समाजवाद के प्रति आस्था कम होगी। उधर के बैठने वालों ने भी तो अब समाजवाद का नाम लेना शुरू कर दिया है। चौकीदार बेचारा पांच रुपये पायेगा, और दारोगा का घोड़ा ४५ रुपये पायेगा, उस घोड़े से भी बदतर जीवन चौकीदार व्यतीत करेगा। इस समाज में एक तरफ कैलास के ऊपर बैठने वाले लोग हैं, दूसरी ओर पाताल में बैठने वाले लोग मौजूद हैं, जिनके पेट पर लात मारने के लिये रोजमर्रा कोशिशें होती हैं। उस कैलास को काटने की जरूरत है, इस पाताल को उठाने की जरूरत है। तब समता का समाज बनेगा।

मैं चाहता हूं कि यह सदन आज इस बात का फैसला ले कि एक हजार अधिकतम तनख्वाह होगी और सौ रुपये कम से कम तनख्वाह होगी। कोई कह सकता है कि एक और दस का यह अन्तर क्यों? मैं कहता हूं कि आज की अवस्था में एक और दस का ही अन्तर अगर माननीय सदस्य मान लें तो मैं यह कहूंगा कि शायद इस प्रदेश के कर्मचारियों का लाभ होगा। और तब फिर यह बात सोचनी पड़ेगी कि अन्य आमदनियों पर वही एक और दस का रिश्ता कायम किया जाय। टाटा, बिड़ला, डालमिया, जैपुरिया और वे लोग जो आय कर से, बिक्री कर से करोड़ों रुपया बचाते हैं, जो दोहरी किताबें रखते हैं, माननीय उप वित्त मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि क्या सेल्स टैक्स की सारी आमदनी आपके खजाने में आती है? नहीं आती है। अगर सेल्स टैक्स की सारी आमदनी और आय कर की सारी आमदनी अपने खजाने में ले जायें, इस बात का असेसमेंट करा सकें, लैंड रेवेन्यू की तरह अगर वह सारी आमदनी वसूल की जा सके तो मेरा यह निश्चित मत है कि न तो आने वाले भविष्य में बढ़ोत्तरी करनी पड़ेगी उन करों की, जो कर कि भविष्य में इस सरकार के द्वारा सुना है कि लगाये जाने वाले हैं, और दूसरी तरफ यह भी हो जायगा कि सरकार

[श्री कल्पनाथ सिंह]

के उन निम्नवेतन-भोगी कर्मचारियों को जो ५ रुपये तक पर अपना गुजारा करते हैं उनको १०० रुपया मिल सकेगा।

दूसरे लोग जो आज बड़ी-बड़ी तनख्वाहें पाते हैं जिनके लिये कहा जाता है कि उनका उसमें गुजारा नहीं होता तो मैं कहता हूं कि उन बड़ी तनख्वाहों पर अगर उनका गुजारा नहीं होता है तो ५ रुपये पर एक मनुष्य का गुजारा कैसे हो सकता है। सोचना पड़ेगा श्रीमन्, और मेरा यह नम्र निवेदन है कि आज इस प्रदेश को, जिस प्रदेश में समाजवाद के बड़े-बड़े गीत गाने वाले और समाजवाद पर बड़ी-बड़ी किताबें लिखने वाले रहते हों, जिस प्रदेश में हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री पैदा हुये हों, उस प्रदेश को इस काम में अगुवाई करना चाहिये, समूचे हिन्दुस्तान को एक नया नक्शा देना चाहिये और यह बता देना चाहिये कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों ने एक नया उदाहरण पेश किया है। समाजवाद के प्रति, एक नया उदाहरण पेश किया है ऐसे लोगों के प्रति जो आज तक दलित थे, घृणित थे, जिनका शोषण होता था, जिनका दोहन होता था। केवल किताब लिखने से, लेक्चर देने से, ओवरनाइट थीसिस बदलने से और यहां बैठकर समाजवाद का शब्द इस्तेमाल कर देने से समाजवाद नहीं आयेगा। आज समाजवाद की कसौटी है। मैं कहता हूं, चैलेंज करता हूं, क्यों नहीं बन्धु लोग इसको कबूल करते हैं? इससे भी कम अन्तर करना चाहिये। इंग्लैंड को देखिये, रूस को देखिए, वहां इससे भी कम आमदनी का अन्तर है, तनख्वाह का अंतर है। और अपने प्रदेश में, अपने देश में क्या हालत है? क्या माहौल है? इस माहौल को बलदना पड़ेगा। सारी परिस्थिति को बदलना पड़ेगा तब धीरे-धीरे, क्रमशः उत्तरोत्तर उस दिशा में हम बढ़ेंगे। तब जाकर कहीं समाजवाद की ओर हमारा कदम बढ़ सकेगा, समाजवाद के प्रति लोगों की आस्था बढ़ सकेगी और हम अपने को समाजवादी के कहने का दावा कर सकेंगे। श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं माननीय कमला सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य माननीय कमला सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय केशव जी ने आज सदन के सामने रखा है—केशव जी का जो दिल है वह गरीबों की पीड़ा से ओत-प्रोत हो जाता है उससे तो मुझे बेहद हमदर्दी है, लेकिन कुछ ऐसी शंकायें हैं उपाध्यक्ष महोदय, कि जिनके कारण मैं इस प्रस्ताव का सम्पूर्णतः समर्थन नहीं कर सकता। मेरी पहली आपत्ति केशव जी माफ करें—यह है कि किसी भी प्रस्ताव को पास करने के पहले हमें समय और साथ साथ में अपनी कैपेसिटी को भी देख लेना चाहिये। एक कहावत मुझे याद आती है, देहाती कहावत है, कि तीन मेढक एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा इस प्रकार चढ़े हुये थे। सब से ऊपर के मेढक ने कहा भले रहे हम, बीच वाले ने कहा हमें न शादी न गम, लेनिक तीसरे ने कहा कि सब से मर गये हम। तो आज सवाल यह होता है कि हम कहीं भी बढ़ावें, किसी की भी इनकम बढ़ावें, इसका बोझ किस पर पड़ेगा? चाहे कितना ही आकर्षक यह क्यों न लगे, लेकिन हम इस मौलिक सिद्धान्त को नहीं भूल सकते कि इसका बोझ किस पर जाकर पड़ेगा? अगर इसका यकीन हो जाय कि यह बोझ उन लोगों पर पड़ेगा जो बड़े रईस हैं, धनाढ्य है, तो कदाचित मैं इसका समर्थन करूं। लेकिन मुझे यकीन नहीं है इसका। हमें तो डर है कि अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है और गवर्नमेंट कमिट कर देती है उसके लिये तो यह इसका सारा बोझ किसानों पर पड़ेगा। और जब किसान पर सारा बोझ पड़ेगा जब कि वह आलरेडी कुचला हुआ है तो आप समझ सकते हैं इसका परिणाम क्या होगा। एक तो किसान टैक्स के भार से ही परेशान है। दूसरे, वह गरीब है और तीसरे पानी नहीं बरस रहा है। तो हर तरीके से वह परेशान है और जब एक बोझ हम और लाद देते हैं तो वह और परेशान होगा। इसका बोझ जिस जमात पर पड़ने वाला है वह गरीब जमात है। इसलिये हमें इसको फिर दोबारा सोचना पड़ेगा कि हमारी इतनी कैपेसिटी है या नहीं। इसको अगर हम इस वक्त पास भी कर लें तो क्या इसको निभा सकते हैं?

इसके साथ ही मेरी एक और शंका है। वह शंका यह है कि हमारे प्रदेश में जो पर कैपिटा इन्कम है वह दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में सब से कम रही है। सारे प्रान्तों में पर कैपिटा इन्कम बढ़ी है, इस दूसरी प्लान के अन्दर लेकिन हमारे प्रदेश में १ प्वाइन्ट कुछ ही बढ़ी है तो क्या हम निश्चयरूप से इस सिद्धान्त को मान सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट मुलाजिम हो, उसकी तनख्वाह को डबल या ट्रिबिल कर दें चाहे वह कितनी ही कम तनख्वाह पाता हो। हमको यह सोचना पड़ेगा कि हम हुकूमत किसके लिये कर रहे हैं? हम यहां पर राज्य किसके लिये चला रहे हैं? हम उन लोगों के लिये राज्य चला रहे हैं जो करोड़ों इन्सान इस प्रदेश में बसते हैं। उनकी पर कैपिटा इन्कम क्या है। अगर हम परकैपिटा इन्कम अपनी आंखों से ओझल कर देते हैं और उसको नहीं सोचते और साथ ही कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा देते है तो यह संगत नहीं होगा बल्कि असंगत होगा। हमारा देश इतना गरीब है तो उसमें यह देखना पड़ेगा कि हमारे देश में जो गरीब लोग बसते हैं उनके लिये पढ़ाई का बन्दोबस्त हो, उनके बच्चों के लिये खाने पीने का बन्दोबस्त हो, उनके लिये कपड़े का बन्दोबस्त हो। हमारे यहां जो बूढ़े हैं उनके लिये जिन्दगी का साधन हो। यह चीजें सोसाइटी के लिये अत्यन्त जरूरी हैं और हर सोसाइटी में हर चीज के लिये प्रायोरिटी हुआ करती है। चाहे यह प्रस्ताव कितना ही आकर्षक हो किन्तु जितना भी रुपया यहां पर खर्च किया जायगा वह प्रायोरिटी के साथ किया जायगा। मैं यह कहता हूं कि जब बहुत से ऐसे उपयोगी काम हमारे सामने हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते, जिनको हम टाल नहीं सकते तो उनको छोड़कर इस चीज को हम कैसे प्रायोरिटी दे दें। हमारे सामने जो कदम कदम पर आज कठिनाई है। मैं समझता हूं प्रस्ताव तो यह आना चाहिये कि एजुकेशन कम्पलसरी होना चाहिये। प्रस्ताव तो यह आना चाहिये कि जो गरीब लड़के हैं उनके लिये कपड़े, तालीम और रहने का इन्तजाम होना चाहिये। यह जरूरी चीजें हैं जिन पर हमें रुपया खर्च करना चाहिये। एकदम कूद कर हम सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों को बढ़ा दें यह असंगत बात है।

एक और शंका मेरी इस संबंध में यह है कि इसका जो उद्देश्य बतलाया गया है उसकी भी पूर्ति नहीं होगी। अगर प्रस्ताव पास होगा तो उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। क्यों पूरी नहीं होगी वह इस तरह से कि आपका कहना यह है कि इससे सभी कर्मचारियों से भ्रष्टाचार दूर हो जायगा और गरीबी दूर हो जायगी। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि कैसे दूर होगी। आज जो भ्रष्टाचार है वह सामाजिक रोग है। अगर आपकी बात सही मान ली जाय तो जो ऊपर के अफसर हैं उनमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिये क्योंकि उनकी तनख्वाह तो बहुत ज्यादा है। यहां पर हालत यह है कि जिनकी तनख्वाह ज्यादा है उनमें ज्यादा भ्रष्टाचार है और जिनकी तनख्वाह कम है उनमें कम भ्रष्टाचार है। यहां पर ऐसी बात नहीं है कि जिनकी तनख्वाह ज्यादा हो उनमें कम भ्रष्टाचार हो। जिनकी तनख्वाह ज्यादा है उनमें भ्रष्टाचार ज्यादा है। इसलिये यह कहना कि तनख्वाहों के बढ़ाने या घटाने से भ्रष्टाचार दूर होगा, यह गलत है। भ्रष्टाचार का सम्बन्ध तनख्वाहों के बढ़ाने या घटाने से बिल्कुल नहीं है। यह भ्रष्टाचार तो एक सामाजिक रोग है। हम सब इसके जिम्मेदार हैं। इसका उदाहरण देता हूं। जिस उद्देश्य को या जिस कानून को जनता नहीं चाहती है वह सफल नहीं होता है और जिस कानून को जनता चाहती है चाहे वह कितना ही सख्त हो, चाहे कितना ही गहरा हो वह सफल होता है और फलता-फूलता है। भ्रष्टाचार एक ऐसा जुर्म है, भ्रष्टाचार एक ऐसी गलती है जिसको पब्लिक चाहती है एक तरीके से क्योंकि समाज उसको डिस्एप्रूव नहीं करता, बुरा नहीं मानता। शादी, दावतों आदि के मौके पर जो भ्रष्टाचारी अफसर होता है, भ्रष्टचारी लीडर होता है उसकी सब से ज्यादा इज्जत होती है। उसे सब से ज्यादा सम्मान दिया जाता है, ज्यादा फूल हार पहनाये जाते हैं। तो जबतक समाज ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्ट नहीं करेगा, उनके खिलाफ आवाज नहीं उठायेगा तबतक आप इसे दूर नहीं कर सकते। हर एक आज चाहता है कि हमारा रिश्तेदार हजारों रुपये वाला हो, लखपती हो, लेकिन वह होगा कैसे? एक गरीब दरोगा के साथ कोई अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहता, घूस लेने वाले दरोगा को सब पसंद करेंगे।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)---माननीय सदस्य क्या बोल रहे हैं यह समझ में नहीं आ रहा है। मेरी प्रार्थना है उपाध्यक्ष महोदय, कि आपकी तरफ से यह हिदायत हो जाय कि वह कुछ साफ बोलें ताकि हम लोगों की समझ में आये।

श्री उपाध्यक्ष---आप साफ साफ बोलें ताकि लोगों की समझ में आये।

श्री नौरंगलाल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आहिस्ते बोलने की कोशिश करूंगा। तो मैं यह कह रहा था कि समाज में भ्रष्टाचार एक रोग है और उसे हम दूर कर सकते हैं, लेकिन रुपये को बढ़ा कर हम उसे दूर नहीं कर सकते। आज समाज उसे चाहता है और उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहता। माननीय सदस्य का जो उद्देश्य है कि इससे भ्रष्टाचार दूर हो जायगा, वह पूरा नहीं हो सकता और न इससे गरीबी दूर हो सकती है तो इसके लिये न तो यह समय ही उपयुक्त है और न इससे उनका ध्येय ही पूरा होता है।

तीसरी बात यह कि इस प्रकार के प्रस्ताव अधिक स्पष्ट और साइंटिफिक होने चाहिये। ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव सरसरी तौर पर नहीं आने चाहिये। इसमें तीन संशोधन आ गये हैं और वे सब विरोधात्मक हैं। मिसाल के लिये मैं एक बात रखता हूं। प्रस्ताव में दो मापदंड रखे गये हैं। एक तो इंसान की जरूरतों को देखते हुये जितना रुपया आवश्यक हो और दूसरा मापदंड योग्यता का रखा गया है। यह दोनों विरोधात्मक हैं। इस योग्यता और नेसेसिटी के बीच की डिमारकेशन लाइन क्या होगी? बटवारा कहां होगा। यह बिलकुल अव्यावहारिक हो जायगा और इसलिये जो प्रस्ताव अव्यावहारिक और वेग हो उसे पास नहीं होना चाहिये। इसमें सब से ज्यादा बड़ी गलती यह है कि दो मापदंड रखे गये हैं और वे दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। रूस में भी इसी प्रकार की कोशिश हुई थी। पहले उन्होंने मापदंड रखा "each according to capacity and each according to need." और वह चला नहीं फिर उन्होंने रखा "each according to his need and each according to work' तो वहां काम के हिसाब से तनख्वाह मिलती है। पहले को उन्होंने अव्यावहारिक समझा और दूसरे को माना। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस तरह की विरोधी बातें रखने से गड़बड़ होती है और उससे भ्रम पैदा होता है।

एक और चीज इसमें रखी गई है योग्यता के हिसाब से, वह बड़ी वेग है। वह योग्यता किस आधार पर होगी। बाज की नजरों में कविता की योग्यता अधिक होती है, बाज लोगों की निगाहों में साइन्टफिक इन्वेशन्स की योग्यता बहुत अधिक होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि योग्यता का मापदंड अलग-अलग होता है। जब तक हम योग्यता को स्पष्ट न कर दें, क्लियर न कर दें, तब तक इस प्रस्ताव को पास नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता। मैं एक ही बात रखना चाहता हूं और वह यह कि हमारे सामने आज बड़े-बड़े प्रश्न हैं। अभी हमारे सामने टैक्सेशन का सवाल है कि हम कर लगायें तो कहां लगायें और कहां न लगायें। इसमें भी हमें देखना है और ईमानदारी के साथ लगाना है। इस समय अगर हम इस तरह का प्रस्ताव पास कर लेते हैं तो उसे पूरा नहीं कर पायेंगे। जिसे पूरा न कर सकें और पास कर दें वह केवल एक मजाक हो जायगा। मुझे एक आदमी की याद आती है, जिसके पास लोग रुपया मांगने जाते थे। वह कल देने की बात कह कर टाल दिया करता था और कल कभी आता नहीं था। जब लोगों ने उससे पूछा तो उसने कहा कि चूंकि मेरे पास रुपया नहीं है, इसलिये प्रामिज ही दे देता हूं। इसलिये मैं केशव जी से यह कहूंगा कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें और जिस समय ज्यादा अच्छा समय हो उस समय इससे ज्यादा अच्छा प्रस्ताव पास किया जाय, ताकि हम खुशी से उसे पूरा भी कर सकें। बस यही मुझे निवेदन करना है।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक कांग्रेसी दल के सदस्य की तरफ से आया और मैं उन्हें धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता। यदि उन्होंने प्रस्ताव स्पष्ट, जोरदार और निश्चित शब्दों में पेश

किया होता तो ज्यादा अच्छा था। ऐसा मालूम पड़ता है कि कुछ लड़खड़ाती हुई जबान से डर से, अनुशासन के भय से एक धीमी आवाज में उन्होंने प्रस्ताव रखा है और वह बेग है। उसमें कोई दम नहीं है। ऐसी स्थिति में वह धन्यवाद के पात्र नहीं हो सकते। (व्यवधान) मुझे यह डर है कि कहीं आखिर में प्रस्ताव को वापस न ले लें।

जो संशोधन आये उनको देखने से पता चला कि हमारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से जो संशोधन आये वे ही थे जो संशोधन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से आये थे। वह संशोधन और यह नारा और यह मांगें सोशलिस्ट पार्टी १९५२ से लेकर इस विधान सभा के अंदर हजारों बार इसको रख चुकी है। उन्हीं बातों को प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने भी दोहराया है। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता, किन्तु यदि मैं देखता कि उस नारे के पीछे, उस मांग के पीछे कोई कदम उठाने के लिये समय पर तैयार रहा करते हैं और कभी उन्होंने सक्रिय कदम उठाया होता तो वे भी उस धन्यवाद के पात्र हो सकते थे। ऐसी स्थिति में इस वर्तमान समय में उन्होंने इस मांग को जो बल दिया है उसके लिये वह धन्यवाद के पात्र भी हैं।

एक सदस्य ने लेबर कान्फ्रेन्स का हवाला दिया, लेकिन वह स्पष्ट नहीं है और कोई निश्चित बात नहीं आई है। न तो उस पर उन्होंने कोई अपनी निश्चित बात व्यक्त की है और न कोई अपना संशोधन ही दिया है, जिस पर कि उन्हें धन्यवोद दिया जाय। मैं आप से निहायत अदब से कहता हूं कि यह वह मांग है कि जिस पर देश और प्रदेश की बुनियादी, आर्थिक नीति खड़ी होती है। यदि आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आप निश्चित समझिये कि देश का आर्थिक ढांचा नष्ट-भ्रष्ट हो जायेगा। आज एक ओर बेकारी की समस्या है जिसको सरकार हल नहीं कर पा रही है और दूसरी ओर निम्न-वेतन कर्मचारियों की समस्या है। आज देश के लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी घट रही है। जब परचेजिंग केपेसिटी ही देश के लोगों में नहीं होगी तो आप ही सोचिये, आपका अगर उत्पादन बढ़ा भी तो उसका क्या होगा? वह गोदामों में पड़ा रह जायेगा। जब लोगों में क्रयशक्ति ही नहीं होगी तब आपके उत्पादन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। जब तक आप उसका वेतन नहीं बढ़ायेंगे, लोगों में परचेजिंग कैपेसिटी नहीं होगी, आपका देश बन नहीं सकता, उन्नति कर नहीं सकता। यह बातें बरसों से दोहराई जा रही हैं, लकिन अपनी सरकार के दिमाग में और केन्द्रीय सरकार के दिमाग में वह अभी तक जम नहीं पाई हैं। इसलिये इस प्रस्ताव में यह बढ़ा देना चाहिये कि किसी का भी वेतन १०० रुपये से कम और हजार रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिये। प्रस्तावक महोदय ने कहा कि यह संशोधन उन्हें स्वीकार नहीं है, अगर यह स्वीकार नहीं है तो फिर इस प्रस्ताव को यहां विधान सभा में लाने का कोई अर्थ नहीं है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इसे वापस ले लें और फिर इसकी जगह दूसरा प्रस्ताव रखा जाय। यह एक ऐसी समस्या है जिसको कि आंख से ओझल नहीं किया जा सकता। इस पर सभी माननीय सदस्यों को गम्भीरता के साथ विचार करना होगा। हमारे प्रदेश की सरकार ने आज तक कभी यह जरूरत नहीं समझी कि वह एक ऐसी कमेटी बिठाये जिसमें अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हों और वह एक निश्चित सुझाव दे इस संबंध में।

श्रीमन्, मैं एक दूसरे पे कमीशन की मांग करता हूं जो इस संबंध में साल ब साल के, १०–२० वर्ष के पे-स्केल के आंकड़ों को और प्राइस इन्डेक्स को इकट्ठा करें, उस पर विचार करें और उस पर विचार करने के बाद एक निश्चित राय दें। सोशलिस्ट पार्टी ने बड़ी सफाई के साथ, सारा हिसाब लगाकर, कई वर्ष पहले, यह मांग की थी जिसको कि वह अब तक दोहराती चली आ रही है। सोशलिस्ट पार्टी जो भी प्रस्ताव रखती है, चाहे वह विधान सभा के अन्दर हो, चाहे बाहर हो, उसके पीछे तथ्य होते हैं, जोर होता है, बल होता है। इस पार्टी ने सन् ५७ में इसके लिये सक्रिय कदम उठाया, सन् ५८ में हजारों आदमी जेल गये, सन् ६० में भी, जब इस प्रस्ताव को दोहराया, हजारों आदमियों ने जेल की यातनायें सहीं। सोशलिस्ट पार्टी किसी भी प्रस्ताव को तफरियन नहीं रखतीं, उसके पीछे बल होता है और उसको बहुत सोच विचार कर रखती है। जिस देश में ऊंचे से ऊंचा वेतन १० हजार और नीचे

[श्री गयाप्रसाद]

से नीचा वेतन ५ रुपये मासिक हो, वह प्रदेश कभी आदर नहीं पा सकता और वहां के लोग कभी एक समान जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। उसको अधिकार नहीं है। ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें इतनी बड़ी असमानता हो। जिस देश में प्रधान मंत्री के ऊपर २५,००० रुपया रोज खर्च हो उस देश की शासक पार्टी को समाजवादी पार्टी का नारा देने में शर्म आनी चाहिये। हाल में प्रधान मंत्री का दौरा लखनऊ में हुआ, उसके सिलसिले में ५ लाख रुपया खर्च हुआ है सिर्फ इसलिये कि उनकी सभा में आदमी इकट्ठे किये जायं, फाटक बनाये जायं और हर जिले से कर्मचारी बुलाये गये। आप हिसाब लगायें कि कितना रुपया उनके टी० ए०, डी० ए० और वेतन का पैसा खर्च हुआ होगा.....

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता, हूं, इस प्रस्ताव से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री गयाप्रसाद---बिलकुल है। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री का ट्रायल होना चाहिये कि ५ लाख रुपया इस तरह से क्यों खर्च किया गया। अभी शासक पार्टी के विधायकों ने आवाज उठायी थी, जिस पर मैंने एक वक्तव्य दिया था, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिये और दैनिक भत्तों को बढ़ाने के लिये।

कुछ सदस्य---आप ही की पार्टी के लोग थे।

श्री गयाप्रसाद---मेरा तो प्रतिवाद था कि आवश्यकता पड़े तो तनख्वाहें और भत्ते घटाये जायं, मैं उन आदमियों में नहीं हूं, आप पैसों के लिये ही लड़ते मरते हैं।

श्री उग्रसेन---मैं सफाई कर दूं। सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण जी ने इस सदन में स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे भत्ते न बढ़ाये जायं, वेतन न बढ़ाया जाय। मैं हरी सिंह को चैलेंज करके कह सकता हूं कि आदरणीय सदन का कोई सदस्य साबित नहीं कर सकता है कि सोशलिस्ट पार्टी के किसी सदस्य ने समर्थन किया कि बढ़ाये जायं। अगर साबित कर दें तो हम इस्तीफा दे सकते हैं।

श्री गयाप्रसाद---उपाध्यक्ष महोदय, मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि मेरे संशोधन को पूरे का पूरा स्वीकार कर लिया जाय तभी प्रदेश में अमनो-अमान कायम हो सकता है और देश की आर्थिक अवस्था ठीक हो सकती है, वरना छोटे कर्मचारियों का गला रेतने से देश में बगावत की लहर पैदा हो सकती है जिसमें माननीय चन्द्रभानु जी और उनके साथी खत्म हो जायेंगे।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री कल्पनार्थसिंह---एक व्यवस्था का प्रश्न है, एक माननीय सदस्य इतने नाराज हो रहे हैं, वह आप पर नाराज हो रहे हैं, आखिर किस पर हो रहे हैं?

श्री जगदीशप्रसाद---उपाध्यक्ष महोदय, केशव गुप्त जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसकी भावनाओं से इस माननीय सदन का कोई सदस्य नहीं होगा जो सहमत न हो और सराहना न करे, लेकिन प्रस्ताव की भाषा जहां तक मैंने उनको पढ़ा, मैं उससे किसी तरह से अपने को सहमत नहीं कर पाता हूं। वेतन कम है, बढ़ना चाहिये लेकिन उनका प्रस्ताव कहता है कि प्रारंभिक आवश्यकताओं के आधार पर उनका वेतन बढ़ाया जाय।

मैं समझता हूं कि उनका वेतन बढ़ाने का, "प्राथमिक" शब्द लगाकर उन्होंने बहुत सीमित कर दिया है। मैं समझता हूं भोजन, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, ये ऐसी आवश्यकतायें हैं जो समाज के किसी भी वर्ग के कर्मचारी को एकसां मिलनी चाहिये। हमारी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनमें व्यय हो जाता है। फिर थोड़ी सी आवश्यकतायें ऐसी रह जाती हैं जिनके लिये अधिक आय होनी चाहिये। मसलन् शीघ्र काम करने के लिये

किसी को कार की आवश्यकता है या किताबों की आवश्यकता है उनके लिये वेतन बढ़ सकता है। तो यदि यहां पर प्राथमिक आवश्यकताओं को रख दिया जाता है तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर दूं कि फिर एक बन्धन हो जायगा कि यदि एक चपरासी के लड़के ने हाई स्कूल पास कर लिया तो कह दिया जायगा कि प्राथमिक आवश्यकता पूरी हो गई, आगे वह न पढ़े। फिर वह बी० ए०, एम० ए० नहीं हो सकेगा, मेडिकल कालेज में नहीं जा सकेगा इन्जीनियरिंग कालेज में नहीं जा सकेगा। इस भावना से मैं किसी तरह भी सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि संविधान के अन्तर्गत हमें कोई भी ऐसा प्रस्ताव या नियम नहीं पास करना चाहिये जो देश के किसी नागरिक को उन्नति के समान अवसर न दे, प्रगति करने से वंचित रखता हो। दूसरी बात यह है कि प्राथमिक आवश्यकताओं के आधार पर हमें एक बात और सोचनी पड़ेगी। किसी के चार बच्चे हैं, किसी के दो बच्चे हैं और किसी के एक भी नहीं है, तो उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं में अन्तर हो जायगा। अब एक तरफ सरकार कहती है कि फेमिली प्लानिंग करो, बच्चे कम पैदा करो और दूसरी तरफ यह हो जायगा कि बच्चे ज्यादा पैदा करो ताकि आमदनी बढ़े। मैं समझता हूं मौलिक आवश्यकतायें समान होनी चाहिये।

मैंने यूसुफ साहब का संशोधन पढ़ा, उसमें मुझे एक बात दिखाई दी कि अपने विचार व्यक्त करने में वे किसी से बंधे हुये हैं, सोलहवीं लेबर कान्फ्रेन्स से बंधे हुये हैं। उससे आगे वे नहीं बढ़ना चाहते। मैंने कमला सिंह जी के संशोधन को भी देखा। उसके आशय से मैं सहमत हूं। मैं यह मानता हूं कि आज प्रजातन्त्र में प्रगति शक्ति और पिछड़ी सरकार का यह माप है कि ऊंचे से ऊंचे व नीचे से नीचे वेतन में कितना अन्तर है, वह अन्तर कितना कम है, सरकार प्रगतिशील है। लेकिन मेरा एक विरोध है। मैं मानता हूं कि १००० और १०० पया वेतन हो सकता है लेकिन इसमें क्या बुराई है यदि यह वेतन १५०० और २०० पया हो जाय। आज हम १००० और १०० रु० वेतन करते हैं लेकिन कल को अगर आय बढ़ती है तो यह भी रखना होगा कि आय के बढ़ने के साथ-साथ यह भी उसी तरह से बढ़ता चला जायगा। हम केवल एक आधार निश्चित कर सकते हैं कि ऊंची से ऊंची और नीची से नीची तनख्वाह में इतना अन्तर रहेगा। वह अंतर चाहे १—१० का हो, १—८ का हो या १—५ का हो। यह निश्चय करने पर यह सोचना होगा कि वह किस प्रकार लागू हो कि यदि आज आप यह निश्चय कर दें कि वह अंतर १—१० कर दिया जाये तो आज वह करना सम्भव नहीं है, वह अव्यवहारिक होगा यह विधान सभा कोई साधारण पंचायत नहीं है, यहां पर हमें यह ध्यान रखना होता है कि जो भी प्रस्ताव या बिल पास करते हैं, उसको लागू करना है, हम उसको कार्यान्वित करने की बात से अपने को अलग नहीं रख सकते। अगर हम वेतनों के अन्तर को कम करने का प्रस्ताव पास करते हैं तो देखना पड़ेगा कि कितने समय में उसको हम ला सकेंगे। वह अन्तर हम कितने समय में ला सकेंगे? यदि माननीय केशव जी का प्रस्ताव कुछ इस प्रकार का होता कि निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये, उन्हें समाज में दूसरे अंगों के बराबर स्तर देने के लिये, आवश्यक है कि उनके वेतन बढ़ाये जावें, तो हम उसे इस प्रकार का कर पाते, उदाहरणार्थ आज समझ लें कि आज अन्तर १ और २५ का है तो जो योजना चल रही है उसमें १ और २५ का अन्तर यदि है और उसे हम १ और १५ कर दें, फिर १ और १२ कर दें। उससे अगली योजना में और निकट कर दें। यदि ऐसा प्रस्ताव होगा तो उसके पीछे बुद्धि होगी, नियोजन होगा और उसके पीछे दलील होगी और हम कह सकेंगे कि वह व्यवहार में लाया जा सकता है। माननीय सदस्य ने अपने उद्देश्य को मौजूदा शब्दों में रख कर खप्त कर दिया है। इस प्रस्ताव से हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिये इस अव्यावहारिक प्रस्ताव की जगह ऐसा प्रस्ताव आना चाहिये जैसा मैंने अभी आपके सामने रखा।

*श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत प्रस्ताव के शब्दों में न जाकर यदि उसकी आत्मा को देखा जाय तो वह बहुत ही उपयुक्त मालूम होता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया]

माननीय केशव जी ने एक निर्जीव शरीर का ढांचा तो पेश कर दिया लेकिन उसे वह आत्मा प्रदान नहीं कर सके। उन्होंने कहा है कि निम्न कर्मचारियों का वेतन उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं के आधार पर बढ़ाया जाय। वास्तव में बात ठीक है। प्राथमिक आवश्यकताओं को देखने से यह प्रतीत होता है कि मनुष्य को खाने-पीने, रहने-सहने इत्यादि के लिये कितना चाहिये और उसका वह निरूपण नहीं कर सके। बड़े से बड़े कर्मचारी की योग्यता को आधार मान कर जो उन्होंने बात रखी है वह कुछ हद तक ठीक है लेकिन उसकी सीमा होनी चाहिये। एक बड़े वैज्ञानिक के लिये तो लाखों रुपया भी कम हो सकता है। फिर, तीसरे प्रस्ताव में निर्धारित किया गया है कि कम से कम १०० रुपये और अधिक से अधिक १००० रुपये वेतन होना चाहिये, यह बहुत ही उपयुक्त है। सरकार की तरफ से नारा लगाया जाता है कि हमारा बजट इतना कम है कि इन सब चीजों को जो इंसान के लिये जरूरी है प्रोवाइड नहीं कर सकते। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जब किसी चीज को करने की इच्छा होती है तो उसके साधन भी जुटाये जा सकते हैं। बजट की कमी पूरा करने के लिये सरकार नारा तो लगाती है कि उस का बोझ किसान पर भी पड़ेगा, लेकिन उनकी कमर तोड़ने के लिये एक नया विधेयक सरकार ला रही है। हमारे बजट में सैकड़ों मदें ऐसी हैं जिनका दुरुपयोग होता है, सदुपयोग नहीं होता। इनमें से बहुत-सा रुपया बचाया जा सकता है। उसमें से अगर निम्न कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाय तो बहुत ही उपयुक्त होगा। इसमें कोई संशय नहीं है।

अभी कहा गया कि प्राथमिक आवश्यकता में यह भी हो सकता है कि किसी के बच्चे को आवश्यकता नहीं है कि वह आगे पढ़े। मैं नहीं समझ सकता कि प्राथमिक आवश्यकताओं का यह अर्थ कैसे लगाया जा सकता है। प्राथमिक आवश्यकताओं का अर्थ तो यह होना चाहिये कि खाने-पीने और रहने-सहने इत्यादि की जरूरतें तो सबकी पूरी होनी ही चाहिये। मैं केशव जी के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और उसके लिये उन्हें बधाई देता हूं। लेकिन जैसा अभी गया प्रसाद जी ने कहा, मुझे भी डर है कि कहीं एक ही घुड़की में वह इसे वापिस न ले लें। यदि यह हुआ तो सबके सब संशोधनों की दीवार जो इसके पीछे है वह ढह जायेगी। और अगर वह दृढ़ रहते हैं और उनके साथी भी उसे उपयुक्त समझते हैं तो आज के सदन में उनके इस कारनामे को पूरी तरह से याद रखा जावेगा। अपने असर से अगर वह इस प्रस्ताव को पास करा लेते हैं तो यह सुनहरे शब्दों में लिखने वाली बात होगी और हम अपोजीशन वाले भी उसका हृदय से स्वागत करेंगे।

अगर काम के हिसाब से वेतन देना है तो सबसे ज्यादा काम तो निम्नस्तर का कर्मचारी ही करता है। किसी भी विभाग को ले लीजिये, ऊपर का अफसर उतना काम नहीं करता है। कहा जाता है कि निम्न कर्मचारियों को चिन्तायें अधिक होती हैं और उनकी कार्य-क्षमता उनके कारण पूरी नहीं होती है। लेकिन ऊपर के कर्मचारी अधिक धन को उपयोग में लाने की फिकर में रहते हैं और उनकी क्षमता भी घटती है। जिस देश में १०, ५ रुपये और हजारों रुपये पाने वाले कर्मचारी हों तो कैसे वह अपने को समाजवादी कह सकता है? मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि १ और १० का भी बड़ा रेश्यो है लेकिन शुरूआत के लिये ठीक है। मैं चाहता हूं कि कम से कम इस बात में तो हमारा सूबा अगुवा बन जाय और किसी भी कर्मचारी का वेतन १०० रुपये से कम और १००० से अधिक न हो।

मैं एक बार फिर केशव जी को उनके प्रस्ताव के लिये धन्यवाद देता हूं और इसमें जो संशोधन रखे गये हैं उनमें जो १०० रुपये कम से कम और १००० रुपये अधिक से अधिक वेतन का जो संशोधन है मैं उसका स्वागत और समर्थन करता हूं।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—उपाध्यक्ष महोदय, आज निम्नस्तर के कर्मचारियों के वेतन की सीमा निर्धारण पर भिन्न भिन्न माननीय सदस्यों के वक्तव्य सुने। जहां तक उनके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वेतन-वृद्धि की या एक सीमा निर्धारित करने की बात है, वह ठीक है। परन्तु जब बढ़ी हुई तनख्वाह के लिये सरकार टैक्स लगावेगी तो उसका हमारे विरोधी दल वाले विरोध करेंगे। पता नहीं हमारे माननीय नेता, सोशलिस्ट पार्टी कौन सी सरकार का खजाना लावेंगे जब उनकी सरकार बनेगी। हाल में तो कभी बनेगी ही नहीं।

मान्यवर, आपके द्वारा मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि बार-बार यह बात यहां कही गयी है लेकिन माननीय नेता सदन या माननीय नेता सोशलिस्ट पार्टी ने अभी तक अपनी तनख्वाह या भत्ते में कोई कमी नहीं की है। वे भी उतनी ही तनख्वाह व भत्ते लेते हैं। जितनी हर विरोधी दल या बहुमत दल के माननीय सदस्य लेते हैं। लेकिन सदन में वे अवश्य विरोध करते हैं ताकि जनता पर इसका प्रभाव पड़े। किसी पार्टी के भी किसी माननीय सदस्य ने इस बात को नहीं कहा, लेकिन माननीय नेता एक विशेष ढंग से, विशेष तरीके से व विशेष रूप से इसका विरोध करते हैं। मैं विरोधी दल के नेता का बहुत ही आदर करता हूं लेकिन उनके मुख से यह बात सुन कर मुझे बहुत ही दुख हुआ जब उन्होंने एम० एल० एज० की बात कही। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कभी अपनी तनख्वाह छोड़ी या अपने भत्ते में से एक पैसा भी छोड़ा या जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी थर्ड क्लास में चलते हैं तो थर्ड का ही भत्ता लेते हैं, ऐसा कोई उदाहरण उन्होंने स्वयं प्रस्तुत किया? जहां तक एम० एल० एज० की तनख्वाह बढ़ने की बात है, वह तो बढ़ कर रहेगी। माननीय नेता सोशलिस्ट पार्टी भी चाहते हैं कि तनख्वाह बढ़े लेकिन ऊपर से विरोध उसका करते हैं। यदि आपके प्रदेश में योजना को सफल बनाना है तो उसके लिये टैक्स की आवश्यकता होती है और टैक्स लगाना ही पड़ेगा। यह बात अवश्य है कि टैक्स व्यापारियों पर लगाया जाय या किस पर लगाया जाय, इस विषय पर उच्च नेता लोग सोचें और विचारें। मैं नहीं कहता हूं कि काश्तकारों पर टैक्स लगाया जाय, आप काश्तकारों पर टैक्स न लगावें-लेकिन यदि आपको अपनी योजना को सफल बनाना है तो आपको कोई न कोई टैक्स लगाना ही होगा। यह सब नेताओं के सोचने बात है कि टैक्स किस पर लगे। क्योंकि जनता ने सारे देश का भार नेताओं के ऊपर ही सौंपा है।

यह कहा जाता है कि सरकार निम्न स्तर के कर्मचारियों को बहुत कम तनख्वाह देती है लेकिन मैं आपसे ही पूछता हूं जो गरीबों व मजदूरों के रहनुमा हैं कि आप अपने यहां के खेतीहर मजदूरों को या अपने हलवाहे को कितनी तनख्वाह देते हैं। आज आप मजदूरों को कम से कम १०० रु० तनख्वाह देने के बड़े हिमायती बनते हैं लेकिन क्या आप अपने यहां के मजदूर को ८० रु० या ६० रु० भी तनख्वाह देते हैं? नहीं देते, आप तो एक रुपया रोज के हिसाब से उसे ३० रु० देना ही काफी समझते हैं, लेकिन यहां पर उसके लिये १०० रु० तनख्वाह देने की बात करते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि जो जमीन बड़ों से निकले वह गरीबों में बंटे, लेकिन आपने देखा कि जमीन की सीमा ४० एकड़, ६० एकड़ व ८० एकड़ को निर्धारित करने की बात हुई और फिर क्या एक इंच भी जमीन निकली जो गरीबों के बीच बांटी जा सके?

श्री उग्रसेन—यह आप श्री हुकुम सिंह विसेन से कहिये। हमारी पार्टी की हुकूमत होती तो हम दिखला देते।

श्री हरीसिंह—आज हर पार्टी के लोग किसान मजदूरों के सच्चे नुमायन्दे होने की बात करते हैं लेकिन वास्तव में वे हैं नहीं। हम भी चाहते हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़े और मैं तो उस वर्ग से आया हूं जो बराबर यह लड़ाई ही लड़ता रहा है कि हमारी तनख्वाह बढ़ायी जाय। लेकिन हमें दूसरी तरफ भी देखना होता है कि अगर हम वेतन बढ़ाते हैं तो वह पैसा कहां से आयेगा, यह सीमा तभी बढ़ाई जा सकती है जब हम पहले साधनों का इंतजाम कर लें। हमें खेतिहर मजदूरों की भी १०० रुपए मजदूरी निश्चित करानी चाहिये, रहा सरकारी कर्मचारियों की बात, यह तो चलेंगे जिस ढंग से आप चलायेंगे, आप उनके भी १०० रुपए करवाइये। लेकिन फिर टैक्स का विरोध आप न करें। अगर आप टैक्स का समर्थन करते तो हम भी कहते कि हां जरूर उन का वेतन कम से कम १०० रुपया होना चाहिये। अगर २ करोड़ का खर्च

[श्री हरीसिंह]

है तो वह कहां से आयेगा, आप टैक्स लगाते हैं तो उसका विरोध करते हैं तो फिर सरकार कहां से बढ़ा सकती है। कोई भी सरकार हो बगैर टैक्स लगाये वेतन नहीं बढ़ा सकती है। यह बात तो पहले ही सोचने की है कि हम कितना वेतन बढ़ायें और उसके हिसाब से कितना रुपया चाहियेगा और वह किस तरह से वसूल किया जायगा। यह नहीं हो सकता कि वेतन भी बढ़ जायं और टैक्स भी न लगाये जायं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना को हम सब ने मंजूर किया है, उस को हमें सफल बनाना है इसलिए आपने जो प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार बजट के घाटे को टैक्स से पूरा करने में आप मदद दें, उसका विरोध न करें। लेकिन अगर वेतन बढ़ता गया और साथ-साथ चीजों के दाम भी बढ़ते गये तो उससे कुछ लाभ न होगा। जैसे चीन में १००० रुपए का जूता बिकता है। इसका इलाज ही यह है कि आप अपने यहां औद्योगीकरण करें ताकि लोग दस्तकारी में लगे और उनके पास पैसा हो जिससे वह स्वयं अपने रहन-सहन के स्तर को उठा सकें। जब ऐसा होगा तो वह आप के पास वेतन बढ़वाने न आयेंगे आप को खुद ही मजबूर हो कर उनको ज्यादा वेतन देना होगा इस तरह से उनको गुड़ दिखा कर ईंट मारने से कुछ न होगा। यदि आप इस पर कटिबद्ध हों कि उनके स्तर को ऊंचा करें तो आप उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलायें, दस्तकारी उनके बच्चों के लिये हो, बड़ी जोतें छोटों को बांटी जायं लेकिन आप कुछ नहीं करते। आप तो कहते हैं कि सब चीजों के दाम ऊंचे हो जायं, किसानों के लिये दाम चाहते हैं कि उन का सामान महंगा हो। हर बात का वह तो विरोध ही करते हैं चाहे मान्य हो या न हो, दस साल से हम यही देख रहे हैं। वह समर्थन कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रस्ताव में यह कमी है वह कमी है, आप खुल कर कहें और जमीन का बटवारा करायें, गरीब मजदूरों में ताकि उनका निम्न स्तर उठे और जब हमारी माली हालत ठीक होगी तो तनख्वाह का प्रश्न ही नहीं पैदा होगा। लेकिन यदि तनख्वाहें बढ़ेंगी तो यह सरकार हो या आपकी सरकार हो, टैक्स लगायेगी। जैसे केरल में हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हुई उसको मजबूरन टैक्स लगाने पड़े। इसलिये बात सोच समझ कर कही जाय। जो आपने भत्ते और तनख्वाह की बात कही, जब आप खुद तनख्वाह और भत्ते लेते हैं, और उसूलन उसका विरोध करते हैं तो आप अपनी तनख्वाह और भत्ते को छोड़ दीजिये। आदरणीय सदस्य जिनकी दशा ऐसी हो वह चाहते भी होंगे, लेकिन आप इसका ताज पहनना चाहते हैं इससे मुझे ताज्जुब होता है। आपकी ऐसी बात सुन कर मुझे आपके प्रति बिल्कुल श्रद्धा नहीं रही कि आपको नेता मानूं।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, माननीय हरीसिंह जी ने मेरे बारे में कुछ कहा है, उस सम्बन्ध में मैं वैयक्तिक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया बैठें, उन्होंने ऐसे ही मजाक में कह दिया।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—श्रीमन्, जो प्रस्ताव माननीय केशव गुप्त जी ने पेश किया है और उसमें जो संशोधन माननीय संत सिंह यूसुफ जी ने किया है उसका समर्थन करता हूं। उन्होंने अपने संशोधन में जो यह कहा है कि पन्द्रहवीं कांफ्रेंस के फैसले को माना जाय मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। हमारा देश योजनाओं से गुजर रहा है, देश का विकास योजनाओं के द्वारा हो रहा है जिसके माने यह हैं कि देश का संतुलित विकास होना चाहिये। हमें किस चीज की जरूरत है इसका एहसास करना चाहिये और बहुमुखी विकास के लिये जरूरत इस बात की है कि सभी की आवश्यकतायें पूरी होनी चाहिये। इसलिये यदि हम देश के विकास में चाहते हैं कि उनका भी सहयोग मिले जिनकी जिन्दगी की जरूरियातें पूरी नहीं होती, जैसे चिकित्सा, तालीम, मकान तथा अन्य मामूली चीजें खरीदने के लिये दुश्वारियां उठानी पड़ती हैं तो हमें उनकी जरूरियातें जिन्दगी की चीजें मुहैया कराने की पूरी कोशिश करनी चाहिये तभी उनका सहयोग मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका

सहयोग नहीं मिलेगा और हमारा विकास रुक जायगा। इस प्रस्ताव की जो मूल भावना है कि निम्नतम वेतन मुकर्रर करें, जो संशोधन द्वारा बताया गया है, उस पर हमको विचार करना है। उसूली बात है कि हमें कोई न कोई कसौटी ऐसी बना कर चलना पड़ेगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा और कम से कम तनख्वाह में कम फर्क रहे और काम करने वाला छोटा इनसान यह महसूस न करें कि हमें बहुत कम तनख्वाह मिलती है और दूसरे को ज्यादा। मिसाल के तौर पर मंत्री को १००० रुपया तनख्वाह मिले और उसी के दफ्तर में काम करने वाले चपरासी को ५५ रुपया मिलता है। यह बहुत बड़ा अन्तर है। इसके अलावा मंत्रियों को भत्ता भी मिलता है। यह बेजा बात है। आप सोचिये, एक आदमी को जिसको तमाम सहूलियतें मुहैया हों, आने जाने के लिये मोटर हो, काम करने वाले नौकर हों, हर तरीके की आसानी हो और दूसरी तरफ नीचे दर्जे का नौकर अपने बच्चों को हाई स्कूल तक भी न पढ़ा सके अगर इतना फर्क दोनों की तनख्वाहों में होगा तो पूरे देश का विकास नहीं होगा। इसलिये तनख्वाहों में फर्क कम किया जाय और कम से कम तनख्वाह के लिये कोई न कोई फारमूला बनाना होगा। हमें यह सोचना होगा कि जो नीचे के काम करने वाले हैं उनकी भी कम से कम जरूरियातें उन बड़े लोगों के साथ पूरी होनी चाहिये जिनको ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह मिलती है।

आप देखिये, सड़क पर सार्वजनिक विभाग के नौकर को ३५ से ४२ रु० तनख्वाह मिलती है। उस पर जो सुपरवाइजरी स्टाफ, ओवरसीयर अथवा इंजीनियर होते हैं उनको डेढ़, दो हजार रुपये तनख्वाह मिलती है, और दूसरे भत्ते भी मिलते हैं जैसे घोड़े का एलाउन्स, मोटर एलाउन्स, मोटर साइकिल एलाउन्स। तो यह बहुत ही अनुचित बात है उस समाज में, उस सरकार में जिसने यह दावा किया हो, या जिसका यह लक्ष्य घोषित हो कि वह सोशलिस्ट सरकार है कि तनख्वाहों में इतना फर्क हो। ईमानदारी से सुबह से शाम तक जो सर पर टोकरी ढोता है, टेढ़ी सड़कों को सीधा व हमवार बनाता है, चिलचिलाती धूप के अन्दर टोकरी डालता है और तनख्वाह उसको ४२ रुपये मिले और वह आदमी जो महीने-दो महीने में उसे देखने आ जाय और तनख्वाह पाये डेढ़, दो हजार रूपये, तो यह मुनासिब नहीं है। इसीलिये यह प्रस्ताव आज लाया गया है कि अधिक से अधिक १,००० और कम से कम १०० और १२५ रुपये के बीच में वेतन रखा जाय। जो टेढ़ी सड़कों की देखभाल करता है, उन्हें हमवार बनाता है उसका भी मन करता है कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर इंजीनियर बनें और तमाम सुविधायें उसे मुहइया हों। इन बातों को देखते हुए उसे काम करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर मुल्क के विकास में उसका भी सहयोग हम चाहते हैं तो हमें ऐसा तरीका अख्तियार करना होगा जिससे सबका गुजारा हो सके।

दूसरी तरफ आप देखें कि एक चौकीदार को ५ रुपये तनख्वाह मिलती है और एक तरफ थानेदार को २०० रुपये और उसके अलावा भी दूसरे जराये आमदनी के उसके होते हैं। चौकीदार को ५, १० मील दौड़ कर थाने आना पड़ता है अगर गांव में कोई हंगामा हो जाता है, जबकि थानेदार घोड़े पर बैठ कर सारा इन्तजाम करता है। तो यह फर्क हमको देखना होगा और ऐसे तरीके अख्तियार करने होंगे जिनसे यह फर्क दूर हो और कम के अन्दर एफिशियेंसी बढ़े। अगर अपने मुल्क का विकास हम चाहते हैं तो, वह मजदूर जो खेतों पर काम करता है, चपरासी की जगह काम करता है अथवा आफिस में काम करता है, उसकी तनख्वाह व भत्ते को हमें देखना होगा और कुछ न कुछ तय करना होगा। इन अल्फाज के साथ जो संशोधन संत सिंह यूसुफ ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केशव गुप्त जी द्वारा जो प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत है उसका समर्थन करने के लिये मैं यहां खड़ी हुई हूं। मैं समझती हूं कि यह प्रस्ताव स्वयं में इतना विस्तृत है कि इसके साथ जो संशोधन उपस्थित किये गये हैं वे संकुचित पड़ जाते हैं। यह प्रस्ताव एक सैद्धान्तिक प्रस्ताव है और यह सदन अगर इसे स्वीकार कर लेता है तो फिर इसके लिये विस्तृत रूप से बैठ कर गंभीरता से यह विचार करना पड़ेगा कि उन प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने का आधार

[डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]

क्या होगा ? हमारे माननीय विरोधी कम्युनिस्ट दल के सदस्यों ने श्री संत सिंह यूसुफ के आंकड़ों के आधार पर कहा कि १२५ रुपये न्यूनतम आधार हो सकता है और सोशलिस्ट पार्टी की ओर से कही गयी १०० रुपये की बात, तो यहीं पर विरोधी बातें आ जाती हैं । इसलिये प्रस्ताव के साथ ही साथ केवल यह संशोधन उपस्थित कर देना कि एक सौ रुपया हो हो मैं समझती हूं कि जो भाई न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के साथ न्याय करना चाहते हैं । इससे वे उनके साथ पूरी तरह से न्याय नहीं कर सकेंगे ।

आज हमारा प्रदेश उन्नति कर रहा है । धीरे धीरे हम बढ़ते चले जा रहे हैं । हो सकता है कि अगली पंचवर्षीय योजनाओं के बाद हमारी सरकार इस हैसियत में हो कि हम उन्हें सौ की अपेक्षा डेढ़ सौ का न्यूनतम वेतन दे सकें इसलिये अभी से एक आधार निश्चित कर देना उचित नहीं होगा । इसलिये जहांतक हमारे विरोधी भ इयों की हमदर्दी न्यूनतम वेतन पाने वालों के साथ है उसको तो मैं समझती हूं लेकिन उचित न्याय के लिये यह अच्छा होगा कि हम इस प्रस्ताव को मानते हुये जो कि एक सैद्धान्तिक प्रस्ताव है इस प्रश्न को एक कमेटी के सुपुर्द करें और विस्तृत रूप से उसके डिटेल्स में जाकर के फिर एक सीमा निर्धारित करें ।

जहां तक प्राथमिक आवश्यकताओं की बात है, यह भी एक विवादग्रस्त विषय रहा है । उत्तर प्रदेश सरकार ने १९४६-४८ में एक लेबर इन्क्वायरी कमेटी बिठायी थी और उसके पहले वाल्यूम में हमारे देश में वेजेज, डियरनेस एलाउन्स और बोनस के बारे में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की गयी है । उसमें पृष्ठ ५६ से ५९ तक बहुत ही अच्छी तरह यह बताया गया है । यह कमेटी मजदूरों के प्रश्न पर विचार कर रही थी । वहां यह बताया गया है कि हमारे लिविंग वेज का स्टैन्डर्ड क्या होना चाहिये और उस कमेटी ने जहां मिनिमम सबसिस्टेन्स लेविल की व्याख्या की वहां यह कहा कि मिनिमम वेज क्या होना चाहिये । उस पर विचार करते हुये लिविंग वेज की बात आयी और उस आफ लिविंग वेज को जो वर्तमान कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स है उसके आधार पर वह इस निर्णय पर पहुंची थी कि यदि कोई लिविंग वेज हो सकता है तो वह सबसिस्टेन्स प्लस लेबर का ही हो सकता है और मैं समझती हूं कि जो हमारे न्यूनतम वेतन वाले कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी यही लागू होता है ।

जहां तक प्राथमिक आवश्यकताओं की बात है, इस पर भी हमारे दिमाग साफ होने चाहिये । आखिर को प्राथमिक आवश्यकतायें हम किस प्रकार निर्धारित करने जा रहे हैं । किस तरह का मकान होना चाहिये, कितना हम भोजन देते हैं, कितना वस्त्र देते हैं, कितना हम एजूकेशन के लिये निर्धारित करते हैं, ये तमाम बातें उसके अन्दर आती हैं । सबसिस्टेन्स प्लस लेबर की बात और न्यूनतम वेतन की बात मजदूरों के लिये आती है । इसी सिलसिले में जो वेज कोर्ट के निर्णय हैं उनमें एक बड़ा फेमस निर्णय है जो कि हारवेस्ट के एक जज ने १९०७ में आस्ट्रेलिया में दिया था । उसी के आधार पर आज जितने इन्डस्ट्रियालाइज्ड नेशन्स हैं वे चलने की कोशिश कर रहे हैं । उसकी एक पंक्ति में पढ़ कर सुनाना चाहती हूं क्योंकि यह हमारे दिमाग को साफ रखने के लिये जरूरी है कि हम केवल यही कह कर के कि १०० य १२५ रुपया न्यूनतम वेतन हो अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो जाते । उस जज ने कहा था--

"The normal needs of the average employee regarded as a human being living in a civilised Community"

अब हमें यह विचार करना है कि नार्मल वेज हम अपने देश के अनुसार तय करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि अमरीका में आज एक औसत व्यक्ति की आमदनी १,२०० रुपये है । आज वह देश इतना औद्योगीकरण कर चुका है कि वह इतना उत्पादन करता है जिसके कारण वह अपने मजदूरों को इतना दे सकता है । लेकिन हमें अपनी जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक विकास है

उसके कांटेक्स्ट में विचार करना पड़ेगा कि किस तरह हम अपने यहां के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन बढ़ा सकते हैं। चुनाव के दौरान में जो सदस्य शहर के क्षेत्र से आये हैं उनके सामने भी यह प्रश्न था, देहाती क्षेत्र के विधायकों के सामने भले ही न हों, शहर के रहने वालों में सरकारी कर्मचारियों की संख्या काफी होती है, इसलिये उनके सामने यह प्रश्न था कि जब नई विधान सभा बनने जा रही है तो कुछ नई बातें विधायक करें। लोगों ने काफी संख्या में इस तरह की मांग प्रस्तुत की थी और आज लोगों की नजर लगी हुई है कि हम क्या नई बातें करते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि यदि इस प्रस्ताव को मूल रूप में पारित किया जाता है तो इसका जनता के ऊपर मनोवैज्ञानिक असर होगा और न्यूनतम वेतन की सीमा हम निर्धारित करेंगे तो यह अच्छी बात और न्याय की बात होगी।

हमने देखा है कि पिछले वर्ष में मध्य प्रदेश में फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों ने एक बड़े पैमाने पर हड़ताल की थी और वह बहुत लम्बी चली थी। अन्त में सरकार को समझौता करना पड़ा और सरकार ने उनकी बात मानी, तो हमारे प्रदेश में भी इस तरह का प्रश्न सरकार के सामने आ सकता है। जब हमें हमारे कर्मचारी मजबूर करें कि हमारा ग्रेड निश्चित किया जाय तब करें तो ज्यादा अच्छा होगा या जब हम समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि लोगों को इन्सान की तरह से रहने का अधिकार हो तो करें तो ज्यादा अच्छा होगा। सिद्धान्त रूप में इसको स्वीकार करें और संशोधनों को स्थगित कर दिया जाय और जो कमेटी बने उसमें यह विचार हो कि क्या न्यूनतम वेतन निश्चित हो। जहां तक अधिकतम सीमा का सवाल है कि एक हजार रुपया कर दी जाय, मैं इसका विरोध करती हूं।

हमारा देश आगे बढ़ रहा है और एक समय आ सकता है कि इससे भी अधिक तनख्वाह दे सकें और ऊपर की सीमा निर्धारित करने की आती नहीं है। जब तक कि नीचे से नहीं उठाते हैं। हम न्यूनतम कर्मचारियों की बात कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह इतनी नहीं है। इसलिये एक हजार की सीमा निर्धारित करने की बात इसमें आती नहीं है और यह असंगत हो जाता है क्योंकि जो उनका स्केल बना हुआ है उसमें एक हजार तनख्वाह की बात एक स्वप्न की बात है। आर्थिक दृष्टि से हम बहुत पीछे हैं इसलिये दूसरा संशोधन भी गिर जाता है। यहां तो सवाल यह है कि जो कम तनख्वाह पा रहे हैं उनको किस तरह से अधिक वेतन दे सकें? मूल प्रस्ताव में है कि अधिकतम सीमा योग्यता के आधार पर रखी जाय? योग्यता के मापदंड का पता सर्विस करने के काफी दिन बाद चलता है आरम्भ में नहीं। योग्यता के ऊपर अधिकतम सीमा निर्धारित करना सही तरीका होता है।

आज जब कि हमें अपनी योजना को पूरा करना है, इस बात की आवश्यकता है कि उस योजना को चलाने वाले जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा निम्न श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह अवश्य ऐसी हो कि वह संतुष्ट हो कर, मन लगा कर अच्छी तरह से सोच विचार कर कार्य कर सकें। आज साधारणतया यह कहा जाता है कि प्लान का बहुत बड़ा रुपया इधर उधर हो जाता है। उसके मानी यह होते हैं कि बहुत गलत तरीके से इधर उधर चला जाया करता है। अगर हमारे कर्मचारी यह समझेंगे कि जो वह काम कर रहे हैं उसका उनको उचित पुरस्कार मिल रहा है, तो उस काम को वह अच्छी तरह से कर सकेंगे। आज इस बात की आवश्यकता है कि कर्मचारियों में चरित्र पैदा करने के लिये उनकी गरीबी को दूर करें। गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है, जो चरित्र को गिराने वाली चीज होती है। इसलिये मैं चाहती हूं कि यह प्रस्ताव मूल रूप में स्वीकार किया जाय। मुझे खुशी होगी अगर हम उनको अधिक तनख्वाह दे सकें, १०० या १२५ रुपये से भी ज्यादा दे सकें। जब कि हम को तीसरी पंच वर्षीय योजना के लिये एक एक पैसे की आवश्यकता है तो १०० और १२५ का सिद्धान्त मान कर बढ़ा तो नहीं सकते हैं लेकिन अगर हम समाजवाद को लाना चाहते हैं तो आवश्यक हो जाता है कि इस पर विचार करें। आज हम विचार करें, कार्यान्वन दो तीन साल बाद हो सकता है। लेकिन उसका आरम्भ कहीं से तो होना चाहिये। दस पंद्रह वर्ष सरकार अन्य अन्य कामों में लगी रही। जबकि योजनाओं के लिये एक-एक पैसा हमें इकट्ठा करना है, हमने अपने कर्मचारियों को सान्त्वना दी कि आप

[डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]
लोग अभी चुप रहें । लेकिन यह तो कह ही सकते हैं कि हमारा इस पर विश्वास है और अगर हम इस पर विचार करेंगे तो यह लाखों लोगों का प्रश्न है, दो एक दिन में तय होने वाला भी नहीं है । इस पर साल दो साल लग सकते हैं । तब एक निर्णय लिया जा सकता है । इन शब्दों के साथ, चूंकि यह बहुत क्रान्तिकारी प्रस्ताव है, इसका मैं मूल रूप में समर्थन करती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---श्री बसन्तसिंह । (कुछ रुक कर) श्री काशीनाथ । (श्री बसन्त सिंह का पुनः नाम पुकारे जाने पर)

श्री बसंतसिंह (जिला बिजनौर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस भावना से प्रेरित हो कर माननीय केशव गुप्त ने यह प्रस्ताव रखा है मैं उसका आदर करता हूं और उसके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं । मुझे तो ऐसी आशा थी कि समाजवादी सरकार और समाजवाद की स्थापना करने वाले माननीय सदस्य इसका किंचित मात्र भी विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि एक प्रकार से यह उन्हीं की भावना को व्यक्त करता है । परन्तु मुझे अजीब सा लगा जब इसका विरोध करने के लिये तरह तरह के तर्क प्रस्तुत किये गये जो बिलकुल असंगत से सिद्ध हुये । यह तो एक साधारण सी बात है कि.....

श्री काशीनाथ---एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी आपने मेरा नाम लिया उसके बाद दूसरे सदस्य को बोलने के लिये कहा ।

श्री उपाध्यक्ष---पहले बसन्त सिंह जी का नाम लिया था । लेकिन यह मेरी थोड़ी सी गलती थी । अब की आपको समय मिलेगा ।

श्री बसन्तसिंह---किसी भी सरकार के लिये यह जरूरी है कि वह अपने नागरिकों की निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये रोजगार दे और फिर ऐसी सरकार के लिये तो कहना ही क्या जो समाजवादी समाज की रचना करने वाली कही जाय । आज देखा यह जा रहा है कि जो कठोर परिश्रम करता है उसको कम वेतन मिलता है और जो काम नहीं करता उसको अधिक वेतन मिलता है । जैसे जैसे कम काम, वैसे वैसे अधिक वेतन । सरकार के पक्ष की ओर से कुछ सदस्यों ने भावना प्रकट की कि बात तो ठीक है, वेतन बढ़ना चाहिये और निम्नतम श्रेणी के कर्मचारियों की जो निम्नतम आवश्यकतायें हैं वह पूरी होनी चाहिये । लेकिन यदि ऐसा कर दिया जाता है तो बजट बढ़ जायगा और मौजूदा हालत में जबकि टैक्सेज लगाने की बात कही जा रही हो मौजूदा घाटे को पूरा करने के लिये तो यह भार और बढ़ेगा, फिर और टैक्सेज लगाने पड़ेंगे ।

यद्यपि मैं आज टैक्सेज की बात कहना नहीं चाहता था लेकिन सदन के कुछ माननीय सदस्य कुछ भी बोलते हुये टैक्सेज को अपनी बहस के बीच में घसीट लाते हैं और एक ही नारा आज है कि अगर विकास करना है, योजनायें पूरी करनी हैं तो टैक्स लगाने हैं । लेकिन मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि बजट को देखें और गम्भीरता से उसका अध्ययन करें और मन में यह भावना रखें कि हमें टैक्स नहीं लगाने हैं बल्कि ऐसे तरीके निकालने हैं कि बिना टैक्स के हमारा काम चल सके तो मेरा निश्चित मत है कि बजट में उसके लिये बहुत बड़ी गुंजायश मिलेगी । इस थोड़े से समय में उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया जाय और हर-एक आइटम को ब्योरेवार बताया जाय यह संभव नहीं है। लेकिन अगर एक ऐसी कमेटी बनायी जाय जिसमें सरकारी पक्ष के लोग भी हों और दूसरे लोग भी हों और हम यह तय करें कि हम और टैक्स नहीं लगायेंगे, अपने इसी बजट को इतना सन्तुलित करेंगे कि जो हमारी आमदनी है उसी से हमारा काम चल जाय तो निश्चित है कि हम ऐसा करने में सफल होंगे और हमारा नियोजन भी सफल हो सकता है । आज क्या कोई यह कह सकता है कि जो रुपया हम देते हैं वह पूरा काम में आ जाता है और उसका सदुपयोग होता है? जहां एक हजार रुपये से काम चल सकता है उसके लिये हम दो हजार, चार हजार और कभी कभी दस दस हजार तक रुपया देते हैं जो साल के आखिर में बच रहता है, उसके लिये फर्जी वाउचर्स बनाये जाते हैं । हम उस तरफ तो ध्यान नहीं देते और यही नारा लगाते रहते हैं कि टैक्सेज लगाने होंगे । यद्यपि मैं इस समय टैक्सेज के ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि टैक्सेज की बहस शायद आने वाली है, लेकिन जब जबर्दस्ती ही इस तरफ खींचा जाता है, तो बोलना ही पड़ता है ।

इस प्रस्ताव में एक सैद्धान्तिक पक्ष को लिया गया है, लेकिन वह इतना लचर है कि अगर उसको पास कर दिया जाता है तो उसमें गुंजायश रह जाती है कि निम्नतम आवश्यकता को कुछ भी मान लिया जाय और ५० रुपये ही घोषित कर दिया जाय और कहा जाय कि एक चपरासी की निम्नतम अवश्यकता तो ५० रुपये में ही भी पूरा हो जाती है, क्योंकि वह तो एक वक्त बिना खाये भी रह सकता है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पालिसी तय करने के बाद उसके मुताबिक जो रूल्स बनाये जाते हैं उनमें कुछ और ही बात रख दी जाती है । अभी आज ही पंचायत राज रूल्स जो रखे गये हैं उनमें ऐसी ही एक बात आयी थी । प्रोपोर्शनल रेप्रेजेन्टेशन सिस्टम उसमें रख दिया गया जबकि अधिकांश बे पढ़े लिखे प्रधान हैं जोकि अंगूठा लगाते हैं तो वे प्रोपोर्शनल रेप्रेजेन्टेशन की बात कैसे समझ सकते हैं ? इस तरह के रूल्स बनते हैं । इसलिये इस प्रस्ताव में जो संशोधन प्रस्तुत किया था १०० रुपये वाला माननीय कमला सिंह जी ने कि कम से कम वेतन १०० रुपया रख दिया जाय, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

दूसरी बात कही गई अधिकतम सीमा के बारे में । उसके लिये अभी कहा गया कि हमारी प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था है और हमारा देश प्रगति कर रहा है, हम आमदनी बढ़ा रहें हैं तो तनख्वाहें भी बढ़ेंगी, इसलिये मैक्सिमम लिमिट न की जाय । तो मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा जब उनकी आमदनी बढ़ जायेगी और वे इस काबिल हो जायेंगे तो वे फिर संशोधन कर लें और उसी मैक्सिमम लिमिट को निर्धारित कर लें । लेकिन मौजूदा परिस्थिति में अधिकतम वेतन एक हजार ठीक है और एक का और १० का अनुपात हो जाता है । इससे समस्या सुलझ जाती है । इसलिये मौजूदा हालत से इसी अनुपात को रखा जाय कि कम से कम १०० रुपया और अधिक से अधिक १ हजार रुपया मासिक वेतन होना चाहिये । जब बजट के घाटे की कमी पूरा करने का प्रश्न आता है, तो माननीय सदस्य कहते हैं कि एम ०एल० एज० का भत्ता बन्द करना चाहिये, लेकिन जरा सोचिये कि कभी हमने इस बात पर ध्यान दिया कि जिनकी तनख्वाह दो हजार रुपया है उनकी तनख्वाहों को कम करने के लिये सोचें ? मेरा निवेदन है कि इन अफसरों की तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिये जो इस सारे भ्रष्टाचार की जड़ हैं । उनके वेतन को कम किया जाय तो हम भी अपना भत्ता छोड़ने के लिये तैयार हो जायेंगे लेकिन एक तरफ भ्रष्टाचारी अफसर रहें और उनको २, २ हजार रुपया तनख्वाह दी जाती रहे और दूसरी तरफ एम० एल० एज० से कहा जाय कि भत्ता बन्द करो तो यह किसी प्रकार से उचित नहीं होगा जब कि एम० एल० एज० को इधर उधर जाना पड़ता है, जनता में घूमना पड़ता है, आनेवालों को खाना देना पड़ता है और दूसरे प्रबन्ध करने पड़ते हैं । मैं समझता हूं कि आगे से इस प्रकार की बातें न हों तो ज्यादा अच्छा होगा ।

अब इस बात पर विचार किया जाय कि मैक्सिमम लिमिट जो होनी चाहिये वह एक हजार की होनी चाहिये । बजट में आप देखेंगे कि डाइरेक्टर आफ फूड यूटिलाइजेशन की तनख्वाह जो पहले १२०० रुपये थी, उनको १५०० कर दिया गया है । सप्लाई अफसरों के वेतन को बढ़ाया गया है जिनका कोई औचित्य नहीं है । जो परमिट देते हैं, सीमेन्ट का परमिट देते हैं, भट्ठे के लिये कोयले का परमिट देते हैं, ईंटों का परमिट देते हैं वह बिना रिश्वत के नहीं देते हैं । वहां पर लोगों को कदम कदम पर परेशानी होती है लेकिन उन अफसरों का वेतन स्केल बढ़ाया जाता है । जब छोटे कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने का सवाल आता है तो हमारे सामने बजट में कमी बतला दी जाती है और कह दिया जाता है कि लाखों लोगों की समस्या का सवाल है और बजट में गुंजायश नहीं है । परन्तु जब सरकार को कोई सनक सवार होती है तो लाखों रुपया ढेर कर दिया जाता है । विकास के नाम पर करोड़ों रुपया बरबाद किया गया है । जिन प्रोजेक्ट के लिये ३।। करोड़ रुपया निर्धारित किया गया था उनको यह सरकार १९ करोड़ रुपये खर्च करके भी पूरा नहीं कर पाई है । सरकार इस बात को नहीं देखती है कि जो खर्च किया जा रहा है उससे कम में भी वह काम हो सकता है । हमारे यहां कालागढ़ डैम पर काम हो रहा है, लेकिन उसका इंजीनियर धामपुर में रहता है । उसे कालागढ़ में ही रहना चाहिये था । धामपुर में रहकर उसका सुपरवीजन कैसे ठीक किया जा सकता है ? इस डैम में रोज सैकड़ों बोरा

[श्री बसंतसिंह]

सीमेन्ट को चोरी हो रही है, उसको रोकने का कोई इन्तजाम नहीं किया जा रहा है । खुले बाजार में उसको ब्लैक मारकेट में बेचा जाता है जब कि एक एक बोरी सीमेन्ट को हासिल करने के लिये तहसीलदार के यहां एक एक आदमी को कई दिन तक चक्कर लगाना पड़ता है । मेरा निवेदन है कि सरकार इन सारी बातें को सोचे । हम इस बजट से ही बहुत सा रुपया बचा सकते हैं और हमको और टैक्स लगाने की जरूरत नहीं होगी और वह रुपया निम्नतम कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिये पूरा हो जायगा । अगर उनका सरकार वेतन नहीं बढ़ायेगी तो वे चोरी करेंगे। यह सरकार की बात रही, चाहें वेतन बढ़ा कर दें या चोर बना कर दें ।

दूसरी बात यह कही गयी है कि तनख्वाह और भ्रष्टाचार का कोई संबंध नहीं है । जिस आदमी के पास खाने के लिये रोटी नहीं है क्या वह रोटी हासिल करने के लिये गलत तरीका अख्तियार नहीं करेगा ? मैं यह मानता हूं कि बहुत ऊंचे अफसरों में भी भ्रष्टाचार का सवाल पैदा होता है, लेकिन इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि भ्रष्टाचार और कम आमदनी का कोई संबंध नहीं है । जिस आदमी के पास भरपेट भोजन न हो, रहने के लिये मकान न हो, पहनने के लिये कपड़ा न हो, बच्चों को पढ़ाने के लिये पैसा न हो तो वह गलत तरीका अख्तियार करने को प्रेरित होगा । इसलिये उनकी आर्थिक समस्या का निराकरण करना हमारे लिये जरूरी हो जाता है । मैं कहता हूं कि मौजूदा तरीके से यही होगा कि जो बजट हम दूसरी मदों के लिये पास करते हैं उसमें से वे अपने वेतन की कमी को पूरा कर लेते हैं या जो रुपया उनको हम देते हैं उससे वे उस कमी को पूरा करेंगे । बहरहाल वे हर तरीके से पूरा करेंगे चाहे रिश्वत से या बजट में चोरी से । साथ ही साथ जोश के साथ काम भी नहीं करेंगे । इसलिये उनका वेतन बढ़ाया जाय जिससे उत्साह के साथ वे काम कर सकें और सन्तुष्ट रहें । मैं इस प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता हूं इस संशोधन के साथ कि निम्नतम वेतन १०० रुपया और अधिक से अधिक वेतन एक हजार रुपया किया जाय ।

श्री जगन्नाथसिंह (जिला फतेहपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, आज जो प्रस्ताव केशव गुप्त जी ने पेश किया है, वह बहुत सुन्दर है और बड़े अच्छे भाव रखता है, परन्तु वह समय के अनुसार नहीं है । यह प्रस्ताव कुछ और बातें हो जाने के बाद पेश होता तो बहुत उपयुक्त होता । प्रस्ताव में दिया हुआ है कि जो कम वेतन वाले कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह इतनी कर दी जाय कि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें । सरकार के सामने चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो अथवा खेतिहर मजदूर अथवा कोई किसान हो, सब बराबर हैं और उसे सब की आवश्यकताओं को देखना है और वे आवश्यकतायें एक दिन में पूरी नहीं हो सकतीं । पहली बात यह कि उतना धन होना चाहिये कि जिससे वे तनख्वाहें दी जा सकें । खाली वेतन बढ़ा देने से काम नहीं चलता । आपको देखना होगा कि जो जरूरत की चीजें हैं वे किस भाव से बिकती हैं और इसका संबंध आपकी योजना से है । जब तक आप अपने उद्योग नहीं बढ़ायेंगे जरूरत की चीजों को ज्यादा नहीं पैदा करेंगे तब तक आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा और भले ही आप वेतन बढ़ा दें, उससे आपका काम नहीं चलेगा ।

दूसरी बात यह है कि एक कमेटी या कमीशन बैठाया जाय जो जांच करे कि आखिर जरूरत क्या है, चीजों के भाव क्या हैं और उस हिसाब से क्या तनख्वाहें होनी चाहियें ? आज प्रस्ताव है कि तनख्वाहें बढ़ा दी जांय, लेकिन जैसा हरीसिंह जी ने कहा, जो लोग देहात में रहते हैं उन्होंने क्या कसूर किया है ? आज खेत जोतने वालों को एक रुपया फी दिन के हिसाब से मिलता है जब कि यहां के कर्मचारी ४५, ५० रुपया मासिक पाते हैं और उन के पास दूसरे साधन भी हैं । उन के पास देहात में खेती आदि भी रहती है जब कि बाज जगह लोगों को ३० रुपया भी नहीं मिलता । गोरखपुर, बस्ती में लोग परेशान घूमते हैं । उनके लिये क्या किया जाय ? सरकारी नौकरों के लिये सब कुछ कर दिया जाय लेकिन जो हमें गल्ला व भोजन देते हैं उन के लिये कुछ न किया जाय । इसलिये यह प्रस्ताव ठीक नहीं है। जो कमीशन बैठे वह हर तरह की जांच करे । यह भी कि तनख्वाहें १०० रुपये और १००० रुपये के बीच में रहनी चाहियें,

यह भी ठीक नहीं है । मैं बहुत नम्रता से निवेदन करूंगा कि चाहे वह अमरीका हो, रूस हो या अपना देश हो, सब जगह एक्सपर्ट्स को ज्यादा तनख्वाह मिलती है । बार बार यह कहना कि मिनिस्टरों की तनख्वाह ज्यादा है, चपरासियों की कम है, ठीक नहीं, क्योंकि यह तो सदैव ही रहेगा । किसी एक्सपर्ट या इंजीनियर की और कुली की तनख्वाह कैसे बराबर हो सकती है ? तो ऐसी सूरत में मेरा कहना यह है कि सब की तनख्वाहें बराबर करने की बात असंभव सी है । केवल विरोध करने के लिये इस प्रकार की बातें कही जाती ह । मैं समझता हूं कि इसे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिये । हम यहां चीजों का रीजनेबिल व्यू लेने के लिये इकट्ठा हुये हैं । मैं इससे सहमत नहीं हूं और इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूं कि आज ऐसा प्रस्ताव लाया जाय । इसका अभी समय नहीं आया ।

दूसरे, जहां तक जो मूल प्रस्ताव है वह भी उपयुक्त नहीं है । मेरा तो सुझाव यह है कि पहले कमीशन बनाया जाय और कमीशन इस बात की जांच करेकि क्या हालत है प्रदेश की । यह देखें कि मारकेट रेट क्या है, कमोडिटीज के, उसका आपको ध्यान रखना होगा । मिसाल के तौर पर कहते हैं कि फेमिली की पर-कैपिटा इनकम क्या आती है । आप इधर तो कहते हैं कि साहब ५०० रुपये कमाता है । एक मेहतर को लीजिये । मैं छोटे से छोटे आदमी की मिसाल देता हूं । मेहतर जो म्यूनिसिपैलिटी में वर्क करता है, उसकी तनख्वाह अलग होती है, उसकी वाइफ कमाती है और उसके बच्चे भी कमाते हैं । इसके साथ साथ उसकी फैसिलिटीज को देखिये । उनके लिये गवर्नमन्ट आर्डर्स हैं कि उनकी एजूकेशन फ्री होनी चाहिये । बहुत जगह तो किताबें भी मिलती हैं । अब आप उसकी फेमिली की आमदनी को जोड़िये कि क्या आती है । मैं समझता हूं कि उनकी इनकम २ सौ रुपये से ज्यादा हो जाती है । इसक अलावा वह प्राइवेट काम भी करता है । आपके ढाई सौ या दो सौ रुपये पाने वाले क्लर्क के पास क्या है ? इन सब बातों के साथ मेरा सुझाव है कि गवर्नमेन्ट को इस सिलसिले में कोई कमीशन मुकर्रर करना चाहिये । पूरे प्रदेश की जो चीजें हैं उनकी जानकारी करावे और जो मारकेट रेट हैं, कमोडिटीज के उनको दरयाफ्त करे । मैं कहता हूं कि यदि यह प्रस्ताव फाइव इयर प्लान के बाद आवे जब हम कुछ उत्पादन करने लगें और कुछ बढ़ जायं तो ज्यादा अच्छा होगा, अभी तो प्रस्ताव बेकार है अतएव मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं । इस प्रस्ताव पर आप माननीय सदस्यों के मत ले लें कि इसको जारी रखा जाय अथवा नहीं । दूसरा प्रस्ताव जो है आधे लगान करने वाला, वह ले लिया जाय ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—श्रीमन्, इस पर बहस जारी रहनी चाहिये, क्योंकि बहुत से लोग इस पर बोलना चाहते हैं । यह बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है ।

श्री अध्यक्ष—मेरे पास बहुत से लोगों की चिटें मौजूद हैं और बहुत से लोग इस पर बोलना चाहते हैं, इसलिये इसे चलने दिया जाय । मैंने काशी नाथ जी से कह दिया है, अतएव उनको बोलने दिया जाय ।

श्री काशीनाथ—उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस आदरणीय सदन में जो बहस चल रही है निम्नतम वेतन क्रम तय करने की और ऊंची से ऊंची तनख्वाहें तय करने की, उसके बारे में मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इस सदन का ध्यान अधिकांश माननीय सदस्यों ने केवल इस तरफ दिलाया कि कम से कम आय की सीमा क्या रखी जाय और उस समस्या को लेकर यह असर डालने की कोशिश की कि यदि १०० रुपये तनख्वाह रखी जाती है तो प्रदेश के बजट में काफी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी और अधिक टैक्स लगाया जायगा और सरकार को टैक्स लगाने की जरूरत पड़ेगी । खैर, मैं इस तरफ आप का ध्यान न खींच कर आज सदन का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो ऊंची ऊंची तनख्वाहें हैं उनको जब तक कम न किया जाय तब तक हम समाज में समता स्थापित नहीं कर सकते । बहुत से सदस्य इस अभिप्राय के

[श्री काशीनाथ]

हैं और जैसा कि एक माननीया सदस्या ने कहा कि ऊंची तनख्वाहें कम करने के पक्ष में नहीं हूं, मैं आप से कहना चाहता हूं कि यदि यही मनोवृत्ति है तो अमीरो और गरीबो के बीच से आप कभी फर्क नहीं मिटा सकते।

आप समाजवाद की बात करते हैं। इसका सिद्धांत तो यह भी है कि समाज के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी और खर्च पर भी नियंत्रण रखा जाय। समाज में जो पैदा होता है उस पैदावार का समुचित वितरण भी होना चाहिये। आपका यह देखने का कर्त्तव्य है। आप यह देखें कि जब से यह देश आजाद हुआ है पूंजीपतियों की आमदनी कितनी बढ़ती जा रही है। अंग्रेजी राज्य में सब से बड़े पूंजीपति बिडला साहब थे जो २५ करोड़ पर इन्कमटैक्स देते थे। आज बिड़ला साहब की आमदनी पिछले १४ सालों में बढ़ कर दो सौ करोड़ हो गई है। आज उनकी आमदनी कई गुनी ज्यादा बढ़ी है। आपको उस पर नियंत्रण करना चाहिये।

श्रीमन्, अमेरिका और रूस की बात कही गयी। जिन्होंने वहां की बात कही मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने वहां की तनख्वाहों के आंकड़ों को देखा है? वहां पर एक मेहतर को १३०० रुपये माहवार मिलते हैं। वहां पर मिस्टर कैनेडी को ८ हजार रुपये मिलते हैं। तो उनमें अगर आप देखें तो पता चलेगा कि केवल ६–७ गुने का ही अन्तर है। योरप के किसी देश में भी ८ गुने, ६ गुने, या ३ गुने से ज्यादा अन्तर नहीं है। लेकिन आपके यहां हिन्दुस्तान में कई गुने का अन्तर है। हमारे यहां बहुत से ऐसे परिवार भी हैं जिनकी आमदनी एक नये पैसे भी नहीं है। जो गांधी जी के चेले उस तरफ बैठे हैं जिनकी तोंद इतनी मोटी है जो अभी यह कह रहे थे कि मेहतरों की औरतें, बच्चे आदि सभी काम करते हैं और इतनी आमदनी हो जाती है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनको यह कहते शर्म आनी चाहिये। आप उनके बच्चों से पाखाना उठवाना चाहते हैं और खुद मौज उड़ाना चाहते हैं। हिन्दुस्तान के अन्दर जब बच्चों से इस प्रकार का निम्न स्तर का काम लिया जाता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपका समाजवाद क्या है? इस तरह की बात करते आपको शर्म आनी चाहिये। इस सदन में ऐसी बात नहीं कहना चाहिये कि उनकी औरतें और उनके बच्चे निम्न स्तर का काम करते हैं।

कहा गया कि अगर हम उनका वेतन बढ़ाते हैं तो जो हमारी योजनायें चल रही हैं उनमें बाधा पड़ेगी। मैं यह निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि देश का विकास और हमारी योजनाओं का पूरा होना इसी बात पर निर्भर करता है कि हमारे देश के रहने वालों का स्तर क्या है। अगर नीचे का आदमी ऊपर नहीं उठता तो आपकी योजनायें कभी सफल नहीं हो सकतीं। अगर आपने बड़ी-बड़ी आय पर नियन्त्रण नहीं किया तो देश की भी उन्नति नहीं कर सकता और आप की योजनाएं सफल नहीं हो सकतीं। आपको चाहिये कि आप बिड़ला, टाटा और बड़े-बड़े पूंजीपतियों की आमदनी काटकर उसको योजनाओं में लगायें और यही प्रस्ताव इस समय सामने है। यह प्रस्ताव आपकी योजना में सहायक है, बाधक नहीं। आज बड़े अधिकारियों पर और मंत्रियों पर जो पैसा खर्च किया जाता है उसको कम करने की जरूरत है। आज ऊंची ऊंची तनख्वाहों को कम करने की जरूरत है और उनसे जो बचत हो, योजना में लगाने की जरूरत है।

वेतन के साथ साथ इस प्रस्ताव में यह भी मांग की गयी है कि अमीरों की जो दिनों दिन दौलत बढ़ रही है उसको कम किया जाय, उस पर नियन्त्रण किया जाय। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता और तब तक आपकी समाजवादी व्यवस्था चल नहीं सकती। योजनायें आपकी सफल हो नहीं सकतीं। तनख्वाह बढ़ाने के लिये ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, मैं इसको भी नहीं मानता, यह बात बिलकुल निरर्थक है। ऊंची आय वालों पर नियंत्रण होने से यह चीज हल हो जायेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस सदन से यह अपील करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को अवश्य ही पास करें। जिससे कि पता चल जाय कि तीसरे आम चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है और एक क्रान्तिकारी प्रस्ताव पास किया है जिससे कि गरीबों का फायदा होगा।

श्री उपाध्यक्ष--नेकराम जी, क्या वाकई आप चाहते हैं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ?

श्री नेकराम शर्मा--इस पर काफी बहस हो चुकी है। इसके बाद बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, माननीय सदस्य चाहेंगे कि लगान तय हो जाय।

एक सदस्य--हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, बहस जारी रखी जाय।

श्री उपाध्यक्ष--नेकराम जी, कुछ और हो जाने दीजिये।

एक सदस्य--अकेले यही चाहते हैं।

श्री नेकराम शर्मा--इस पर अब मत ले लिया जाय, जैसाकि आपने व्यवस्था दी थी।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--पहले कुछ लोगों को टाइम दे दीजिये तब बहस खत्म कीजिये। अभी तो लोग बोलना चाहते हैं। हमको टाइम दीजिये पहले।

श्री उपाध्यक्ष--सदन ही यह डिसाइड करेगा। प्रश्न यह है कि अब विवाद समाप्त किया जाय।

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--श्रीमन्, उधर की लाबी का दरवाजा खुला हुआ है, लोग उधर से आ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--मैंने तो किसी को आते हुए नहीं देखा।

कुछ सदस्य--आपकी तरफ की तो खुली है। लाबी तो हाउस का ही पार्ट है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :--

पक्ष में .. ६१,
विपक्ष में .. ९३)

श्री कल्पनार्थसिंह--मैं डिवीजन की मांग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--यही डिवीजन है, ऐसे प्रश्नों पर इसी तरह का डिवीजन होगा।

श्री कल्पनार्थसिंह--प्रक्रिया नियमावली में इस तरह की व्यवस्था है कि लाबी में जा कर डिवीजन कराया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--गिनती के पहले आपने कोई विरोध नहीं किया था।

श्री कल्पनाथ सिंह--कांग्रेस पार्टी के लोग जो मिसाल पेश कर रहे हैं उसके चलते यह लाजिमी है कि डिवीजन की मांग की जाय। डिवीजन लाबी में होना चाहिये। मैं समझता हूं कि कल जो लगान वाला सवाल आने वाला है उसी को लिंगर करने के लिये ये सारी बातें की जा रही हैं।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो आपने जो गिनती कराई है उसके सम्बन्ध में इधर के एक माननीय सदस्य ने आपत्ति की थी कि दरवाजा खुला हुआ था और माननीय सदस्य आते रहे। और माननीय कल्पनाथ सिंह ने यह व्यवस्था उठाई कि जो गिनती हुई वह वैधानिक तरीके से नहीं हुई, नियमावली में दिये हुए नियमों के अनुसार नहीं हुई। तो क्या हमारा यह हक नहीं है कि हम मांग कर सकें कि लाबीज में जा कर गिनती कराई जाय ? अपने हितों की रक्षा के लिए मैं आपके द्वारा मांग करता हूं.....(व्यवधान)

इस तरह से नहीं चल सकता कि उधर का दरवाजा खुला रहे और माननीय सदस्य आते रहें जबकि हमारी तरफ का दरवाजा बन्द कर दिया जाय।

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से बतलाना चाहता हूं कि वह नये सदस्य हैं।.....

(व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता हूं। हमारे नियमों की प्रक्रिया के अनुसार जब श्रीमन् खड़े हुये थे तो किसी माननीय सदस्य को बैठा कर आपको अपनी बात नहीं कहनी चाहिये। जब आप खड़े थे तो माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा ने.....

श्री उपाध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा—मैं जानना चाहता हूं कि जब आप स्वयं खड़े हों तो क्या यह व्यवस्था है कि कोई माननीय सदस्य आपको बैठा कर स्वयं ही भाषण देने लगे?

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जायं। आपने व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित किया। उसके ऊपर आपकी तरफ के दो तीन सदस्यों ने जो बातें कहीं उनको मैंने सुना। जब मैं खड़ा होने जा रहा था तो एक साहब ने कहा कि मुझे तो कुछ मौक़ा दीजिये तथा मुझे भी कुछ कह लेने दिया जाय। उनसे मैंने कहा कि आप भी अपनी बात कह लें, तो उसमें आप को क्या एतराज है?

श्री नेकराम शर्मा—आप खड़े थे।

श्री उपाध्यक्ष—मैं व्यवस्था देने के लिये खड़ा हो रहा था, उसी समय उस तरफ के एक साहब ने मौका देने के लिये कहा तो मैंने मुनासिब समझा कि उनको भी मौका दिया जाय, तो इसमें आप को क्या एतराज है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—श्रीमन्, आपकी आज्ञा-से मैं बतलाना चाहता हूं कि मैं आप की आज्ञा से खड़ा हुआ था। माननीय नरसिंह नारायण को बैठ जाने की बात मैंने कही थी, आपको ऐसी बात कहने की मैं धृष्टता नहीं कर सकता था। चूंकि माननीय सदस्य नये हैं, उनको हाउस के नियम मालूम नहीं हैं.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—आप लोगों को सब की बात सुननी चाहिये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा जी ने कहा कि वे आपकी आज्ञा से खड़े हुए थे, मैंने तो आपके आज्ञा देने की बात नहीं सुनी।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने उनको आज्ञा दी थी।

(व्यवधान)

आप लोग एक-एक दफा दस-दस आदमी खड़े हो जाते हैं और फिर लांछन लगाते हैं। यह ठीक नहीं है।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कौन पुराना है, कौन नया है, यह तो मैं नहीं जानता लेकिन मैं तो सब से नया हूं। मैं इसमें बुरा नहीं मानता हूं और न बिगड़ता हूं। मैं समझता हूं कि कायदा यह है कि लाबी हाउस का ही एक पार्ट है, इसलिये लाबी का दरवाजा खुलने में कोई आपत्ति की बात नहीं है। इधर की लाबी का दरवाजा भी खुला था और उधर की लाबी का दरवाजा भी खुला था। अगर आदमी वहां न हो तो नया हम पैदा करते कहां से? अगर वहां आदमी होते, तो आ जाते, कोई रुकावट नहीं थी।

बाहर से दरवाजा बन्द था तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है और न इसमें कोई बेकायदगी हुई। अगर आप दूसरा रेज्योलूशन लाना चाहते हैं तो उसको पेश करने के लिये भी हम तैयार हैं। बड़े-बड़े खिलाड़ी यहां से खेल कर के चले गये।

(व्यवधान)

मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी और मुझे अपनी बात कहने का राइट है। जब आपकी बात हम शान्ति से सुनते हैं तो फिर आप हमारी बात क्यों नहीं सुनते? अगर आप मेरी बात को नहीं सुनने के लिये तैयार हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको अदाबे-महफिल मालूम नहीं है और आप इस महफिल में रहने के योग्य नहीं हैं। जो मैं कहता हूं उसे आप सुनते क्यों नहीं हैं?

(व्यवधान)

श्री नेकराम जी, मेरे ऊपर दया कर के आप मुझे छेड़ें नहीं क्योंकि मैं आप को छेड़ता नहीं हूं। क्योंकि अगर आप मुझे छेड़ेंगे तो मुझे भी कुछ ऐसी बातें कहनी पड़ेंगी।

तो श्रीमन्, मैं अर्ज कर रहा था कि जब हमारे काफी माननीय सदस्य इस रेज्योलूशन पर बोलने के लिये अभी उत्सुक हैं तो अभी आप उनको बोलने दें। इस रेज्योल्यूशन के एक हिमायती साहब ने लेक्चर देते हुए कहा कि शर्म की बात है कि इस तरह की बातें इस सम्बन्ध में कही जाती हैं। फिर आप क्यों नहीं उस पर विवाद होने देते? आप उस पर विवाद होने दें, डर की क्या बात है, लोग इच्छुक हैं तो बोलें और कल परसों ७ दिन तक बराबर दूसरे प्रस्ताव पर बात करें, उसको हम सुनेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कल्पनाथ सिंह जो बहुत इच्छुक हैं, अच्छा है, वह अपनी बात कहें, हम सुनेंगे, एक क्या हजार सुनेंगे और जो कुछ अक्ल में आयेगा उनकी बात का जवाब भी दिया जायगा। प्रस्ताव पेश न किया जाय ऐसी कोई इच्छा हमारी नहीं है, लोग बोलना चाहें तो आप उन्हें बोलने दें। हमें गैग करना मुश्किल है लेकिन अगर हम ऐसा करें तो कहा जायगा कि बहुमत का नाजायज लाभ उठाया जाता है। अभी आप बोलने दें, हाउस तय करेगा तब बन्द हो जायगा।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी की बात कितने गौर से हम सुनते हैं और उस से कितनी ताक़त हमको मिलती है इसका किसी दूसरे को अहसास नहीं हो सकता लेकिन यह हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जितनी ही उम्र उनकी बीतती जाती है उतनी ही उनकी नौजवान होने की ख्वाहिश बढ़ती जा रही है। भगवान करे उनकी यह ख्वाहिश सदैव बनी रहे।

और बातें जो उन्होंने कही हैं उनके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इधर के माननीय सदस्य कुछ भी कहें, लेकिन सरकार के जो बिल आते हैं उनमें तो सरकार की ही मर्जी काम करती है हमारी नहीं। बहुमत उनका सदन में है ही, जो भी समय वह मुकर्रर करेंगे उसी समय को हमें भी फालो करना होगा, चाहे जितना गुस्सा हम जाहिर करें, जितना भी वक्त जिस बिल पर बहुमत देना चाहेगा उतना ही वक्त मिलेगा। कोई बिजनेस ऐडवाइज़री कमेटी इस वक्त है भी नहीं, अगर कोई होगी भी तो वह अकेले माननीय शान्ति प्रपन्न जी को होगी। मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल गैर सरकारी प्रस्तावों में ही हमारी कुछ मर्जी है, बहुत से माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में प्रयत्न किया लेकिन केवल थोड़े से ही आ सके, जो आये हैं उनके बारे में ही कहा जा सकता है, वह बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। जिस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है उस की महत्ता को भी हम कम करना नहीं चाहते, बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव वह है। जिन लोगों ने उसे महत्वपूर्ण समझ कर यहां रखा है, वह ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से तो आया नहीं। (आवाजें:--उधर से ही आया है) ठीक है, यह प्रस्ताव उधर के लोगों ने महत्वपूर्ण समझा, यह आया, बाकी और प्रस्ताव हैं, इसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, असेम्बली विभाग की इसमें कोई खता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

नहीं है, हमारे माननीय बड़े भाई केशव जी भी हाथ उठायें कि अभी बहस खत्म न की जाय। बहस करना चाहते हैं जिनका वेतन बढ़ाना है उनके लिये चाहते हैं लेकिन उस पर कोई निर्णय न हो और कल तक चलता रहे यह केशव जी की इच्छा मालूम हो रही है, गैरसरकारी प्रस्ताव भी बहुत जरूरी प्रस्ताव है। मैं आप से अपील करना चाहता हूं कि गैर सरकारी दिन तो हमारा ही है, माननीय बनारसी दास जी हमारी बात सुन लें, उपनेता का यह प्रस्ताव चाहे जितने दिन चले लेकिन हमारे प्रस्ताव लैप्स नहीं होंगे और जब तक विचार होता रहेगा तब तक सरकारी मामले सदन में नहीं आयेंगे। अगर यह बात हो जाय तो चाहे जितने दिन आप बहस चलाना चाहें, चलाइये, कोई एतराज इस तरफ के माननीय सदस्यों को नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात माननीय राजस्व मंत्री जी को मान्य होगी। मैं सदैव उनको नौजवान इस सदन में देखना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि वे इस बात को मान जायंगे।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय गेंदा सिंह जी, प्रश्न यह है कि गिनती करने के बाद जो निर्णय हुआ उस पर कुछ लोग व्यवस्था चाहते हैं कि आया जो प्रोसीजर बरता गया यह सही था या गलत था।

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर जो राजस्व मंत्री जी ने कहा कि हम पैदा कहां से करें जो ज्यादा आदमी बढ़ा दें। (व्यवधान) वह तो कुछ दूसरी प्रक्रिया है जिससे इधर भी बढ़ते हैं और उधर भी बढ़ते हैं। मैं आप से कहता हूं कि यह सब बातें दूसरी हैं। ठीक बात मैंने आप के सामने रख दी।

श्री उपाध्यक्ष---वह तो आपके और गवर्नमेंट के बीच में है, मेरे बीच में नहीं है।

***श्री यादवेन्द्रदत्त** (जिला जौनपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, जो बात आपने कही बड़ी विवाद ग्रस्त है। निर्णय देने से पहले मैं भी सुझाव रखना चाहता हूं। जो विवाद इस समय खड़ा हो गया है यह अनौपचारिक सा है। यह भी सत्य है कि प्रस्ताव बड़े महत्वपूर्ण हैं। मैं यह कहना चाहता हूं, जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा, कि हम आपकी बात मानते हैं तो आप भी हमारी भावनाओं का आदर करें और हमें आश्वासन दें कि जो हमारे दिमाग में विचार खड़ा हो गया है कि लगान का प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको सरकार लैप्स कराना चाहती है तो कल भी हमारा नान आफिशियल दिन है तो सरकार पूर्ण अवसर दे कि हम उस पर अपने विचार रख सकें। यदि सरकार ऐसा आश्वासन दे तो मैं समझता हूं कि इधर के बैठने वालों को कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि वे हमारी भावनाओं का आदर करते हुये इस बात को मान लें तो जो यह थोड़ा सा विवाद खड़ा हो गया है वह स्वभावतः समाप्त हो जायगा। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि राजस्व मंत्री जी कह दें और आप अपना निर्णय स्थगित रखें।

श्री हुकुमसिंह विसेन---उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकारी पक्ष की मंशा नहीं है कि कोई रिजोल्यूशन न आने पाये। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि यह मेरी इच्छा नहीं है। मैं जवान हूं या बूढ़ा, गेंदा सिंह जी जो चाहे कहें। वह भी बूढ़े हैं, न होंगे तो चार दिन में हो जायेंगे। कल के एजेंडे में यह प्रस्ताव मौजूद है। अगर यह किसी वजह से आज पेश नहीं होगा तो कल भी यह प्रस्ताव है कि लगान छोड़ो या आधा करो। हम ऐसा व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहते हैं कि हम उस प्रस्ताव को न आने दें। हमें तो उसे फेस करना है चाहे आज करें या कल करें। हाउस ने जो निर्णय कर दिया है मैं उसके लिये पाबन्द हूं और उसकी पाबन्दी करना चाहता हूं। इच्छा न होते हुये भी पाबन्द रहूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मान्यवर, जो सुझाव विरोधी पक्ष से आया है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं और दो नम्बर पर जो प्रस्ताव आज लगान अदा करने का है, यह प्रस्ताव कल के एजेंडे में पहले नम्बर पर भी हो। सरकार इस बात का आश्वासन दे सकती है, या तो आज ही इसको ले लिया जाय और या इस बात का विश्वास दे कि आज इस बहस को समाप्त करके कल जो पहला प्रस्ताव है वह ले लिया जाय। यह न हो कि इसी प्रस्ताव को लिंगर आन करके कल भी चलाया जाय। क्योंकि जितना महत्वपूर्ण यह प्रस्ताव है उससे कम महत्वपूर्ण वह प्रस्ताव भी नहीं है क्योंकि वह इस प्रदेश की ८० फीसदी जनता से संबंध रखता है। इसलिये मेरा आग्रह है कि सरकार हमारे अनुरोध को मान ले।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय झारखंडेराय जी ने जो तजवीज की है मुझे कोई एतराज नहीं है यह प्रस्ताव हो जाय उसके बाद वह आ जाय।

श्री यादवेन्द्रदत्त—इसको आज ही समाप्त ही कर दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अब आज तो हाउस ने निर्णय कर दिया। लेकिन जो प्रस्ताव इसके बाद है, अगर यह प्रस्ताव आज खत्म नहीं होता और कल होता है, उसके बाद भी ले लिया जाय, हमें कोई एतराज नहीं है। जो खतरा माननीय झारखंडे राय जी को है कि वह कल भी नहीं आयेगा उसके मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं . . . .

श्री यादवेन्द्रदत्त—अगर यह प्रस्ताव आज नहीं समाप्त हुआ और कल भी इसी तरह चलता रहा तो जो लोगों को दीखता है वह खतरा ज्यों का त्यों रहेगा। इसलिये हमने कहा इसको आज समाप्त कर लें, हमें कोई एतराज नहीं है और कल लगान वाला प्रस्ताव ले लिया जाय पूरे दिन के लिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्लोजर मूव करने से नहीं होता। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अधिकार है कि वह बहस को उचित समय पर समाप्त करें।

श्री उपाध्यक्ष—अब आश्वासन की बात तो सरकार की है। जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है सबसे पहली बात यह है कि यह अध्यक्ष का अधिकार है कि वह इस सवाल को पेश कर दें या न कर दें। लेकिन यह सोच कर कि नेकराम जी ने प्रस्ताव रखा है, कुछ आदमी बोल चुके हैं और कुछ बोलने को बाकी थे, पर यह सब होते हुये भी मैंने यह प्रश्न उपस्थित कर दिया, अब सवाल यह था किस तरह से उसका निर्णय हो। कायदा यही है कि पहले वायस वोट लिया जाता है और उसके बाद निर्णय दिया जाता है। दूसरी तरह से ऐसे होता है कि अगर उसको चैलेंज किया जाता है तो बेल बजती है, उसके बाद सब लोग एकत्रित होते हैं। जहां तक लाबीज की बात है वैसे तो दोनों लाबीज के दरवाजे खुले हुए हैं अगर माननीय सदस्य आ गये हों तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन यह दोनों दरवाजे बन्द थे। अब सवाल यह पैदा होता है कि बेल बजने के बाद फिर प्रश्न रखा जाय और वायस वोट लिया जाता है। उसके बाद जब चैलेंज होता है तो अध्यक्ष को अधिकार होता है अगर वह मुनासिब समझें मैं आपसे पूछना चाहता हूं जब वाद-विवाद समाप्त करने के मामले पर हाथ उठाकर निर्णय नहीं किया जायगा और विभाजन पर इतना समय बरबाद किया जायगा तो कोई व्यवस्था नहीं है, बेल के बाद जो वायस वोट होता है उसके बाद सवाल उठता है डिवीजन हो या न हो। और डिवीजन भी किस तरह का हो यह अध्यक्ष के अधिकार की बात है। वह हाथ उठवा कर, गिनती करा कर उसको तय कर दे या लाबी में भेज कर लिस्ट बनाकर करे। मैं समझता हूं हाथ उठा कर गिनती करा कर निर्णय करना अध्यक्ष के अधिकार की बात थी और वह जब होने को था तो किसी माननीय सदस्य ने यह एतराज नहीं किया कि नहीं साहब लिस्ट बनाकर विभाजन होना चाहिये। लेकिन जब निर्णय घोषित हो गया उसके बाद यह बात उठायी गई, मेरी समझ में वह गलत बात है। इस तरह से अध्यक्ष का जो अधिकार था वह बरता गया और निर्णय सही तौर से हुआ।

श्री लखपतराम शर्मा---श्रीमन्, मैं कुछ कहना चाहता हूं ....

श्री उपाध्यक्ष---इस प्वाइंट पर नहीं।

श्री लखपतराम शर्मा---अगर कोई अवैधानिकता बरती गई है, उसके संबंध में मुझे बोलने का मौका दिया जाय ....

(इस समय ४ बजकर १४ मिनट पर श्री अध्यक्ष, पुनः पीठासीन हुये।)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं कुछ कहना चाहता था। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब उपाध्यक्ष महोदय की तरफ से इस सदन में घंटी बजा दी गयी और यहां वोट होने वाला था, दो दरवाजे बन्द कर दिये गये और दो खुले रहे। अगर कानूनी शक्ल यह थी कि दरवाजे बन्द करने की जरूरत नहीं थी तो फिर दो दरवाजे भी बन्द नहीं किये जाने चाहिये थे और अगर दो दरवाजे बन्द किये गये तो सब दरवाजे बन्द किये जाने चाहिये थे। जब दरवाजे बन्द किये जा चुके थे तो कोई भी माननीय सदस्य आ नहीं सकता था और आने के बाद वैधानिक रूप से वोटिंग देने का अधिकार उनको नहीं था। दो दरवाजे जो खुले थे उनसे कई माननीय सदस्य आये और आने के बाद वोट दिया। तो क्या यह वैधानिक तरीका है? यह बिलकुल अवैधानिक है कि दरवाजे बन्द हो जाने के बाद माननीय सदस्य आयें और वोट दें। इसलिये दोबारा वोट लिये जायं।

श्री अध्यक्ष---सिर्फ इतनी आपत्ति है आपकी की कि लाबी में से सदस्य आ गये। तो लाबी में से आ सकते हैं चाहे उधर के दरवाजे बन्द हों या न हों। लेकिन अगर इधर से आये हैं तो आपत्ति हो सकती है।

श्री लखपतराम शर्मा---लाबी में से आ सकते हैं लेकिन बाहर से नहीं आ सकते।

श्री अध्यक्ष---भविष्य में इसका ध्यान रखा जायगा और फिर उपाध्यक्ष महोदय ने अपना निर्णय भी दे दिया है और वोटिंग भी हो चुकी है।

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव श्री केशव गुप्त जी की ओर से पेश किया गया है मैं उसकी भावनाओं से सहमत हूं परन्तु वह वेग है, असामयिक है। आज जब कि देश का विकास करने के लिये किसानों के ऊपर विकास कर लगाने की बात सोची जा रही है तब इस प्रकार का प्रस्ताव लाने का कोई भी औचित्य इस समय नहीं है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि आवश्यकताओं के अनुसार निम्नतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का वेतन निर्धारित कर दिया जाय। निम्नतम प्राथमिक आवश्यकतायें क्या हैं, इसका कोई विश्लेषण नहीं किया गया। अगर कहा जाय कि भोजन, वस्त्र तथा आवास की समस्या निम्नतम, आवश्यकतायें हैं तो उसका भी विश्लेषण होना चाहिये कि किस प्रकार का भोजन, वस्त्र तथा आवास निम्नतम आवश्यकताओं में आता है। आज एक ओर तो विरोधी दल के साथी कहते हैं कि टैक्स न लगाया जाय और दूसरी ओर यह कहते हैं कि १०० रुपये निम्नतम वेतन निर्धारित कर दिया जाय। इस सदन में इस प्रकार भाषण देकर केवल सस्ती जनप्रियता प्राप्त करने के अलावा और कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि हम वेतन बढ़ायेंगे तो पैसा कहां से आयेगा। पैसा हम जनता से ही वसूल करेंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि आज जो किसानों के ऊपर विकास कर लगाया जाने वाला है वह और अधिक बढ़ा दिया जाय और शहर के रहने वाले निम्नतम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया जाय। मैं समझता हूं यह कतई नहीं होना चाहिये।

किसान देश और जनतंत्र की रीढ़ है। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे खेतिहर मजदूर हैं उनके वेतन के संबंध में हमारे माननीय सदस्य कोई आवाज नहीं उठाते हैं। हम और आप में से बहुतों के यहां खेती खेती होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि सौ नहीं, साठ नहीं, क्या ५० रुपये भी

माहवार आप अपने हलवाहे को देने के लिये तैयार हैं? अगर इतना नहीं देते हैं तो फिर आपको यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि निम्नतम वेतन सौ रुपये निर्धारित कर दिया जाय। यह तो वही बात हो गयी कि–

पर उपदेश कुशल बहुतेरे,
जे आचरहिं ते नर न घनेरे।

तो भाइयो (हंसी) अध्यक्ष महोदय, आज जहां हम आवाज उठाते हैं कि हमें विधायक निवास में रहने के लिये स्थान नहीं मिलता है अगर हमें किसानों और निम्न वेतन पाने वाले कर्मचारियों से हमदर्दी है तो हम क्यों यह मांग करते हैं, क्यों नहीं हम ऐसा प्रस्ताव लाते हैं कि जो ७५ रुपया निवास के लिये हमें भत्ता दिया जाता है वह हम नहीं लेंगे, वह विकास के काम में लाया जाय, वह निम्नतम कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने में लाया जाय?

श्री अध्यक्ष––श्रीराम तिवारी जी, इनको ललकारिये नहीं (हंसी)

श्री श्रीराम तिवारी––मेरा कहना तो यह है कि पहले हम अपनी सुविधाओं को छोड़ने के लिये तैयार हों, हम भी वैसे ही मकानों और कमरों में रहने के लिये तैयार हों जिनमें निम्न वेतन पाने वाले कर्मचारी रहते हैं तब हम कह सकते हैं कि उनका वेतन बढ़ाया जाय। लेकिन हम तो आराम करें, हम चाहें कि पंखे के नीचे हर वक्त रहें, जितनी चाहें उतनी बिजली खर्च करें, जितना चाहें उतना हीटर का इस्तेमाल करें और सदन में आ कर यह कहें कि हमें निम्न वेतन वाले कर्मचारियों से हमदर्दी है तो यह तो महज दिखावे की बातें हैं। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि वे यह प्रयास करें कि देश का उत्पादन बढ़े, वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर जन जन को जागृत करें और कहें कि आज समय है निर्माण का, आज हम सब को जुटना है देश के निर्माण में और अपना खून पसीना एक कर देना है, जागिये, उठिये, उत्पादन बढ़ाइये और टैक्स दीजिये। जिससे देश का उत्थान हो सके। इस चुनी हुई सरकार में इतनी क्षमता पैदा कीजिये, उत्पादन बढ़ा कर, कि वह देश को इस काबिल बना सके कि इस प्रस्ताव की आवश्यकता ही न पड़े, अपने आप आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाय।

अध्यक्ष महोदय, आज मुद्रा स्फीति बढ़ी हुयी है। क्या हमारे साथी यह चाहते हैं कि १०० रुपया वेतन करके मुद्रा स्फीति और बढ़ाएं? हम विदेशों के सामने हाथ फैलाएं? हमारे साथी कहते हैं कि हम टैक्स न लगाएं। अगर टैक्स न लगाएं तो या तो विदेशों के सामने हाथ फैलायें या चोरी डाका डालें। चोरी और डाका डालना हमारे उन माननीय सदस्यों को शोभा देता होगा जो इस प्रकार के सुझाव देते हैं। मैं कहता हूं कि आप कांक्रीट सजेशन रखिये कि कहां से हम धन लाएं देश का विकास करने के लिये। देश का विकास होगा, चाहे उसके लिये टैक्स लगाना पड़े, या अन्य कोई संभव उपाय करना पड़े। हम नहीं चाहते हैं कि विदेशों के सामने हमें हाथ फैलाना पड़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, माननीय केशव गुप्त की तरफ से उसकी भावना से मैं सहमत हूं, इसलिये मैं चाहता हूं कि जो निम्नतम कर्मचारी हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। जिस तरह से विधायक रहते हैं, उससे कम रहें, लेकिन उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। लेकिन आज उसके लिये समय नहीं है। यह बेसुरा राग है। रूस में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना चालू हुई तो लोगों ने आधा पेट खा कर, एक जून खा कर अपने देश के उत्थान में योगदान दिया। उसी प्रकार जो वेतन पहले पा रहे हैं, वही लें। यह बात नहीं है कि उस तरफ के बैठने वाले लोग ही जनता के प्रतिनिधि हैं, इस तरफ के बैठने वाले सदस्य भी उसके प्रतिनिधि हैं। हमें भी हमदर्दी है। लेकिन हमें सच्ची हमदर्दी है, दिखावे की हमदर्दी नहीं है। सदन के फ्लोर पर खड़ा हो कर कोई भाषण दे दे ताकि अखबारों में निकल जाय कि इसमें हमारा इस प्रकार का प्रस्ताव रखा गया, और इस प्रकार की बातें कही गयीं। हम दवा देना चाहते हैं, कड़ुवा घूंट है। जनता को पीना होगा, मर्ज को दूर करने के लिये। हम नहीं चाहते हैं कि मरीज दवा न पिये और

[श्री श्रीराम तिवारी]

मरीज ही साफ हो जाय। भले ही कड़वी दवा हो, भले ही इंजेक्शन से कुछ तात्कालिक कष्ट हो, लेकिन वह देना ही पड़ेगा। आज पं० जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा जनता का कोई हमदर्द नहीं है जिन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति का त्याग कर दिया।

श्री राधेश्याम (जिल मथुरा)—व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में माननीय सदस्य द्वारा जो बात कही जा रही वह विषय के बिलकुल बाहर है। श्रीमान्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं इस सम्बन्ध में और यह भी चाहता हूं कि असंगत बातें न कही जायें।

श्री अध्यक्ष—राधेश्याम जी, वह टैक्स पर नहीं बोलेंगे, आज बोल लेने दीजिये।

श्री श्रीराम तिवारी—मैंने प्रधान मंत्री पंडित जवहार लाल नेहरू का उदाहरण रखा। आज उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं की देखरेख में यह योजनायें बनी हैं। तो क्या वह किसान के हित क. नहीं हैं? क्या वह निम्नतम कर्मचारियों के हित की नहीं हैं? क्या आज उनसे अधिक किसी को कसक है निम्नतम कर्मचारियों के प्रति? अगर इस प्रस्ताव को जो सदन में प्रस्तुत किया गया है और जिसमें विरोधी दल की तरफ से संशोधन पेश किये गये हैं, अगर हम उनको मान लेते हैं तो क्या विरोधी दल के सदस्य यह कहने के लिए तैयार है कि सरकार के पास जो साधन है उन्ह. साधनों से निम्नतम कर्मचारियों को १०० रुपये दिये जा सकते हैं? कोई कांक्रीट योजनायें आ ने नहीं रखीं। आप सिर्फ सदन के फ्लोर पर भाषण देना जानते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूं कि पहले सदस्यों को चाहिए कि वह एक प्रस्ताव रखें कि हम जो सुविधायें ले रहे हैं, उनको कटेल व रू देंगे। अगर हमदर्दी है जनता के साथ तो फर्स्ट क्लास का किराया छोड़ दिया जाय, अगर समदर्दी ह तो विधायक निवास के उन आर म देने वाले कमरों को छोड़ने का निश्चय किया जाय और यह प्रस्ताव विरोधी दल की तरफ से जो स-से ज्यादा हमदर्दी रखते है जनता के साथ आना चाहिए कि म त्याग करते हैं इन चीजों का और वह भी उन दस और पन्द्रह रुपये के कमरों में रहने के लिए तैयार हों जिनमें कि निम्नतम वेतन पाने वाले कर्मचारी रहते हैं। अगर वह कोई ऐसा प्रस्ताव लाते हैं तब हमें यह कहने का अधिकार है कि सरकारी अधिकारी और मिनिस्टरान जिनके वेतन और भत्तों की सबसे ज्यादा आलोचना की जाती है, अपने वेतन और भत्तों में कट करें। लेकिन अगर हम यह नहीं करते हैं तो यह सब थोथी बातें हैं और जनता को भुलावा देने की बातें हैं। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का और संशोधनों का घोर विरोध करता हूं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज के इस विवाद का रूप देखकर मुझे हां पक्ष के सदस्यों की भावना को समझने की शक्ति अपने अन्दर दिखाई नहीं देती। कारण यह है कि एक बात के लिए जहां वह ना करते दिखाई देते हैं जैसे कि अभी क्लेजर मूव हुआ तो सबने उसके फेवर में वोट नहीं दिये, उसके विरोध में वोट दिये और इधर बराबर उस प्रस्ताव का विरोध करते जा रहे हैं। तो ऐसी बात मेरी समझ में नहीं आती कि ऐसा हां पक्ष वाले क्यों कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई नाटक-कार अपने पात्रों को पहले से समझा देता है कि तुमको राम बनना है, तुमको रावण बनना है, तुमको कुम्भकर्ण बनना है, तुमको मेघनाथ बनना है और इस प्रकार से सबको सेट करके जिससे जैसा चाहे वैसा पार्ट अदा करवा लेता है उसी के अनुरूप उन्हीं के एक सहयोगी ने एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आज की तिथि के लिये निश्चित किया और वह माना गया लेकिन और जितने भी उनके साथी थे सभी ने उसी क्रम के अनुसार उसका विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। सबसे ज्यादा जो इसका समस्या वाला पहलू है वह इससे और भी स्पष्ट हो जाता है कि जब विरोधी दल ने क्लोजर मूव किया तो सब के सब लोगों ने उसके विपक्ष में मतदान किया और जब उस प्रस्ताव को लिया जाता है तो सब के सब उसके विरोध में बोल रहे हैं। यह बात तो इस समय के अनुसार हुई।

जहां तक गुप्त जी के प्रस्ताव का संबंध है मेरा निश्चित मत है कि उसकी भावना अच्छी है। सैद्धांतिक रूप से वह अच्छा है और मेरा विचार है कि शायद वह सोशलिस्टिक पैटर्न का जो फ्रेज है कि "From each according to his capacity, to each according to his needs." उसी के ऊपर वह आधारित है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि जो वेतन में असमानता है, जो बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है वह दूर होना चाहिये। हर आदमी को अपनी गृहस्थी को चलाने के लायक, अपने पेट को पालने के लायक, अपने बच्चों को शिक्षा देने के लायक जीवन-यापन करने के लिये समुचित साधन उपलब्ध होने चाहिये। उतना उसको वैसा मिलना चाहिये जितना उसके लिये आवश्यक हो। इसलिये यदि कोई सैद्धांतिक रूप से भी इस बात को मानते हुये भी और उन विचारों से सहमत होते हुये भी उसका विरोध इसलिये करता है कि वह सामयिक नहीं है, हमारे पास वैसा नहीं है तो उसको यदि बिडम्बना नहीं कहा जाय तो और क्या कहा जाय। सब से बड़ी बात यह है कि प्रदेश का शासन चलाने के लिये निम्नवर्ग के कर्मचारियों को जब तक हम सन्तुष्ट नहीं रखेंगे तब तक हमारी शासन प्रणाली ऊंचे नहीं उठेगी। हमारी योजनायें भी पूरा नहीं होंगी।

पहले श्री बैजनाथ सिंह जी ने अपने भाषण में यह बात कही कि हमें योजना चलानी है और नियोजन से हमारे प्रदेश की उन्नति होगी और इस प्लानिंग के लिये आवश्यक मात्रा में धन को एकत्रित करना है और यदि इस समय हमने यह बात मान ली तो हमको बहुत रुपया कर के रूप में जुटाना पड़ेगा और हमारी योजनायें अधूरी की अधूरी रह जायेंगी। मैं यह नहीं कहता कि प्लानिंग न हो। नियोजन तो सर्वप्रथम आता है। नियोजन होना चाहिये। बिना नियोजन के देश और विदेश में कोई भी निर्माण का कार्य नहीं हो सकता। हर जगह नियोजन है। जैसी जिस देश की व्यवस्था होती है वह उसी तरह से अपना नियोजन रखता है और उसके अनुसार ही वहां पर कार्य किया जाता है लेकिन मैं एक बात कहूंगा और वह यह है कि नियोजन की बात कहते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं या निम्न वर्ग के कर्मचारी हैं वह भी नियोजन से बाहर नहीं हैं। उनको भी नियोजन के अन्दर स्थान मिलना चाहिये। आप बड़े-बड़े बांध बनाते रहें, बड़ी-बड़ी सड़कों का निर्माण करते रहें, दूसरे बड़े-बड़े नियोजन बनाते रहें, और उनको पूरा करने में लगे रहें और साथ ही साथ जो कर्मचारी उन योजनाओं में योगदान देते हैं उनकी तरफ से दृष्टि हटा लें, उनको साथ में न रखें तो यह कोई उचित बात नहीं होगी बल्कि अनुचित बात कही जायगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की बात कही जाती है तो जो हां पक्ष के लोग हैं वे उसपर विचार नहीं करते। कोई सहानुभूति नहीं दर्शाते क्योंकि अगर सहानुभूति दिखाई होती तो आज ऐसा दावा हां पक्ष के लोग कभी न करते। मुझे एक उदाहरण याद आता है। निम्नवर्ग के कर्मचारियों की दशा देखकर हमने अगर उन्हें निम्न माना है तो यह हमारी गलती है। हमें निम्न उनको नहीं मानना चाहिये वह सब से ऊंचे कर्मचारी हैं कारण यह है कि जितनी योजनाओं को ले कर हम चलते हैं वह उनकी रीढ़ हैं। एक मिसाल मैं देता हूं। एक बारहसिंघा था, जिसे अपने रूप पर घमंड था। उसने अपने सिर को देखा, सींगों को देखा, शरीर को देखा और बड़ा पसन्द किया, लेकिन अपने पैरों की उपेक्षा की। लेकिन उसके बाद ही जब शिकारी कुत्ते उसके पीछे दौड़े तो उन टांगों ने ही उसकी रक्षा की। इसी प्रकार यदि हम अपने निम्न कर्मचारियों की उपेक्षा करेंगे तो यह नियोजन रखा रह जायगा। यह हमारी रीढ़ हैं। उनकी उपेक्षा करने से वह सब रखा का रखा रह जायगा और नियोजन की सारी इमारत ढह जायगी। इसलिये मेरा यह नम्र निवेदन है कि हम इस प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें। इस प्रस्ताव को मान लेने में क्या हर्ज है? इसे आप कब कार्यरूप में परिणत करेंगे यह आपकी इच्छा पर निर्भर है, लेकिन सैद्धांतिक रूप में इसे मान लेने में आपको लज्जा नहीं आनी चाहिये, कोई कमजोरी हमें नहीं मालूम होनी चाहिये। और इसलिये मैं फिर कहूंगा कि हमें इस प्रश्न पर सहानुभूति से विचार करना चाहिये।

एक बंधु ने और इस बात का जिक्र किया कि हमको त्याग की भावना की आवश्यकता है और इसलिये हमें अधिक से अधिक त्याग करना चाहिये। हमारे पास इतना धन नहीं है कि

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

हम हर एक की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह त्याग की भावना केवल निम्न वर्ग के कर्मचारियों के लिये ही है। उन्हीं से यह आशा क्यों की जा रही है कि वे त्याग करें? जो बड़े-बड़े कर्मचारी हैं, मिनिस्टर्स हैं, वे क्यों नहीं एक आदर्श उपस्थित करते, इस त्याग की भावना को क्यों नहीं अपने सामने रखते? आज जो भी आता है वह छोटे लोगों से त्याग कराना चाहता है, उसी से पैसा वसूल करना चाहता है, लेकिन बड़े लोगों की तरफ किसी की आंख नहीं जाती।

मुझ से पहले जो हां पक्ष के सज्जन बोल रहे थे उन्होंने कहा कि हम सब को अपने विधायक निवास को छोड़ देना चाहिये और अपने भत्ते को छोड़ देना चाहिये, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार का बिल लाने में उन्हें क्या रुकावट है। हम यहां इस प्रकार का बिल नहीं ला सकते इसलिये कि हमें डर है कि आप उसे नहीं मानेंगे, लेकिन आप तो बहुमत में है, आप उसे पास करवा सकते हैं और यह खाली भत्ते या हाउस एलाउन्स की बात नहीं है, आप अपनी तनख्वाह भी घटा दें, उसे बिलकुल समाप्त कर दें। यह निप्रोजन का समय है और इसमें कंधे से कंधा मिला कर काम करने में हम आप से पीछे नहीं रहेंगे। हम तो इतने आगे बढ़े हुये भी नहीं हैं, इतने समृद्ध भी नहीं हैं जितने आप सब हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां सरकार के खर्च कम करने का कोई सवाल आयेगा, उससे आमदनी बढ़ने का कोई सवाल आयेगा, हम उसका सब से पहले स्वागत करेंगे।

दूसरी बात जो मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं वह यह है कि जो आज का युग है वह औद्योगीकरण का युग है और इसमें हम किसान को मानव का अन्नदाता कहते हैं। यदि हम किसान को मानव जाति का अन्नदाता कहें, तो आप कभी उसमें बुरा नहीं मानेंगे। उसी प्रकार से हम निम्नकर्मचारी को औद्योगीकरण के युग का पिता कहें तो भी आप को बुरा नहीं मानना चाहिये, क्योंकि बिना निम्न कर्मचारियों के यह संभव नहीं है कि आपकी योजनायें बढ़ें, आपका कला कौशल बढ़े, उद्योग-धंधे बढ़ें। आज आप एक पंचायत के सेक्रेटरी को क्या तनख्वाह देते हैं? एक पंचायत अदालत, जहां ८–९ गांव होते हैं उसे देखना पड़ता है। एक लेखपाल को आप क्या तनख्वाह देते हैं? उसके अतिरिक्त आप पी० डब्लू० डी० के निम्न कर्मचारियों को क्या तनख्वाह देते हैं? शिक्षा विभाग में, जिला बोर्ड और चुंगी के कर्मचारियों तथा न्याय विभाग में आप क्या तनख्वाहें देते हैं? यदि इन सब बातों पर आप गौर करें तो आपको स्वयं पता लगेगा कि आप उनके साथ कुछ न्याय नहीं कर रहे हैं और इसी लिये वह भ्रष्टाचार के लिये मजबूर होते हैं, इसीलिये वह काम चोरी का बहाना करते हैं। यही कारण है कि उनमें एफीशियेंसी नहीं आती, उनमें स्फूर्ति का वातावरण नहीं है। यदि आप उनको अच्छी तरह से पे करें तो निश्चित रूप से आपके एडमिनिस्ट्रेशन की एफीशियेंसी बढ़ेगी और जिन योजनाओं में आप ५ करोड़ खर्च करते हैं वे २।। करोड़ में ही पूरी हो जायेंगी। क्योंकि इसी प्रकार से काम का मापदंड बढ़ता चला जायगा। वे उत्साह के साथ कार्य करेंगे और जिन फाइलों को सरकने में ६–७ दिन लगा देते हैं वह जल्दी होंगी और इस प्रकार से आपके एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार होगा।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

श्री हरीशकुमार गंगवार—श्रीमन् मुझे केवल दो मिनट और दे दें।

श्री अध्यक्ष—आप केवल एक मिनट और ले लीजिये।

श्री हरीशकुमार गंगवार—मेरे बन्धु श्री नौरंग लाल जी ने यह कहा कि यदि हम तनख्वाहें बढ़ाते हैं और इस प्रश्न के ऊपर विचार कर लेते हैं तो उससे किसानों का बोझ और बढ़ जायगा क्योंकि सब टक्स तो उसी को देना पड़ता है। मेरा तो उनकी बात सुनकर यह मत हो गया

है कि शायद उनको किसानों के टैक्स की अधिक फिक्र है, अधिक चिंता है। उन्होंने एक प्रकार से सदन को आश्वासन दिया है कि सरकार की ओर से अब कोई टैक्स किसानों पर नहीं लगेगा। वे इस बात को सोचें कि क्या किसानों के प्रति उनको इतनी श्रद्धा है और क्या वे उनको इतनी आदर की दृष्टि से देखते हैं कि किसानों के ऊपर टैक्स नहीं पड़ना चाहिये? इसका अर्थ यह हुआ कि अब जो आगे सदन में वादविवाद चलेगा उसमें वे निश्चित रूप से जो सरकार टैक्स लगाने जा रही है, उसका विरोध करेंगे और वे सज्जन जिन्होंने इन निम्न कर्मचारियों का भत्ता या उनकी तनख्वाहों को बढ़ाना स्वीकार नहीं किया है वे सब आगे चलकर किसानों के ऊपर जो टैक्स पड़ने वाले हैं, उसका विरोध करेंगे।

श्री अध्यक्ष---आपका समय समाप्त।

श्री जे० पी० मिश्र---अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके सामने यह निवेदन करना है कि माननीय केशव जी ने जो प्रस्ताव इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, उससे मेरा बुनियादी मतभेद है। उसके कारण हैं। उन कारणों में यदि यह सम्मानित सदन जायेगा तो मेरा अपना यह विचार है कि इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्य मेरी राय से इत्तिफाक करेंगे। कर्मचारियों का एक वर्ग बनाने की बात है। इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग ७ १/२ करोड़ या ७ ३/४ करोड़ जनता रहती है और यह प्रदेश आप सब सदस्यों को मालूम है कि किस तरह से पिछड़ा हुआ प्रदेश है, किस तरह से इस प्रदेश के सामने दिक्कतें हैं, किस तरह से पूर्वी जिले तबाह हैं, किस तरह से उन जिलों में ८-९ वर्षों से लगातार सैलाब आ रहे हैं, किस तरह से किसान और गरीब जनता आज दाने-दाने को दुखी हो जाती है। जब दैवी आपत्तियां आ जाती हैं तो मैं इस सम्मानित सदन के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप इस तरह से एक नये क्लास को बनाना चाहते हैं? मैं आपके द्वारा इन माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको यह पता है कि आपके गांव में एक मजदूर ८ आना रोज मजदूरी पाता है। क्या आपका ध्यान उस मजदूर की तरफ भी गया है? उस व्यक्ति का क्या स्तर हो सकता है जिसे महीने में १५ रुपये की ही आमदनी होती है। जरा सोचिये कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार होती होगी। उसके परिवार के लोगों का पेट तक नहीं भरता होगा। और आप छोटे वर्ग के कर्मचारियों की बात कर रहे हैं। माननीय केशव गुप्त ने बिना सोचे समझे ही यह संकल्प प्रस्तुत कर दिया है जिसका मैं घोर विरोध करता हूं.....

श्री केशव गुप्त---अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि मैंने बिना सोचे समझे ही यह प्रस्ताव रख दिया क्या यह संसदीय है?

श्री अध्यक्ष---बिना सोचे समझे कह देना तो कोई ऐसी बात नहीं है जो असंसदीय हो।

श्री जे० पी० मिश्र---तो मैं यह कह रहा था कि प्रदेश के उन ७ करोड़ आदमियों का खयाल भी क्या इस माननीय सदन के सदस्यों को है जिनके जीवन की मुख्य-मुख्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं होती। विरोधी दल में बहुत से ताल्लुकेदार लोग भी बैठे हैं जो मजदूरों को ८ आना, और १२ आना मजदूरी ही देते हैं। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति किस तरह होती होगी। आज प्रदेश में लाखों आदमी ऐसे हैं जो १ रुपया या १२ आना या ८ आना भी पैदा नहीं करते। सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कोई आपत्ति आ जाती है जिसके कारण लाखों आदमियों को खाने तक को नसीब नहीं हो पाता। क्या आपका ध्यान उन लोगों की तरफ भी गया है? यह एक सवाल है जिसको आपको हल करना है। आज कानपुर में एक मिल में काम करने वाले निम्न कर्मचारी को १०० रुपये मासिक मिलते हैं उसी के करीब एक गांव में जो मील भर दूरी पर है, उसे क्या मिलता है, उस ओर आपका कभी ध्यान नहीं गया। आपकी निगाह तो गवर्नमेंट को अपसेट करने की है, हमारे कार्य-क्रम को अपसेट करने की है, यही भावना इन संशोधनों के पीछे भी है। तो मैं यह कहना

[श्री जे० पी० मिश्र]

चाहता हूं कि जब तक आप निम्न से निम्न लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रबंध नहीं कर लेते, तब तक इस तरह का प्रस्ताव लाना अप्रासंगिक है। जो ५-६ करोड़ आदमी हैं, जो सूखा और बाढ़ आने पर दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आपका क्या रुख है? कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिये, कुछ लाख इंसानों के लिये आप एक संकल्प इस सदन में ले आयें, लेकिन आप सर्वे करा लें, साल ६ महीने में पता लगा लें कि कितने इंसान इस प्रदेश में हैं जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई है। साम्यवाद और समाजवाद का आधार सबसे पहले नीचे से लीजिये, बीच में न लाइये।

हमारे सम्मानित साथी ने अभी एक चोट की थी, हम लोगों को रावण, कुम्भकरण बतलाया। कोई ऐसी भावना नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं कि आप ही त्यागी, कर्मशील जनता के प्रतिनिधि हैं। गलत दावा न करें। हम लोगों ने भी त्याग किया है, तपस्या की है, कुछ किले ढाये हैं, लाल किले पर कब्जा किया---आप आ गये बैठने को। किला तोड़ते हैं हम, आम जनता के नेता आप बनते हैं, यही बड़ी दिक्कत है, हमारी समझ में यही बात नहीं आ रही है।

श्री राधेश्याम---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं तो लाल किले से कोई संबंध इस प्रश्न का नहीं है।

श्री अध्यक्ष---जो कहा गया है उसका उत्तर दे रहे हैं। जो माननीय मिश्र जी कह रहे हैं वह बिलकुल संगत है, वह भाषण जारी रखें।

श्री हरीशकुमार गंगवार---एक व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय सदस्य हाथ हिला रहे हैं, क्या ये इशारे असंसदीय नहीं हैं?

श्री जे० पी० मिश्र---मैंने तो आस्तीन चढ़ाते देखा है.....

श्री अध्यक्ष---देखिये मिश्र जी, इससे लाभ नहीं है। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया मैंने उसको ओवर रूल कर दिया। आप भाषण जारी रखें।

श्री जे०पी० मिश्र---माननीय मित्रों का लक्ष्य यह है कि वक्ता विषय से परे चला जाय, सदन में बहस न कर पाये। खैर, इंटरप्ट करने का आपको अधिकार है। मुझे यह सुझाव पेश करना है कि माननीय सरकार इस बात पर विचार करे कि गरीब से गरीब इंसान की आज क्या मजदूरी है उसका सर्वे किया जाय। ६ महीने की मियाद मुकर्रर की जाय या साल भर की। एक क्वश्चनेयर तैयार किया जाय.....

एक सदस्य---सर्वे की जरूरत नहीं है, हो चुका है....

श्री अध्यक्ष---आपको मौका मिलेगा, आप आंकड़े पेश कर दीजियेगा। उनको पहले सुन तो लीजिये।

श्री जे० पी० मिश्र---आपके द्वारा मेरा सुझाव है कि गांव सभा के प्रधानों के पास एक क्वश्चनेयर भेज दें जिससे निश्चित हो जाय कि कितने लाख इंसान ऐसे हैं, या उस स्तर से ऊपर के हैं जिनकी जिन्दगी की गुजर बसर असम्भव है। पहले यह समाजवादी सरकार इस सदन के सामने वह सर्वे प्रस्तुत करे और उस सर्वे के लिये एक अखबारी दिन मुकर्रर किया जाय। तब यह पता लग सकेगा कि वाकई इस प्रदेश की जनता में विभेद पैदा किया जा रहा है, कुछ लाख लोगों को लेकर सात-आठ करोड़ लोगों के साथ उपेक्षा की बात की जा रही है। आवश्यकता इस बात की है कि आज प्रदेश के वह लोग जो बुरे दिन काट रहे हैं उनको इन छोटे कर्मचारियों के स्तर पर लाया जाय और तब इन कर्मचारियों की बात की जाय।

श्री अध्यक्ष—माननीय मिश्र जी आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा। अब पांच बज गये हैं। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
३१ जुलाई, १९६२।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

[देखिये नियम २९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३ पर]

तालिका

सन् १९५५-५६ से १९६१-६२ तक कृषि विभाग द्वारा की गयी गेहूं तथा धान की खरीदारी का विवरण (मनों में)

वर्ष	गेहूं			धान		
	फार्म द्वारा	कृषकों के रजिस्टर्ड फार्मों द्वारा	योग	फार्म द्वारा	कृषकों के रजिस्टर्ड फार्मों द्वारा	योग
१९५५-५६ ..	३४७७१	६९२८९	१०४०६०	१२०४७	९७५८	२१८०५
१९५६-५७ ..	६६७४३	३२६९६३	३९३७०६	१६६२३	४६१०९	६२७३२
१९५७-५८ ..	१११८१७	२३४३६७	३४६१८४	२४३४८	२६७२४०	२९१५८८
१९५८-५९ ..	६४२४३	१४६९७६	२११२१९	२३२७४	१६८३२८	१९१६०२
१९५९-६० ..	१०४५६१	११५१७२	२१९७३३	३४८११	७९९४६	११४७५७
१९६०-६१ ..	६१६९८	१६३५७	६८०५५	४३०४२	४७९५३	९०९९५
१९६१-६२ ..	३५०९२	३७५१	३८८४३	२०६८८	३९१६	२४६०४

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम २९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३२–३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९ पर]

बलिया जिले में बनाये गये नलकूपों की ब्लाक वार (Block–wise) संख्या निम्न प्रकार है

क्रम-संख्या	ब्लाक का नाम	नलकूप जो बनाये गये
१	जढ़वार	७
२	हनुमानगंज	५
३	सोहांव	१४
४	दुबहर	९
५	बेलहरी	९
६	मुरली छपरा	३
७	बेरिया	५
८	रेबती	७
९	बरबारबारी	२
१०	पंडाह	३
११	ब सडीह	५
१२	मनियर	४
१३	नबानगर	—
१४	रसड़ा	२३
१५	रतनपुरा	२०
१६	नगरा	२३
१७	चीलकहर	११
१८	सीयर	२
	कुल ..	१५२

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में बलिया जिले में निर्माण के लिये प्रस्तावित नलकूपों का अस्थायी (tentative) ब्लाक वार वितरण निम्न प्रकार है :

क्रम-संख्या	ब्लाक का नाम	संख्या
१	हनुमान गंज	१
२	रेबती	४
३	बांसडीह	४
४	रसड़ा	६
५	रतनपुरा	६
६	नगरा	२
७	चीलकहर	५
८	मनियर	१
	योग ..	२९

परिशिष्ट 'ग'

[देखिये नियम २९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५० पर]

पूर्वी यमुना नहर पर पानी की सप्लाई अपर और लोअर डिवीजन के मध्य विभिन्न फसलों में सिंचित क्षेत्र के अनुपात के अनुसार विभाजित होती है। यह अनुमान किया जाता है कि रिसने और भाप बनने इत्यादि के कारण कलसिया पर कुल पानी की सप्लाई का १० प्रतिशत की हानि होती है। इस १० प्रतिशत के घटाने के पश्चात् शेष ९० प्रतिशत पानी का बंटवारा इन दोनों डिवीजनों के मध्य निम्नप्रकार विभाजित किया जाता है, जो कि मोटे तौर पर दोनों डिवीजनों के सिंचित क्षेत्रों के आधार पर अनुमानित है—

		अपर डिवीजन का भाग	लोअर डिवीजन का भाग
ख—खरीफ			
१	प्रारम्भिक खरीफ ..	कलसिया पर ९० प्रतिशत पानी का १/४ भाग।	शेष
२	वर्षा काल प्रारम्भ होने पर ..	कलसिया पर ९० प्रतिशत पानी का १/२ भाग।	शेष
३	धान की फसल में जब लोअर यमुना डिवीजन के क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है।	कलसिया पर ९० प्रतिशत पानी का २/३ भाग।	शेष
ब—रबी]			
१	कौर शुरू होने से पहिले ..	कलसिया पर ९० प्रतिशत पानी का १/३ भाग।	शेष
२	कौर के समय में ..	२८/१०० (कलसिया पर कुल पानी—१००) +५० क्यूसेक्स	शेष
३	कौर के अन्त में ३१ मार्च तक ..	कलसिया पर ९० प्रतिशत पानी का १/३ भाग।	शेष

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम २९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३ पर]

परिशिष्ट 'क'

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कानपुर के कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची

क्रम-संख्या	नाम	पदनाम	तैनाती की तिथि	टीका
१	२	३	४	५
१	श्री बी० एस० खन्ना ..	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	२९-७-१९६१	
२	श्री गंगाप्रसाद शर्मा ..	सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ।	११-१२-१९६१	
३	श्री टीका राम गहतोरी	सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (प्राविधिक) ।	१२-४-१९६२	
४	श्री के० के० श्रीवास्तव	सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी इन्फोर्समेंट ।	३-७-१९६१	
५	श्री एम० एस० नेगी ..	सहायक प्रादेशिक निरीक्षक (प्राविधिक) ।	२३-१०-१९६०	
६	श्री एन० एन० सहाय	प्राविधिक निरीक्षक ..	२४-९-१९५६	
७	श्री अनुप सिंह गुप्त ..	प्रधान लिपिक ..	२१-८-१९५९	
८	श्री गया सिंह ..	वरिष्ट लिपिक (कर विभाग)	९-९-१९६०	
९	श्री एस० एस० सक्सेना	वरिष्ट लिपिक (परमिट विभाग) ।	४-६-१९५७	
१०	श्री विश्वनाथ अरोड़ा	रोकड़िया ..	१९-५-१९६०	
११	श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव ..	लेखापाल ..	१-७-१९५७	
१२	श्री जय राम सिंह ..	सहायक रोकड़िया ..	३०-१२-१९५७	
१३	श्री सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव ..	टंकक ..	८-१०-१९६०	
१४	श्री राम निवास श्रीवास्तव	आशुलिपिक ..	१३-८-१९५७	
१५	श्री कुंज बिहारी सिंह	कनिष्ट लिपिक: (कर विभाग)	२४-५-१९५९	
१६	श्री सी० पी० बालानी	कनिष्ट लिपक (परमिट विभाग)	१३-६-१९६१	
१७	श्री मोती लाल श्रीवास्तव	कनिष्ट लिपिक (कर विभाग)	१२-६-१९५९	
१८	श्री सुरेन्द्र सिंह ..	कनिष्ट लिपिक (परमिट विभाग) ।	११-८-१९५९.	

क्रम-संख्या	नाम	पद नाम	तैनाती की तिथि	टीका
१	२	३	४	५
१९	श्री फजूलूर रहमान ..	कनिष्ट लिपिक (सामान्य प्रशासन विभाग) ..	२९-३-१९६१	
२०	श्री आनन्द स्वरुप ..	कनिष्ट लिपिक (कर विभाग)	१८-७-१९६१	
२१	श्री आर सी० शर्मा	कनिष्ट लिपिक (कर विभाग)	१-७-१९६१	
२२	श्री जे० सी० गुप्त ..	कनिष्ट लिपिक (परमिट विभाग)	६-८-१९५८	
२३	श्री हर प्रसाद कौशल	कनिष्ट लिपिक (कर विभाग)	२८-५-१९५७	
२४	श्री कृष्णनारायण सरीन	कनिष्ट लिपिक (कर विभाग)	५-१-१९६२	
२५	श्री बी० एन० चतुर्वेदी	कनिष्ट लिपिक (कर विभाग)	१-७-१९६०	
२६	श्री भारत सिंह ..	कनिष्ट लिपिक (परमिट विभाग)	१-७-१९६१	
२७	श्री सदानन्द सिंह	कनिष्ट लिपिक (कर विभाग)	११-२-१९६०	
२८	श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव	कनिष्ट लिपिक (कर विभाग)	१५-१-१९६२	
२९	श्री सहदेव प्रसाद ..	कनिष्ट लिपिक (गर विभाग)	१३-८-१९६०	अपरान्ह
३०	श्री मुर्ली धर कश्यप ..	कनिष्ट लिपिक (निश्कासन विभाग)	१७-२-१९५८	
३१	श्री द्र नारायण श्रीवास्तव	कनिष्ट लिपिक (कर विभाग)	२५-१-१९६१	
३२	श्री ख्याली राम जोशी	कनिष्ट लिपिक (लैसन्स विभाग)	१-९-१९६१	
३३	श्री शिव कर्ण शुक्ल	कनिष्ट लिपिक (लैसन्स विभाग)	४-११-१९५९	
३४	श्री राम भरोसे चौधरी	कनिष्ट लिपिक (कर विभाग)	२८-८-१९६१	
३५	श्री दीप नारायण टंडन	कनिष्टलिपिक (परमिट विभाग)	५-३-१९६०	
३६	श्री देवी प्रसाद टंडन	कनिष्ट लिपिक (करविभाग)	११-७-१९६१	
३७	श्री नन्हे लाल वर्मा	कनिष्ट लिपिक (प्राप्ति विभाग)	३-३-१९६२	
३८	श्री मोहम्मद यासीन सिद्दीकी	कनिष्ट लिपिक (इन्फोर्समेंट)	२९-८-१९५९	
३९	श्री विष्णु स्वरूप द्विवेदी	कनिष्ट लिपिक (इन्फोर्समेंट)	२३-१०-१९६१	

परिशिष्ट 'ख'

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कानपुर के कार्यालय के अधिकारियों व क्लर्क कर्मचारियों की सूची जिन्हें कानपुर में ३ वर्ष हो गये हैं ।

क्रम-संख्या	नाम	पद नाम		तैनाती की तिथि	टीका
१	२	३		४	५
१	श्री नरेन्द्र नाथ सहाय	प्राविधिक निरीक्षक	..	२४–९–१९५६	
२	श्री शिव शंकर सक्सेना	बरिष्ट लिपिक	..	४–६–१९५७	
३	श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव	लेखापाल	..	१–७–१९५७	
४	श्री जैराम सिंह ..	सहायक रोकड़िया	..	३०–१२–१९५७	
५	श्री राम निवास श्रीवास्तव ।	आशुलिपिक	..	१३–८–१९५७	
६	श्री कुंज विहारी सिंह	कनिष्ट लिपिक	..	२४–५–१९५९	
७	श्री मीतीलाल श्रीवास्तव	कनिष्ट लिपिक	..	१२–६–१९५९	
८	श्री हर प्रसाद कोशल	कनिष्ट लिपिक	..	२८–५–१९५७	
९	श्री मुर्लीधर कश्यप	कनिष्ट लिपिक	..	१७–२–१९५८	

नत्थी ङ

[देखिये नियम २९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ७१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८ पर]

१—करछना तहसील में बेलन तथा बागला टेक की नहरों से १६,६५७ एकड़ भूमि का सिंचन होगा ।

२—मंझनपुर तहसील में फतेहपुर सिस्टम सुनारी रजवहा तथा धाता रजवहा की नहरों से २१,८६२ एकड़ भूमि का सिंचन होगा ।

३—सिराथू तहसील में फतेहपुर सिस्टम की नहर तथा ७ नलकूपों से १५,९११ एकड़ भूमि का सिंचन होगा ।

४—सोरांव तहसील में सोरांव, इलाहाबाद रायपुर, मऊएमा, रजवहों तथा मड़ियाहूं ब्रांच की नहरों से १०,०३२ एकड़ भूमि का सिंचन होगा ।

५—चायल तहसील में घाता रजवहा की नहरों तथा ६ नलकूपों से २,५३७ एकड़ भूमि का सिंचन होगा ।

६—मेजा तहसील में मेजा ब्रांच तथा बेलन की नहरों से ४,२२६ एकड़ भूमि का सिंचन होगा ।

७—फूलपुर तहसील में मड़ियाहूं ब्रान्च तथा रायपुर रजवहा की नहरों तथा ४६ नलकूपों से १५,०६७ एकड़ भूमि का सिंचन होगा ।

८—हंडिया तहसील में १०५ नलकूपों से ३२,६४७ एकड़ भूमि का सिंचन होगा ।

नत्थी 'च'

[देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६० पर]

'क'

वित्तीय वर्ष डेरी			व्यय	आय
१९४८–४९	..	..	१०,०७,८४४	..
१९४९–५०	..	..	२१,५४,५४४	..
१९५०–५१	..	..	२१,९२,६४५	..
१९५१–५२	..	..	२१,३१,५२०	१९,१८,८१३
१९५२–५३	..	..	१३,६३,७५४	१४,९३,८२५
१९५३–५४	..	..	११,८०,८५५	१३,२३,०५४
१९५४–५५	..	..	११,४०,८३४	१२,८४,४५९
१९५५–५६	..	..	११,४५,९९९	११,२८,०८२
१९५६–५७	..	..	१५,१७,५३०	१३,९६,९८४
१९५७–५८	..	..	१८,४५,३२८	१६,६९,३१९
१९५८–५९	..	..	१७,००,७८४	१६,६९,६०३
१९५९–६०	..	..	२१,०४,८६२	१८,७८,१९२
१९६०–६१	..	..	२१,२८,७६०	२३,८२,००७

नत्थी 'छ'

[देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२ पर]

क्रम-संख्या	उम्मेदवारों के नाम तथा दल		गाड़ियां कब दी गईं		
१	उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड	..	दिसम्बर, जनवरी और फरवरी		
२	कांग्रेस के व्यक्तिगत उम्मेदवार—				
	क—श्री रामपाल त्रिवेदी	..	२३-१२-६१	से	२६-२-६२
	ख—श्री मंगला प्रसाद वाजपेई	..	३-१-६२	से	२८-२-६२
	ग—श्री एम० आर० शेरवानी	..	२३-१-६२	से	२२-२-६२
	घ—श्री राम रतन गुप्ता	..	१२-१-६२	से	१-२-६२
			१२-१-६२	से	१५-२-६२
			१९-१-६२	से	८-२-६२
	ङ—श्री अली जहीर		८-२-६२	से	१९-२-६२
३	प्रजा सोशलिस्ट—				
	क—श्री गेंदा सिंह	..	२९-१२-६१	से	२७-२-६२
	ख—श्री त्रिलोकी सिंह	..	३१-१२-६१	से	२६-२-६२
	ग—श्री अशोक मेहता	..	१६-१-६२	से	२८-२-६२
	घ—श्री ओम प्रकाश	..	२८-१-६२	से	३१-१-६२
			४-२-६२	से	२५-२-६२
			१३-२-६२	से	१५-२-६२
			१९-२-६२	से	२४-२-६२
४	सोशलिस्ट—				
	क—श्री राम सेवक यादव	..	३१-१२-६१	से	२-३-६२
	ख—श्री काशी नाथ मिश्र	..	१७-१२-६१	से	१०-३-६२
	ग—श्री राम मनोहर लोहिया	..	१४-१-६२	से	२४-२-६२
	घ—श्री राज नारायण सिंह	..	१३-१-६२	से	४-३-६२
५	जनसंघ—				
	क—श्री महेश चन्द्र	..	३-१-६२	से	२८-२-६२
	ख—श्री कृष्ण पाल सिंह	..	३-१-६२	से	२५-२-६२

नत्थी 'ज'

[देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२ पर]

क्रम-संख्या	उम्मीदवारों के नाम तथा दल	प्राप्त धनराशि
१	उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड	१,५५,६५६.१५
२--कांग्रेस के व्यक्तिगत उम्मीदवार--		
	क--श्री राम पाल त्रिवेदी	१६९०.००
	ख--श्री मंगला प्रसाद वाजपेयी	२७५२.२५
	ग--श्री एम० आर० शेरवानी	१३४६.३७
	घ--श्री राम रतन गुप्ता	३७५४.२५
	ङ--श्री अली जहीर	१५५५.५०
		११,०९८.३७
३--प्रजा सोशलिस्ट--		
	क--श्री गेंदा सिंह	४२६९.९३
	ख--श्री त्रिलोकी सिंह	४८२९.२५
	ग--श्री अशोक मेहता	२८७७.७५
	घ--श्री ओम प्रकाश	६६२.००
		१२,६३८.९३
४--सोशलिस्ट--		
	क--श्री राम सेवक यादव	१८०२.२५
	ख--श्री काशीनाथ मिश्र	१८३०.२५
	ग--श्री राम मनोहर लोहिया	२१५४.२५
	घ--श्री राजनारायण सिंह	१८१५.२५
		७६०२.००
५--जन संघ--		
	क--श्री महेश चन्द्र]	२४००.००
	ख--श्री कृष्णपाल सिंह	१२०१.००
		३६०१.००

नत्थी 'झ'

[देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२ पर]

सूची प्रार्थना-पत्र जिलेदारी १, डिवीजन इटावा, नहर गंगा, तारीख १५-१२-६१ से १५-११-६२ तक

क्रम-संख्या	नाम काश्तकार	तारीख जांच व तहकीकात
१	२	३
१	श्री श्याम सिंह बेलाहार	५-३-६२
२	श्री भजन लाल मुहरी	२३-४-६२
३	श्री मुकुटसिंह ताखा	१३-२-६२
४	श्री चन्द्र प्रकाश ताखा	१३-२-६२
५	श्री गुरुदत्त बम्हनोपुर	२९-३-६२
६	श्री नेकराम सिंह रामपुर	८-३-६२
७	श्री चिरोंजी लाल रामपुर	८-३-६२
९	श्री गुरुदत्त बम्हनीपुर	२९-३-६२
१०	श्री लक्षमन सिंह भटोली	२१-४-६२
११	श्री तेजसिंह नहरा बोझ	९-३-६२
१२	श्री सुन्दर लाल अझारा	१०-३-६२
१३	श्री बदन सिंह न० लछो	१२-२-६२
१४	श्री घासी राम न० लछो	१२-२-६२
१५	श्री विरेन्द्र कुमार ताखा	१३-२-६२
१६	श्री वीरेन्द्र कुमार ताखा	
१७	श्री छोटे लाल बम्हनीपुर	२९-३-६२
१८	श्री भवानी सिंह पटनाखुर्द	२४-४-६२
१९	श्री रामप्रताप सिंह गुवांरी	८-३-६२
२०	श्री दीनदयाल गुवांरी	८-३-६२
२१	श्री चुन्नीलाल गुवांरी	८-३-६२
२२	श्री सुखवासी समथर	२-३-६२
२३	श्री सरमन सिंह गुवांरी	८-३-६२
२४	श्री हरचन्द्र अहीर	८-३-६२
२५	श्री पुत्तूलाल गुवांरी	८-३-६२
२६	श्री झुम्मकलाल सिहवां	३१-३-६२
२७	श्री गंगादीन सिहवां	३१-३-६२
२८	श्री टीकाराम समथर	५-३-६२
२९	श्री कामता सिंह सरसई बाबर	११-२-६२
३०	श्री मुलायम सिंह गुवांरी	८-३-६२

सूची प्रार्थना-पत्र जिलेदारी दो, डिवीजन इटावा, नहर गंगा, तारीख १५-१२-६१ से १५-१-६२ तक

क्रम-संख्या	नाम काश्तकार	तारीख जांच व तहकीकात
१	२	३
१	श्री मेवाराम मोली	१४-४-६२
२	श्री राम नरायन नचित	२२-४-६२
३	श्री श्याम लाल न० भोच	१४-४-६२
४	श्री ज्ञान सिंह ऊमरखंडा	११-४-६२
५	श्री तिलकसिंह मंगूपुर	११-४-६२
६	श्री जीवालाल रसैलावाद	४-४-६२
७	श्री जंगजीत लहरोई	१३-४-६२
८	श्री रुस्तम सिंह भार	१२-४-६२
९	श्री सोने लाल मंगूपुर	१५-४-६२
१०	श्री ऊमन सिंह न० साल	४-४-६२
११	श्री कृष्ण कुमार कंघोषी	१४-४-६२
१२	श्री जोर सिंह निनावा	२०-४-६२
१३	श्री गलजारी टाडा उखर्रा	१-४-६२
१४	श्री रज्जन सिंह न० चन्देलन	१३-४-६२
१५	श्री छोटे लाल भर्थना	२३-४-६२
१६	श्री कंचन सिंह निनावा	२०-४-६२
१७	श्री सोने लाल मंगूपुर	१२-४-६२
१८	श्री राम जैतपुर	२-४-६२
१९	श्री सुमई ठकपुर	१४-४-६२
२०	श्री सोने लाल लखनपुर	१६-४-६२
२१	श्री सीताराम कबोसो	१३-४-६२
२२	श्री रामचरन राऊरेहार	१६-४-६२

नत्थी 'ञ'

[देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३ पर]

सिंचाई विभाग देवरिया में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लगाये जाने वाले नलकूपों की सूची

क्रम-संख्या	नलकूप संख्या और ग्रुप		गांव		काम शुरू होने की तिथि
१	८९ सलेमपुर	..	कुकुरघाटी (पश्चिम)	..	८-१२-६१
२	९० ,,	..	,, (पूर्व)	..	१२-१२-६१
३	९१ ,,	..	मटायारा जगदीश	..	२६-११-६१
४	९२ ,,	..	लार	..	१५-२-६१
५	९३ ,,	..	विभनौली	..	११-१२-६१
६	९४ ,,	..	पदरी गगराज	..	१५-१२-६१
७	९५ ,,	..	भमौर लहरौली	..	१२-२-६२
८	९६ ,,	..	बन्दी भैसाहां	..	२०-३-६२
९	९७ ,,	..	रेवली	..	१-४-६२
१०	९८ ,,	..	सुनारी	..	१४-४-६२
११	१०८ ,,	..	अमऊ	..	२३-४-६२
१२	८६ देवरिया	..	रामपुर जगदीश	..	२०-१-६२
१३	८७ ,,	..	कठौली	..	२७-११-६१
१४	८८ ,,	..	कनकपुर	..	११-११-६१
१५	८९ ,,	..	सिरसिया	..	९-११-६१
१६	९० ,,	..	सिखत बारी	..	१५-१२-६१
१७	९१ ,,	..	सोनिया	..	२६-१२-६१
१८	९२ ,,	..	बढ़िया बुजुर्ग	..	९-१२-६१
१९	९३ ,,	..	नारायणपुर	..	१८-१-६२
२०	९४ ,,	..	सुरचक	..	२६-१-६२
२१	९५ ,,	..	अमेठी	..	२६-३-६२
२२	९६ ,,	..	पिपरा मदन गोपाल	..	२५-५-६२
२३	९७ ,,	..	कैरमैल	..	२६-४-६२
२४	९८ ,,	..	सुर्जमुरा	..	२६-४-६२

नत्थी 'ट'

[देखिये तारांकित प्रश्न ४२–४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५ पर]

तालिका-क

विभागीय जलाशय जिनमें १९५८–५९ से मत्स्य पालन कार्य हो रहा है:

(१) लखराय का पोखरा, मेहनगर
(२) सराय मोहन का पोखरा

विकास खंड जिनमें १९५९–६० में मत्स्य विकास प्रारम्भ किया गया:

(१) रानी की सराय
(२) मेहनगर
(३) नवाबगंज
(४) फूलपुर
(५) जहानागंज
(६) मोहम्मदपुर
(७) पल्हनी

तालिका-ख

(अ) विकास खंडों में मत्स्य उत्पादन

	मन
१९६१–६२	१६०
१९६२–६३	२२५
योग ..	३८५

(ब) विभागीय जलाशयों में मत्स्य उत्पादन

१९५८–५९ से १९६१–६२ तक .. १८ मन ३२ सेर १२ छटांक

नत्थी 'ठ'

[देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७ पर]

३१ मार्च, १९६२ तक प्रवेश किये गये जानवरों की संख्या

	गाय	बैल	बछड़ी	बछड़े	योग
	५५	२९	ओसरे ३	१९	१०६
संख्या जानवरों की जो मरे ..	४३	२४	३	१४	८४
संख्या जानवरों की जो भाग गये ..	७	२		४	१३
शेष जानवरों की संख्या ..	५	३	..	२	१

विधान सभा

नत्थी 'ड'

[देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८ पर]

१--बकरी विकास योजना--इस प्रदेश में बकरी विकास की योजनायें तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सम्मिलित की गयी हैं, जो निम्नलिखित हैं :

(अ) इस प्रदेश में मखदूम (मथुरा) तथा भरारी (झांसी) आटा तथा उरई (जालौन) फार्मों पर जमुनापारी प्रजनन इकाइयां अच्छी नस्ल के बकरे पैदा करने तथा नस्ल सुधारने के लिये स्थापित की गयी हैं परन्तु वांछित लक्ष्य की पूर्ति न हो सकने पर एक नई प्रजनन इकाई की जिला एटा में स्थापना का तथा चालू दोनों इकाइयों के विस्तार का प्राविधान किया गया है।

(ब) जमुनापारी तथा बरबरी बकरियों के हेतु अनुदान--यह योजना चक्कर नगर (इटावा) में जमुनापारी तथा एटा जिले में बरबरी बकरियों की नसल सुधार हेतु चलायी गई है। इस योजना का विस्तार जमुनापारी बकरियों के लिए इटावा, इलाहाबाद और जालौन और बरबरी बकरियों के लिए एटा, इटावा तथा आगरा मे तय किया गया है। तीसरी योजना में ३०० बकरियों को दुग्ध उत्पादन के आधार पर बकरी पालकों को अनुदान के रूप में देने का प्राविधान किया गया है।

(स) चम्बा बकरों का क्रय और वितरण--पर्वतीय क्षेत्रों की स्थानीय बकरियों की नसल सुधार हेतु जहां कि इस वंश के पशु बोझा ढोने के काम में तथा मास के प्रयोग में लाये जाते हैं, ३५० चम्बा बकरे तृतीय पंचवर्षीय योजना में वितरित करने का प्राविधान किया गया गया है।

(द) थोगरसा बकरों के लिये अनुदान--तीसरी योजनाकाल में इस नस्ल की २५० बकरियों को अनुदान में देने का प्राविधान किया गया है।

२--सुअर विकास योजना--गत वर्ष से राजकीय पशुपालन विभाग के निर्देशन में सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ तथा उसके निकटवर्ती जिले मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, अलीगढ एवं एटा आदि में सुअर नस्ल सुधार में संतोषजनक प्रगति हुई है। सुअर विकास केन्द्रों की राज्य सरकार द्वारा स्थापना की गयी है। जिसमें इच्छुक सुअर पालकों को विभाग की ओर से केवल १० रुपये आंशिक मूल्य पर सुअर वितरित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक रिसर्च योजना भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था (आई० सी० ए० आर०), नई दिल्ली की सहायता से द्वितीय योजना काल में नयी सुअर नस्ल प्रजनन का संचालन इस राज्य में हुआ है तथा इसके अन्तर्गत नस्ल सुधार का एवं सम्बन्धित कर्मचारियों के प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया है।

सुअर नस्ल सुधार हेतु तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में १५ सुअर प्रजनन प्रसार केन्द्र भारत सरकार के निर्देशानुसार खोलने का भी विचार है। इसके साथ-साथ चालू वर्ष १९६२-६३ में एक सुअर प्रजनन यूनिट की स्थापना मैकनाइज्ड स्टेट फार्म, अराजी लाइन्स (वाराणसी) में की जा रही है तथा ३ सुअर विकास केन्द्र प्रत्येक वर्ष के अनुपात से तृतीय योजनाकाल में स्थापित करने का लक्ष्य है। गत वर्ष सहारनपुर, बरेली तथा फैजाबाद में सुअर विकास केन्द्र खोले जा चुके हैं।

३--गर्दभ सुधार योजना--गदहों की नस्ल सुधार का कार्य जिला मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ, मथुरा तथा आगरा जिलों में भारतीय सैनिक विभाग ने अपने आधीन विगत ६-७ वर्षों से ले लिया है जिला मेरठ के बाबूगढ स्थित सैनिक फार्म में गदहे सांड़ों द्वारा खच्चर प्रजनन का कार्य किया जा रहा है। यह कार्य सैनिक विभाग की खच्चरों की मांग की पूर्ति के लिये किया जा रहा है इस विभाग द्वारा भी पश्चिमी व पहाड़ी क्षेत्र में सात गदहे सांड़ केन्द्र खच्चर उत्पादन के लिये स्थापित किये हैं।

इस विभाग द्वारा भी जिला देहरादून मे स्थित पशु लोक फार्म में एक अश्व प्रजनन व खच्चर उत्पादन केन्द्र स्थापित किया गया है। जिसमें अश्व व गदहें सांड़ व घोड़ियां रक्खी गयो हैं। इसके अतिरिक्त प्रथम व दूसरी योजना के अन्तर्गत ४ गदहे सांड़ पर्वतीय क्षेत्र में खच्चर उत्पादन के लिये रक्खे गये हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के आधीन दो अन्य जिलों में खच्चर प्रजनन कार्य बढ़ाने के उद्देश्य से दस गदहें सांड़ व १० गदहें घोड़ियों के विदेश से आयात किये जाने का प्रबन्ध किया जा रहा है और देशी घोड़ियों के खरीदने के हेतु आर्थिक अनुदान सरकार द्वारा देने की व्यवस्था उक्त योजना में की गयी है।

नत्थी 'ढ'

[देखिये तारांकित प्रश्न ११७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८ पर]

गाजीपुर जिले में निम्नलिखित स्थानों पर तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नलकूपों के निर्माण का प्रस्ताव हैं।

१	बेदौली	११	नखदपुर
२	मानिकपुर	१२	नसरथपुर
३	सुभाकरपुर	१३	विन्धपारा
४	कनसहरां	१४	जगदीशपुर
५	खान का कलां	१५	हाजीपुर
६	मलिकपुरा	१६	परसा
७	यूमुफपुर	१७	कादीपुर
८	गुथाली	१८	पाटपुर
९	लोनेपुर	१०	ताजपुर
१०	पहारपुर	२०	कठघरा

नत्थी 'ण'

[देखिये तारांकित प्रश्न १३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९ पर]

मड़ियाहू जल शाखा निर्माण विभाग द्वारा गाजीपुर जनपद के सैदपुर तहसील में शारदा सागर योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत सुल्तानपुर ब्रांच सिस्टम के निम्नलिखित नहरों का निर्माण हुआ है:—

नहर का नाम	किस मील से किस मील तक	लम्बाई मी० फ० फु०
ठेकमा डिस्ट्रीब्यूटरी	४६—३ ५२—०	५ ५
लालगंज डिस्ट्रीब्यूटरी	३७—३ ४४—४—३३०	७ १ ३३०

ठेकमा डिस्ट्रीब्यूटरी का डिस्चार्ज मील ४६—३ पर जहां वह गाजीपुर जिले में प्रवेश करती है ७ क्युसेक्स है । सी० सी० ए० ५३१६ एकड़ है और ९२८ एकड़ रबी प्रवेज्ड है । यह नहर निम्नलिखित गांवों में सिंचाई करेगी ।

ग्रामों के नाम	ग्रामों के नाम
१—माखनपुर	१९—मुरकड़ा
२—सदर जहांगुर	२०—बूडनपुर
३—साहबपुर	२१—गजाधरपुर
४—जगदीशपुर	२२—गोडहरा
५—ताजीपुर	२३—हसनपुर
६—सागाधरपुर	२४—कनौजी जटहर
७—रघुनाथपुर	२५—कुन्डौला
८—वारीदीत मुबारकपुर	२६—रामवन
९—जौहरपुर	२७—विसमबरपुर
१०—नसरूल्लापुर	२८—होला पट्टी
११—जलालपुर धानी	२९—करीमुल्लापुर
१२—इमाबांसी	३०—जोखिनिया गोविन्द
१३—फातमा चक	३१—गौरा खास
१४—फूलपुर	३२—सलीमपुर बहार राय बहादुर
१५—पाखनपुर	३३—शाहपुर बहार राय
१६—पारसपुर	३४—कमला जोखिनियां
१७—सिसवार	३५—गौरा नमजद लालपुर
१८—मखदूमपुर	३६—शाहपुर सुमेर राय
	३७—गोरा खर्द

लालगंज डिस्ट्रीब्यूटरी का डिस्चार्ज मील ३७·३ पर जहां से वह गाजीपुर जिले में प्रवेश करती है, १६ क्यूसेक्स है। सी०सी०ए० ७१८५ एकड़ है और १३०१ एकड़ रबी प्रपोज्ड है । यह गाजीपुर जिले के निम्नलिखित ग्रामों में सिंचाई करेगी

ग्रामों के नाम	ग्रामों के नाम
१—बरेहता	१९—बरातपुर
२—खिजरपुर	२०—रामदासपुर
३—अबीलाहपुर	२१—हसनपुर
४—रिसती	२२—बरातपुरमोजरा
५—कुन्ती	२३—डिलीपरायपुर पट्टी चाल
६—नान्हूपुर	२४—मऊरसा
७—मंगारी	२५—भीमापाय
८—गोकुल पट्टी	२६—बाटपुर
९—डलीपराय पट्टी	२७—भगेला
१०—बीराराय पट्टी	२८—बारागांव
११—नसरहपुर	२९—डेवापुर
१२—धवाई पट्टी	३०—रामपुर
१३—बिजो रेवा	४१—अकरौन
१४—मखदूमपुर	३२—खजुरहट
१५—बसाई	३३—खरवा
१६—जगदीशपुर	३४—कैथोलिया
१७—गोरहा	३५—पाहीं
१८—कनरी	

नत्थी 'त'

[देखिये पीछे पृष्ठ ९६ पर]

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६१

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७ करने का; कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, १९४७ में संशोधन

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७ की धारा १४ में संशोधन

२—यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, १९४७ की धारा १४ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक वाक्य और जोड़ दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबंध यह है कि इस प्रकार प्रधान अथवा उप-प्रधान को उनके पद से पृथक करने का नोटिस उनके चुनाव से एक वर्ष से पूर्व नहीं दिया जायगा, और यदि अविश्वास का प्रस्ताव गिर जायगा तो पुनः एक वर्ष के भीतर यह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा ।"

नियम

३—इस संबंध में नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा ।

———

उद्देश्य तथा कारण

पंचायतराज अधिनियम की धारा १४ के अन्तर्गत राज सभा के पचास प्रतिशत से अधिक सदस्य किसी भी प्रधान या उप-प्रधान को उसके पद से पृथक करने का नोटिस किसी समय देकर राज सभा की बैठक बुला सकते हैं, और दो तिहाई मतों से प्रधान या उप-प्रधान हो हटा सकते हैं । पंचायतराज की धारा ६५ के होते हुए यह धारा व्यर्थ प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त प्रधान अथवा उप-प्रधान के चुनाव के पश्चात् किसी समय भी उनको हटाने की नोटिस का परिणाम यह होता है कि कुछ गांव सभाओं में चुनाव के नोटिस दे दिये जाते हैं, जिससे गांव सभा का कार्य सुचारुरूप से चलने के बजाय दलबन्दी और ईर्ष्या द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है । जिला बोर्ड, नगरपालिका तथा अन्य प्रजातंत्रात्मक ढंग से निर्वाचित संस्थाओं के अध्यक्षों पर अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिये समय निर्धारित है । अतः यह आवश्यक है कि गांव सभा में भी इसी प्रकार का समय निर्धारित हो । इस विधेयक में प्रधान या उप-प्रधान के निर्वाचन अथवा अविश्वास के प्रस्ताव के गिराने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक पुनः प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, यह निर्धारित किया गया है ।

अतएव यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है ।

प्रतापचन्द्र आजाद
सदस्य,
विधान परिषद

विधान परिषद

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० १०६ एल० ए०--१६६२--८४५ ।